अष्टम माला, खंड 22 अंक 15

सोमवार, 24 नवम्बर, 1986 / 3 अग्रहायण, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Acc. No. 57
Date 31/8/87

(सातवां सत्र)

आठवीं लोक सभा

सत्यमेव जयते

(खंड 22 में अंक 11 से 20 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 22, सातवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 15, सोमवार, 24 नवम्बर, 1986/3 अग्रहायण 1908 (शक)

डच संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या :	2-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या :	24-37
अतारांकित प्रश्न संख्या :	37-242
दिनांक 10 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 877 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	242-244
राज्य सभा से संदेश	244-245
बंगलौर में हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के दूसरे सम्मेलन के दौरान राज्याध्यक्षों/राष्ट्राध्यक्षों के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता के बारे में वक्तव्य	
श्री नारायण दत्त तिवारी	245-247
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	
देश के विभिन्न भागों में विद्युत की कथित भारी कमी से उत्पन्न स्थिति	247-264
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	247
श्री वसंत साठे	247-250
श्री हरीश रावत	
श्री राजकुमार राय	254-255
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
एक सदस्य को नाम निर्देशित करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश	264-265
विधेयक—पुर: स्थापित	
(एक) सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक	265
(दो) भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक	265-266

*किसी सदय के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	266-271
(एक) गोवा सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के पास भेजे गए भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधेयक के प्रारुप को स्वीकृति देने की आवश्यकता	
श्री शान्ताराम नायक	266
(दो) सभी युवा छात्रों के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य करने की आवश्यकता	
श्री मूल चन्द डागा	267
(तीन) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों के कुछ विकास खंडों को जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग	
श्री हरीश रावत	267
(चार) बरहामपुर में मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्यालय खोलने की आवश्यकता	
श्री सोमनाथ रथ	268
(पांच) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जिन किसानों की भूमि अर्जित कर ली गई है उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे की दर में वृद्धि करने की आवश्यकता	
श्री भरत सिंह	268
(छ:) ढेंकानल जिले में पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को अधिक धन राशि आवंटित करने की मांग	
श्री के० पी० सिंह देव	269
(सात) नेल्लोर (आन्ध्र प्रदेश) में विजय महल सिनेमाघर के निकट एक लघु अवर-पुल का निर्माण करने की आवश्यकता	
श्री पी० पेंचालैया	270
(आठ) संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 (2) (क), (ख) और (ग) का लोप करसे की और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को धनराशि दिये जाने की आवश्यकता	
श्री अजय विश्वास	270-271
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1986-87	271-322
श्रीमती प्रभावती गुप्त	271-275
श्री मुरली देवरा	276-278

विषय	पृष्ठ
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	278-280
श्री अनादि चरण दास	280-282
श्री बी०बी० रमैया	282-284
श्रीचिन्तामणि जेना	284-286
श्री बापूलाल मालवीय	286-289
श्री टी० बशीर	289
श्री सोमनाथ चटर्जी	289-293
डा० प्रभात कुमार मिश्र	293
कुमारी ममता बेनर्जी	295-298
प्रो० एन० जी० रंगा	298-299
श्री नरेन्द्र बुदानिया	300
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	301
श्री गंगाराम	301-303
श्री आर० जीवरत्नम	303-304
श्री राम नगीना मिश्र	304-306
श्री बी० के० गढ़वी	307-310
विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1986	323-324
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० के० गढ़वी	323
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० के० गढ़वी	323
खंड 2, 3 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० के० गढ़वी	324
कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	324-340
और	
कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधि (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती गीता मुखर्जी	324-325
श्री वसंत साठे	325-328
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	329-331

विषय	पृष्ठ

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	331-335
श्री बनवारी लाल पुरोहित	335-337
श्री आर० अण्णानम्बी	337-339
श्री गिरधारी लाल व्यास	339-340
आधे घंटे की चर्चा	341-353
"नेल्को" द्वारा परीक्षण उत्पादन	
श्री के० पी० सिंह देव	341-346
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	346-348
श्री चिन्तामणि जेना	349
श्री सोमनाथ रथ	349-353

लोक-सभा

सोमवार, 24 नवम्बर, 1986/3 अग्रहायण, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

डच संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है ।

मुझे अपनी ओर से, और इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से नीदरलैंड के स्टेटस जनरल के दूसरे चैम्बर के स्पीकर और डच संसदीय प्रतिनिधिमंडल के नेता महामहिम डा० डी० डॉलमैन तथा डच संसदीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों का जो हमारे माननीय अतिथियों के रूप में भारत के दौरे पर हैं स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल के अन्य माननीय सदस्य हैं :

(1) माननीय डा० बर्ट ड्र ब्राइज, संसदसदस्य

(2) माननीय मि० थीजा वौल्टजन्स संसदसदस्य

(3) माननीय मि० इर्विन नाइपल्स संसदसदस्य

(4) माननीय मि० राबिन लिन्सचटन संसदसदस्य

(5) माननीय जानखीर गोवर्टवान टेट्स संसदसदस्य

(6) माननीय डा० हैंथ वाल्ट मैंस संसदसदस्य

यह प्रतिनिधि मण्डल शुक्रवार 21 नवम्बर, 1986 की प्रातःकाल यहां पहुंचा। वे इस समय विशेष दीर्घा में बैठे हुए हैं । हम अपने देश में उनकी प्रसन्नतापूर्ण एवं सफल यात्रा की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से नीदरलैंड की महामहिम महारानी, संसद, सरकार और मैत्रीपूर्ण जनता को भी अपनी शुभकामनायें भेजते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

गेहूं का खरीद मूल्य

+

*285. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री तेजा सिंह दर्दी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने वर्ष 1987-88 के लिए गेहूं का खरीद मूल्य 165/- रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने की सिफारिश की है,

(ख) क्या सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है,

(ग) क्या सरकार को इस सिफारिश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

[अनुवाद]

कृषि तथा सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) 1987-88 के मौसम में विपणन की जानेवाली 1986-87 की गेहूं की फसल के खरीद मूल्य पर कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और उस पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया है अर्थात् क्या सरकार को इस सिफारिश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मेरे प्रश्न के इस भाग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि वह सबसे पहले प्रश्न के इस मार्ग का उतर दें। इसकी वजह से किसानों में व्यापक असन्तोष है और इस कारण किसानों का सरकार में विश्वास नहीं रहा है। किसान यह महसूस कर रहे हैं कि किसानों के हितों की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार का हमेशा यह दृष्टिकोण रहा है कि खाद्यानों की वसूली मूल्यों में वृद्धि का मूल्य सूचकांक पर प्रतिकूल असर पड़ता है और साथ ही साथ कम वसूली मूल्य निर्धारित करने से किसानों के लिए खाद्यान्नों का उपात्दन लाभप्रद नहीं रह गया है; मूल्यों को देखते हुए सरकार किसानों की सहायता करने के लिए और क्या उपाय कर रही।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसके विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु जब हमें कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो इसे राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाता है, क्योंकि यह एक निर्धारित प्रक्रिया है। हमने कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट राज्यों को भेज दी थी जिस पर हमें उनकी टिपाणियां प्राप्त हो गई हैं।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, इस सदन में पहले भी मैं बता चुका हूं कि हमें उपभोक्ताओं

और उत्पादकों अर्थात् किसानों में एक संतुलन बनाये रखना होता है। हम किसानों को लाभप्रद मूल्य देते हैं। मेरे पास उत्पादन लागत और सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों के 1983-84 और 1984-85 के आंकड़े हैं जिनसे स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि जहां भी हमने लाभ की गुंजायश रखी है वही लागत मूल्य से अधिक मूल्य वृद्धि हुई है। हम किसानों को लाभप्रद मूल्य देते हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : माननीय मन्त्री महोदय ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। मन्त्री महोदय कहते हैं कि उनके पास अदानों की कीमतों और अन्य वस्तुओं की कीमतों में मूल्य वृद्धि के तुलनात्मक आंकड़े हैं। लेकिन हमें केवल आंकड़ों की ही आवश्यकता नहीं है। इस देश के किसान यह जानना चाहते हैं कि अदानों की कीमतों में कमी करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। क्या सरकार के दिमाग में फसलों के विविधकरण सम्बन्धी कोई कार्यक्रम है? क्या उन छोटे-छोटे किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कृषि आधारित उद्योग के वास्ते कुछ किया जा रहा है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अदानों की कीमतों में कमी करना कृषि मंत्रालय के हाथ में नहीं हैं। उर्वरक और अन्य अदानों का सम्बन्ध पेट्रोलियम और अन्य मन्त्रालयों से है।

जहां तक विविधीकरण का सम्बन्ध है, सरकार ने किसानों को विविध फसलें उगाने की पद्धति को अपनाने के लिए प्रेरित किया है ताकि किसान ऐसी अन्य फसलें उगा सकें जो परम्परागत फसलों की तुलना में कहीं अधिक लाभप्रद हैं। हम कुछ ऐसे क्षेत्रों में किसानों को प्रेरित कर रहे हैं जहां परम्परागत फसलें उगाने के बजाय वे ऐसी अन्य फसलें उगायें जो उनके लिए अधिक लाभप्रद हैं। सरकार की यही योजना है। सरकार कृषक-विधान केन्द्र, प्रयोगशालाओं तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित कर रही है।

प्रो० एन० जी० रंगा : मेरे माननीय मित्र ने वही बताया है जो कुछ राज्य सरकारों ने कहा है। माननीय मंत्री जी ने मेरे माननीय मित्र द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

दूसरे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार समाज के निर्धनतम वर्ग स्वयं ही कम कीमत पर खाद्यान्न सप्लाई कर रही है, माननीय मन्त्री जी की उपभोक्ता की परिभाषा में यह वर्ग शामिल नहीं होता है। इसमें केवल वे ही लोग शामिल होते हैं, जो निर्धनतम नहीं हैं, जो खाद्यान्नों की कीमत अदा कर सकते हैं और अदा करने की क्षमता रखते हैं।

इससे पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार उन वर्गों जो लाभप्रद मूल्य अदा कर सकते हैं और वे कीमतें जो किसानों के खर्चे पूरे करने के लिए अपेक्षित हैं, के बीच किसी तरह की समामता लाने का प्रयास कर रही है। उनकी आवश्यकता भुखमरी लाने वाली कीमतों से कुछ और अधिक प्राप्त करने की है। मंत्री जी ने उसका उत्तर नहीं दिया है। तीसरी बात यह है, जैसाकि उन्होंने अब स्वयं ही यह माना है कि उन क्षेत्रों में जहां खाद्यान्नों का उत्पादन लाभप्रद नहीं है, यह सरकार तथा राज्य सरकारें किसानों को कोई अन्य फसल उगाने के लिए कह रही हैं। इसका आशय यह है कि सरकार उन्हें बाजार की शक्तियों की दया पर छोड़ रही है। वह किसानों के संरक्षण के लिए कुछ नहीं कर रही है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह कहना सही नहीं है कि किसानों को बाजार की शक्तियों की दया पर छोड़ा जा रहा है। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि 1983-84 में बिहार में गेहूं की लागत 140.07 रु० प्रति क्विंटल थी हरियाणा में 140.93 रुपये प्रति क्विंटल, पंजाब में 137.47 रु० प्रतिक्विंटल, राजस्थान में यह 136.02 रु० प्रति क्विंटल थी। यह उत्पादन लागत थी। इन लागतों की तुलना में, सरकार द्वारा दी गई कीमतें अर्थात सरकार घोषित किया गया समर्थन मूल्य 152 रुपये प्रति क्विंटल था जो उत्पादन लागत से अधिक था। 1984-85 में भी हरियाणा में उत्पादन लागत 141.31 रु० प्रति क्विंटल थी, पंजाब में 136.·3 रु० प्रति क्विंटल, राजस्थान में 140.61 रु० प्रति क्विंटल थी, यह उत्पादन लागत है। इसके विपरीत सरकार ने मूल्य 157 रु० प्रति क्विंटल घोषित किया। अर्थात जब सरकार मूल्य निर्धारित करती है, तो वह सभी बातों पर विचार करती है और उसमें लाभ का अंश भी शामिल होता है और तब मूल्य घोसित किया जाता है··· (**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा : प्रश्न यह है कि राज्य सरकार ने क्या कहा है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : राज्य सरकारों ने हमेशा ही उन कीमतों से अधिक की मांग की है जो कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा सुझाई गई हैं। गुजरात ने 230 रु० की सिफारिश की है, उत्तर प्रदेश ने 210 रुपये की, पंजाब ने 200 रुपये की, हरिणाया ने 175 रुपये की उड़ीसा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र ने 165 रुपये की सिफारिश की है। (**व्यवधान**)

ऐसे विभिन्न कारक हैं जिन्हें उत्पादन की लागत निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यह लाभप्रद नहीं है, हालांकि गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। इसलिए, कीमत अधिक है। परन्तु सरकार को सभी पक्षों पर विचार करना पड़ता है, उन प्रमुख राज्यों पर भी विचार करना पड़ता है जो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं··· (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने प्रश्न के जवाब में कहा है कि वे किसानों की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए उनको वाजिब कीमत देते हैं और उनकी जो प्राइस का फार्मूला है। उसके मुताबिक जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है वह काफी कम है मुकाबले प्राइस के, तो मैं यह जानना चाहता हूं :

(अ) क्या किसानों को नेचुरल कैलेमिटीज से जो नुकसान होता है—फ्लड, ड्राउट, ओला वगैरह से—वह नुकसान भी इस प्राइस फार्मूला में शामिल है या नहीं ?

(ब) छोटे और मझोले किसानों के लिए आप खाद पर सब्सीडी देते हैं लेकिन पिछले दिनों हमने अखबारों में पढ़ा है कि यह सब्सीडी समाप्त हो रही है तो क्या आप छोटे और मझोले किसानों की उत्पादकता को कायम रखने के लिए और एकोनामिकल बनाने के लिए, यह सब्सीडी जो चालू है, उसको आगे भी चालू रखने का आश्वासन आप इस सदन को देंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष जी, जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल है, वह तो एक

अच्छा सुझाव है, जिसको मैंने नोट कर लिया है। जहां तक पहले भाग का सवाल है, नेचुरल कैलेमिटीज को ध्यान में रखा जाता है या नहीं? तो नेचुरल कैलेमिटी कब आएगी, मालूम नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। लेकिन नेचुरल कैलेमिटी के लिए सरकार मदद करती और हर बार इस सदन में बताया है कि हमने फ्लड, साइक्लोन, हेल-स्टोर्म और ड्राउट आदि से जो नुकसान होता है, उसको गवर्नमेंट आफ इण्डिया राज्य सरकार को देती है और उसके मुताबिक किसान को भी सरकार मदद करती है, लेकिन प्राइस में इन्क्ल्यूड नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री वी० शोमनाद्रीश्वर राव : अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह संतोषजनक नहीं है। इसके दो मुख्य पहलू हैं : पहला पहलू यह है कि गणनाओं के बावजूद तथ्य यह है कि कृषि मूल्य आयोग अपना हिसाब लगाने में सभी कारणों और उत्पादन लागत में वृद्धि के वास्तविक स्तर को नहीं देखता। निस्संदेह कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है कि उर्वरक के मूल्य को ध्यान में रखा गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से श्रमिक लागत में जो वृद्धि हुई है उसको पूर्णतया ध्यान में नहीं रखा गया है।

दूसरा पहलू यह है कि औद्योगिक उत्पादन के मामले में आपने सभी पहलुओं का अध्ययन किया है और आप उद्योगों को कुछ लाभ सहित उचित मूल्य भी दे रहे हैं, जबकि किसानों के मामले में यद्यपि आपने कहा है कि आप उनको लाभ का कुछ अंश दे रहे हैं और इस तथ्य के बावजूद कि कृषि उत्पादन ही किसानों के लिए आय का साधन है, उपभोक्ताओं के नाम पर आप उनको उचित लाभप्रद मूल्य देने से वंचित कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे कुछ कारणों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, विशेषरूप से उन राज्यों के बारे में, जो समुद्र के किनारे स्थित हैं और जहां निरन्तर समुद्री तूफान आते रहते हैं, कृषि मूल्य आयोग ने विशेष रूप से इस बात की सिफारिश की थी कि किसानों को 5 रुपये प्रति क्विंटल से थोड़ी ज्यादा लाभ के अंश की राशि दी जानी चाहिए। इस कार्य में अन्तर्ग्रस्त जोखिम के लिए आपने अभी तक सहमति नहीं दी है।

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्होंने यहां घोषणा कर दी है। (व्यवधान)

श्री वी० शोमनाद्रीश्वर राव : इस कार्य में अन्तर्ग्रस्त जोखिम को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार किसानों को कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार अधिक मूल्य देगी ?

प्रो० मधु दंडवते : उप प्रधानमंत्री ने आपको आश्वासन दिया है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह कहना गलत है कि श्रम को ध्यान में नहीं रखा जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग उत्पादन लागत की गणना करते समय किसी विशेष राज्य में श्रमिकों को अदा की जाने वाली वास्तविक मजदूरी का ध्यान रखता है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : हम न्यूनतम मजदूरी से कहीं अधिक दे रहे हैं। कई बार तीन गुना से भी अधिक।

श्री योगेन्द्र मकवाना : उन्होंने जो अपने श्रमिक रखे हैं और जिसमें उनका अपना श्रम भी शामिल है, पर भी ध्यान रखा जाता है। खेती करते समय किसानों का अपना श्रम करने अर्थात् स्वयं किसान, उसकी पत्नी और बच्चों के श्रम के बारे में भी ध्यान रखा जाता है। उत्पादन लागत की गणना करते समय किसानों को अदा की गई लागत में, बैलों का श्रम, किराये पर ली गई अथवा अपनी मशीन पर किये गए श्रम भूमि पट्टे के लिए दिया गया किराया आदान सामग्री यथा, बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां, सिंचाई लगान जिसमें पम्पसैट चलाने के लिए डीजल, विद्युत् आदि शामिल हैं, के इस्तेमाल पर खर्च की गई नकद राशि आदि सभी का भी ध्यान रखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप काफी बोल चुके हैं। हम इस प्रश्न पर 15 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इन सब बातों पर विचार करने के पश्चात् मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस समय विचार करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न।

कुल उत्पादित फलों और सब्जियों के डिब्बा बन्द किए जाने की प्रतिशतता

287. **श्री एन० सुन्दर राज** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग डिब्बा बन्द किया जाता है;

(ख) इसकी अन्य देशों, विशेषकर यूरोप के कृषि की दृष्टि से विकसित देशों तथा अमरीका और ब्राजील के साथ कहां तक तुलना की जा सकती है; और

(ग) इस अल्प-विकसित उद्योग का विकास सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में उत्पादित फलों तथा सब्जियों के करीब-करीब 0·3 प्रतिशत भाग को विभिन्न उत्पादों के रूप में संसोधित किया जाता है।

(ख) कृषि के क्षेत्र में विकसित देशों के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी यह अनुमान लगाया गया है कि इन देशों में फलों तथा सब्जियों के करीब 50 प्रतिशत भाग को संसोधित किया जाता है।

(ग) देश में फल तथा सब्जी परिसंस्करण उद्योग के विस्तार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) परिसंस्करण के लिए उपकरणों तथा मशीनरी के आयात को उदार बनाया गया है तथा आयात कर में कमी की गई है।

(2) परिसंस्करण के लिए प्रचुर मात्रा में फल तथा सब्जी उपलब्ध कराने के लिए इनका उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) परिसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्मों का विकास करने के लिए कृषि-अनुसंधान किए जा रहे हैं।

(4) फल तथा सब्जियों के परिसंस्करण का कार्य आरम्भ करने के लिए राज्य सरकारों/सहकारी प्रतिष्ठानों की सहायता के लिए एक प्लान योजना शुरू की गई है।

(5) उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बागवानी तथा बागवानी पर आधारित उद्योग की बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम मर्यादित नामक पृथक निगम की स्थापना की गई है।

(6) माडर्न फूड इण्डस्ट्री इण्डिया लिमिटेड ने फल तथा सब्जी परिसंस्करण का काम भी शुरू कर दिया है।

(7) फल तथा सब्जियों के परिसंस्करण में गृहणियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्यों में फल-परिरक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है।

श्री एन० सुन्दरराज : महोदय, कृषि की दृष्टि से विकसित अन्य देशों की तुलना में, जो अपने खाद्य उत्पादन का 50 प्रतिशत परिष्कृत कर रहे हैं, वहां हम अपने देश में केवल 0·3 प्रतिशत खाद्य का परिष्करण कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस देश में खाद्य के परिष्करण के लिए क्या वास्तविक कदम उठाने जा रही है और हमें अपने खाद्य-उत्पादन के 50 प्रतिशत परिष्णकरण के स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, भारत में परिष्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :

(एक) परिष्करण के लिए उपकरणों तथा मशीनरी के आयात को उदार बनाया गया है और आयात शुल्क में कमी गई है।

(दो) फलों और सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ताकि कि संसाधन के लिए उनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके परिष्करण के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त किस्में तैयार करने हेतु कृषि अनुसंधान किया जा रहा है।

(तीन) फलों और सब्जियों के परिष्करण के लिए गृहणियों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से राज्यों में फल परिरक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(चार) पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी तथा बागवानी पर आधारित उद्योग को विकसित करने के लिए एक पृथक् निगम यथा, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई हैं।

(पांच) माडर्न फूड इण्डस्ट्री इण्डिया लि० के कार्यों में फल तथा सब्जी परिष्करण का कार्य भी बढ़ा दिया गया है।

(छ:) राज्य सरकार द्वारा कृषि औद्योगिक परिसरों एग्रो-इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्सों) का विकास किया जा रहा है ताकि उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जा सके।

श्री एन० सुन्दरराज : परिष्करण के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के अलावा हम समझते हैं कि एग्रो-इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, पंजाब और पेप्सी के बीच सहयोग है। क्या सरकार के पास किसी विदेशी सहयोगी के साथ फलों के परिष्करण के बारे में कोई प्रस्ताव है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, यह मामला उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित है न कि कृषि मंत्रालय से।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर में यह बताया गया है कि इस देश में उत्पादित फलों और सब्जियों के केवल 0·3 प्रतिशत भाग को विभिन्न उत्पादों में परिष्कृत किया जा रहा है लेकिन एक अन्य प्रश्न के सम्बन्ध में, अर्थात् अन्य देशों की तुलना में आंकड़े पूर्ण रूप से नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कृषि के क्षेत्र में विकसित देशों के बारे में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार ने अन्य देशों से आंकड़े प्राप्त करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाये हैं।

प्रो० मधु दंडवते : क्योंकि वे आसानी से नहीं मिल सकते हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : हो सकता है। जब आपने परिष्करण के लिए उपकरण और मशीनरी में आयात को उदार बनाने के लिए कदम उठाये हैं तो आपने आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया? दूसरे आपने अपने विवरण में कहा है कि अन्य देशों में लगभग 50 प्रतिशत फलों और सब्जियों को परिष्कृत किया जाता है। जब अन्य देशों में यह स्थिति है तो आपने भारत में यह प्रतिशतता बढ़ाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए हैं? आपने अपने विवरण में सात कदम उठाए जाने का उल्लेख किया है। ये कदम कब से उठाए जा रहे हैं और कुल मिलाकर इनका क्या परिणाम रहा है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस देश में फल परिष्करण उद्योग का विकास क्यों नहीं हुआ है

इसके कई कारण हैं। यह मुख्य रूप से इसलिए है कि हम अपने घरों में चटनी, अचार और अन्य बहुत सी चीजें बनाते हैं। जब हम 0·3 प्रतिशत कहते हैं तो इन सब चीजों पर विचार नहीं किया जाता। यह भी परिष्करण ही है लेकिन इस पर विचार नहीं किया जाता है।

प्रो० मधु दंडवते : तब तो खाना भी परिष्करण ही है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, इसके अलावा भी अनेक कारण हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मकवाना जी, चटनी उनकी बन रही है या किसानों की बन रही है···
(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं इसके कुछ कारण बताऊंगा। कारण इस प्रकार हैं अधिक पैकिंग लागत और अधिक उत्पाद-शुल्क और अन्य शुल्क के कारण ताजे फलों और सब्जियों की तुलना में परिष्कृत फलों और सब्जियों की लागत ज्यादा है। अधिकतर संसाधन यूनिट छोटे पैमाने के हैं जिनमें आधुनिक प्रोद्योगिकी की कमी है। देश में विद्यमान कई प्रकार की कृषि जलवायु सम्बन्धी स्थितियों के कारण पूरे वर्ष ताजे फल तथा सब्जियां उपलब्ध हो जाती हैं और अचार, चटनी, धूप में सुखाए गए फल तथा सब्जियों जैसे पारम्परिक उत्पादों का प्रचलन है जिन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे संसाधन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में कई प्रकार की कृषि जलवायु स्थितियों होने से प्रत्येक मौसम में ताजे फल मिल जाते हैं निर्यात के लिए हमने उद्योग का विकास करने के लिए कदम उठाए हैं लेकिन इसके लिए उद्यमियों को आगे आना चाहिए।

श्री पी० नामग्याल : मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक फल तथा सब्जी विकास निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है। जैसाकि आप जानते हैं हमारे देश के सभी भागों में सब्जियां तथा फल उगाये जाते हैं चाहे वह शीतोष्ण कटिबन्ध हो या ऊष्ण कटिबन्ध हो अथवा अर्द्धोष्ण कटिबन्ध हो। इसका क्या कारण है कि सरकार ऐसा निगम स्थापित करने का विचार नहीं कर रही है जिसका विस्तार पूरे देश में हो।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह सुझाव नोट करने लायक है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मकवना जी, सजेशन तो इसी बात का है कि अगर आप यहां को विदेशों से कम्पेअर करते हैं और यह चाहते हैं कि एग्रीकल्चर का डाइवर्शिफिकेशन हो तो प्रोसेस तो करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। होर्टिकल्चर बोर्ड की मीटिंग में भी ढिल्लो साहब ने यह लिया था।

श्री पी० नामग्याल : उन्होंने मेरे सप्लीमेंटरी का जवाब दिया है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह जरूरी है कि आप प्रोसेस करें और एक्सपोर्ट करें।

[अनुवाद]

यह आपको करना है इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। संसाधन करने तथा निर्यात करने की महती आवश्यकता है।

कृषि मंत्री (श्री जी० एस० ढिल्लो) : अध्यक्ष महोदय, आपकी टिप्पणी के सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमने खाद्य-परिरक्षण में अपेक्षित प्रगति नहीं की है। हमने इस मामले पर विचार किया है। हाल ही में बागवानी-बोर्ड की बैठक हुई थी इसमें कुछ सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे और मुझे आशा है कि आप भी उनका स्वागत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : यह होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : लेटेस्ट टेक्नोलोजी से आपको कम्पीट करना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री धर्मपाल सिंह मलिक।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : सर, क्वेश्चन से पहले मेरा प्वाएंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन आवर में प्वाएंट आफ आर्डर नहीं होता। आप क्वेश्चन नं० बोलिए।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मेरे क्वेश्चन पर ही प्वाएंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्वेश्चन नं० पढ़िए।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मैं क्वेश्चन में ही कहूंगा। क्वेश्चन नं० 288।

[अनुवाद]

किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना

+

288. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री सुभाष यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि ऋण पर ब्याज की ऊंची दर से कृषि उत्पादन काफी अलाभकारी हो गया है;

(ख) क्या सरकार को अन्य देशों में किसानों को ब्याज की रियायती दरों पर या ब्याज मुक्त ऋण आदि के रूप में विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाने की भी जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो कृषि को वास्तव में एक लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सहकारी ऋण संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कर्ज लेने वाले मूल व्यक्तियों से कृषि ऋणों पर पहले से ही वाणिज्यिक ब्याज दर की तुलना में कम दर से ब्याज लिया जाता है। इस समय अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज की दर 11·5 प्रतिशत से 16·50 प्रतिशत वार्षिक है जो कि ऋण की मात्रा पर निर्भर करती है। मध्यावधि तथा दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज की दर 10.00 प्रतिशत से 12·50 प्रतिशत वार्षिक है जो कि ऋण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। यह अनुमान लगाया गया है कि संस्थागत अभिकरणों द्वारा करीब 40 प्रतिशत कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। कृषि ऋणों की मौजूदा दर से कृषि उत्पादन की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

सरकार को कुछ विदेशी देशों के कृषि ऋण के ब्याज की दर की जानकारी है।

सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के संबंध में समय-समय पर घोषित की जाने वाली मूल्य नीति का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाना है।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष जी, मैंने जो सवाल दिया था वह अंग्रेजी में दिया था और उसका पार्ट 'ए' इस प्रकार है।

[अनुवाद]

"क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि ऋण पर ब्याज की ऊंची दर से कृषि उत्पादन काफी अलाभकारी हो गया है।"

[हिन्दी]

इसका पालियामेंट हाउस में जो हिन्दी में अनुवाद किया गया है वह दूसरा ही कर दिया गया है। यह किसानों के साथ अन्याय है। प्रकृति की तरफ से, सरकार की तरफ से तो किसानों के प्रति अन्याय होता ही है हरेक आदमी भी अन्याय करता है। प्रश्न के 'क' भाग का किया है :

"क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि ऋण पर ब्याज की ऊंची दर से कृषि उत्पादन काफी लाभकारी हो गया है"

इससे यह हुआ कि मेरे पास कम से कम 20 पालियामेंट के मेम्बरों के टेलीफोन आये। जिन लोगों ने इस सवाल को हिन्दी में पढ़ा उन्होंने मुझसे कहा कि आपने क्या सवाल दे दिया, आप

किसान के बेटे हो, सारी चीजों को जानते हुए भी आपने यह सवाल कर दिया। मेरी आपसे प्रार्थना है यह जो गलती हो गई है, यह किताबों में न छपे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह वास्तव में एक गम्भीर मामला है। मैं इसे देखूंगा।

[हिन्दी]

आप अंग्रेजी के प्रश्न से उत्तर पूछिये।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : सर मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है—"कृषि ऋणों की मौजूदा दर से कृषि उत्पादन की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।"

मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आज भारत के किसान किस प्रतिशत में कर्जदार हैं। टोटल कितने किसान कर्जदार हैं। हमें जो फिगर मिले हैं उसके मुताबिक भारत के 90 प्रतिशत किसान आज कर्जदार हैं और जो आप मुनाफे की बात करते हैं कि उनको रेम्यूनरेटीव प्राइस मिलती है, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि मुनाफा तो बिचौलिए खा जाते हैं, किसान को कुछ नहीं मिलता। कंपाउण्ड इन्ट्रेस्ट लगाकर उसकी जमीन तक बिक जाती है। इस संबंध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में कोई स्टडी कराना पसंद करेगी कि कितने प्रतिशत किसान आज कर्जदार हैं और कितने प्रतिशत इण्डस्ट्रियलिस्ट कर्जदार हैं और कितना लोन इंडस्ट्रियलिस्ट्स का राइट आफ किया गया है, कितना लोन किसान का राइट-आफ किया गया है।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी रंगा : जहां तक किसानों का सम्बन्ध है उनका कोई भी ऋण राइट-आफ नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र मकवाना : इनका वाइड रेंजिग सजेशन है और यह मेरी मिनिस्ट्री तो नहीं कर सकती, फाइनांस मिनिस्ट्री कर सकती है : किसान के बारे में मैं स्टेट गवर्नमेंट से पूछ कर बता सकता हूं, लेकिन इंडस्ट्रीज के बारे में मैं नहीं बता सकता, यह फाइनांस मिनिस्ट्री कर सकती है, सजेशन हमने नोट कर लिया है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या कभी किसान का लोन राइट-आफ किया गया है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : लोन राइट आफ करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बात सुनिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मंत्री महोदय जवाब नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सुन तो लीजिए, अगर जवाब नहीं आएगा तो दोबारा सवाल करवाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा।

[अनुवाद] .

श्री योगेन्द्र मकवाना : कृपया क्या आप मेरी बात सुनेंगे जिससे मैं आपका उत्तर दे सकूं। यदि आप इस तरह चिल्लायेंगे तो मेरे लिए उत्तर देना संभव नहीं होगा। ऋण सहकारी संस्थाओं या बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दिया जाता। ये संस्थाएं तथा सहकारी संस्थाएं राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन हैं। बैंक तथा अन्य वाणिज्यिक संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक के अन्तर्गत हैं। अत: मेरे लिए यह कहना कठिन है कि उन्होंने जो ऋण लिए हैं वे बट्टे खाते डाले जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकारों को केवल लिख सकता हूं। भारत सरकार के लिए यह संभव नहीं है।

श्री श्री० शोभनाद्रीश्वर राव : उद्योगों का विषय भी राज्य सरकार के अधीन आता है लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उद्योगपतियों पर सैकड़ों करोड़ रुपये के ऋणों को अशोध्य ऋण के नाम पर बट्टे खाते डाल दिया गया है।

श्री दिनेश गोस्वामी : प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न यह है कि क्या ऋण को लौटाने के मामले में उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए पक्षपात किया जाता है; क्या उनके साथ नरमी बरती जाती है जबकि किसानों के साथ सख्ती बरती जाती है। आपके पास कोई आंकड़े या कोई जानकारी होनी चाहिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : उद्योग में, ब्याज दर कृषि की तुलना में काफी अधिक है। कृषि ऋण पर ब्याज दर 11·5 से 16·5 प्रतिशत है जबकि औद्योगिक-ऋण की ब्याज दर 17 प्रतिशत से भी अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुभाष यादव।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री रह गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपके तो तीन सवाल हो गए।

श्री धर्मपालसिंह मलिक : एक तो मैंने सवाल ठीक करवाया था और दूसरा एक्सप्लेनेशन, सवाल तो मैंने एक ही किया है।

अध्यक्ष महोदय : सवाल तो मैंने किया था।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मैंने एक ही प्रश्न किया है, दूसरा नहीं पूछा है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि आज किसानों की बहुत स्माल होल्डिंग हो चुकी है। आज 90-95 प्रतिशत मार्जिनल किसान हैं या स्माल फार्मर्स हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी स्कीम तैयार करेगी जिसके तहत मार्जिनल फार्मर्स, स्माल फार्मर्स या एग्रीकल्चर लेबरर को प्रोत्साहन देने के लिए इण्डस्ट्री या दूसरे ट्रेड के लिए फंड उपलब्ध कराया जा सके।

श्री योगेन्द्र मकवाना : किसान के लिए कई स्कीम हैं, एग्रो-इण्डस्ट्री के लिए काफी स्कीम्स हैं और गवर्नमेंट आफ इण्डिया की कई स्कीम्स हैं, यहां पर इस समय बताने में लंबा समय चाहिए

[अनुवाद]

यदि वे चाहें तो वे उस विषय पर, अर्थात योजनाओं के बारे में, दूसरा प्रश्न कर सकते हैं क्योंकि कई योजनायें हैं।

[हिन्दी]

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, डिसकशन करा दीजिए। **(व्यवधान)**

श्री सुभाष यादव : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाव और भाई मलिक जी के प्रश्न का जवाब हमारे बड़े मन्त्री श्री ढिल्लो साहब को देना चाहिए हमको प्रश्न का उत्तर जो प्राप्त हुआ है, उससे मैं समझता हूं, इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य सहमत होंगे कि यह मन्त्रालय जिसको किसानों की भलाई का जिम्मा सौंप रखा है, वह मन्त्रालय किसानों की भलाई का जिम्मा अपने कंधों पर लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे कोई दुख नहीं होता और न परेशानी होती अगर यह जवाब वित्त मंत्रालय से मिलता। लेकिन दुर्भाग्य से यह जवाब कृषि मन्त्रालय दे रहा है जिसके कंधों पर अस्सी फीसदी किसानों का जिम्मा सौंप रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, आप इस बात से सहमत होगे कि आपने किसान सभा अध्यक्ष की हैसियत से कई मंचों पर इस बात को उठाया है और तत्कालीन कृषि मन्त्री राव बीरेन्द्र सिंह जी ने भी कई मंचों पर वित्त मन्त्रालय को कहा है और यह कहा है कि किसानों के ऋण की ब्याज की दर कम होनी चाहिए। देश के प्रधान-मन्त्री और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजीव गांधी ने चण्डीगढ़ की एक किसान सभा में यह कहा है कि हम किसानों के ब्याज की दर को कम करेंगे। उसके बाद भारत सरकार का कृषि मन्त्रालय हमको जवाब दे रहा है। मैं समझता हूं, इस देश के किसानों की इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कुछ नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय : सवाल कीजिए।

श्री सुभाष यादव : इन्होंने लिखा है कि हमारी जो कीमतें हैं और ब्याज की दर है, उससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की इकोनोमिक्स प्रभावित नहीं होती। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह सदन के सामने किन-किन तथ्यों के आधार पर साबित करेंगे कि किसानों की इकोनॅमिक्स अफेक्ट होने वाली नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा है—

[अनुवाद]

कि सरकार जानती है कि कुछ अन्य देशों में कृषि ऋण पर ब्याज दर कितनी है।

[हिन्दी]

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कौन से ऐसे मुल्क हैं खासकर पाकिस्तान और जो हमारे पड़ोसी मुल्क चीन, जापान, नाइजीरिया हैं, वहां पर किसानों के ऋण की ब्याज की दरें क्या हैं। कम ब्याज की दर से उत्पादन लागत कम आती है तो किसान अधिक इनवेस्ट

करके अधिक उत्पादन करता है और जब उत्पादन करता है तो लागत के अनुपात में उसको उसके उत्पादन की अच्छी कीमत मिल जाती है, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी अच्छी प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से मुल्क हैं जहां पर किसानों से ब्याज नहीं लिया जाता।

अध्यक्ष महोदय : बस अब रहने दीजिए। बहुत हो गया।

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, ये आज के पड़ोसी देशों में कृषि ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री लंका में छोटे किसानों के लिए ब्याज दर $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक है।

[हिन्दी]

श्री सुभाष यादव : कोरिया और पाकिस्तान का भी बताइए।

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं आपको सभी देशों के आंकड़े दे रहा हूं। आप पाकिस्तान के बारे में ही इतने परेशान क्यों हैं?

इण्डोनेशिया में कार्यकारी पूंजी के लिए 21 प्रतिशत और पूंजी निवेशों के प्रयोजनों से 12 प्रतिशत है।

फिलीप्पीन्स में योजना विशेष के अनुसार 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत है।

मलेशिया में जिनकी आय गरीबी की रेखा से नीचे है उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिए जाते हैं समृद्ध ग्राहकों से 11 से 12 प्रतिशत की वाणिज्यक दरों पर ब्याज लिया जाता है।

पाकिस्तान में सभी प्रकार के आदानों, ऋण तथा सावधि पूंजी निवेश के लिए ब्याज दर 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

थाइलेंड में ऋण की राशि तथा प्रयोजन के अनुसार ब्याज दर 14 से 16 प्रतिशत है।

चीन में, ऋण की अवधि तथा प्रयोजन के अनुसार ब्याज दर 4·32 प्रतिशत से 7·20 प्रतिशत है। दक्षिण कोरिया में ऋण पर ब्याज दर 13 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक है। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं·········

प्रो० एन० जी० रंगा : चीन में यह केवल 4 प्रतिशत है। (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : आप बीच में क्यों बोलते हैं। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं परन्तु आपकी कमेंटरी का मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता। अलग-अलग देश में अलग-अलग ब्याज दर है।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मंत्री ने अपने लिखित विवरण में कहा है, "इस समय अल्पावधि कृषि-ऋण की ब्याज दर ऋण की राशि के अनुसार 11·5 प्रतिशत से 16·5 प्रतिशत प्रति वर्ष है।"

महोदय, मैं माननीय मंत्री से विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि जहां तक किसानों का सम्बन्ध है केवल ब्याज दर में रियायत की बात नहीं है बल्कि इससे अधिक महत्वपूर्ण बात है उधार लेने की पात्रता के मापदण्ड। विशेषकर सूखा बहुल क्षेत्रों में तथा अन्य क्षेत्रों में भी किसान यह अनुभव करते हैं कि जब वे उन बैंकों से ऋण मांगते है जिनका उल्लेख आपने अभी किया है, ऋण लेने की पात्रता के मापदण्ड इतने कठोर हैं कि गरीब किसानों के लिए रियायती दरों पर ऋण लेना भी बहुत कठिन है इस दृष्टि से, क्या आप ऋण लेने की पात्रता के मापदण्डों में परिवर्तन करने को तैयार होंगे और इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि कतिपय देशों में किसान की उत्पादन क्षमता को भी ऋण लेने की पात्रता का मापदण्ड माना जाता है और इस आधार पर उसे ऋण दिया जाता है ? क्या आप इसे हमारे देश में भी लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने प्रोफेसर का सुझाव नोट कर लिया है। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : इन्होंने केवल नोट किया है ; करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नोट कर लिया है।

प्रो० मधु दंडवते : किसानों के नेता के रूप में महोदय, क्या आप इससे संतुष्ट हैं ?··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं अपने ही देश में इन्डिस्ट्रियल लोन और एग्रीकल्चर लोन के रेट आफ इण्टरेस्ट में कुछ अन्तर है ? एग्रीकल्चर इंट्रेस्ट अधिक है और इंडस्ट्रियल लोन का इंट्रेस्ट कम है। जो एजेंसीज एग्रीकल्चर लोन देती हैं उनका रेट आफ इंट्रेस्ट 12-13 प्रतिशत है और अभी अभी माननीय सदस्य ने जैसा पढ़कर सुनाया कि साढ़े ग्यारह से साढ़े सोलह प्रतिशत तक है। मेरे प्रदेश में 18 प्रतिशत है और छठमाही के बाद यह प्रिंसिपल में जुड़कर वर्ष भर में रेट आफ इन्ट्रेस्ट 24 रुपये के करीब पड़ता है। क्या मंत्री महोदय इसको देखते हुए इस पर पुनर्विचार करेंगे और एग्रीकल्चर लोन के रेट आफ इन्ट्रेस्ट को कम करने का प्रयास करेंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : पहली बात यह है कि यह इंट्रेस्ट उद्योग से ज्यादा नहीं है, कम है और सोर्टम राशि साढ़े ग्यारह से सोलह है। इसमें को-आपरेटिव बैंक 11·2 से 14 प्रतिशत तक देते हैं, कर्माशियल बैंक 11·5 से 16·5 प्रतिशत तक देते हैं। जहां तक मिडियम और लांग टर्म का ताल्लुक है वह 10 से 12·5 प्रतिशत पर ऐमम उनका रेट हैं उसको कम करने का सजेशन है, इसको नोट कर लिया है।

श्री दिलीपसिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों

को फाइनेंस करने के लिए बहुत सारी एजेंसी स्टेट लेबल पर, डिस्ट्रिक्ट लेबल पर और तहसील लेबल पर सहकारिता में बनी हुई हैं। हर एजेंसी तीन प्रतिशत ब्याज लेती है वह किसानों पर जाकर पड़ता है। 20-24 प्रतिशत। तो क्यों नहीं आप ऐसी एजेंसी बनाते जो सीधे किसानों को फाइनेंस कर सके और 4 या 5 प्रतिशत इंटरेस्ट उनको देना पड़े। क्या आपके ध्यान में कोई ऐसी एजेंसी बनाने का विचार है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : को-आपरेटिव बैंक जो सरल लेवल पर है।

[अनुवाद]

नाबार्ड एक शीर्ष बैंक है जो एक नए सिरे से वित्त पोषण करता है।

[हिन्दी]

वह किसानों को सीधे फाइनेन्स करते हैं। जहां तक रेट आफ इंटरेस्ट की बात है।

[अनुवाद]

यह उस ब्याज की दर पर निर्भर करता है जो बैंक उधार देते हुए देनी पड़ती है। उनके अंश के लिए भी उन्हें उस ऋण के लिए जो वे बड़े बैंकों तथा अन्य बैंकों से ब्याज लेते हैं लाभांश देना पड़ता है और नाबार्ड से उन्हें ब्याज देना पड़ता है और फिर उन्हें कुछ व्यय जोड़ने पड़ते हैं। इससे ब्याज की दर बनती है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां : जनाब-ए-सदर मोहतरिम, 21 और 22 नवम्बर को डाक्टर बलराम जाखड़ साहब जो हमारे स्पीकर हैं, और मैंने सीकर और झुंझनू का दौरा किया। वहां पर किसानों की हालत बहुत दयनीय हैं वह लोग अकाल की विभीषिका से जूझ रहे हैं। क्या हमारे मन्त्री साहब इन किसानों की ऐसी हालत देखकर उनको बगैर ब्याज के लोन देने की स्थिति में हैं या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक सूखे का सम्बन्ध है, भारत सरकार, राज्य सरकार को खर्च की अधिकतम सीमा की मंजूरी दे रही है। जहां तक ब्याज मुक्त ऋण का सम्बन्ध है, यह एक सुझाव है।

आंध्र प्रदेश के समुद्र तट पर झींगा मछली पकड़े जाने में कमी आना

*289. **श्री टी० बाल गौड़ :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश के समुद्र तट पर झींगा मछली पकड़े जाने में इस वर्ष कमी आई है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि जुलाई 1986 से गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में झींगा मछली पकड़े जाने में किस सीमा तक कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार से मिली सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में इस वर्ष झींगा मछली के पकड़े जाने में कोई कमी नहीं आयी है। 1985-86 में पकड़ी गई झींगा मछलियों की मात्रा 10,506 मीटरी टन है और इसकी तुलना में 1984-85 में इनकी मात्रा 8,887 मीटरी टन ही थी।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना से यह भी पता चलता है कि जुलाई, 1986 से शुरू हुए मौसम में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले झींगा मछली के पकड़े जाने में कोई नहीं आयी है जुलाई-सितम्बर, 1986 में छोटी मशीनी नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछलियों की मात्रा 85-150 किलोग्राम प्रतिदिन बताई गई है। इसी अवधि में विशाखापटनम से चलने वाली गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की एक जलयात्रा में पकड़ी गई मछलियों की मात्रा 5-6 मीटरी टन थी और इसकी तुलना में 1985 की इसी अवधि में यह मात्रा 4-5 मीटरी टन थी।

श्री टी० बाल गौड़ : वर्ष 1986-87 के लिए क्या लक्ष्य है ? क्या सुधार की कोई गुंजाइश है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : सातवीं पंचवर्षीय योजना में मछली उत्पादन का लक्ष्य 34 लाख मीटरी टन है—समुद्री मछली से 20 लाख मीटरी टन और अन्तरदेशीय मात्स्कीय से 14 लाख मीटरी टन। मछली पकड़ने में काफी सुधार की गुंजाइश है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मन्त्री महोदय ने यह कहते हुए जवाब दिया है कि गत वर्ष आंध्र प्रदेश समुद्र तट पर मछली पकड़ने में कोई कमी नहीं आई थी। मैं उनसे सहमत हूं। क्या यह सच है कि पश्चिमी तट क्षेत्र के कम मछली पकड़े जाने के कारण हमारी पकड़ी गई मछलितों की मात्रा में कुछ वर्षों में गिरावट आई है और विशेष रूप से श्रीम्प मछली के मामले में, गत दो वर्षों में संसाधनों में कमी आई है। इसे दृष्टिगत रखते हुए क्या उनके मन्त्रालय का संसाधनों के संरक्षण और बेहतर संसाधन प्रबन्ध करने का कोई कार्यक्रम है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक संसाधनों के संरक्षण का सम्बन्ध है मैं प्रोफेसर के साथ सहमत हूं, हम उन मछली पकड़ने वाली नौकाओं को परमिट नहीं दे रहे जो केवल झींगा मछलियों को ही पकड़ती है। जहां तक अन्य संसाधनों का सम्बन्ध है हमारी काफी क्षमता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या आप सहमत हैं कि पश्चिमी तट में संसाधनों की कमी है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हां, जहां तक केरल का सम्बन्ध है यह ठीक है, झींगा मछली की मात्रा में कमी आई है।

श्री आनन्द गजपति राजू : जहां तक श्रीम्प मछली पकड़े जाने का सम्बन्ध है, प्राय: बड़ी मत्स्य नोकर स्वामी ही है जो समस्त श्रीम्प मछलियों को पकड़ लेते हैं और छोटी मत्स्य नौका वाले तथा नौका स्वामी एक भी श्रीम्प पकड़ने में सफल नहीं होते क्योंकि बड़ी नौकाओं के मालिक सारी मछलियां पकड़ लेते हैं। क्या मन्त्री महोदय हमें छोटी नौकाओं के मालिकों द्वारा पकड़ी गई श्रम्प मछलियों आकड़ों कें बारे में जानकारी देंगे ? उनके हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : छोटे मछुवारों के हितों की रक्षा करने के लिए हमने क्षेत्र निर्धारित किया है और वह क्षेत्र है गहरा समुद्र, मछली पकड़ने वाली नौकाएं पूर्वी तट में 12 समुद्री मील तक और पश्चिमी तट में 24 समुद्री तक मछलियां पकड़ सकते हैं।

कर्मचारियों की सप्लाई करने वाली एजेंसियों को मान्यता

*291. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी/अर्द्ध-सरकारी निगमों आदि को कर्मचारियों की सप्लाई करने के काम में लगी गैर-सरकारी एजेंसियों को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई सांविधिक नियम, आदेश अथवा सामान्य प्रथा है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त ऐसी एजेंसियों के क्या नाम हैं; और

(ग) रोजगार कार्यालय की तुलना में इन एजेंसियों की स्थिति और भूमिका क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, संविदा श्रम (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अनुसार, समुचित सरकार द्वारा लाइसेंसिंग अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जो ठेकेदारों को लाइसेंस जारी करते हैं और उन्हें जारी किए गए लाइसेंसों के अनुसार ठेका श्रम के माध्यम से कार्य शुरू करने अथवा उसे निष्पादित करने के लिए उन्हें प्राधिकार प्रदान करते हैं।

(ग) इस बारे में रोजगार कार्यालयों की कोई भूमिका नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, कांट्रेक्ट लेबर का एक्सप्लायटेशन हर जगह होता है। इस चीज की दृष्टि में रखकर ही कांट्रेक्ट लेबर एबालिश करने का तय किया है। चाहें कांट्रेक्ट लेबर कहीं भी थे, चाहे निजी प्रतिष्ठान में हो या गवर्नमैंट प्रतिष्ठान में, मजदूर का एक्सप्लायटेशन होता है। इधर निजी प्रतिष्ठानों को सरकार उपदेश देती है कि कांट्रेक्ट लेबर एबालिश करो कोई अलग से रखना नहीं चाहिए और यहां पर सरकारी प्रतिष्ठानों में कांट्रेक्ट लेबर को प्रोत्साहन देते हैं और उसमें मजदूरों का एक्सप्लायटेशन होता है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यहां जो आपका लाइसेंसिंग आफिसर है जो कांट्रेक्ट लेबर को सिलेक्ट करता है, उसके आपके नार्म्स होंगे तो फिर कांट्रेक्टर को लाइसेंस देने के लिए उनमें क्या-क्या कंडशन हैं जिससे गरीब मजदूरों का एक्सप्लायटेशन न हो ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : सर्वप्रथम, ठेका श्रमिक जैसी प्रथा को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वास्तव में अधिनियम का नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम है। इसीलिए ठेका श्रमिक प्रथा समाप्त करने का सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

दूसरे, शोषण के बावत, हां, हमें यन्त्र तन्त्र कुछ शिकायतें जरूर मिलती हैं परन्तु जब कोई विशेष शिकायत मिलती है तो हम उसकी जांच करते हैं और हम राज्य सरकारों को जहां तक वे समुचित सरकार हैं ऐसे मामलों पर कार्यवाही करने को कहते हैं।

जहां तक मानदण्डों का सम्बन्ध है अधिनियम की धाराओं 11, 12, 13 तथा 14 ठेकेदारों को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में हैं और ठेका देते समय न्यूनतम वेतन और कार्य घण्टे आदि जैसे कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : प्राइवेट कांट्रेक्टर को खत्म जो लेबर की सोसाइटीज है उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कर रही है, जिससे लेबर का एक्सप्लायटेशन न हो ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : हमारे जैसे विशाल देश में, गैर-सरकारी एजेंसियों की भूमिका को बिलकुल समाप्त करना बहुत कठिन है और मैं नहीं समझता कि सरकार द्वारा सभी कुछ करना सम्भव होगा। इस अधिनियम के लागू किए जाने से लेकर अब तक जारी दिए किए गए लाइसेंसों की संख्या देश के आकार की तुलना में बहुत अधिक नहीं है—यह केवल 26,204 है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मेरा प्रश्न सीधा है लेबर की सोसाइटीज बनाने के लिए सरकार कुछ प्रस्ताव कर रही है या नहीं कर रही है ? कुछ आपकी नीति है या नहीं है जिससे कांट्रेक्टर मजदूर के हक का एक्सप्लायटेशन न करे ? अगर कुछ कर रहे हैं तो हां कहिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो 'ना' कहिए।

श्री भागवत झा आजाद : ना यह हां बोलेंगे और ना यह ना बोलेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : हां महोदय, स्वयं ठेका अधिनियम के अधीन ही श्रमिक संगठन बनाये जा सकते हैं, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों के हित के लिए बना है या प्राइवेट एजेन्सियों के हित के लिये बना है ?

पहले विदेशों में जो लेबर भेजते थे, अन्ट्रीज में उनका कितना एक्सप्लाटेशन होता था, उसको मान कर आपने नया कानून बनाया। अब इन लोगों का जिस प्रकार एक्सप्लायटेशन हो रहा है, उसके सम्बन्ध में आप कहते हैं कि वास्टनैस आफ दी कन्ट्री को देखते हुए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है, तो उनके एक्सप्लायटेशन को रोकने के लिए क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं जिससे प्राइवेट कांट्रेक्टरों द्वारा इन गरीबों का शोषण हो रहा है, उसको समाप्त किया जा सके ?

लेबर डिपार्टमैंट न तो प्रावीडेंड फंड जमा करा सकता है, ना ई० एस० आई० के पैसे को जमा करा सकता है, ना मजदूरों के हित की रक्षा कर सकता है तो फिर किस काम के लिए यह बना है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : निश्चित: श्रम विधि कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। परन्तु कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए वे अपनी जगह है मैं समझता हूं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में किसी भी विधि को देश के हितों की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। परन्तु हम निश्चय ही श्रमिकों के हक में है और हमारा देश श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की ओर उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सम्पन थम्मस : इस प्रश्न से यह पता चलता है एक कार्य को करने लिए ठेका हो सकता है। परन्तु आदमियों की सप्लाई का ठेका कैसे हो सकता है ? इस प्रश्न में इसी बात पर जोर दिया गया है, अथवा एक कार्य को कराने के लिए एक ठेका दिया जा सकता है, और इस प्रयोजन के लिए ठेका विनियमन अधिनियम है। परन्तु इस देश में एक प्रणाली है कि सप्लाई आदमियों की जाती है और पैसा किसी और को मिलता है। क्या सरकार इस प्रकार से मनुष्यों की सप्लाई करने और पैसा किसी और को मिलने की प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक कानून बनाएगी ? प्रश्न यही है और मैं समझता हूं कि सरकार को गैर-सरकारी व्यक्तियों को लाइसेंस न देने के लिए कदम उठाने चाहिए।

श्री पी० ए० संगमा : जैसाकि 'संविदा' शब्द का अभिप्राय है, अब इस श्रम शक्ति की भरती मुख्यत: निर्माण कार्यों के लिये की जाती है और यह अस्थायी तौर पर की जाती है। एक व्यक्ति, जिसने कि निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है, के लिए अपने बलबूते पर इस मानव-शक्ति को जुटाना संभव नहीं हो सकता है। इसी कारण से हमने इसे नियमित कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति

मानव शक्ति जुटा सकता है, तो हमने इसकी अनुमति दे रखी है। लेकिन हम इसकी जांच निश्चित रूप से कर सकते है।

श्री तम्पन थामस : यही नीति होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग्स हैं जैसे एन० पी० सी०सी० और एन०बी०सी० सी०/एन० बी० सी० सी० में 10-15 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को हटाकर ठेकेदारों द्वारा सप्लाई कर्मचारियों से कराया जा रहा है, लेकिन एन० पी० सी० सी० में ऐसा नहीं है। वहां पर कैजुअल वर्कर्स को काम देने के बाद ही दूसरों को काम पर लगाया जाता है। इस प्रकार की जो भेद भाव पूर्ण कार्यवाही गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग्स में हैं, क्या उसको समाप्त कर एन० बी० सी० सी० में भी पुराने वर्कर्स को काम पर लगाने का निदेश देंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : अधिनियम सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों पर लागू होता है। इसलिये यह अधिनियम एन० बी० सी० सी० पर भी निश्चित रूप से लागू होता है। जहां तक एन० बी० सी० सी० से सम्बन्धित विशिष्ट प्रश्न का सम्बन्ध है, इसके लिए मुझे अलग से एक नोटिस दिये जाने की आवश्यकता है।

श्री रामप्यारे पनिका : मेरे प्रश्न का जवाब दिया गया है।

स्पंज लौह संयंत्र

*293. **श्री चिंता मणि जेना** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने स्पंज लौह संयंत्र चल रहे हैं तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं तथा प्रत्येक संयन्त्र में स्पंज लोहे का प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या सरकार स्वदेशी मांग को पूरा करने तथा निर्यात करने के लिए भी देश में अधिक स्पंज लौह संयंत्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ऐसे कितने संयंत्र स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या उड़ीसा में इस प्रकार के कोई संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो इसके लिए किस स्थान का चयन किया गया है, इस पर कितना अनुमानित व्यय होगा तथा इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस समय देश में स्पंज लोहे की तीन इकाईयों में उत्पादन हो रहा है। स्थान तथा उत्पादन नीचे दिए गए हैं :

	नाम	स्थान	वार्षिक उत्पादन (टनों में) 1985-86	1986-87 (अक्तू० 1986 तक
1.	स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद	कोत्तगुडेम आंध्र प्रदेश	44,500	26,250
2.	उड़ीसा स्पंज आयरन लिमिटेड	नयागढ़ क्योंझर (उड़ीसा)	80,362	45,593
3.	इपिटाटा स्पंज आयरन लिमिटेड	क्योंझर (उड़ीसा)	—	9,000
		कुल :	124,862	80,843

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में सरकार का देश में स्पंज लोहे का कोई संयंत्र लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री चिंतामणि जेना : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्पंज लोह की कितनी आवश्यकता होगी और इस अवधि के दौरान स्पंज लोहे के स्वदेशी उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है ? वर्तमान संयंत्रों का उपयोग प्रतिशत क्या है ? क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार के कितने आशय पत्र एवं राष्ट्रीय लाइसेंस जारी किये गये है और कितनी यूनिटों ने अभी तक उत्पादन आरम्भ नहीं किया है ? उनके उत्पादन शुरू न करने के क्या कारण है ? सरकार द्वारा उत्पादन शुरू कराने के लिए कार्यवाही की गयी है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इस समय स्पंज लोह उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता लगभग तीन सौ हजार टन है। पिछले वर्ष उपादन लगभग 125 हजार टन था। देश में आयी यह अपेक्षाकृत एक नयी तकनीक है और हम इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। जहां तक नयी क्षमता का सम्बन्ध है, अब इस विषय में लाइसेंस व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है और 1985 में अधिसंख्या यूनिटों का पंजीकरण किया गया है। वास्तव में 137 यूनिटों का पंजीकरण किया गया है। सातवीं योजना के अन्त तक स्पंज लोह का उत्पादन 10 लाख टन के आसपास तक होने की संभावना है।

श्री चिंतामणि जेना : इस सभा में 6 दिसम्बर 1985 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2867 के उत्तर में मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि वर्ष 1983-84 में हमने 23,710 टन आयात किया था। 1984-85 में, यह 42720 टन था। अतः समस्या के इन पहलुओं को देखते हुए, क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि उड़ीसा जैसे राज्यों, जहां पर कि कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, को स्पंज लौह उद्योग की स्थापना के लिए क्या आशय पत्र एवं औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने में प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : महोदय, तीन कार्यरत यूनिटों में से दो उड़ीसा में है। ऐसी कुल पांच यूनिटें हैं जिनको कि उड़ीसा राज्य में या तो औद्योगिक लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं और यदि ज्यादा का पंजीकरण होता है तो निश्चित रूप से हम इसे हतोत्साहित करने नहीं जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है अब यह एक गैर लाइसेंसी कृत उद्योग है और इसलिए पंजीकरण उड़ीसा में संभव है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

————

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उर्वरकों का उत्पादन

*286. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान नाइट्रोजनी और फास्फेटी उर्वरकों का इनके निर्धारित उत्पादन लक्ष्य की तुलना में कितना उत्पादन होने की संभावना है,

(ख) क्या सरकार उर्वरक संयंत्रों की कर पश्चात् आय के, 90 प्रतिशत क्षमताओं का उपयोग करने वाले संयंत्रों के मामलों में, शुद्ध लाभ को वर्तमान 12 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत करने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) क्या क्षमता के उपयोग के स्तर को बढ़ा कर 85 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में कौन से प्रयास किए गए हैं ?

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान यद्यपि नाइट्रोजन के उत्पादन के 51.75 लाख टन के वार्षिक लक्ष्य के बराबर होने की संभावना है लेकिन फास्फेट का उत्पादन (16.50 लाख टन) होने की सम्भावना है। जब कि लक्ष्य 17.75 लाख टन है।

(ख) और (ग) जी, नहीं

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

यमुना नदी पर पुल का निर्माण

*290. श्री राम धन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में शांति वन के निकट यमुना नदी पर एक पुल का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) दिल्ली में वर्तमान पुल पर भारी यातायात कम करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) अन्तर्राज्यीय बस अड्डा (आई० एस० बी० टी०) के समीप यमुना नदी पर एक नया पुल निर्माणाधीन है। इस पुल के पूर्ण हो जाने पर, अन्तर्राज्यीय बस अड्डे तथा समीपवर्ती क्षेत्रों के समस्त भारी वाहन इस पुल पर से गुजरेंगे तथा पुराना रेल पुल का उपयोग हल्के वाहनों के लिए किया जाएगा।

कलकत्ता को वित्तीय सहायता

*292. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हाल में किए गए अध्ययन के अनुसार कलकत्ता की हालत खराब है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का इस महानगर की हालत और खराब होने से बचाने के लिए कितनी वित्तीय तथा अन्य सहायता देने का विचार है;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) कलकत्ता में आयोजना नीतियों की अपर्याप्तताओं के बारे में और उसके तैयार करने में उचित तथा व्यापक विश्लेषण के अभाव में "पापुलेशन ग्रोथ एण्ड पालिशिज इन मेगा-सिटिज" शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया अध्ययन आलोचनात्मक है। यह इस बात पर जोर देता है कि कलकत्ता के भावी विकास की आयोजना करते समय रोजगार, जनसंख्या वृद्धि, शहरी अर्थव्यवस्था जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए और आर्थिक तथा वास्तविक आयोजना के बीच एकीकरण स्थापित किया जाना चाहिए।

(ग) केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं जैसे दूसरे हुगली पुल का निर्माण, मेट्रो रेलवे और सर्कुलर रेलवे और गंगा एक्शन प्लान में प्रबन्ध करने के लिए वित्त व्यवस्था के अलावा, कलकत्ता नगर विकास परियोजनाओं और कलकत्ता नगर परिवहन परियोजना के अधीन विश्व बैंक से पर्याप्त विधियां प्राप्त की गई हैं।

क्षेत्रीय समाचार व्यवस्था का पुनर्गठन

*294. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की क्षेत्रीय समाचार व्यवस्था का पुनर्गठन और प्रसार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण संत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी की सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक साफ्टवेयर योजना स्कीम है जिसके अन्तर्गत समाचार यूनिटों के लिए समाचारों का बेहतर प्रवाह सुनिश्चित करने की दृष्टि से आकाशवाणी की मौजूदा 42 क्षेत्रीय समाचार यूनिटों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। मोटे तौर पर ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) आकाशवाणी, दिल्ली के सामान्य समाचार कक्ष से लिंक करने के लिए क्षेत्रीय समाचार यूनिटों में टेलीप्रिंटर का प्रावधान; तथा

(2) आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में पत्रकारों के संजाल के साथ समाचार ब्यूरो का गठन।

नियोजकों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धनराशि

*295. **श्री के० राममूर्ति** ; क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1986 को नियोजकों की ओर भविष्य निधि की क्षेत्रवार कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) रूग्ण औद्योगिक एककों की ओर भविष्य निधि की कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि की देय धनराशि का बिना किसी विलम्ब के उचित ढंग से जमा कराया जाना और उसका हिसाब-किताब रखना सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 31 जुलाई, 1986 की स्थिति के अनुसार सूचना सहज उपलब्ध नहीं है। तथापि 31-3-1986 तक बकाया राशियों की क्षेत्रवार स्थिति दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक यूनिटों की ओर (जिनमें वे प्रतिष्ठान भी शामिल हैं जिन्हें बन्द कर दिया गया था। जो समापनाधीन है या जिन्हें सरकार द्वारा अधिग्रहण/राष्ट्रीयकृत किया जा चुका है) लगभग 19 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि अधिकारी भविष्य निधि की बकाया राशि की वसूली करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन निम्नलिखित कदम उठा रहे हैं :

(1) उक्त अधिनियम को धारा 7 के अधीन पहले बकाया राशि का निर्धारण किया जाता है;

(2) यदि बकाया राशि निर्धारित तिथि तक जमा नहीं की जाती है, तो बकाया राशि की वसूली करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन कलेक्टरों को राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं;

(3) चूकदारों के खिलाफ उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन अभियोजन मामले दायर किए जाते हैं;

(4) कर्मचारी के अंशदान के हिस्से की अदायगी न करने के मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 406-409 के अधीन शिकायतें दर्ज की जाती हैं;

(5) विलम्ब से भुगतान करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 14 ख के अधीन हर्जाने लगाए जाते हैं।

जूट मिलों के मामले में, जिनकी ओर छूट प्राप्त क्षेत्र के संबंध में बकाया राशि का तीन चौथाई बाकी है, निर्णय लिया गया है कि सरकारी खाते से सभी खरीद पर चूकदार जूट मिलों को अदा की जाने वाली राशि में से 8 प्रतिशत की कटौती की जाएगी और इस तरह वसूल की गई राशि को बकाया देय राशियों के बदले समायोजित किया जाएगा।

विवरण

क्रमांक क्षेत्र	छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान	बकाया राशि (रुपये लाखों में)	छूट प्राप्त प्रतिष्ठान	बकाया राशि (रुपये लाखों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	995	136.40	2	5.77
2. नार्थ ईस्ट क्षेत्र	224	57.73	4	3.10
3. बिहार	936	197.45	10	688.46
4. दिल्ली	268	147.32	1	4.27
5. गुजरात	378	140·97	3	37.62
6. हरियाणा	208	275.01	1	1.31
7. कर्नाटक	182	128.61	2	16.85
8. केरल	412	182.36	5	91.81

1	2	3	4	5	6
9.	मध्य प्रदेश	611	1189.25	4	57.65
10.	महाराष्ट्र	438	665.04	12	131.06
11.	उड़ीसा	685	197.21	5	57.06
12.	पंजाब	391	68.02	—	—
13.	राजस्थान	223	85.15	3	3.41
14.	तमिलनाडु	695	550.78	4	84.15
15.	उत्तर प्रदेश	812	961.95	5	25.96
16.	पश्चिमी बंगाल	1135	846.75	78	7218.18
	कुल :	8593	5830.00	139	8423.66

एशियन पेसिफिक ब्राडकास्टिंग डेवलेपमेंट के निदेशक के पद पर भारत द्वारा नाम-निर्देशन

***296 डा० ए०के० पटेल :**

श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 24-30 अगस्त, 1986 के "दि वीक" पत्रिका में प्रकाशित एशियन पेसिफिक ब्राडकास्टिंग डवलपमेंट निदेशक के पद पर एक अधिकारी का नाम मनोनीत किए जाने सम्बन्धी रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) मामले से सम्बन्धित तथ्य क्या है; और

(ग) क्या ऐसे पदों के लिए नामांकन करने हेतु कोई मार्गदर्शन निर्धारित किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के निदेशक के पद के लिए नामांकन इस बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। संस्थान ने विचार करने के बाद अन्य देश के नामित व्यक्ति का चयन करने क निर्णय लिया।

केरल में कुट्टानाड के किसानों को विशेष आर्थिक सहायता

***297. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में, केरल में कुट्टानाड के धान के खेतों जैसी कोई अन्य कृषि भूमि है, जो समुद्र तल से नीचे है;

(ख) यदि हां, तो क्या खेतों से पानी निकालने और बंधों को मजबूत करने पर उनके द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय को ध्यान में रखते हुए कुट्टानाड के किसानों को कोई विशेष आर्थिक सहायता दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन किसानों को विशेष आर्थिक सहायता करने का विचार है;

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लो) : (क) जी हां। ऐसे निचले क्षेत्र जिनमें धान के खेत भी शामिल हैं, तटवर्ती राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल और गोआ, दमन और दीव तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में हैं। इसके अलावा समुद्री सतह से थोड़े ऊपर उठे तटवर्ती क्षेत्र भी ज्वार से प्रभावित होते हैं। देश में समुद्री सतह से नीचे की कृषि भूमि के क्षेत्र में सम्बन्ध जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) केरल राज्य सरकार तथा केरल भूमि विकास निगम कुट्टानाड के किसानों को खेतों से पानी निकालने के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। राज्य सरकार द्वारा 100 रुपये प्रति हैक्टार की दर से उर्वरकों पर राजसहायता भी जा रही है। इसके अलावा "ब्राऊन-हापर" तथा "लीफ रोलर" नामक रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए कीटनाशियों पर भी 50 प्रतिशत राजसहायता दी जाती है। इसके अलावा मृदा संरक्षण और कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं से भी कुट्टानाड क्षेत्र विकास में मदद मिलती है। कुट्टानाड में बांध बनाने के लिए केरल भूमि विकास निगम तथा राज्य सरकार ने केरल भूमि विकास निगम द्वारा संस्थागत वित्त की व्यवस्था करके अभी तक 10.00 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आस-पास के नगरों का विकास

***298. श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आस-पास के कुछ नगरों को विकसित करने की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन कौन से नगर शामिल किए गए हैं;

(ग) क्या इस योजना में मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर भी शामिल किया गया है; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) (ख) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड द्वारा सन् 2001 को संदर्श के रूप में अनुमोदित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के

लिए अन्तरिम विकास योजना में यह विचार किया गया है कि दिल्ली को दबाव से मुक्त करने और क्षेत्र के एक सुनियोजित और व्यवहार्य विकास के लिए सहभागी राज्यों की सरकारों के सहयोग से क्षेत्र के भीतर आठ कस्बों/कम्पलेक्सों को प्राथमिक के आधार पर विकसित किया जाएगा। ये कस्बे/कम्पलेक्स मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर; खुर्जा कम्पलेक्स रोहतक, पानीपत, पलवल, रिवाड़ी-भिवाड़ी-दारूहेड़ा कम्पलेक्स और अलवर हैं। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यह विकास चरणों में पूरा किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाना

*299. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन स्थानों पर उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं;

(ख) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के मामले में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का केन्द्रीय सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ये केन्द्र कब तक स्थापित किए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) (1) छठी योजना की चालू स्कीमों के अंग के रूप में उच्च शक्ति (10 किलोवाट/1 किलोवाट) के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को फिलहाल निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किया जा रहा है :

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान
1.	असम	1. सिल्चर
		2. डिब्रुगढ़
2.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
3.	मणिपुर	इम्फाल
4.	मेघालय	1. शिलांग
		2. तुरा
5.	मिजोरम	ऐजवाल
6.	नागालैंड	कोहिमा
7.	त्रिपुरा	अगरतला

अगरतला, सिल्चर और कोहिमा में ट्रांसमीटरों के 1986-87 के अंत तक तथा शेष ट्रांसमीटरों के 1987-88 के अंत तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

(2) निम्नलिखित स्थानों पर उच्च शक्ति (10 किलोवाट/1 किलोवाट) वाले 21 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना करने की स्कीमें दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल :

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	1. तिरुपति
		2. अनन्तपुर
2.	बिहार	1. कटिहार
		2. डाल्टनगंज
3.	गुजरात	भुज
4.	हरियाणा	राजधानी
5.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
6.	कर्नाटक	1. धारवाड़
		2. शिमोगा
7.	मध्य प्रदेश	1. जबलपुर
		2. ग्वालियर
		3. जगदलपुर
8.	महाराष्ट्र	1. औरंगाबाद
		2. अम्बाजोगाई
9.	उड़ीसा	भवानी पटना
10.	राजस्थान	1. कोटा
		2. जैसलमेर
		3. बाड़मेर
11.	सिक्किम	गंगटोक
12.	तमिलनाडु	रामेश्वरम
13.	उत्तर प्रदेश	बरेली

इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में दूसरे चैनल की सेवा के लिए उच्च शक्ति (10 किलोवाट) ट्रांसमीटरों की स्थापना करने की स्कीमें शामिल हैं।

सातवीं योजना के नए ट्रांसमीटरों के लिए अधिकांश स्थापना स्थलों को अन्तिम रूप पहले ही दे दिया गया है। कुछ उपकरणों के लिए आर्डर भी भेज दिए गए हैं।

(ग) और (घ) एक उच्च शक्ति (10 किलोवाट) के दूरदर्शन ट्रांसमीटर को स्थापित करने में स्थापना स्थल पर कार्य आरम्भ हो जाने के बाद आमतौर पर लगभग 3-4 वर्ष लगते है। तद्नुसार यह उम्मीद की जाती है कि सातवीं योजना के अन्तर्गत नए ट्रांसमीटर (जिनमें राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों अर्थात् बाड़मेर और जैसलमेर के ट्रांसमीटर भी शामिल हैं (पर्याप्त धनराशि के वार्षिक आबंटन और उपकरणों की समय पर उपलब्धता के अधीन रहते हुए, सातवीं योजना अवधि के अंत तक चालू हो जाएँगे।

[अनुवाद)

हिमाचल प्रदेश को भूकम्प से पीड़ित लोगों के लिए सहायता

*300· श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान राज्य में भूकम्प से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि दी गई है;

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने गत एक वर्ष से दौरान भूकंप से हुई क्षति से राहत के लिए 95·68 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी है। इस प्रयोजन के लिए 4·61 करोड़ रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की गई है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के डाकुओं से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

*301. श्री महेन्द्र सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकुओं से प्रभावित क्षेत्रों में डाकू उन्मूलन योजना के पहले और दूसरे चरण के अन्तर्गत बनाई जाने वाली ऐसी सड़कों की संख्या कितनी है, जिनके लिए स्वीकृति हेतु मध्य प्रदेश सरकार से प्राक्कलन प्राप्त हो गए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन सभी सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) से (ग) 1985-86 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने डाकुओं से प्रभावित क्षेत्रों में दो सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजे थे। इन कार्यों

को स्वीकृति दे दी गई थी। 1986-87 के दौरान राज्य सरकार ने 13 और सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजे। इनमें से भारत सरकार ने बारह सड़कों की स्वाकृति दे दी थी। निधियों की कमी के कारण एक सड़क को छोड़ दिया गया था।

1985-86 और 1986-87 के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सड़क विकास की योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय क्रमश: 4 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये के थे। इसमें से मध्य प्रदेश का हिस्सा क्रमश: 1·04 करोड़ रुपये और 3·90 करोड़ रुपये था, इस प्रकार दो वर्षों में मध्य प्रदेश का कुल हिस्सा 4·94 करोड़ रुपये था। योजना के लिए इतनी ही राशि राज्य को अपने संसाधनों से उपलब्ध कराई जानी है। इस प्रकार दो वर्षों के लिए मध्य प्रदेश का कुल परिव्यय 9·88 करोड़ रुपये बैठता है। वर्ष दर वर्ष के आधार पर निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य के वार्षिक आबंटन का 200% तक सड़क कार्यों के लिए स्वीकृत किया जाए। तद्नुसार दो वर्षों के लिए लगभग 19·83 करोड़ रुपये की लागत वाले 14 सड़क कार्यों को स्वीकृति दी गई थी। स्वीकृत की गई सड़कों को राज्य परियोजना के प्रथम चरण में दर्शाया गया था।

[अनुवाद]

उर्वरकों सम्बन्धी अनुसंधान

*302. **डा० चिंता मोहन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुंभी, रसायन उर्वरकों के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती है और क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने वेस्टइण्डीज की तरह इस बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) क्या जैव-उर्वरकों के संबंध में अनुसंधान और विकास की कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसंधान और विकास विभाग पर कुल कितना व्यय किया गया है और सही अर्थ में इससे क्या सफलता मिली है?

कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान। निम्नलिखित के माध्यम से जैव-उर्वरकों के अनुसंधान और विकास पर पर्याप्त प्रगति हो गई है :

(I) अखिल भारतीय जैविक नेत्रजन निर्धारण समन्वित अनुसंधान प्रयोजना।

(II) जैविक नेत्रजन निर्धारण पर कृषि अनुसंधान पर भारत-अमेरिकी वरिष्ठ वैज्ञानिक पैनल।

(III) राज्य कृषि और पारम्परिक विश्वविद्यालय।

जहां तक राईजोबियम, एजोटोबैक्टर, नीली हरी काई और एजोला की स्थिति और किसी

फसल विशेष के लिए कुशल प्रकार का सम्बन्ध है, इनका विकास कर लिया गया है और इनका सफलतापूर्वक प्रयोग फसलों में किया जा सकता है जिससे लगभग 25-30% तक फसल की रासायनिक नेत्रजन आवश्यकता का विकल्प हो जाता है। कल्चर के आसानी पूर्वक लाने-ले जाने के लिए राइजोबियम कल्चर को फ्रिज ड्राई करने की तकनीक विकसित कर ली गई है। आसानी से लाने ले जाने और अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए एजोटोबेक्टर के लिए कुशल कैरियर का भी पता लगा लिया गया है।

भारत सरकार ने मार्च, 1983 में जैव-उर्वरक के विकास और उपयोग पर राष्ट्रीय प्रायोजना की मंजूरी दे दी है। इस प्रयोजना के अधीन एक राष्ट्रीय और छ: क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करने का विचार किया गया है। नीली हरी काई के उत्पादन के लिए पहले ही 40 उप-केन्द्रों को स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है।

देश में जैव-उर्वरक के उत्पादन रख-रखाव, गुणवत्ता नियन्त्रण और वितरण के लिए कृषि विभाग द्वारा 722,000 अमेरिकी डालर के परिव्यय से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रायोजना का अनुमोदन किया गया है।

(ग) छठी योजना के दौरान प्रथम दो प्रायोजनाओं पर 127 लाख रुपये (67 लाख रुपये जैविक नेत्रजन निर्धारण समन्वित अनुसंधान प्रायोजना और 60 लाख रुपये भारत-अमेरिकी कार्यक्रम के लिए) खर्च हुए हैं। किसानों द्वारा इन कल्चरों का बढ़ता उपयोग ही इस प्रायोजना की व्यावहारिक उपलब्धि है। किसानों में इन कल्चरों का वितरण देश में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले श्रम मामलों पर विचार करने के लिए राज्य श्रम न्यायालय

*303. **श्री जगन्नाथ पटनायक :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर विचार करने के लिए सभी राज्य श्रम न्यायालयों की सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय किया है ताकि कामगारों को शीघ्र न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों को गठित करने की व्यवस्था है। इस अधिनियम की धारा 33 ग (2) केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार देती है कि वह कर्मकार के लाभों की गणना के प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों

द्वारा गठित श्रम न्यायालयों को विनिर्दिष्ट करें। इस प्रयोजन हेतु राज्यों में कुछ न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है। इस उपबन्ध के अन्तर्गत आने वाले मामलों के बारे में निकटतम श्रम न्यायालयों में कर्मकारों की पहुंच सरल बनाने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा गठित सभी श्रम न्यायालयों को इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किया जाए। अधिनियम की धारा 10 में यह व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया गया था कि उस विवाद के संबंध में, जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, केन्द्रीय सरकार उस विवाद को राज्य सरकार द्वारा गठित श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण को, यथाशक्ति भेजने के लिए सक्षम होगी। इस उपबन्ध के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विवादों को राज्य श्रम न्यायालयों/अधिकरणों को भेजा जा रहा है।

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादकों को हानि

*304. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादकों को तम्बाकू में "डेम्पिंग आफ" और "ब्लैक शैंक" रोग लगने के कारण भारी हानि हुई है;

(ख) क्या हुसूर और राजामुन्द्री स्थित तम्बाकू अनुसंधान केन्द्रों ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि तम्बाकू उत्पादकों को तम्बाकू में इन रोगों पर प्रभावी नियन्त्रण करने के लिए बोर्ड अथवा राज्य कृषि विभाग के माध्यम से "रिडोमिल" सप्लाई किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लो) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) देश में फफूंदनाशी 'रिडोमिल' उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

हुडको द्वारा राज्यों में परियोजनाओं के लिए सहायता

*305. **श्री हरीश रावत** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास और शहरी विकास निगम द्वारा गत दो वर्षों में राज्यों में विभिन्न आवास परियोजनाओं हेतु राज्यवार कितनी वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या आवास और शहरी विकास निगम द्वारा दी गई सहायता सभी राज्यों को समान रूप से दी गई; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है और जिन राज्यों को विगत में अपेक्षित सहायता प्राप्त नहीं हुई, उनको आवास और शहरी विकास निगम द्वारा समान रूप से सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

(ख) और (ग) जबकि हुडको द्वारा क्षेत्र तथा जनसंख्या के मानदण्ड पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण निधियों का सन्तुलित नियतन करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं फिर भी वास्तविक स्वीकृतियां तथा दी जाने वाली निधियों राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त योजनाओं पर निर्भर हैं।

विवरण

हुडको द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में गत दो वर्षों के दौरान निर्माण अभिकरणों को स्वीकृत ऋण की राशि का विवरण

(रुपये करोड़ों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1984-85	1985-86
1. आन्ध्र प्रदेश	24·36	47·63
2. असम	0·28	0·37
3. बिहार	6·48	12·8
4. गुजरात	30 96	27·05
5. हरियाणा	11·11	6·91
6. हिमाचल प्रदेश	1·90	0·44
7. जम्मू तथा कश्मीर	0·00	4·92
8. कर्नाटक	12·79	25·49
9. केरल	15·42	41·00
10. मध्य प्रदेश	5·91	24·94
11. महाराष्ट्र	39·37	38·89
12. मणिपुर	0·50	0·00
13. मेघालय	0·07	0·00
14. नागालैंड	0·00	0·00
15. उड़ीसा	8·70	15·5
16, पंजाब	8·27	9·45
17. राजस्थान	30·61	24·47

1	2	3
18. सिक्किम	00·30	0·00
19. तमिलनाडु	33·80	28·04
20. त्रिपुरा	0·27	0·21
21. उत्तर प्रदेश	63·79	65·33
22. पश्चिमी बंगाल	2·93	0·43
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0·00	0·00
24. अरूणाचल प्रदेश	0·00	0·00
25. चण्डीगढ़	3·29	2·43
26. दादर तथा नगर हवेली	0 00	0·00
27. दिल्ली	51·32	2·08
28. गोवा दमण तथा द्वीप	0·45	0·4
29. लक्षद्वीप	0·00	0·00
30. मिजोरम	0·00	0 00
31. पाण्डिचेरी	0·00	0·84
योग :	352·88	345·00

[हिन्दी]

अखिल भारतीय उर्दू समाचार पत्र संघ के प्रेसिडेण्ट द्वारा ज्ञापन दिया जाना

2942. **श्री काली प्रसाद पांडेय :**

श्री अब्दुल हन्नान अंसारी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 मार्च, 1986 को उनको पटना में अखिल भारतीय उर्दू समाचार पत्र पत्रकार संघ के प्रेसिडेंट द्वारा उन्हें एक ज्ञापन दिया गया जिसमें पटना आकाशवाणी केन्द्र के ट्रांसमीटर की क्षमता में वृद्धि करने, पटना में दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने तथा वहां से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है, संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	की गई मांग	की गई कारंवाई
1	2	3
1.	आकाशवाणी, पटना से उर्दू	आकाशवाणी के बिहार स्थिति केन्द्र अर्थात् पटना, भागलपुर, दरभंगा और रांची इस समय भी उर्दू में समाचार बुलेटिनें प्रसारित कर रहे हैं। इसके अलावा दरभंगा और पटना केन्द्र प्रतिदिन 55-55 मिनट की अवधि के उर्दू में मूल रूप से कार्य क्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जबकि रांची केन्द्र 45 मिनट की अवधि का एक साप्ताहिक बुलेटिन प्रसारित कर रहा है। अतः पटना से मूल रूप से उर्दू बुलेटिने शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
2.	पटना ट्रांसमीटर की शक्ति 20 कि० वाट मीडियम वेव से बढ़ा कर 100 कि० वाट करना।	यह परियोजना छटी योजना की चल रही स्कीम के रूप में पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा, पटना के विज्ञापन चैनल के मौजूदा 1 किलोवाट मीडियम वेव के ट्रांसमीटर को 3 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर से बदलने की स्कीम आकाशवाणी की सातवीं योजना में शामिल कर ली गई है। तथापि, इसका कार्यान्वयन धन-राशि की वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
3.	पटना में दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र की स्थापना।	पटना में पूर्णरूपेण दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र को स्थापित करने की स्कीम दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल है। इसका कार्यान्वियन भी धनराशि की वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
4.	उर्दू के समाचार पत्रों को	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय प्रचार आवश्यकताओं और धनराशि की उपलब्धता के अधीन रहते हुए विज्ञापन देने के मामले में उर्दू के समाचार-पत्रों का पर्याप्त रूप से प्रयोग करता रहता है।

1	2	3
5.	पत्र सूचना कार्यालय के पटना स्थिति कार्यालय के लिए एक अलग कार्यालय भवन का निर्माण।	वित्तीय संसाधनों पर दबावों को देखते हुए यह संभव नहीं समझा जाता है।
6.	आकाशवाणी, पटना के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना।	आकाशवाणी, पटना की समाचार यूनिट की स्वीकृत संख्या निर्धारित मानदण्डों के अनुसार है।

[अनुवाद]

सदर बाजार दिल्ली के विस्थापितों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस दिया जाना

2943. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अहाता किदारा, सदर बाजार, दिल्ली के कुछ विस्थापितों को गलत हर जाने दिए जाने के कारण नोटिस दिए जाने के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां एक संसद सदस्य के माध्यम से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें गलत हरजाने के मूल्यांकन का आरोप लगाया गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने "गाडगिल आश्वासन" के अन्तर्गत शामिल किए गए शरणार्थियों को 31-3-81 तक हर जाने की उगाही के लिए नोटिस जारी किए हैं और उगाही किए गए हरजाने की दर पुरानी ही है न कि नई संशोधित दर/उन्होंने इस बात का खण्डन किया है कि अहाता किदारा, सदर बाजार, दिल्ली के शरणार्थियों के सम्बन्ध में हरजाने का गलत मूल्यांकन किया गया है। हरजाने के मूल्यांकन पर लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के अधीन न्यायिक कल्प कार्यवाही चल रही है और पार्टी यदि अपकृत महसूस करे तो सेशन कोर्ट में अपील कर सकती है।

बिहार में खनिज उद्योग

2944. **डा० सुधीर राय** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत कम दोहन कार्य किए जाने के कारण बिहार में खनन उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में समुद्र तल का सर्वेक्षण

2945. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में तट दूर समुद्र तल का, उसमें विद्यमान खनिजों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के निष्कर्षों का ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र के समुद्र तल का दो क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया गया है अर्थात् रत्नगिरि के निकट समुद्र क्षेत्र में तथा अरनाला द्वीप के निकट क्षेत्र में। पहले क्षेत्र में बालू में मोनाजाइट, जरकान, रुटाइल और गारनेट के साथ इलमेनाइट का जमाव देखने में आया है जबकि दूसरे क्षेत्र में पारा (मर्करी) की खोज काम चल रहा है।

पश्चिम बंगाल में समुद्री जीव-शाला एवं अनुसंधान केन्द्र

2946. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्री जीवों की चुनींदा किस्मों पर अनुसंधान करने के लिए पश्चिम बंगाल में डीघा में एक समुद्री जीव-शाला एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के प्रस्तावित कार्य क्या हैं और इस प्रयोजन के लिए कितनी वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के दीघा में कोई समुद्री जीव-शाला एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल के लिए 684 करोड़ रुपए की रकम का एक पूरा पेकेज मंजूर किया गया है जिसके अन्तर्गत 1.97 करोड़ रु० के परिव्यय से दीघा में समुद्री जीव-शाला एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की एक योजना को शामिल किया गया है। योजना आयोग योजना की प्रगति का प्रबोधन करेगा।

फसल बीमा योजना

2947. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दैवी विपत्तियों से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनिवार्य रूप से फसल बीमा योजना शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है; और

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कानून बनाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, अब तक 16 राज्य सरकारों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने यह योजना अपनाई है। कुछ अन्य राज्य सरकारों द्वारा इस योजना को अपनाए जाने की सम्भावना है।

(ग) जी नहीं।

यूनान से अखबारी कागज का आयात

2948. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अखबारी कागज की कमी है;

(ख) क्या यूनान से अखबारी कागज का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो यूनान से किन शर्तों पर अखबारी कागज का आयात किया जाएगा; और

(घ) भारत में अखबारी कागज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) अखबारी कागज का स्वदेशी उत्पादन समाचार-पत्र उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसलिए कमी को अखबारी कागज का आयात करके पूरा किया जाता है।

(ख) और (ग) क्योंकि यह वाणिज्यिक मामला है, अत: इसका ब्योरा प्रकट करना जन हित में नहीं होगा।

(घ) अखबारी कागज की अतिरिक्त मिलें चालू हो जाने से स्वदेशी अखबारी कागज का उत्पादन 1979-80 में 75,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 1984-85 में 2.85 लाख टन हो गया है। लाइसेंसिंग वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के लिए अखबारी कागज आबंटन नीति, जिसकी प्रति

लोक सभा की मेज पर 13-11-1986 को रखी गई थी, में भी स्वदेशी अखबारी कागज उद्योग के संवर्धन को प्रोत्साहन देने हेतु कई उपबंध शामिल हैं।

सरसों और रेपसीड का उत्पादन

2949. **श्री आर० एम० भोये :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रेपसीड और सरसों के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ राज्य/जिले चुने हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1989-90) के अंतिम वर्ष के दौरान, तोरिया-सरसों के उत्पादन को लक्ष्य 38.2 लाख मीट्रिकटन नियत किया गया है।

(ग) और (घ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने लिए तोरिया-सरसों सहित तिलहनों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना (एन० ओ० डी० पी०), महत्वपूर्ण तिलहन उगाने वाले राज्यों में चल रही है। इस परियोजना (एन० ओ० डी० पी०) के तहत तोरिया-सरसों के लिए कुल मिलाकर 13 राज्य अर्थात् असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल चुने गए हैं।

पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में रेडियो स्टेशनों की स्थापना तथा मीडियम और शार्ट वेव ट्रांसमीटर लगाना

2950. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत से रेडियो स्थापित करने तथा मीडियम और माध्यम तरंग शार्ट वेव ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसके कहां-कहां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में अलीपुर द्वार में रेडियो स्टेशन स्थापित

करने और पश्चिम बंगाल के कूंच बिहार जिले के सीमावर्ती क्षेत्र तूफानगंज में मीडियम और शार्ट वेब दोनों के ट्रांसमीटर लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण 1 और 2 में दिया गया है।

(ग) और (घ) जलपाईगुड़ी और कूंच बिहार जिलों में पहले से ही सिलीगुड़ी के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर और कुर्सियांग के शार्ट वेव ट्रांसमीटर से रेडियो सेवा प्राप्त हो रही है। इसलिए पश्चिम बंगाल में अलीपुर द्वार में अलग रेडियो स्टेशन स्थापित करने और तूफानगंज में मीडियम वेव और शार्ट वेव ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

सांतवी योजना अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के लिए स्कीमें

क्र. सं०	राज्य	स्थापना स्थल	उपलब्ध की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाएं
1	2	3	4
			नए रेडियो स्टेशन
1.	असम	1. तेजपुर	2×10 किलोवाट मी० वेव ट्रांसमीटर और स्टूडियो
		2. कोकराभाड़	2×10 किलोवाट मी० वेव ट्रान्समीटर और स्टूडियो
		3. जोरहाट	2×5 किलोवाट एफ० एम० (स्थानीय)
		4. नौगोंग	2×3 किलोवाट एफ० एम० (स्थानीय)
		5. हफ्लोंग	2×3 किलोवाट एफ० एम० (स्थानीय)
		6. धुबरी	2×3 किलोवाट एफ० एम० (स्थानीय)
		मौजूदा रेडियो स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाएं	
		1. गुवाहाटी	1. मौजूदा स्टूडियो का आधुनिकीकरण करना और पुनः नवीकरण करना।

1	2	3	4
			2. 10 किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर को 50 किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर से बदलना।
		2. डिब्रूगढ़	100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 300 किलोवाट मीडियम वेव करना।
2.	मणिपुर		नए रेडियो स्टेशन
		1. चुरा चांदपुर	2×3 कि० वाट एफ० एम० (स्थानीय)
		मौजूदा रेडियो स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाएं	
		1. इम्फाल	1. 50 कि०वाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर का प्रावधान।
3.	मेघालय		नए रेडियो स्टेशन
		1. जोवाई	2×3 कि० वाट एफ० एम० (स्थानीय)
		मौजूदा रेडियो स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाएं	
		1. शिलांग	50 कि० वाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए नई समेकित सेवा।
		2. तुरा	स्टूडियो के साथ 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर।
4.	नागालैंड		नए रेडियो स्टेशन
		1. मोकोकचुंग	2×3 कि० वाट एफ० एम० (स्थानीय)
		मौजूदा रेडियो स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाएं	
		1. कोहिमा	मौजूदा 2 कि०वाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 50 किलोवाट शार्ट वेव करना।

1	2	3	4
5.	सिक्किम		
		मौजूदा रेडियो स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाएं	
		1. गंगटोक	1. 10 कि०वाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर।
			2. 20 कि०वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के साथ स्थायी ढांचा।
6.	त्रिपुरा		**नए रेडियो स्टेशन**
		1. कैलाशहर	(उप प्रभाग) 2 × 3 किलोवाट एफ० एम० (स्थानीय)
		2. बालोनिया	(उप प्रभाग) 2 × 3 किलोवाट एफ०एम० (स्थानीय)
7.	पश्चिम बंगाल		**नए रेडियो स्टेशन**
		1. आसनसोल	2 × 3 कि० वाट एफ० एम० (स्थानीय)
		2. मुर्शिदाबाद	2 × 3 कि०वाट एफ० एम० (स्थानीय)
		मौजूदा रेडियो स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाएं	
		1. कलकत्ता	1. मौजूदा स्टूडियो का पुन: नवीकरण करना और आधुनिकीकरण करना।
			2. बहु चैनल रिकार्डिंग और स्टीरियो प्रेषण सुविधाएं शुरू करना।
			3. मौजूदा 20 कि० वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (पुराने) को 20 कि० वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (नए) से बदलना।
			4. मौजूदा 2.5 कि० वाट मी० वेव ट्रांसमीटर को 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर से बदलना।
			5. मौजूदा 10 किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर को 50 कि०वाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर से बदलना।

1	2	3	4
			6. मौजूदा 50 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर से बदलना ।
		2. कुर्सियांग	मौजूदा 20 कि॰वाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर को 50 किलोवाट शार्ट ट्रांसमीटर से बदलना ।
		3. सिलीगुड़ी	200 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की स्थापना करना ।
		संघ शासित क्षेत्र	
8.	मिजोरम		**नए रेडियो स्टेशन**
		लुंगलेह	2×3 किलोवाट एफ॰ एम॰ ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो ।
9.	अरुणाचल प्रदेश		**नए रेडियो स्टेशन**
		जीरो	2×3 किलोवाट एफ० एम॰ (स्थानीय)
		मौजूदा रेडियो स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाएं	
		1. पासीघाट	1. स्थायी बहु-उद्देशीय स्टूडियो का प्रावधान ।
			2. मौजूदा अल्प शक्ति वाले मीडियम वेव ट्रांसमीटर का दर्जा बढ़ाकर 10 कि० वाट मीडियम वेव का करना ।
		2. तेजू	1. स्थायी बहुउद्देशीय स्टूडियो का प्रावधान
			2. मौजूदा अल्प शक्ति वाले मीडियम वेव ट्रांसमीटर का दर्जा बढ़ाकर 10 किलोवाट मीडियम वेव का करना ।
		3. त्वांग	मौजूदा अल्प शक्ति वाले मीडियम वेव ट्रांसमीटर का दर्जा बढ़ाकर 10 कि॰ वाट मीडियम वेव करना ।
		4. ईटानगर	1. 50 कि॰वाट शार्टवेव ट्रांसमीटर
			2. 100 कि॰ वाट मी॰ वेव ट्रांसमीटर के साथ स्थाई ढांचा ।

विवरण—2

सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवा उपलब्ध करने के लिए सातवीं योजना (1985-90) में शामिल स्कीमों की सूची।

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान	स्कीम
1.	असम	धुबरी	2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो (स्थानीय)
2.	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (स्टूडियो सुविधाओं के बिना)
3.	जम्मू व कश्मीर	कारगिल	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो (स्थानीय)
4.	"	पूंछ	2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो (स्थानीय)
5.	"	कठुआ	2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो (स्थानीय)
6.	मणिपुर	चुराचांदपुर	2×3 किलोवाट एफ०एम० ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो (स्थानीय)
7.	पंजाब	भटिंडा	2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो (स्थानीय)
8.	राजस्थान	बाड़मेर	2×10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो
9.	"	जैसलमेर	2×5 किलोवाट एफ०एम० ट्रांसमीटर, टाइप 1 (आर) स्टूडियो
10.	तमिलनाडु	तुतीकोरीन	2×100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, टाइप 1 (आर) स्टूडियो
11.	त्रिपुरा	कैलाशहर	2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो (स्थानीय)
12.	"	बेलोनिया	2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो (स्थानीय)

1	2	3	4
13.	उत्तर प्रदेश	चमोली	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो
14.	"	पौड़ी/श्रीनगर	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो
15.	"	पिथौरागढ़	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, (स्टूडियो सुविधाओं के बिना)
16.	"	उत्तरकाशी	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, (स्टूडियो सुविधाओं के बिना)
17.	पश्चिमी बंगाल	मुर्शिदाबाद	2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो (स्थानीय)
18	मिजोरम	लुंगलेह	2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, विशाखापत्तनम में क्षय रोग वार्ड

2951. **श्री एस० पताकोंड्रायुडू :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में 15 बिस्तरों वाला एक क्षय रोग वार्ड बनाने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं और यह वार्ड कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) : कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, विशाखापत्तनम में 15 पलंगों के (तपेदिक) वार्ड का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। इसलिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि उक्त वार्ड को चालू करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किए जाएं।

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन

2952. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगला अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जनवरी, 1987 में राजधानी में आयोजित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां; तो उसमें भाग लेने वाले देशों के क्या नाम हैं;

(ग) टिकटों की बिक्री में कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) भारतीय दृश्य पटल के लिये फिल्मों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है; और

(ङ) इस समारोह के आयोजन में अनुमानत: कितना धन खर्च होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी हां ।

(ख) उन सभी देशों को निमंत्रण दिए गए हैं जिनके साथ भारत के कूटनीतिक सम्बन्ध हैं। यह उम्मीद है कि अधिकांश फिल्म निर्माता देश समारोह में भाग लेंगे ।

(ग) फिल्म समारोह निदेशालय ने टिकटों की छपाई और बिक्री का पर्यवेक्षण करने के लिए एक थियेटर प्रबन्ध समिति गठित की है । टिकटों की बिक्री में कदाचार को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन के कानून और व्यवस्था सम्बन्धी प्राधिकारियों की सहायता भी ली जायेगी ।

(घ) भारतीय पैनोरमा, 1987 विनियमों के अनुसार, भारतीय पैनोरमा, 1987 में शामिल किए जाने के लिए निर्माताओं द्वारा प्रविष्ठ फिल्मों में से अखिल भारतीय चयन पैनल द्वारा सर्वोत्तम फीचर और लघु फिल्में प्रत्येक श्रेणी में 21 से अधिक नहीं चुनी जानी हैं, जो भारत में बनी हों, सिनेमात्मक, विषयात्मक और सौंदर्यात्मक श्रेष्ठता की हों और 1 सितम्बर, 1985 और 31 अगस्त, 1986 के बीच (दोनों दिनों सहित) प्रमाणीकृत की गई हों।

(ङ) 80·40 लाख रुपये ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा आयोजित पार्टियां

2953. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निदेश दिए हैं कि सभी सरकारी उपक्रमों को अपनी सरकारी पार्टियां केवल भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में ही आयोजित करनी चाहिए ;

(ख) क्या सरकारी निदेशों के अनुसार सरकारी पार्टियों में मादक पेयों का पिलाया जाना निषिद्ध है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने पार्टियों का आयोजन भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों से भिन्न होटलों में करके और साथ ही इनमें मादक पेय पिलाने की अनुमति देकर और इन पर हुए व्यय का अन्य मदों में शामिल करके इन दोनों ही निदेशों का कई बार उल्लंघन किया है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी पार्टियां आयोजित की गई, वे कहां-कहां आयोजित की गई और उन पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया गया;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के होटल में उपयुक्त पार्टी/दावत कक्ष के न मिलने या प्रचालन सुविधा को देखते हुए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने भारत पर्यटन विकास निगम की अपेक्षा अन्य होटलों में कई बार पार्टियां की थीं। यह सही नहीं है कि एक मात्र मामले के सिवाय इन पार्टियों में शराब पेश की गई थी। निगम द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को इस विषय में सरकारी अनुदेशों के प्रति भविष्य में कर्तव्यनिष्ठ होने की सलाह दी गई थी।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा आयोजित पार्टियां

(क) पार्टियों की संख्या तथा उन पर किया गया व्यय

	1983-84	1984-85	1985-86
(1) आयोजित पार्टियों की कुल संख्या	42	39	26
(2) वार्षिक व्यय	78369·69 रु०	120297·30 रु०	94518·71 रु०

(ख) पार्टियों का स्थान

1. ताजमहल होटल, नई दिल्ली
2. इण्डिया इण्टर नेशनल सेंटर, नई दिल्ली
3. वुडलेंड रेस्टोरेंट, लोधी रोड, नई दिल्ली
4. ओबराय होटल, नई दिल्ली
5. ताज पैलेस होटल, नई दिल्ली
6. कनिष्क होटल, नई दिल्ली
7. हयात रिजेन्सी होटल, नई दिल्ली
8. विंडसर मनोर होटल, बंगलौर
9. होटल ओबराय टावर्स, बम्बई
10. एम्बेसडर होटल, बम्बई
11. होटल मौर्य प्लेस, नई दिल्ली
12. ओबराय इन्टरकोन्टिनेंटल, नई दिल्ली
13. अशोक होटल, नई दिल्ली

14. अकबर होटल, नई दिल्ली

15. होटल युवराज, अंगल

16. होटल ताज महल, बम्बई

17. होटल सफितल सूर्य, नई दिल्ली

18. रामाकृष्ण मिशन इन्स्टीच्यूट आफ कलकत्ता, कलकत्ता

19. होटल नील कमल, अंगुल

20. होटल विकास, अंगुल

21. लैबर रेस्टोरेंट, दिल्ली

22. सरवण चड्ढा बालासौर

23. विक्रम होटल, नई दिल्ली

मद्रास में दूसरा टी० वी० चैनल आरम्भ करना

2954. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास दूरदर्शन से दूसरा चैनल आरम्भ करने में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित 10 किलोवाट के टी० वी० ट्रांसमीटर के लिए निर्माताओं को आर्डर भेज दिया गया है। उपकरणों के प्राप्त हो जाने पर दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास में द्वितीय चैनल ट्रांसमीटर के 1988-89 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

दिल्ली में भूमि और विकास अधिकारी के कार्यालय द्वारा संस्थाओं को भूमि का आवंटन

2955. **श्री आनन्द पाठक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थाओं का ब्योरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली और नई दिल्ली में भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा संस्थागत प्रयोजनों हेतु भूमि आवंटित की गई है;

(ख) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने भवन अंशतः अथवा पूरे वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु किराये पर दिए हुए हैं और उन्हें उसका कितना किराया प्राप्त होता है;

(ग) क्या यह पट्टे की शर्तों का उल्लंघन है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र

की जा रही है और जैसे ही इसे संकलित कर लिया जाएगा वैसे ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

2956. **श्री सी० सम्बु :**

श्री मानसिक रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, स्वनियोजन हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जैसी योजनाओं को कार्यान्वित करने में सरकार की कार्य निष्पत्ति क्या रही; और

(ख) वर्ष 1983, 1984, 1985 और 1986 में इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले चार वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियों की वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति :

वर्ष	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
वर्ष	आवंटन (लाख रु० में)	उपयोग (लाख रु० में)	वास्तविक लक्ष्य (लाभार्थियों की सं०)	वास्तविक उपलब्धि (लाभार्थियों की सं०)
1983-84	2640.00	2806.13	198000	249259
1984-85	2640.00	3155.31	198000	273328
1985-86	2666.33	3109.28	144000	180115
1986-87	3739.77	2242.88	228500	108489
		सितम्बर, 86 तक		(सितम्बर, 86 तक)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

वर्ष	बंटित निधियां जिनमें राज्य अंश शामिल है। (लाख रु० में)	उपयोग (लाख रु० में)	रोजगार सृजन (लाख श्रम दिन)	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1983-84	4008.21	3718.66	298.50	265.68
1984-85	4534.90	4809.25	235.00	270.73
1985-86	3936.05	4733.80	183.00	214.48
1986-87	5479.10	2506.70 (सितम्बर तक)	258.70	119.17 (सितम्बर तक)

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

वर्ष	निधियों की उपलब्धता (लाख रु० में)	उपयोगिता (लाख रु० में)	रोजगार सृजन (लाख श्रम दिन)	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1983-84	990.00	—	—	—
1984-85	4040.10	4473.18	231.11	217.55
1985-86	4947.00	5037.18	163.00	224.99
1986-87	4739.00	3715.81 (सितम्बर तक)	251.80	159.61 (सितम्बर तक)

ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण

वर्ष	बंटित निधियां* (लाख रु० में)	प्रशिक्षित युवकों को सं०	स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षित युवकों की संख्या	प्रशिक्षित युवकों में अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति की संख्या	प्रशिक्षित युवाओं में महिलाओं की संख्या
1983-84	2.32	10,071	8,277	5,503	4,194
1984-85	3.82	10,460	5,492	4,316	6,394
1985-86	7.09	7,388	4,389	3,348	3,386
1986-87 (अक्तूबर, 86 तक)	29.18	6,862	2,860	4,052	3,643

* ट्राइसेम के अन्तर्गत आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय अंश की बंटित निधियां।

सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यालय *

वर्ष	आवंटन (लाख रु० में)	व्यय (लाख रु० में)	मृदा संरक्षण के अन्तर्गत माना गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	सिंचाई	वानिक तथा चरागाह के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र (00 हैक्टेयर)	सृजित रोजगार (000 श्रम दिन)
1983-84	990.00	751.51	6.79	64.42	232.13	3053
1984-85	990.00	816.23	101.81	87.27	22.62	2394
1985-86	828.00	807.91	99.96	83.83	14.94	1455
1986-87 (सितम्बर तक)	1035.00	742.43	50.68	30.94	28.83	862

* अनन्तिम

भूमिहीनों को आवास के लिए भूमि देना

2957. **श्री राधा कान्त डिगाल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीनों को आवास के लिए भूमि/प्लाट उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों को कोई दिशा निर्देश भेजे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में ऐसे भूमिहीन लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास के लिए भूमि दी गई थी;

(ग) उड़ीसा में 30 सितम्बर, 1986 की स्थिति के अनुसार कितने भूमिहीन लोगों को आवास के लिए भूमि/प्लाट दिए गए थे; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिन भूमिहीन लोगों को आवास स्थल आबंटन की योजना के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमि आबंटित की गई है, उनकी संख्या का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) : 1971 में भूमिहीन कामगारों को आवास स्थल आबन्टन की योजना के प्रारम्भ से, उड़ीसा राज्य में, 4,05,868 परिवारों को (सितम्बर, 1986 तक) आवास स्थल आबन्टित किये गये हैं।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान आवास स्थलों का आवंटन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवास स्थल उपलब्धि
1. आन्ध्र प्रदेश	15, 49, 726
2. असम	81, 698
3. बिहार	85,987
4. गुजरात	4,04,570
5. हरियाणा	95,090
6. हिमाचल प्रदेश	739
7. जम्मू तथा कश्मीर	2,151
8. कर्नाटक	4,17,796
9. केरल	22,641
10. मध्य प्रदेश	1,36,512
11. महाराष्ट्र	1,77,362
12. उड़ीसा	1,27,197
13. पंजाब	4,930
14. राजस्थान	3,46,201
15. सिक्किम	—
16. तमिलनाडु	13,27,408
17. त्रिपुरा	24,071
18. उत्तर प्रदेश	5,55,332
19. पश्चिम बंगाल	40,401
1. अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	3,855
2. दादर तथा नगर हवेली	173
3. दिल्ली	14,540
4. गोवा, दमण तथा दीव	3,522
5. लक्षदीप	20
6. पांडिचेरी	8,587
योग :	54,33,509

चावल और गेहूं की उत्पादकता

2958. **श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1985-86 के दौरान क्षेत्रवार और राज्य-वार चावल और गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितनी है, और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान चावल और गेहूं का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ ;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1985-86 के दौरान देश में चावल तथा गेहूँ का राज्यवार उत्पादन तथा उत्पादकता दर्शाने वाली सारणी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य	उत्पादकता (कि० ग्रा०/हैक्टर)		उत्पादन (लाख मीट्रिक टन)	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
आन्ध्र प्रदेश	2209	621	76·6	0·1
असम	1155	1082	28·5	1·0
बिहार	1128	1646	60·7	31·4
गुजरात	924	1815	4·5	7·8
हरियाणा	2797	3094	16·4	52·4
हिमाचल प्रदेश	1381	845	1·2	3·0
जम्मू व कश्मीर	2210	747	5·9	1·7
कर्नाटक	1799	451	18·7	1·2
केरल	1714	—	11·6	—
मध्य प्रदेश	1161	1146	57·6	41·3
महाराष्ट्र	1416	731	21·8	6·4
उड़ीसा	1191	1912	52·0	1·1
पंजाब	3199	3531	54·5	109·9
राजस्थान	909	2209	1·2	39·2
तमिलनाडु	25·7	—	56·0	—
उत्तर प्रदेश	1488	1992	82·0	164·8
पश्चिम बंगाल	1555	1894	78·3	5·8
अखिल भारत	1568	2032	641·5	468 9

कर्नाटक में समस्या प्रधान गांवों को पीने के पानी की सप्लाई

2959. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1986 तक कर्नाटक के कितने गांव समस्या प्रधान गांव थे :

(ख) उनमें से कितने गांवों को 1986-87 के दौरान पीने का पानी उपलब्ध कराया गया; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) से (ग) 1-4-80 को पता लगाए गए 15456 समस्याग्रस्त गांवों में से छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान 15,443 गांवों को स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध कराया गया था। ताजे सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार ने 17281 समस्याग्रस्त गांवों/बसावटों का पता लगाया है। 1985-86 में राज्य सरकार द्वारा 9621 गांवों/बसावटों को शामिल किए जाने की सूचना दी गई थी। इस प्रकार 31-3-86 को शामिल किए जाने वाले गांवों/बसावटों की संख्या 7673 थी।

1986-87 के दौरान, सितम्बर, 1986 तक शामिल किए गए गांवों/बसावटों की संख्या 2257 बताई गई है।

आंध्र प्रदेश से खाड़ी के देशों को भेजे गए श्रमिक/मजदूर

2960. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 से अब तक आन्ध्र प्रदेश से वर्ष-वार कुल कितने कुशल/अर्ध-कुशल श्रमिक और मजदूर खाड़ी के देशों को गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : राज्य-वार सूचना नहीं रखी जा रही है।

भूमि अर्जन अधिनियम का कार्यान्वयन

2961. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या कृषि मंत्री भूमि अधिग्रहण के कार्यान्वियन के बारे में 19 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4291 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार ने भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत केन्द्रीय परियोजनाओं/संस्थाओं के लिए भूमि के अर्जन हेतु संविधान के अनुच्छेद 258 (1) के अन्तर्गत कितने अवसरों पर कार्यवाही की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिए भूमि अर्जन करने में

काफी समय लग जाने की बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं/संस्थाओं के लिए भूमि अर्जन की समस्त प्रक्रिया को प्रभावी और कारगर बनाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो इसे किस तरह प्रभावी और कारगर बनाया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन सम्बन्धी प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) से (घ) भूमि अर्जन प्रक्रिया को पूरा करने को समयबद्धता प्रदान करने के लिए भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में व्यापक संशोधन किए गए हैं। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम की धारा 6 के तहत की गई घोषणा को धारा 4 (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने के एक वर्ष के भीतर प्रकाशित किया जाना है तथा घोषणा प्रकाशित होने को तिथि के 2 वर्ष के अन्दर अवार्ड दिया जाना। यदि इस निर्धारित समय में अवार्ड नहीं दिया जाता है तो कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह आशा है कि अब भूमि के अर्जन में विलम्ब नहीं होगा।

पत्थर की खदानों में बंधुआ/प्रवासी मजदूरों की समस्याएं

2962. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा जैसे राज्यों में पत्थर की खदानों में बंधुआ मजदूरों और प्रवासी मजदूरों की समस्या अधिक गंभीर होती जा रही है और उच्चतम न्यायालय के निदेशों का भी उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पत्थर की खदानों में स्थिति में सुधार करने के लिए हस्तक्षेप करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पत्थर के खदानों और पत्थर क्रशरों में कामकाज की दशाओं आदि के बारे में निर्देश दिए थे। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त ने बताया था कि फरीदाबाद के पत्थर खदानों और पत्थर क्रशरों में बंधुआ श्रमिक और अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार हैं।

श्रम मन्त्रालय में समय-समय पर हुई त्रिपक्षीय बैठकों में उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन की समीक्षा की गई है और संबंधित एजेंसियों को श्रम कानूनों के परिवर्तन और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन संबंधी उचित अनुदेश दिये गए हैं।

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने भी निर्देशों के अनुपालन सम्बन्धी रिपोर्ट भी उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई हैं उच्चतम न्यायालय ने जुलाई, 1986 में यह पाया है कि भारत

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कदम उठाया है कि श्रम कानूनों का ध्यान रखा जाए और उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मोतियाखान में मार्केट और सिनेमा हाल का निर्माण

2963. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या शहरी विकास मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मोतियाखान में मार्केट और सिनेमा-हाल के निर्माण के बारे में 2 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2150 के उत्त र के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मोतियाखान, नई दिल्ली में मकानों का निर्माण करने के साथ सिनेमा-हाल, होटल, शापिंग सेंटर आदि का निर्माण आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मोतियाखान में उस भूमि पर जहां सरकार ने सिनेमा हाल, होटल शापिंग सेंटर आदि बनाने की योजना बनाई थी, अब भी सैकड़ों अवैध झुग्गियां मोजूद हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन झुग्गियों को कब तक हटा दिया जाएगा और मोतियाखान के लिए बनाई गई योजना के अनुसार सिनेमा हाल, होटल और शापिंग सेंटर आदि का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिए जाने की सम्भावना है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) मोतियाखान परिसर (रिहायशी तथा वाणिज्यिक) के लिए दिल्ली नगर कला आयोग का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा भूमि के एक बड़े भाग पर उन झुग्गी निवासियों ने अतिक्रमण कर रखा है। जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की है और उनको वहां से हटाये जाने के विरुद्ध उन्होंने रोकादेश प्राप्त कर लिया है जो अभी भी लागू है।

(घ) न्यायालय के रोकादेश के निरस्त किए जाने के बाद ही अनाधिकृत दखलकारों को हटाया जा सकता है। जैसे ही दिल्ली नगर कला आयोग से संयुक्त परियोजना का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तथा झुग्गियों को हटा दिया जाएगा वैसे ही वाणिज्यिक परियोजनाएं आरम्भ कर दी जायेंगी :

[अनुवाद]

कलकत्ता और आसनसोल में केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पद

2964. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता और आसनसोल में केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों के पद गत दो वर्षों से रिक्त पड़े हैं जिसके कारण कोल इण्डिया लिमिटेड के कामगारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों की शीघ्र नियुक्ति करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय कलकत्ता के पीठासीन अधिकारी का पद 19-3-1986 से 30-9-1986 तक खाली पड़ा रहा । इसे अब 1-10 1986 को भरा गया है। केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, आसनसोल के पीठासीन अधिकारी का पद 23-2-1985 से खाली पड़ा है । इस पद के लिए चुने गए न्यायिक अधिकारियों ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त जिला और अपर जिला जजों के पैनल के लिए अनुरोध किया है ।

दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली के गांवों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करना

2965. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में कौन-कौन से शहरी गांव हैं और प्रत्येक की आबादी कितनी है;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम इन गांवों को आसपास के शहरी क्षेत्रों के समान नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है;

(ग) क्या सरकार को इन गांवों में सुविधाओं की कमी के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1981 की वृहद योजना की शहरीकरण सीमाओं में स्थित 106 शहरी गांव हैं तथा दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 507 (क) के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा उन्हें शहर के रूप में भी घोषित किया गया है, जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है । 1981 की जनगणना के अनुसार, इन 106 गांवों की जनसंख्या लगभग 4,00,000 (चार लाख) व्यक्ति हो जाने का हिसाब लगाया गया था ।

(ख) छठी और अनुवर्ती पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा इन शहरी गांवों के 24 गांवों में तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 72 गांवों (कुल 96) में भारत सरकार की प्लान योजना अर्थात् "दिल्ली के शहरी गांवों की विकास योजना" के अन्तर्गत 2067·33 लाख

रुपये की अनुमानित लागत पर सड़कों, फुटपाथ एवं लेन, कूड़ादानों एवं मल निर्यात नालियों का निर्माण, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक सदनों का निर्माण, विद्युतीकरण, पार्क तथा खुले स्थान, जलपूर्ति एवं मल निर्यात जैसी मूल-भूत सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जा रही हैं। इन शहरी गांवों में से 10 गांवों को मलिन बस्ती घोषित किया गया है तथा वर्ष 1981-82 के बाद से उनका विकास 'मलिन बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार' योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सरकार को इन कमियों की जानकारी है तथा इन गांवों के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित और निधियां रिलीज की गई हैं, जैसा कि "योजना" में क्रमबद्ध तथा चरणबद्ध तरीके से विचार किया गया है। दो निष्पादन अभिकरणों अर्थात् दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित कार्य की नियमित अन्तराल में निरन्तर समीक्षा की जाती है।

विवरण

वृहद योजना, 1981 की शहरीकरण सीमाओं में स्थिति 106 शहरी गांवों तथा दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 507 (क) के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा जिन्हें शहर के रूप में घोषित किया गया है, उनकी सूची।

1. असलतपुर	18. हुमायूं पुर
2. आजादपुर	19. झिलमिल तिहारपुर
म॰3. बसंत गांव	20. जोगाबाई
4. बसई दारापुर	21. ज्वालाहेड़ी
5. बेगमपुर	22. कच्छीपुर
6. बेर सराय	23. कालू सराय
7. भरौला	24. कड़कड़डूमा
8. बुढ़ेला	25. कटवाड़िया सराय
9. धीरपुर	26. ख्याला
म॰10. गढ़ी झरिया भरिया	म॰17. खड़की
11. गदी पीरान	28. खिजाराबाद
12. गाजीपुर	29. खुरेजी खास
13. घोण्डा	म॰30. किलोकड़ी
14. हैदरपुर	31. किशनगढ़
म॰15. हरिनगर आश्रम	म॰32. कोटला मुबारकपुर
16. हसनपुर	33. लाडो सराय
17. हौजखास	34. मादीपुर

35. मकसूदपुर
36. मंगोलपुर खुर्द
37. मण्डावली फाजलपुर
38. मासीगढ़
39. मस्जिद मोठ
40. मौजपुर
41. महरौली
42. मुनिरका
43. नांगलराय
44. नांगली जलेब
45. नांगलोई सैयद
46. नरायण
47. ओखला
48. पीपल थल्ला
49. पीतमपुर
50. पोसंगीपुर
51. रामपुरा
52. साहीपुर
53. सराय जुलियाना
54, सहापुर जट
55. शक्करपुर खास
56. शकरपुर
57. शालीमार
58. शेख सराय
59. तैमूर नगर
60. ततारपुर
61. तेहखण्ड
62. वजीर नगर
63. अधचीनी
म०64. अड़कपुर बाग मोची
65. बंदरपुर
66. बादली
67. बहलोलपुर
68. चौखण्डी
म०69. चिराग दिल्ली
70. ढाका
71. घोण्डा निमका
72. घोण्डली
73. होजरानी
74. जसोला
75. जिया सराय
76. कटवाड़ा
77. केशोपुर
78. खामपुर राया
79. खानपुर (भाग)
80. खरारा
81. कोटला
82. मदनगिर
83. मदनपुर खादर
84. मलिकपुर चब्बनीं
85. मण्डौली कच्ची
86. मंगोलपुर कला
87. महिपाल पुर
88. मोहम्मदपुर
89. नाहरपुर
90. नांगली राजापुर
91. राजपुर चब्बनी
92. रिठाला
93. सबोली
94. सदौराकलें
95. समयपुर
म०96. सराय काले खां
97. सराय शाह जी
98 शादीपुर
99. सीलमपुर
100. तिहाड़
101. तुगलकाबाद
102. शाहदरा
103. उस्मानपुर
104. वजीराबाद
105. युसफ सराय
म 106. जमरूदपुर

म०—इन गांवों को मलिन बस्ती घोषित किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा झील कुरंजा में विकास शुल्क की वसूली

2966. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या शहरी विकास मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा झील कुरंजा में विकास शुल्क की वसूली के बारे में 16 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4016 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने झील कुरंजा, दिल्ली में अनधिकृत कब्जा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से 500 रु० की वसूली कर ली है और क्या उन्हें स्थानान्तरित करने और उन्हें वैकल्पिक स्थल प्रदान करने की योजना लागू कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इस योजना के कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) रामलीला समिति द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध दायर न्यायालय संबंधी मामले के कारण स्थानांतरण की योजना को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं हुआ है।

विश्व बैंक/यूरोपीय साझा व्यापार के दल द्वारा आपरेशन फ्लड-2 कार्यक्रम की समीक्षा

2967. **डा० ए० कलानिधि :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय साझा बाजार और विश्व बैंक के आपरेशन फ्लड-2 सम्बन्धी संयुक्त दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है,

(ख) यदि हां, उक्त दल के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं, और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड, चन्द्रपुर

2968. **श्री गुरुदास कामत; :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड, चन्द्रपुर का भारतीय इस्पात प्राधिकरण 'सेल द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड का कार्य-निष्पादन असंतोषजनक होने के कारण इसका अधिग्रहण किया गया है; और

(ग) महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेट के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पंत : (क) जी, हां ।

(ख) बिजली की लागत में वृद्धि, विश्व बाजार में फेरो-मैंगनीज की मांग में मंदी और महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड की इस्पात की उत्पादन लागतें किफायती न होने जैसे विभिन्न कारकों के संयोजन से महाराष्ट्र की सरकार को इस बात का बढ़ावा मिला है कि वह भारत सरकार को 'सेल' द्वारा महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि० का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव भेजे ।

(ग) महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि० के कार्यकरण में सुधार करने के लिए किये गए कुछ आयोजित उपाय नीचे दिए गए हैं :

—फेरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं को पूरे तौर पर उपयोग में लाया जाएगा, जिससे इसके उत्पादन को अधिकाधिक किया जा सके ।

—इन सुविधाओं का उपयोग व्यवहार्य सीमा तक अन्य लौह मिश्र धातुओं के उत्पादन के लिए भी किया जाएगा ।

—महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि० में इस्पात का उत्पादन जो सन् 1982 से बन्द था, पुनः शुरू कर दिया जाएगा ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रोहिणी योजना के अन्तर्गत प्लॉटों का आवंटन

2969. **श्री जैनुल बशर** ; क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न आय वर्गों के लोगों को भू-खण्डों के आवंटन के लिए 1981 के आरम्भ में रोहिणी नाम से एक परियोजना प्रारम्भ की थी ?

(ख) क्या न्यू पैटर्न स्कीम 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण रोहिणी में अन्तरित करने की अनुमति दी गई थी;

(ग) ऐसे आवेदकों को भू-खण्डों के आवंटन में प्राथमिकता देने का वचन दिया गया था ।

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे सभी आवेदकों को आवंटन किया जा चुका है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन्हें कब तक आवंटन किया जाएगा;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) जी, हां । कुछ ही पंजीकृत व्यक्ति शेष रह गये हैं और उन्हें 1987 के आरम्भ में ही निकाले जाने वाले संभावित अगले ड्रा में आवास दे दिया जाएगा ।

महाराष्ट्र में सूखा प्रवण ब्लाक

2970. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कितने ब्लाकों को सूखा प्रवण घोषित किया गया है और उसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यह सहायता प्रति ब्लाक किस दर से प्रदान की गई है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 13 और ब्लाकों को सूखा-प्रवण घोषित करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सहायता की दर बढ़ाने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो मांगी गयी दर-वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(च) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के 12 जिलों में 74 खण्डों का उन क्षेत्रों के रूप में पता लगाया गया है जो कि लम्बे समय से सूखाग्रस्त हैं तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं। 1986-87 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड का कुल आबंटन 15 लाख रुपये है जोकि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर बांटा जाएगा।

(ग) से (च) 24-10-86 को नई दिल्ली में हुए राज्य ग्रामीण विकास मंत्रियों के सम्मेलन में महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री ने सुझाव दिया था कि राज्य के 13 और खण्डों को लम्बे समय से सूखाग्रस्त क्षेत्र के रूप में माना जाए तथा उन्हें सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड हेतु आबंटन बढ़ाया जाए क्योंकि 15 लाख का मौजूदा आबंटन कम है। तथापि; कार्यक्रम की मौजूदा कवरेज कार्यदल द्वारा निर्धारित और 1984 में अन्तर्विभागीय दल द्वारा यथा संशोधित मानदण्डों और सिफारिशों पर आधारित है तथा इसे 1985-86 से लागू किया गया है। सातवीं योजना के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का आबंटन इन कार्यक्रम के कवरेज को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम केवल पूरक स्वरूप का है तथा आशातीत परिणामों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शिकाएं जारी की गई हैं ताकि इस कार्यक्रम का समन्वय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के गरीबी निवारण कार्यक्रम, राज्य/केन्द्र की अन्य योजनाओं और साथ ही अभाव राहत के लिए रिलीज की गई निधियों के साथ हो सके।

अत: कवरेज में, तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सहायता के पैमाने में कोई परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया है।

पश्चिम बिहार में खाली प्लाटों पर बनाई गई झुग्गियों को हटाना

2971. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बिहार के ब्लाक ए-4 में कितने प्लाट खाली हैं;

(ख) क्या इन प्लाटों का आवंटन करने का विचार है और यदि हां तो कब;

(ग) क्या इन खाली पड़े प्लाटों पर लगभग 100 झुग्गियां बना ली गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का इन झुग्गियों को हटाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पश्चिम बिहार ए-4 ब्लाक में प्लाट संख्या 122-127 को अतिक्रमणों के कारण आवंटित नहीं किया जा सकता। अतिक्रमणों को हटाये जाने के बाद इन प्लाटों का आवंटन किया जाएगा।

(ग) से (ङ) इन प्लाटों पर लगभग 70 झुग्गियां बनी हुई हैं और इन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यथा समय हटा दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

2972. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार स्थित आकाशवाणी केन्द्रों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के केन्द्रों की संख्या अन्य बड़े राज्यों की तुलना में बहुत कम है और यदि हां, जो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में विद्यमान असन्तुलन को दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल में नये केन्द्रों की स्थापना करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। पश्चिम बंगाल में रेडियो कवरेज, जो क्षेत्र के रूप में 91 प्रतिशत और जनसंख्या के रूप में 94 प्रतिशत है, राष्ट्रीय कवरेज की तुलना में अधिक है।

(ग) पश्चिम बंगाल में रेडियो कवरेज काफी सन्तोषजनक है। फिर भी, आकाशवाणी ने अपनी सातवीं पंचवर्षीय योजना में आसनसोल और मुर्शिदाबाद में नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीमें शामिल की हैं। आकाशवाणी कलकत्ता, सिलीगुड़ी और कुर्सियांग के मौजूदा ट्रांसमीटरों की शक्ति भी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

विवरण

15-11-1986 के दिन की स्थिति के अनुसार मौजूदा रेडियो स्टेशनों की सूची।

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम और रेडियो स्टेशनों का स्थान	राज्य में रेडियो स्टेशनों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश	5
	(1) हैदराबाद	
	(2) विजयवाड़ा	
	(3) विशाखापत्तनम	
	(4) कुड्डप्पा	
	(5) आदिलाबाद	
2.	असम	3
	(1) गुवाहाटी	
	(2) सिलचर	
	(3) डिब्रूगढ़	
3.	बिहार	4
	(1) पटना	
	(2) रांची	
	(3) भागलपुर	
	(4) दरभंगा	
4.	गुजरात	4
	(1) अहमदाबाद	
	(2) बड़ौदा	
	(3) भुज	
	(4) राजकोट	
5.	हरियाणा	1
	(1) रोहतक	
6.	हिमाचल प्रदेश	1
	(1) शिमला	

1	2	3
7.	जम्मू व कश्मीर	3
	(1) श्रीनगर	
	(2) जम्मू	
	(3) लेह	
8.	कर्नाटक	6
	(1) बंगलौर	
	(2) भद्रावती	
	(3) धारवाड़	
	(4) गुलबर्गा	
	(5) मंगलोर/उडिप्पी	
	(6) मैसूर	
9.	केरल	4
	(1) एलेप्पी	
	(2) कालीकट	
	(3) त्रिचूर	
	(4) त्रिवेन्द्रम	
10.	मध्य प्रदेश	9
	(1) अम्बिकापुर	
	(2) भोपाल	
	(3) छतरपुर	
	(4) ग्वालियर	
	(5) इन्दौर	
	(6) जबलपुर	
	(7) जगदलपुर	
	(8) रायपुर	
	(8) रीवा	
11.	महाराष्ट्र	9
	(1) औरंगाबाद	
	(2) बम्बई	

1	2	3
	(3) जलगांव	
	(4) नागपुर	
	(5) परभनी	
	(6) पुणे	
	(7) रत्नागिरि	
	(8) सांगली	
	(9) शोलापुर	
12.	मणिपुर	1
	(1) इम्फाल	
13.	मेघालय	
	(1) शिलांग	
	(2) तुरा	
14.	नागालैंड	1
	(1) कोहिमा	
15.	उड़ीसा	3
	(1) कटक	
	(2) जैसोर	
	(3) सम्बलपुर	
16.	पंजाब	1
	(1) जालन्धर	
17.	राजस्थान	6
	(1) जयपुर	
	(2) अजमेर	
	(3) बीकानेर	
	(4) उदयपुर	
	(5) जोधपुर	
	(6) सूरतगढ़	
18.	सिक्किम	1
	(1) गंगटोक	

1	2	3
19.	तमिलनाडु	5
	(1) कोयम्बतूर	
	(2) मद्रास	
	(3) तिरुचिरापल्ली	
	(4) तिरुनवेल्ली	
	(5) नागरकोइल	
20.	त्रिपुरा	1
	(1) अगरतला	
21.	उत्तर प्रदेश	9
	(1) इलाहाबाद	
	(2) अल्मोड़ा	
	(3) गोरखपुर	
	(4) कानपुर	
	(5) लखनऊ	
	(6) मथुरा	
	(7) नजीबाबाद	
	(8) रामपुर	
	(9) वाराणसी	
22.	पश्चिम बंगाल	3
	(1) कलकत्ता	
	(2) कुर्सियांग	
	(3) सिलीगुड़ी	
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1
	(1) पोर्टब्लेयर	
24.	अरुणाचल प्रदेश	4
	(1) ईटानगर	
	(2) पासीघाट	

1	2	3
	(3) त्वांग	
	(4) तेजू	
25.	चण्डीगढ़	1
	(1) चण्डीगढ़	
26.	दिल्ली	1
	(1) दिल्ली	
27.	गोवा, दमन और द्वीप	
	(1) पणजी	
28.	पांडिचेरी	1
	(1) पांडिचेरी	
29.	मिजोरम	1
	(1) ऐजवाल	
	कुल	92

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड और कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों द्वारा नियुक्त वेतन समिति

2973. **श्री हरिहर सोरन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय न्यासी बोर्ड और कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों द्वारा नियुक्त वेतन समिति को अधीक्षकों के वेतनमान में असंगति को दूर करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या वेतन समिति अधीक्षक के पद को अनुभाग अधिकारी का पद नाम देने और उनके वेतनमानों को केन्द्रीय सरकार और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बराबर करने का विचार करेगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को, जिनके बारे में सरकार के निर्णयों की घोषणा कर दी गई है, पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए एक वेतन समिति गठित की गई है जो उपयुक्त संशोधित वेतनमानों को अपनाने में यदि कोई असंगतियां हुई हैं उन्हें दूर करने के प्रश्न तथा अन्य संगत मामलों की जांच करेगी ।

(ख) इस अवस्था पर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

आकाशवाणी के पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन

2974. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का "बेतार जगत" और आकाशवाणी से सम्बन्धित अन्य इसी तरह की पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन पुन: आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) आठ पाक्षिक आकाशवाणी पत्रिकाओं में से चार पत्रिकाएं अर्थात् "आकाशी" (असमिया), "बेतार जगत" (बंगला), "नभोवाणी" (गुजराती) तथा "वाणी" (तेलुगु) बन्द कर दी गई थीं, क्योंकि ये पत्रिकाएं वर्षों से घाटे में चल रही थीं और उनके आत्म निर्भर होने की सम्भावना नहीं थी। इनमें से किसी भी पत्रिका को पुन: शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में कृषि विज्ञान केन्द्र

2975. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने कृषि विज्ञान केन्द्र हैं और उन्हें चलाने वाली एजेन्सियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मुंगेर कृषि विज्ञान केन्द्रों में न तो पर्याप्त संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और न ही वहां बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त केन्द्रों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बिहार में 8 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। इन कृषि विज्ञान केन्द्रों के स्थान और उनसे सम्बन्धित उन्हें चलाने वाले अभिकरण निम्नलिखित हैं :

क्रम संख्या	कृषि विज्ञान केन्द्र के स्थान सहित नाम	कार्यान्वयन अभिकरण
1.	कृषि विज्ञान केन्द्र, मोराबादी, रांची	रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी, रांची
2.	कृषि विज्ञान केन्द्र, सोखोदेवरा, नवादा	ग्राम निर्माण मन्डल सोखोदेवरा आश्रम, सोखोदेवरा, नवादा

1	2	3
3.	कृषि विज्ञान केन्द्र मुंगेर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर
4.	कृषि विज्ञान केन्द्र, बांका, जिला भागलपुर	—वही—
5.	कृषि विज्ञान केन्द्र जगन्नाथपुर, जिला सिंहभूम	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची
6.	कृषि विज्ञान केन्द्र, अगवानपुर जिला, सहरसा	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर (बिहार)
7.	कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, देवगढ़	संथाल पहाड़िया सेवा मण्डल वैद्यनाथ, देवगढ़
8.	कृषि विज्ञान केन्द्र, हजारीबाग	होलीक्रास पोलीटैक्निक, हजारीबाग

(ख) और (ग) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर (बिहार) के अधीन मुंगेर में कृषि विज्ञान केन्द्र का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा है । तथापि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने बारम्बार विश्वविद्यालय के कुलपति से इस मामले में जल्द सुधार लाने के लिए अनुरोध किया है। सौभाग्यवश विश्वविद्यालय से मुंगेर में कृषि विज्ञान केन्द्र की कार्य दशा सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) कृषि विज्ञान केन्द्र के सभी पदों को भरना;

(ii) बिल्डिंग तथा फार्म सहित भौतिक सुविधाओं का विकास; और

(iii) समय से पर्याप्त निधि प्रदान करना ।

राज्यों में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर सम्पत्ति-कर से छूट

2976. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर कभी भी सम्पत्ति कर से छूट दी जाती है जिससे स्थानीय निकायों को पर्याप्त राजस्व नहीं मिल पाता है;

(ख) क्या इस छूट को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई संशोधन पुनः स्थापित किया जाएगा;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 285 के अन्तर्गत सम्पत्ति कर से मुक्त हैं। तथापि, भारत सरकार स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा दी गई विशेष सेवाओं के लिए सेवा प्रभारों का भुगतान करती हैं। केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों/निगमों को इस प्रकार की छूट प्राप्त नहीं हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार का फिलहाल संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिंचाई सम्बन्धी विकास कार्यों में रुकावट

2977. **श्री आर० एस० माने :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समूचे देश में लघु कृषक विकास एजेंसी योजना तथा देश के कुछ भागों में लिफ्ट सिंचाई योजना को समाप्त कर देने से किसान वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं और पश्चिमी महाराष्ट्र जैसे देश के कुछ भागों में सिंचाई सम्बन्धी विकास कार्यों में रुकावट आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देश के ऐसे भागों में जहां इस योजना की अत्यधिक आवश्यकता है, इसे पुनः लागू करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1980 में जब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का देश के सभी खण्डों में विस्तार किया गया तो लघु किसान विकास एजेन्सी कार्यक्रम का समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ विलय कर दिया गया था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत पता लगाए गए लाभार्थी परिवार निजी तौर पर या समूह में लघु सिंचाई सहित कोई भी वह योजना प्रारम्भ करने के लिए स्वतन्त्र हैं जिसके लिए आर्थिक सहायता और ऋण उपलब्ध किराये जाते हैं।

सितम्बर, 1985 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सिंचाई गतिविधियों को और प्रोत्साहित करने के लिए इस समय आर्थिक सहायता पर मुद्रा की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, हालांकि किसी भी मामले में 25 प्रतिशत, 331/3 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत की अधिकतम प्रतिशत सीमा पहले की तरह हैं। इसके अलावा सामुदायिक लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत जहां कमांड क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक भूमिधारक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के छोटे और सीमान्त किसान हैं तथा जिनके पास 25 प्रतिशत से कम भूमि नहीं है, वहां ऐसे मामले में प्रत्येक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवार के लिए आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत होगी। दल के प्रत्येक सदस्य के लिए लागत का विभाजन उनकी भूमि के अनुपात में कमांड क्षेत्र की कुल भूमि के प्रतिशत के रूप में होगा। तथापि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई सहायता प्रत्येक खण्ड में 2 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं तक सीमित होगी।

उपरोक्त के अलावा, कृषि और सहकारिता विभाग ने लघु सिंचाई गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई घटक के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक खण्ड के लिए 3·50 लाख रुपये वार्षिक का प्रावधान किया गया है। आवश्यक ऋण वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया जाता है।

उपयोक्त से मालूम होगा कि सरकार के उक्त दो कार्यक्रम लघु सिंचाई गतिविधियों की व्यवस्था करने के लिए हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रधान अधिकारी के पद पर नियुक्ति

2979. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कीं परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रधान अधिकारी का पद काफी समय से रिक्त पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) यह योग्य वैज्ञानिक की अनुपलब्धता के कारण है।

ट्यूनेशिया में संयुक्त क्षेत्र की फर्टिलाइजर परियोजना की स्थापना

2980. **श्री एच० एन० नंजे गौडा** :

श्री जी० एस० बसवराजू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ट्यूनेशिया उस देश में संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत एक बड़ी उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देश उर्वरक परियोजना को स्थापित करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी दल का गठन करने के लिए सहमत हो गये हैं;

(ग) क्या दोनों देशों के लिए आवश्यक विभिन्न किस्म के उर्वरकों के लिए बहुत से समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) ट्यूनेशिया में फास्फेटिक व पोटेशिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, तथापि, कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

बिहार में गेहूं के हानिकारक बीजों की सप्लाई

2981 श्री थम्पन थामस : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1982 से 1985 के बीच बिहार सरकार को हानिकारक कीट-नाशकों वाले 50,000 क्विंटल गेहूं के बीज बेचे गए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पटना के एक मैजिस्ट्रेट द्वारा निर्धन लोगों को गेहूं की बिक्री की अदालती जांच किए जाने से इस तथ्य का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्र की जा रही है। प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

फसल बीमा योजना का मूल्यांकन

2982. श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने मी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए फसल बीमा योजना मूल्यांकन से पता चला है कि फसल बीमा कार्यक्रम से निर्धन तथा छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है, जिनकी देश में जनसंख्या अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फसल बीमा कार्यक्रम को अधिक सार्थक बनाने के लिए क्या सुधार करने के सुझाव दिए गए हैं;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए फसल बीमा योजना के किसी भी मूल्यांकन की जानकारी नहीं है। वर्तमान वृहत् फसल बीमा योजना, खरीफ 1985 के मौसम से देश में क्रियान्वित की जा रही है और इसके फायदे और नुकसान के बारे में इस समय कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। संकेतों के अनुसार इस योजना से काफी हद तक खेती करने वाला समुदाय लाभान्वित हुआ है।

कपास की खेती के अधीन भूमि के क्षेत्रफल को कम करना

2983. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास के प्रचुर भंडार को दृष्टि में रखते हुए देश में कपास की खेती के अधीन भूमि के क्षेत्रफल को कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कपास की खेती के स्थान पर अन्य फसलों की खेती किए जाने से बचने के लिए तथा कपास के अतिरिक्त भंडार की बिक्री करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भारत सरकार ने कपास उगाने वाले मुख्य राज्यों को कपास के बदले तिलहन और दलहन उगाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की है। लेकिन, फसल बदलने के बारे में कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए। कपास के फालतू स्टाक के निपटान के लिए एक दीर्घकालीन निर्यात नीति की घोषणा की गई है जिसके अन्तर्गत तीन वर्ष के लिए कपास की छह लाख गांठें निर्यात की जायेंगी। साथ ही, भारतीय कपास निगम ने देश में कपास की खपत बढ़ाने के लिए बिक्री की संशोधित शर्तें अपनायी हैं।

[हिन्दी]

भूमिहीन कृषि मजदूर

2984. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में भूमिहीन कृषि मजदूरों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषि मजदूरों की संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : भूमिहीन कृषि, मजदूरों की संख्या 1981 की जनगणना के अनुसार उपलब्ध नहीं है। तथापि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के ब्यौरे सहित कृषि मजदूरों की राज्यवार कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

संख्या लाख में

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कृषि मजदूरों की संख्या	अनुसूचित जातियों के कृषि मजदूरों की संख्या	अनुसूचित जनजातियों के कृषि मजदूरों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	83.2	27.3	6.9
2.	बिहार	73.8	26.9	5.0
3.	गुजरात	24.9	3.2	7.9
4.	हरियाणा	5.9	3.7	—
5.	हिमाचल प्रदेश	0.4	0.2	नगण्य

1	2	3	4	5
6.	जम्मू और कश्मीर	0.6	0.1	नगण्य
7.	कर्नाटक	36.6	10.6	3.2
8.	केरल	19.2	5.4	0.6
9.	मध्य प्रदेश	48.6	11.5	17.4
10.	महाराष्ट्र	64.7	8.4	12.2
11.	मणिपुर	0.3	नगण्य	नगण्य
12.	मेघालय	0.6	नगण्य	0·5
13.	उड़ीसा	24.0	6.7	8.5
14.	पंजाब	10.9	7.9	—
15.	राजस्थान	7.6	3.2	1.3
16.	तमिलनाडु	60.4	25.6	0.9
17.	त्रिपुरा	1.6	0.3	0.6
18.	उत्तर प्रदेश	51.8	26.0	—
19.	पश्चिम बंगाल	38.9	15.1	6.2
20.	अन्य	1.2	0.4	0.1
	अखिल भारत*	555·0	182·5	71·7

* असम, जहां 1981 की गणना के समय में गड़बड़ी की स्थिति फैलने के कारण जनगणना नहीं हुई थी, शामिल नहीं है।

टिप्पणी : जो व्यक्ति नकद, जिंस अथवा फसल की भागीदारी में मजदूरी के लिए अन्य व्यक्ति की जमीन में कार्य करता था, एक कृषि मजदूर के रूप में समझा जाता था। इस प्रकार के व्यक्ति को खेती करने में कोई जोखिम नहीं था परन्तु मजदूरी के लिए ही अन्य व्यक्तियों की जमीन पर कार्य करता था। एक कृषि मजदूर को, जिस भूमि पर वह काम करता था, पर कोई पट्टे अथवा इकरारनामे का कोई अधिकार नहीं था।

स्रोत : जनगणना 1981

[अनुवाद]

दूरदर्शन के लिए स्वीकृति किए गए पद

2985. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :**

श्री मुरलीधर माने : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के लिए अतिरिक्त महानिदेशक और उप-महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नये पदों की स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या अन्य संवर्गों में भी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है; और

(ग) उसके कारण तथा औचित्य क्या हैं और क्या इससे दूरदर्शन के कार्यकरण और कार्य निष्पादन में सुधार होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां। दूरदर्शन के मुख्यालय में प्रशासन, वित्त तथा प्रशिक्षण स्कन्धों को सुदृढ़ करने के लिए अपर महानिदेशक का एक पद तथा उपमहानिदेशक के तीन पद, सहायक अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों के साथ, सृजित किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) अपने कार्य संचालन तथा निष्पादन में सुधार करने की सतत् बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूरदर्शन अपने संगठन को पुनर्गठित, अपरिवर्तित तथा विस्तृत करने का प्रयत्न करता है ताकि विषयवस्तु तथा गुणवत्ता में और सुधार हो सकें।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि का आवंटन

2986. **श्री एच० ए० डोरा :**

श्री ए० रघुमा रेड्डी :

श्री० सी० सम्बु : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है और लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम-ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) छठी योजना (1980-81 से 1984-85) तथा साथ ही वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियों की निगरानी सृजित रोजगार के श्रम दिनों के आधार पर की जाती है न कि लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर तदनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार सृजित रोजगार भी विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम पर सातवीं योजना का परिव्यय क्रमश: 2358.81 करोड़ रुपये (राज्य अंश सहित) 1287.47 करोड़ रुपये (राज्य अंश सहित) तथा 1743.78 करोड़ रुपये हैं। इनके मुकाबले में सातवीं योजना (1985-86 तथा 1986-87) के प्रथम दो वर्षों के लिए इन कार्यक्रमों के तहत किया गया आवंटन नीचे दिया गया है :

कार्यक्रम	किए गए आवंटन (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के सम्बन्ध में खाद्यान्नों का मूल्य शामिल है)	
	1985-86	1986-87
	(करोड़ रुपये में)	(करोड़ रुपये में)
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	407·36*	54[illegible]·82*
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	337.21*	442.65*
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम	606.33	633.65

* राज्य अंश शामिल है।

विवरण

किया गया व्यय
(लाख रुपये में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छठी योजना	1985-86	1986-87	योग	अवधि जिससे कालम 5 सम्बन्धित है
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	18303·94	4735·80	2506·70	25546·44	सि० 86
2.	असम	3480·17	736·22	501·26	4717·65	अक्तू० 86
3.	बिहार	21918·79	7065·17	3186·38	32170·34	सि० 86
4.	गुजरात	6420·72	1568·00	119·38	9108·10	अक्तू० 86
5.	हरियाणा	1914·91	472·14	259·66	2646-71	अक्तू० 86
6.	हिमाचल प्रदेश	1226·43	290·24	147·27	1663·94	अक्तू० 86
7.	जम्मू और कश्मीर	1303·01	422·37	408·31	2133·69	अक्तू० 86
8.	कर्नाटक	9902·34	3782·59	1112·27	14797·20	सि० 86
9.	केरल	8005·44	1781·88	867·02	10654·34	सि० 86
10.	मध्य प्रदेश	15569·60	3332·19	2232·35	21134·14	अक्तू० 86
11.	महाराष्ट्र	13877·42	3725·28	1301·81	18904·51	सि० 86
12.	मणिपुर	139·15	49·41	79·39	267·95	अक्तू० 86
13.	मेघालय	81·54	59·84	38·81	180·19	अक्तू० 86
14.	नागालैण्ड	292·01	69·45	41·60	403·06	अगस्त 86
15.	उड़ीसा	7824·62	2063·86	1112·06	11000·54	सि० 86
16.	पंजाब	2485·12	757·73	228·96	3471·81	अक्तू० 86
17.	राजस्थान	7532·71	5427·99	2118·68	15079·38	सि० 86
18	सिक्किम	114·77	48·57	32·10	195·44	अक्तू० 86
19.	तमिलनाडु	17319·00	4469·03	2910·66	24698·69	अक्तू० 86
20.	त्रिपुरा	616·60	159·06	56·90	832·56	सि० 86
21.	उत्तर प्रदेश	33021·78	9585·78	4686·56	47294·12	अक्तू० 86
22.	पश्चिम बंगाल	11309·88	2839·42	2427·20	16576·50	अक्तू० 86
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	139·79	41·60	15·41	196·80	सि० 86
24.	अरुणाचल प्रदेश	132·10	32·24	19·67	184·01	अक्तू० 86
25.	चंडीगढ़	17·98	12·47	3·77	34·22	अक्तू० 86
26.	दादर और नगर हवेली	36·91	26·59	4·99	63·40	अक्तू० 86
27.	दिल्ली	13·48	20·53	5·88	38·89	सि० 86
28.	गोआ दमन और द्वीप समूह	154·67	77·60	42·16	274·43	अक्तू० 86
29.	लक्षदीप	48·49	31·97	14·82	95·28	सि० 86
30.	मिजोरम	129·96	34·81	17·29	181·06	अक्तू० 86
31.	पांडिचेरी	97·62	37·54	33·89	169·05	सि० 86
	अखिल भारतीय	183425·95	53756·37	27533·21	264715·53	(Conted)

छठी योजना	1985-86	1986-87	योग	अवधि जिससे कालम 10 सम्बन्धित है
8	9	10	11	12
1853·25	214·48	119·17	2186·90	सितम्बर, 86
262·22	25·77	20·46	308·45	अक्तूबर, 86
1995·67	416·27	159·41	2571·35	सितम्बर, 86
515·58	69·71	53·93	639·22	अक्तूबर, 86
349·80	14·87	8·03	372·60	अक्तूबर, 86
88·23	15·98	9·35	113·56	अक्तूबर, 86
102·90	19·11	12·91	130·92	अक्तूबर, 86
1152·88	201·45	63·13	1417·46	सितम्बर, 86
628·59	81·13	39·40	749·12	अक्तूबर, 86
1809·22	212·82	146·08	2168·12	अक्तूबर: 86
1601·07	250·03	72·05	1923·15	सितम्बर, 86
8 21	2·65	4·51	15·37	अक्तूवर, 86
5·43	3·89	2·08	11·40	अक्तूबर, 86
105·17	2·56	0·95	109·28	अगस्त, 86
983·22	147·83	89·06	1220·11	सितम्बर, 86
102·68	27·34	7·46	137·48	अक्तूबर, 86
568·26	497·86	816·26	1882·38	अक्तूवर, 86
8·65	2·36	1·49	12·50	अक्तूबर, 86
1798·87	298·07	185·53	2282·47	अक्तूबर, 86
122·34	7·12	2·98	132·44	सितम्बर, 86
2238·37	501·90	206·78	2947·05	अक्तूबर, 86
1383·54	13095	120·30	1634·79	अक्तूबर, 96
18·41	2·82	1·21	22·44	सितम्बर, 86
9·68	2·17	1·23	13·08	अक्तूबर, 86
0·74	0·35	0·16	1·25	अक्तूबर, 86
2·78	1·94	0·16	4·88	अक्तूबर, 86
0·40	0·28	0·21	0·89	सितम्बर, 86
10·70	3 79	1·58	16·07	अक्तूबर, 86
3·87	1 66	0·75	6·28	सितम्बर, 86
11·47	1·58	0·70	13·75	अक्तूबर, 86
9·05	2·40	1·73	13·18	सितम्बर, 86
17751 85	3161·04	2149·05	23061·94	

संचार माध्यमों संबंधी आयोजन और कम्प्यूटरों का प्रयोग

2987. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञापन के क्षेत्र में "संचार माध्यमों के संबंध में आयोजन और कम्प्यूटरों के प्रयोग" के बारे में क्या उपाय किये गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (ए० के० पांजा) : "माध्यम आयोजन" को अधिक दक्ष बनाने में सुविधा देने के लिए समाचार पत्रों को जारी किए जाने वाले विज्ञापनों द्वारा लिए जाने वाले स्थान और उन पर होने वाले व्यय के श्रेणी-वार और भाषा-वार विवरण तैयार करने के मामले में कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में नारियल बागानों को पट्टे पर देना

2988. **श्री जी० एस० बसवराजू :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में नारियल बागान गैर सरकारी कम्पनियों को पट्टे पर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटिश शासन के दौरान बागानों की देखभाल सरकार किया करती थी;

(ग) क्या गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा इन नारियल बागानों की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं की जा रही है;

(घ) क्या इन नारियल बागानों की नारियल बोर्ड द्वारा देखभाल करने की मांग की गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव की जांच कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में नारियल के बागान गैर सरकारी कम्पनियों और अलग-अलग व्यक्तियों को पट्टे पर दिए गए हैं । ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन काल में कैदियों की व्यवस्था करने के लिए इन बागानों को कायम रखा था ।

(ग) गैर सरकारी व्यक्तियों/कम्पनियों को पट्टे पर दिए गए नारियल के कुछ बागान उपेक्षित स्थिति में हैं ।

(घ) से (च) : नारियल विकास बोर्ड ने सुझाव दिया है कि इन बागान इकाइयों का प्रबंध बोर्ड को प्रदान किया जाए ताकि, इनका नवीकरण हो सके । इस संबंध में कुछ जानकारी भेजने के लिए बोर्ड से कहा गया है ।

[हिन्दी]

खनिजों पर रायल्टी

2989. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में केन्द्रीय प्रतिष्ठानों पर "खनिज रायल्टी" की धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदोन्नति के अवसर

2990. **श्री पी० आर० कुमर मंगलम :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विजाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं के संवर्ग की कोई संवर्ग पुनरीक्षा की गई है और उसे कार्यान्वित किया गया है;

(ख) संवर्ग पुनरीक्षा और उसके कार्यान्वियन के पश्चात कनिष्ठ अभिन्ताओं की सहायक अभियन्ताओं के ग्रेड में पदोन्नति के बारे में क्या संभावनाएं हैं; और साधारणतया एक कनिष्ठ अभियन्ता को सहायक अभियन्ता के रूप में पदोन्नत होने में कितना समय लगता है; और

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं के 26 वर्ष की अवधि की प्रगतिरोध को कम करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के संवर्ग की एक संवर्ग पुनरीक्षा की गई है। चूंकि पुनरीक्षा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए इस अवस्था में कार्यान्वियन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) चूंकि पुनरीक्षा को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, इसलिए, ये ब्यौरे दर्शाना सम्भव नहीं है कि संवर्ग पुनरीक्षा के पश्चात् जूनियर इन्जीनियरों की पदोन्नति के लिए कितना समय लगेगा, इस समय, सिविल साइड और इलैक्ट्रिकल साइट में जूनियर इन्जीनियर से सहायक इन्जीनियर के पद पर पदोन्नति करने के लिए क्रमश: लगभग 25 वर्ष और 20 वर्ष लगते हैं।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में संवर्ग पुनरीक्षा जूनियर इन्जीनियरों के मध्य प्रगतिरोध को समाप्त करने के लिए ही प्रारम्भ की गई है।

[हिन्दी]

बेगूसराय में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

2991. **प्रो० चन्द्रभानु देवी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेगूसराय में एक पूर्ण सुसज्जित दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : बेगुसराय में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल है। उपकरणों को प्राप्त करने के लिए कारंवाई शुरू कर दी गयी है।

इन्दिरा आवासीय योजना

2992. **श्रीमती पटेल रमाबेन राम जी भाई मावणि** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 के दौरान "इंदिरा आवासीय योजना" के अन्तर्गत समूचे देश में एक करोड़ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत गुजरात और अन्य राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों तथा अन्य वर्ग के लोगों को अब तक आवंटित किए गए आवासों की संख्या कितनी है और अन्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1 जनवरी, 1982 से 30 जून, 1986 की अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिल्ली और गुजरात में एजेंसियों ने कितने आवास बनाये और कितने आवंटित किए ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण हेतु इन्दिरा आवास योजना को सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के भाग के रूप में आरम्भ किया गया है। सातवीं

योजना में एक मिलियन मकानों का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के लिए निधियों का आवंटन वर्ष प्रति वर्ष आधार पर किया जाता है। वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के लिए योजना हेतु कुल 225 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है और अब तक 307 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 313574 रिहायशी इकाइयों को अनुमोदित किया गया है।

(ग) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निधियों के आवंटन और अनुमोदित किए गए मकानों की यूनिटों का राज्य और संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(घ) सूचना संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 31-10-86 तक अनुमोदित मकानों की इकाईयों, संख्या, मूल्य तथा आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवंटित निधियां (रुपये, लाख में)	अनुमोदित की गई यूनिटें
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2172.00	26603
2.	असम	466.00	3000
3.	बिहार	3167.00	39340
4.	गुजरात	730.00	11750
5.	हरियाणा	200.00	3227
6.	हिमाचल प्रदेश	138.00	1462
7.	जम्मू तथा कश्मीर	168.00	2997
8.	कर्नाटक	1042.00	15798
9.	केरल	929.00	17173
10.	मध्य प्रदेश	1758.00	21732
11.	महाराष्ट्र	1782.00	23000
12.	मणिपुर	25.00	160
13.	मेघालय	34.00	230
14.	नागालैंड	25.00	368
15.	उड़ीसा	996.00	7120

1	2	3	4
16.	पंजाब	260.00	3575
17.	राजस्थान	725.00	9741
18.	सिक्किम	18.00	262
19.	तमिलनाडु	1866-00	44852
20.	त्रिपुरा	75.00	1618
21.	उत्तर प्रदेश	3889.00	53518
22.	पश्चिम बंगाल	1707.00	25394
	केन्द्र शासित क्षेत्र		
23.	अंडमान तथा निकोबार दीप समूह	18.00	100
24.	अरुणाचल प्रदेश	18.00	—
25.	चंडीगढ़	5.00	—
26.	दादरा तथा नगर हवेली	9.00	62
27.	दिल्ली	12.00	—
28.	गोवा दमन तथा दीव	25.00	180
29.	लक्षद्वीप	5.00	—
30.	मिजोरम	18.00	203
31.	पांडिचेरी	18.00	111
	अखिल भारत	क 22300.00	313574

क इसमें प्रायोगिक आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए अनुसंधान और विकास के लिए अलग रखी गई 200.00 लाख रुपये शामिल नहीं हैं।

विवरण

1. गुजरात एवं दिल्ली के लिए आवास स्थल एवं निर्माण सहायता कार्यक्रम तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान से संबंधित सूचना ।

गुजरात

वर्ष	आबंटित आवास स्थल (परिवार)	निर्माण सहायता (परिवार)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (रिहाइशी यूनिटें)
1	2	3	4
1982-83	121005	41588	6974
1883-84	84867	43290	6474
1984-85	65118	45156	13380
1985-86	31198	37484	7251
		दिल्ली	
1982-83	2406	—	2131
1983-84	4197	1000	—
1984-85	4608	1000	10327
1985-86	4579	1000	612

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में आवंटित किए गए मकानों की संख्या

1982-83	सामान्य आवास योजना	नया पैटर्न योजना
मध्यम आय वर्ग निम्न	190	32
आय वर्ग	204	107
जनता	कुछ नहीं	140

1983-84	सामान्य आवास योजना	नया पैटर्न योजना
मध्य आय वर्ग	2200	1151
निम्न आय वर्ग	421	2058
जनता	581	1561

1984-85		
मध्यम आय वर्ग	889	72
निम्न आय वर्ग	546	2296
जनता	कुछ नहीं	3495
1985-86 (जून, 1986 तक)		
मध्यम आय वर्ग	1902	7132
निम्न आय वर्ग	1780	5908
जनता	609	5608
	स्व-वित्त योजना	
1982-83	—	1620
1983-84	—	2893
1984-85	—	2142
1985-86	—	5205

[अनुवाद]

केरल के लिए मात्स्यिकी विश्वविद्यालय

2993. **श्री ए० चार्ल्स :**

प्रो० के० वी० थामस : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में एक मात्स्यिकी विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार की ओर से यह अनुरोध किया गया है कि प्रस्तावित मात्स्यिकी विश्वविद्यालय की स्थापना केरल में की जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। फिर भी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने परिषद के एक वर्तमान मछली संस्थान को "डिम्ड-टू-बी" विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना

2994. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने राज्य में तथा देश के अन्य भागों में बार-बार सूखा पड़ने को ध्यान में रखते हुए सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य मंत्रियों के 24 अक्तूबर, 1984 को नई दिल्ली में हुएसम्मेलन में गुजरात के ग्रामीण विकास मन्त्री ने सुझाव दिया था कि वर्तमान नीति का उस सीमा तथा जहां तक सूखा रोकने के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है, गहन विश्लेषण करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूखा से प्रभावित इलाकों के विस्तृत क्षेत्रों को प्रकृति के प्रकोप से बचाने के लिए नई पहल और उपचारात्मक उपाए किए जाएं।

सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का वर्तमान स्वरूप तथा रूप रेखा कार्यदल द्वारा 1982 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर आधारित है। कार्यक्रम का वर्तमान कार्यक्षेत्र भी निर्धारित मानदण्डों, कार्यदल द्वारा की गई, 1984 में अन्तःविभागीय दल द्वारा यथा संशोधित तथा 1985-86 से अमल में लाई गई सिफारिसों पर आधारित है। सातवीं योजना के अन्तर्गत सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए निधियों का आवंटन उपरोक्त रिपोर्टों में निहित नीति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यक्रम के स्वरूप, रूपरेखा तथा कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन करना वांछनीय नहीं समझा गया है।

इसलिए, वर्तमान स्थिति में केन्द्रीय सरकार, जैसाकि गुजरात के ग्रामीण विकास मन्त्री ने सुझाव दिया था, कोई राष्ट्रीय आयोग स्थापित करना आवश्यक नहीं समझती है।

नारियल विकास योजना

2995. श्री पी० कुलनदई वेलू :

श्री पी० ए० एन्टनी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नारियल के विकास सम्बन्धी अनुसंधान कार्य के लिए कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) क्या इसे तमिलनाडु और केरल में कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ग) क्या यह किसानों के लिए अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सफल रही है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) नारियल पर अनुसंधान कार्य केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान के केरल स्थित केन्द्रों तथा तमिलनाडु स्थित अखिल भारतीय ताड़ अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत पहले ही प्रगति पर है। सातवीं योजना के दौरान इसे और भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ग) जी हां, श्रीमान। पिछले दस वर्षों के दौरान तमिलनाडु में उत्पादकता 10048 नारियल प्रति हैक्टर से बढ़कर 10651 नारियल हो गई है। तथापि, इसी अवधि के दौरान केरल में प्रमुखतया मुरझा रोग से हुई क्षति के कारण 4970 नारियल प्रति हैक्टर से घटकर 4910 पाई गई जिसमें मामूली-सी गिरावट थी।

इस्पात क्षेत्र के लिए उच्च प्रौद्योगिकी

2996. डा० बी० वेंकटेश : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई नई नीति सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस्पात के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है;

(ग) क्या विज्ञान सलाहकार समिति की अब तक कोई बैठक हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इन बैठकों में किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए हैं?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) लोहा और इस्पात से सम्बन्धित विज्ञान परामर्शी समिति की अब तक पांच बैठकें हुई हैं। विभिन्न बैठकों में जिन मुख्य-मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था उनमें लोहा बनाने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों नामतः "के० आर०" तथा "इनरेड" प्रक्रियाओं का विकास; आयातित तथा देश में विकसित प्रौद्योगिकियों की सहायता से "सेल" के कारखानों में प्रौद्योगिकीय उन्नयन; कच्चे माल अर्थात् कोयले, कोक, तापसह ईंटों, प्रद्रावकों (फ्लक्स) आदि की क्वालिटी में सुधार; शैक्षिक तथा वैज्ञानिक संस्थाओं आदि के साथ अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों के परस्पर कार्य शामिल हैं। समिति ने अपनी पांचवीं बैठक में यह निर्णय लिया था कि समिति के विचार-विमर्श के आधार पर इस्पात क्षेत्र के लिए प्रमोद क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकीय मिशनों का पता लगाने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की एक समग्र योजना तैयार की जानी चाहिए। इस योजना को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश को छोटे और सीमांत किसानों के लिए आवंटित धन राशि

2997. श्री बी० तुलसीराम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष और चालू योजनावधि के दौरान छोटे तथा सीमांत किसानों की सहायता करने के लिए कितनी धन राशि आवंटित की गई है;

(ख) छोटे और सीमांत किसानों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है;

(ग) क्या जरूरतमन्द किसानों का चयन करने हेतु निर्देश दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस अवधि के दौरान अभी तक इस धनराशि का किस हद तक इस्तेमाल किया गया है और इस सम्बन्ध में कितनी सफलता मिली है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 1986-8' (7-11-1986 तक) के दौरान आन्ध्र प्रदेश को केन्द्र के हिस्से के रूप में 307.75 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। योजना के अन्तर्गत वार्षिक आधार पर अनुदान सहायता का आवंटन किया जाता है।

(ख) और (ग) सभी राज्य सरकारों को छोटे और सीमान्त किसानों का पता लगाने सहित इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों की स्वीकृत परिभाषा को ही इस योजना के अन्तर्गत छोटे और सीमांत किसानों का पता लगाने का मापदण्ड बनाया गया है। योजना की पात्रता निर्धारित आकार के खेतों के स्वामित्व अथवा निर्धारित आकार की जोतों की खेती पर निर्भर करेगी। आय का सामान्य मानदण्ड जैसा कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में रखा गया है, इस योजना पर लागू नहीं होगा। छोटे और सीमान्त किसानों की परिभाषा नीचे दी गई है :

(1) छोटे किसान: जिन किसानों के पास 2 एकड़ या इससे कम भूमि की जोत है, उन्हें छोटे किसान माना जाएगा। ऐसे किसानों को भी जिनके पास एक एकड़ अथवा उससे कम जैसा कि राज्य भूमि सीमा कानून में विनिर्दिष्ट है, प्रथम श्रेणी की सिंचाई वाली भूमि हो, छोटे किसान माना जाएगा। ऐसे मामलों में जहां सिंचित भूमि तो हो किन्तु प्रथम श्रेणी की न हो वहां राज्य सरकार द्वारा 2 हैक्टर भूमि के उपयुक्त रूपान्तरण अनुपात लगाया जा सकता है।

(2) सीमांत किसान एक हैक्टर अथवा उससे कम भूमि का धारक व्यक्ति सीमांत किसान है। प्रथम श्रेणी सिंचित भूमि धारक व्यक्तियों के मामले में यह सीमा 0.50 हैक्टर होगी।

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार, ने यह सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा योजना आरम्भ किए जाने से जून, 1986 के अन्त तक निर्मुक्त 1991.84 लाख रुपयों में से 1737.66 लाख रुपए

का उपयोग किया गया। योजना के प्रचालन से अब तक योजना के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत हुई प्रगति का ब्योरा नीचे दिया गया है :

घटक		जून, 1986 तक की उपलब्धि
(1) लघु सिंचाई		
	(क) निर्मित कुओं/नलकूपों की संख्या	35451
	(ख) प्रतिष्ठापित पम्पसैटों/डीजल इंजिनों/विद्युत् मोटरों की संख्या	37364
(2)	वितरित किए गए बीजों के मिनिकिटों की संख्या (लाख में)	3 28
(3)	भूमि विकास के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (हैक्टर)	12337

राजस्थान के लिए पेयजल आपूर्ति योजनाओं को स्वीकृति

2998. **श्री रामसिंह यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में भयंकर अकाल और सूखे की स्थिति होने के कारण इस वर्ष वहां भारी संख्या में कुओं और नलकूपों में पानी सूख गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान सरकार ने पेयजल आपूर्ति की योजनाएँ वित्तीय स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजी थी;

(ग) क्या अलवर जिले की लगभग 225 पेयजल आपूर्ति योजनाएँ, वित्तीय स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य पर्यावरण इन्जीनियरिंग संगठन सेल में लम्बित पड़ी हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो योजनाओं की स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) राजस्थान सरकार ने सूखे के कारण केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

(ख) जी, हां।

केन्द्रीय प्रायोजित, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए० आर० डब्ल्यू० एस० पी०) के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं राजस्थान सहित सभी राज्यों द्वारा तकनीकी अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

(घ) और (च) जिला अलवर, राजस्थान से सम्बन्धित कोई भी योजनाएं केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संगठन (ग्रामीण जल आपूर्ति), ग्रामीण विकास विभाग के पास लम्बित नहीं है।

एम्पलायमेंट न्यूज का प्रकाशन

2999. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम्पलायमेंट न्यूज की प्रतिमास कितनी प्रतियां प्रकाशित होती है; और

(ख) इन पत्रिकाओं की छपाई पर प्रतिमास कितनी राशि व्यय होती है और इनकी बिक्री से कितनी राशि प्राप्त होती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) 1985-86 के दौरान "एम्पलायमेंट न्यूज" की अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में प्रतिमास औसतन 12,98,350 प्रतियां प्रकाशित की गई।

(ख) 1985-86 के दौरान "एम्पलायमेंट न्यूज" के अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में मुद्रण पर प्रतिमास औसतन 13.52 लाख रुपए खर्च हुए। उसकी तुलना में साप्ताहिकी की बिक्री से प्रतिमास औसतन 16.72 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई।

विकासशील कालोनियों में नालियों का निर्माण

3000. श्री कमलनाथ : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ऐसी कोई नई प्रणाली आरम्भ करने पर विचार कर रहा है, जिससे विकासशील कालोनियों में निर्माण लागत को न्यूनतम रखने के लिए वहां छोटी, मध्यम और बड़ी नालियों के निर्माण की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित होगी;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों के लिए निर्मित मकानों की लागत में कमी

3001. श्री के० एन० प्रधान : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए आवंटित मकानों की लागत घटाने के उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) शहरी क्षेत्रों में, नई तकनीकियों तथा सामग्रियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा प्रयोगात्मक परियोजनायें आरम्भ की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण आवास के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों के उन्नत उपयोग प्रयोग तथा उचित कम लागत की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन के क्षेत्री आवास विकास केन्द्र द्वारा ग्रामीण आवास परियोजनाओं के कम लागत के प्रदर्शन आरम्भ किए जाते हैं। राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन तथा इसके केन्द्र भी निर्माण लागत को कम करने के ध्येय से विशेषकर बड़े पैमाने के आवास कार्यक्रमों, को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों की सहायता कर रहे हैं।

[अनुवाद]

शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

3002. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र का निर्माण का कार्य निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि संयंत्र को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जा सके ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) से (ग) परियोजना के प्रवर्तकों ने शाहजहांपुर स्थित अपनी उर्वरक परियोजना के तीव्र कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। सरकार कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है तथा प्रोमोटरों को समय-समय पर परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयत के लिए सलाह दी गई है।

स्वतन्त्रता सेनानियों के जीवन पर कथा चित्र

3003. **डा० जी० के० आदियोडी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर प्रसारित किए जा रहे "राज से स्वराज" कार्यक्रम के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी पर विशेषतः गांधी जी, नेहरूजी, नेताजी और इसी प्रकार के अन्य महापुरुषों की जीवनी पर और अधिक कलाचित्र बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) ये कार्यक्रम स्वतन्त्रता सेनानियों सहित उन प्रमुख भारतीयों, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अद्वितीय उपलब्धियों द्वारा स्वतन्त्र भारत के निर्माण में सहायता की थी; पर फीचरों को कवर करेंगें। तथापि, ये स्वतंत्र दूरदर्शन कार्यक्रम होंगे और आवश्यक रूप से "राज से स्वराज" की तरह प्रायोजित धारावाहिक नहीं।

अदरक का उत्पादन

3004. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अदरक के लिए समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समर्थन मूल्य योजमा को कार्यान्वियन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने केरल को कितनी सहायत दी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केरल राज्य सरकार ने अपने 20 जून, 1986 के आदेश में 1000 रुपये प्रति क्विटल अदरक का समर्थन मूल्य के रूप में निर्धारण करने के लिए मण्डी में दखल देने की योजनी लागू की है।

(ख) केरल राज्य सरकार ने इस योजना के कार्यान्वियन के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी है।

सामाजिक वानिकी के लिए धनराशि का नियतन

3005. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए नियत धनराशि में से सामाजिक वानिकी के लिए 20 प्रतिशत राशि आवंटित की गई थी लेकिन संशोधित मार्गनिर्देशों के कारण वन विभाग को अब केवल 10 प्रतिशत राशि दी जा रही है और शेष राशि पंचायती राज अथवा जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण को दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी के लिए आवंटनों का 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इसे वर्ष 1985-86 के दौरान 20 प्रतिशत और चालू वर्ष से 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी सहित अन्य कार्यों का निष्पादन पंचायती राज संस्थाओं तथा/या विशिष्ट एजेंसियों/ सम्बन्धित विभागों को शामिल करके किया जा सकता है।

जबकि कुछ राज्य सामाजिक वानिकी के अधिकांश कार्य वन-विभागों की मार्फत करते हैं, अन्यों के मामले में ये कार्य आंशिक रूप से वन विभागों तथा आंशिक रूप से पंचायत राज संस्थानों आदि को शामिल करके निष्पादित किये जाते हैं।

राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

3006. **श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित धनराशि देश में ही जुटाई जा रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसका स्रोत क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) और (ख) सातवीं योजना में राउरकेला इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए 360 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आशा है इस योजनावधि में "सेल" अपनी सभी पूंजीगत योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था आन्तरिक संसाधनों, इस्पात विकास निधि से ऋण तथा उधार लेकर करेगी। "सेल" सरकार से कोई बजट सहायता नहीं लेगी।

दूरदर्शन नैटवर्क का विस्तार

3007. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण राज्यों में, विशेष रूप से तमिलनाडु के मदुरै, कन्याकुमारी जिलों में, दूरदर्शन नैटवर्क का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का, इन जिलों में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) मदुरै और कन्याकुमारी जिलों में दूरदर्शन सेवा कोडैकनाल के उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाले ट्रांसमीटर से उपलब्ध है। तमिलनाडु में रामेश्वरम में उच्च शक्ति वाला एक ट्रांसमीटर और धर्मपुरी, नागरकोइल और कुड्डालोर में अल्प शक्ति (100 वाट) वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें सातवीं योजना में शामिल हैं। सातवीं योजना में मदुरै में दूरदर्शन स्टुडियो केन्द्र स्थापित करने की स्कीम भी शामिल है।

हाल्दिया उर्वरक कारखाने के निर्माण में विलम्ब

3008. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल्दिया उर्वरक कारखाने में उत्पादन कब से शुरू होने की आशा है;

(ख) उस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है, और

(ग) निर्माण कार्य पूरा करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) अनवरत: वाणिज्यक उत्पादन के लिए अभी निश्चित तिथि निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

(ख) सितम्बर, 1986 तक 469·77 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ग) परियोजना के निर्माण में विलम्ब के मुख्य कारण थे, प्रतिकूल भूमि परिस्थिति के कारण सिविल निर्माण कार्य में देशी उपकरणों की आपूर्ति स्रोत में परिवर्तन, कुछ जटिल उपकरणों की आपूर्ति में सप्लायरों द्वारा विलम्ब आदि।

भिलाई इस्पात संयंत्र में दुर्घटना

3009. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 अक्तूबर, 1986 को भिलाई इस्पात संयन्त्र में कामगरों पर एक बहुत बड़ी दीवार के ढह जाने से अनेक कामगार मर गये और अनेक घायल हो गये थे ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) संभवत: यह संकेत दिनांक 18 अक्तूबर 1986 को भिलाई इस्पात कारखाने में हुई दुर्घटना की ओर किया जा रहा है जब इस्पात गलनशाला क्षेत्र में चलाई जा रही फोर्क लिफ्ट एक दीवार से टकरा गई थी। और दीवार ढह गई थी इस दुर्घटना में सात व्यक्ति घायल हुए थे जिनमें से पांच की बाद में मृत्यु हो गई थी।

(ख) और (ग) दुर्घटना के कारण की जांच करने के लिए और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने हेतु उपाय सुझाने के लिए अतिरिक्त महाप्रबन्धक (रखरखाव सेवाएं) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति के निष्कर्ष तथा सिफारिशें नीचे दी गई हैं।

निष्कर्ष

भिलाई इस्पात कारखाने के इस्पात गलनशाला क्षेत्र में हुई दुर्घटना की जांच करने के लिए अतिरिक्त प्रबन्धक (रख रखाव) की अध्यक्षता में गठित समिति के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :

(1) फोर्क लिफ्ट आपरेटर फोर्क लिफ्ट को नियन्त्रित नहीं कर सका।

(2) दीवार का वह भाग जहां से वह ढह गई थी, टक्कर को रोक पाने में पर्याप्त मजबूत नहीं थी।

(3) जो कामगार जख्मी हो गए थे, उनके उस स्थान पर उपस्थित होने की संभावना नहीं थी क्योंकि यह न तो उनके कार्य करने का स्थान था और न ही उनके आराम करने के लिए कोई अधिकृत स्थान था। यह स्थान पिघला हुआ लोहा ले जाने के प्रयोजनार्थ बनी रेल की पटरी के निकट है जहां से तप्त धातु के बिखरने की संभावना रहती है।

सिफारिशें

भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होने देने के लिए समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(1) विवादास्पद शैड में बनी समापक दीवारें (क्लोजिंग वाल्स) गिराई जाएं और अनुमोदित नक्शे के अनुसार इसे पुनः बनाया जाये।

(2) शेड के एक तरफ उपयुक्त निर्माण करके शेड के बाहर अनाधिकृत प्रवेश को स्थायी तौर पर बन्द किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई वहां न जा सके।

(3) प्रत्येक विभाग अनधिकृत स्थाई शेडों के बने रहने की जांच-पड़ताल करे तथा आवश्यक नहीं पाने जाने की स्थिति में उन्हें गिराया जाए। यदि कुछ स्थानों पर शेडों की आवश्यकता हो तो केवल प्रबन्धक की अनुमति से ही तथा अनुमोदित नक्शे के अनुसार ही इन्हें बनाया जाए।

(4) श्रमिकों तथा निरीक्षकों को अनिवार्यतः कड़े अनुदेश दिए जाएं कि काम के प्रारम्भ करने से पूर्व और खाली अथवा ठाली समय के दौरान वे केवल विश्राम गृहों अथवा अन्य अधिकृत स्थानों में ही रहें। ऐसे स्थानों की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए जो असुरक्षित, अगम्य हैं लेकिन ऐसी चीजें बनाने के लिए स्थान उपलब्ध हो सकता है जो अनुमत्य नहीं है। जो व्यक्ति अनधिकृत स्थानों पर जायें, उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

(5) ऐसे स्थानों पर लोगों की उपस्थिति पर रोक लगाने के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपयुक्त इश्तिहार/नोटिस लगाया जाए।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखना

3010. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री अजय मुशरान :

श्री नारायण चौबे : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय निधि के उपयोग पर निगरानी तेज करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या किन्हीं अन्य राज्यों में इस तरह की निगरानी रखी जाती है ;

(ग) यदि नहीं, तो पश्चिम बंगाल में ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) से (घ) सरकार पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों में ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय निधियों के उपयोग की नियमित रूप से निगरानी कर रही है । यह निगरानी आवधिक रिपोर्टों, क्षेत्रीय निरीक्षणों तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्शों के माध्यम से की जाती है । इन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय निधियों की प्रत्येक किश्त का बंटन इस शर्त के आधार पर किया जाता है कि पहले निर्मुक्त की गई निधियों का उचित उपयोग किया गया है । इसके अलावा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए यादृच्छिक नमूना आधार पर मासिक समवर्ती मूल्यांकन आरम्भ किया गया है ।

पान की खेती में सुधार

3011. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पान की खेती और पान उगाने में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने पान के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू किया है ;

(ग) क्या सरकार ने पान उत्पादकों के लिए कोई लाभकारी मूल्य निर्धारित किया है,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(च) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) पान के विकास और इसकी खेती में सुधार करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों सहित विभिन्न उपाय किए गए हैं । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :—(1) खेती और सिंचाई दोनों की ही सुविधाओं के लिए सरकारी समितियों के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उत्पादकों के लिए ऋण की व्यवस्था । (2) सहकारी समितियों और अन्य डीलरों के माध्यम से पौध संरक्षण रसायनों और उर्वरकों की सप्लाई और (3) रोगों के नियन्त्रण के लिए व्यावहारिक उपाय ढूंढने, कृषि तकनीकों के सुधार और उन्नत किस्मों के चयन के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को लागू किया जाना ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सरकार सभी कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित नहीं करती।

(च) राज्य सरकारें उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के वास्ते पान के उत्पादन और विपणन में सहायता प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा, अधिक उत्पादन और उत्पादकों की अधिक आमदनी के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पान सम्बन्धी रोगों के नियन्त्रण पर अनुसंधान के लिए एक योजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर भोजपुरी फिल्मों का दिखाया जाना

3012, **श्री राजकुमार राय :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान दूरदर्शन पर भोजपुरी और अन्य भाषाओं की कितनी फिल्मों का प्रसारण किया गया ;

(ख) क्या सरकार का विचार हर महीने में कम से कम एक बार रविवार को या किसी अन्य दिन को भोजपुरी फिल्म दिखाने का है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) 1985-86 के दौरान हिन्दी की 127 फीचर फिल्में तथा अन्य भारतीय भाषाओं की 70 फीचर फिल्में, जिनमें भोजपुरी की दो फिल्में भी शामिल हैं, दूरदर्शन पर टेलीकास्ट की गई थीं।

(ख) से (घ) दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर बारी-बारी से टेलीकास्ट करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं की केवल राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सर्वोत्तम फिल्में तथा 1985 तथा उत्तरवर्ती वर्षों में भारतीय मनोरमा में दिखाई गई फिल्मों पर ही विचार किया जाता है। यदि निर्माताओं और अधिकारधारकों द्वारा उपर्युक्त मानदंड पूरा करने वाली भोजपुरी फिल्मों को टेलीकास्ट किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाए तो राष्ट्रीय टेलीकास्ट के लिए अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के साथ इन फिल्मों पर भी विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

केरल में उर्वरकों की खपत

3013. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उर्वरकों की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय औसत खपत कितनी है; और

(ग) प्रति व्यक्ति खपत को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1981 में की गई जनसंख्या संगणना के आधार पर 1981-82 के दौरान उर्वरकों (एन + पी$_2$ओ$_5$ + के$_2$ओ) की केरल में और देश में प्रति व्यक्ति खपत क्रमशः 3·73 और 8 86 किलोग्राम थी।

1981-82 के दौरान उर्वरकों की केरल में और देश में प्रति हेक्टर खपत क्रमशः 30 62 और 31.25 किलोग्राम थी। 1985-86 के दौरान यह बढ़कर केरल के लिए 49·83 किलोग्राम प्रति हेक्टर और देश के लिए 50·61 किलोग्राम प्रति हैक्टर हो गई।

(ग) खपत को बढ़ाने के लिए उठाये गये कदम नीचे दिये गए हैं।

1. स्वदेशी उत्पादन और आयात के माध्यम से उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
2. चुनिन्दा जिलों में, जहां खपत की सम्भाव्यता है और इस समय खपत कम है, एक गहन उर्वरक संवर्धन अभियान शुरू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत शामिल जिलों की संख्या 1981 में 67 से बढ़ाकर अब 104 कर दी गई है :
3. उर्वरकों का वितरण समूचे देश में ब्लाक स्तर तक सरकारी खर्च पर किया जाता है, जबकि अब तक रेल के गन्तव्य स्थान तक किया जाता था।
4. 15-8-1981 से वितरक एजेन्सियों का वितरण मार्जिन लगभग 22 प्रतिशत बढ़ाया गया था। 20-5-1983 से इसे और बढ़ाया गया है।
5. उर्वरकों सहित कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए राज्यों को अल्पावधि ऋण की मात्रा 1979 80 में 136 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1980-81 और 1981-82 में 200 करोड़ रुपये, 1982 83 में 250 करोड़ रुपये और 1983-84, 1984-85 1985-86 तथा 1986-87 में 260 करोड़ रुपये कर दी गई है।
6. उर्वरकों की खपत के केन्द्रों के नजदीक उर्वरक की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, बिक्री केन्द्रों की संख्या 30-11-1981 को 1·11 लाख से बढ़ाकर 31-3.1985 तक 1·56 लाख कर दी गई थी।

भुवनेश्वर में दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करना

3013. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दूरदर्शन स्टूडियो की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भुवनेश्वर में एक पूर्णतः सज्जित दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) कटक में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र 1974 से कार्य कर रहा है।

(ख) से (घ) भुवनेश्वर में उपग्रह अपलिंक सुविधाओं के साथ एक पूर्ण रूपेण दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने की स्कीम अनुमोदित हो चुकी हैं। स्टूडियो केन्द्र के लिए स्थान लिया जा चुका है और भवन के निर्माण के लिए टेंडर आमन्त्रित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देर से प्राप्त होने वाले उपकरणों के लिए आर्डर निर्माताओं को भेज दिए गए हैं।

सूखा प्रवण क्षेत्र घोषित करने के मानदंड

3015. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस वर्ष कम वर्षा होने को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार दिल्ली को सूखा प्रवण क्षेत्र घोषित करने पर विचार कर रही है;

(ख) किसी क्षेत्र को सूखा प्रवण घोषित करने के मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या इन मानदंडों को समूचे देश में समान रूप से लागू किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) से (घ) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०) का मौजूदा कवरेज, 1984 में अन्तर्विभागीय दल द्वारा यथा संशोधित, 1982 में कार्यदल द्वारा निर्धारित किए मानदण्डों और सिफारिशों पर आधारित है तथा इसे 1985-86 से लागू किया गया है। कवरेज निर्धारित करने में कुछ प्रशासनिक पहलुओं के अलावा क्षेत्रों की वर्षा एवं सिंचाई का स्तर भी काफी महत्वपूर्ण रहा है और ये मानदंड समग्र देश में लागू किए गए थे।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली को शामिल नहीं किया गया है और इस समय कार्यक्रम के कवरेज को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें दिल्ली को शामिल किया जा सके।

औद्योगिक एककों में श्रमिकों की सुरक्षा

3017. **श्री पी० एम० सईद** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक एककों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए नए उपाय लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या श्रमिकों को स्वास्थ्य के संभावित खतरों से अवगत कराने हेतु शिक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) कारखानों में नियोजित कर्मकारों की औद्योगिक सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य से संबंधित सभी पहलुओं को विनियमित करने के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 एक प्रमुख कानून है। इस अधिनियम को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है। सरकार ने भी राज्य सरकारों, श्रमिकों और नियोजकों के संगठनों को श्रमिकों की सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य के संरक्षण तथा जोखिमों के नियन्त्रण के बारे में एक समन्वित कार्रवाई प्लान का राष्ट्रीय कार्यक्रम परिचालित किया है जिसमें सभी सम्बन्धित पक्षों के विभिन्न दायित्वों का उल्लेख है ताकि औद्योगिक यूनिटों में सुरक्षित कामकाज की दशाओं को सुनिश्चित किया जा सके। कारखाना अधिनियम, 1948 में व्यापक संशोधनों को करने के भी प्रस्ताव हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ साथ, खतरनाक उद्योगों और ऐसे उद्योगों में सुरक्षा प्रबन्ध में कर्मकारों की सहभागिता से संबंधित विशेष उपबंध होंगे।

केन्द्रीय श्रम संस्थान, बम्बई और कलकत्ता, कानपुर तथा मद्रास में तीन क्षेत्रीय श्रमसंस्थान व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उचित कार्य पद्धतियों के बारे में श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को शिक्षित करने और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को समय-समय पर आयोजित करते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि का दुरुपयोग

3018. **श्री मुरलीधर माने** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में कर्मचारी भविष्य निधि दुरुपयोग के कितने मामले आए हैं;

(ख) इन मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 31-3-86 की स्थिति के अनुसार 8593 छूट न प्राप्त और 139 छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान भविष्य निधि अंशदानों की अदायगी करने के बकायादार थे। इनमें से कुछ बकायादारों की ओर बकाया राशि में कर्मचारियों की मजदूरी से काटी गई लेकिन जमा न की गई, कर्मचारी के अंशदान के हिस्से की राशि शामिल है जिससे दुर्विनियोग का अपराध बनता है।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने विगत तीन वर्षों के दौरान, कर्मचारियों के अंशदान के हिस्से की राशि जमा न करने वाले नियोजकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन 2835 शिकायतें दर्ज की थीं।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे कर्मचारियों के अंशदान के हिस्से की अदायगी न करने के मामलों की बारीकी से मानिटरिंग करें और बकाया होने के प्रत्येक मामले में पुलिस प्राधिकारियों के पास शिकायतें दर्ज करें। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट का सम्बन्ध बनाए रखें ताकि जिन नियोजकों के खिलाफ प्रत्यक्षतः मामले बन गए हों उनके खिलाफ तुरन्त जांच-पड़ताल कराने और आरोप-पत्र दायर करने की कारवाही सुनिश्चित हो सके।

इस्पात का अनबिका भंडार

3019. **श्री श्रीहरि राव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात का कितने मूल्य का अनबिका भंडार पड़ा है और अनबिके भंडार में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस्पात का उत्पादन सुनिश्चित करने तथा इसके अनबिके भंडार में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : (क) 1-10-1986 की स्थिति के अनुसार "सेल" में लगभग 444 करोड़ रुपये मूल्य का विक्रय इस्पात का लगभग 7·57 लाख टन स्टाक था। इस स्टाक को इष्टतम स्तर का स्टाक कहा जा सकता है और यह स्टाक असामान्यतः अधिक नहीं है।

(ख) 'सेल' के कारखानों के उत्पादन को इष्टतम करने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

1. बेहतर क्वालिटी तथा अपेक्षित मात्रा में आदानों विशेषतः आयात किए गए राख की कम मात्रा वाले कोककर कोयले सहित कोककर कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।

2. निजी बिजली उत्पादन को श्रेष्ठ बनाकर उसमें वृद्धि करना।

3. उपस्करों का सुव्यवस्थित ढंग से रख-रखाव।

4. प्रौद्योगिकीय मानकों का कड़ाई से अनुपालन।

5. कार्य का बेहतर माहौल बनाना, जिसमें मुख्यतया बेहतर सामूहिक कार्य और उच्च स्तर के अनुशासन पर ध्यान देना।

6. आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन।

7. उत्पादकता तथा कुशलता में सुधार लाने के लिए अनुसंधान और विकास सम्बन्धी प्रयास।

अन्य उपायों के साथ-साथ बिक्री में वृद्धि करने के लिए "सेल" द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

—विशिष्ट समयावधि में वचनबद्ध सुपुर्दगियों के लिए आश्वासन देकर ग्राहकों के साथ सतत सम्पर्क।

—चयनात्मक ऋण सुविधा।

– आसानी से न बिकने वाले स्टाक की बिक्री में वृद्धि करने के लिए तात्कालिक तथा प्रगतिशील दोनों प्रकार का एकमुश्त सौदा।

—टेंडरों के द्वारा दोषयुक्त तथा क्षति ग्रस्त माल तथा पुराने और आसानी से न बिकने वाले स्टाक की बिक्री की अनुमति।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों में वृद्धि

3020. **श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खाद्य और कृषि संगठन में भारत के प्रतिनिधि डा० ई० वोज्युजेवस्की की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में अनेक सिफारिशें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां। भारत और भूटान में खाद्य और कृषि संगठन के प्रतिनिधि डाक्टर ई० वोजाजीव्सकी द्वारा दिए गए साक्षात्कार पर आधारित प्रेस रिपोर्ट की एक प्रति सभापटल पर रखी जाती है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3382 ए० 186]**

(ग) सरकार रिपोर्ट में दिये गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है। भारत में हरित क्रांति, कृषि संबंधी अनुसंधान के नतीजों के प्रयोग के माध्यम से लायी गई है। विस्तार कार्यक्रमों में उत्पादकता बढ़ाने की उन्नत पद्धतियों के उपयोग में किसानों को शिक्षा देने पर अधिक बल दिया जा रहा है।

सूरतगढ़ के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की प्रसारण क्षेत्र क्षमता

3021. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सूरतगढ़ दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षेत्र क्षमता में वृद्धि किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : जी, नहीं।

[अनुवाद)

नई कीटनाशी दवाइयों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करना

3022. **श्री अजय मुशरान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में नई कीटनाशी दवाइयों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्तात हुआ है,

(ख) यदि हां, तो प्रयोगशालाएं किन-किन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी, और

(ग) क्या सरकार का इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जबलपुर, मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय का मुख्यालय हैं, जबलपुर में प्रयोगशालाएं खोलने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी नहीं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा नई कीटनाशी दवाइयों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए चंडीगढ़, बम्बई, कानपुर, हैदराबाद तथा कलकत्ता में पांच क्षेत्रीय कीटनाशी दवाइयों के परीक्षण-प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक योजना पहले ही मंजूर कर दी है। कानपुर स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की क्षेत्रीय कीटनाशी दवाइयों की परीक्षण प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश की आवश्यकता को भी पूरी करेगी।

हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती के कर्मचारी

3023. **श्री कुंवर राम :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी द्वारा हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती को अपना अंशदान बन्द किए जाने से इन एजेंसियों के कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है जिन्हें आकाशवाणी द्वारा अपना अंशदान बन्द किए जाने के पश्चात प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया/यू० एन० आई० द्वारा नियुक्त कर लिया गया है; और

(ग) शेष कर्मचारियों को नौकरी में रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) दिल्ली प्रशासन से 17-3-86 को प्राप्त सूचना के अनुसार, बेरोजगार हुए कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है : समाचार भारती-119, हिन्दुस्तान समाचार-60।

(ख) और (ग) प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया और यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया दोनों ने 52-52 कर्मचारियों को अपने यहां रोजगार दिया है। इस तरह से रोजगार देने की प्रक्रिया जारी है।

रासायनिक उर्वरकों का मूल्य

3024. श्री गदाधर साहा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक रासायनिक उर्वरकों का वर्षवार प्रतिटन मूल्य क्या रहा है; और

(ख) वर्ष 1984 से 1986 तक मूल्य वृद्धि के कारण वर्षवार कुल कितनी अतिरिक्त राशि एकत्र हुई;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1984-85 से 1986-87 के दौरान विभिन्न रासायनिक उर्वरकों का प्रति मीटरी टन मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 1984-86 की अवधि के दौरान, रासायनिक उर्वरकों के मूल्य 31 जनवरी, 1986 से बढ़े जिसके कारण 1985-86 में देशी उर्वरकों में 22·27 करोड़ रुपए और आयातित उर्वरकों में 12 करोड़ रुपए के धनराशि की सहायता की अदायगी में कमी हुई।

उर्वरक के उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि होने से हमेशा राजसहायता सम्बन्धी निवल भार में कमी नहीं होती क्योंकि यह उर्वरकों के उत्पादन, आयातित उर्वरकों की लागत और किसी विशेष वर्ष में देश में सम्पूर्ण खपत पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा प्रदान की गई राज्य सहायता की वर्ष वार धनराशि संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण I

सांविधिक मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत मुख्य उर्वरकों की खुदरा कीमतें दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े रुपए प्रति मीटरी टन में)

क्रम सं०	उर्वरक का नाम	29-6-83 से कीमत	31-1-1986 से कीमत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	यूरिया (46% एन)	2150	2350
2.	अमोनियम सल्फेट (20% एन)	1500 —	1650
3.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (25%)	1550 —	1700
4.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (26%)	1615*	1770
5.	म्यूरिएट आफ पोटाश (60% के)	1200	1300
6.	सल्फेट आफ पोटाश (50% के)	1950	2100

1	2	3	4
7.	डाइ-अमोनियम फास्फेट (18-46-0)	3350	3600
8.	एन पी के (17-17-17)	2400	2600
9.	एन पी के (15-15-15)	1950	2100
10.	एन पी के (19-19-19)	2750	2950
11.	अमोनियम फास्फेट सल्फेट (20-20-0)	2400	2600
12.	नाइट्रो-फास्फेट (20-20-0)	2200	2400
13.	अमोनियम फास्फेट सल्फेट (16-20-0)	2150	2300
14.	यूरिया अमोनियम फास्फेट (24 24-0)	2800	3050
15.	यूरिया अमोनियम फास्फेट (28-28-0)	3350	3600
16.	एन पी के (14-28-14)	2800	3050
17.	एन पी के (14-35-14)	3150	3400
18.	एन पी के (10-26-26)	2750	2950
19.	एन पी के (12-32-16)	3000	3250
20.	ट्रिपल सुपर फास्फेट (46% पी) (ग्रेनुलर)	2400	2600
21.	ट्रिपल सुपर फास्फेट (पाउडर)	2200	2400
22.	सिंगल सुपर फास्फेट (पाउडर) (14% पी2 ओ5)	750	820
23.	सिंगल सुपर फास्फेट (पाउडर) (16% पी2 ओ5)	850	950
24.	सिंगल सुपर फास्फेट ग्रेनुलर) (16% पी2 ओ5)	1000	1100
25.	अमोनियम क्लोराइड (25% एन)	1500	1700
26.	एन्हाइड्रोअस अमोनिया	3500	3770

* 7-9-84 से लागू कीमत

—19-4-1985 से सांविधिक मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत लाया गया।

—21-8-1984 से सांविधिक मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत लाया गया।

टिप्पणी—उपरोक्त कीमतों में अधिकतम खुदरा कीमतें दर्शाई गई हैं, जिनमें बिक्री कर और अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं।

विवरण II

पिछले पांच वर्षों के दौरान उर्वरकों पर दी गई राज सहायता की राशि

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	स्वदेशी उर्वरकों पर राज सहायता	आयातित उर्वरकों पर राज सहायता	कुल
1981-82	275·00	100·22	375·22
1982-83	550·00	55·36	605·36
1983-84	900·00	141·83	1041·83
1984-85	1200.00	727·31	1927·31
1985-86 (अनुमानित)	1600·00	323·00	1923·00

महानगरों में गन्दी बस्तियों की समस्या

3025. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1984 और 1985 की तुलना में वर्ष 1886 (अब तक) के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से जाकर शहरी क्षेत्रों में बसने वाले लोगों की प्रतिशतता के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों की प्रतिशतता में वृद्धि होने के कारण बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास आदि जैसे महानगरों में गंदी बस्तियों में जनसंख्या में किस हद तक वृद्धि हुई हैं; और

(घ) इसके परिणाम स्वरूप शहरी आवास की आवश्यकता में किस हद तक वृद्धि हुई है और देश में बढ़ती हुई गंदी बस्तियों की समस्या का समाधान करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों ने वर्ष 1984-1985 या 1986 के दौरान कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ।

शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की राज्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत सरकार मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं देकर विद्यमान मलिन बस्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाना चाहती है । इसके साथ-साथ छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत

छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों का विकास करके महानगरों में मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि पर रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बिड़ला समूह द्वारा इस्पात और अल्युमिनियम कम्पनी स्थापित करना

3026. **श्री राम भगत पासवान** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिड़ला समूह को 1986 के दौरान इस्पात और अल्युमीनियम के कारखाने स्थापित करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दिये जाने से सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

इस्पात का उत्पादन

3027. **श्री नारायण चौबे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में इस्पात का उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) अप्रैल सितम्बर, 1986 के दौरान "सेल" के इस्पात कारखानों में विक्रय इस्पात के लक्ष्य तथा उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

	लक्ष्य	वास्तविक
भिलाई इस्पात कारखाना	1222	901·9
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	338	282·3
राउरकेला इस्पात कारखाना	590	488·7
बोकारो इस्पात कारखाना	1029	622·2
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०	246	2·8·4
"सेल" ग्रुप :	3425	2533·5

मुख्य रूप से उत्पादन में कमी निम्नलिखित कारणों से हुई है :

1. दामोदर घाटी निगम से मिलने वाली सप्लाई पर कड़े प्रतिबन्ध ।

2. बेहतर संगठनात्मक तथा प्रौद्योगिकीय अनुशासन लाने के लिए अपनाई गई परिवर्तित कार्य-प्रणालियों में समायोजन की समस्याएं ।

3. जुलाई, 1986 में हुई दुर्घटना के कारण टर्बो कैम्प्रेसर को हुई क्षति के कारण बोकारो में आक्सीजन की कमी ।

4. बोकारो के नए निजी विद्युत संयंत्र में जुलाई, 1986 में लगी आग, जिससे इकाई नं० I ने काम करना बन्द कर दिया ।

5. सितम्बर, 1986 के दौरान भिलाई की धमन भट्टी नं० 6 में खराबी, जिससे इस भट्टी में 19 दिन तक काम बन्द रहा ।

पत्रकारों को सरकारी आवास

3028. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के जाने-माने पत्रकार सरकारी आवास पाने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो पत्रकारों के पास कितने सरकारी मकान हैं; और

(ग) क्या इस हकदारी को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 110 सरकारी मकान कब्जे में हैं।

(ग) जी, नहीं ।

अशोक विहार में स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का निर्माण

3029. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अशोक विहार (फेज-IV) में स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत श्रेणी 2 और 3 के कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया है और अब तक कितने पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन किया गया है;

(ख) उक्त श्रेणियों में, दिनांक 24 जनवरी, 1986 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित सरकारी नोटिस के अनुसार, फ्लैटों के लिए मिनी ड्रा न निकालने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन फ्लैटों के आवंटन से पहले सरकार का पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले प्रभावों में कोई परिवर्तन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अशोक विहार, चरण IV में श्रेणी के 324 तथा श्रेणी-III के 81 फ्लैट निर्माणाधीन हैं। श्रेणी-II के 299 तथा श्रेणी-III के 81 फ्लैटों का आवंटन कर दिया गया है। श्रेणी-II के 25 फ्लैटों की पेशकश शालीमार बाग, पीतमपुरा पाकेट-I तथा पूर्वी मुखर्जी नगर के आबंटियों को की गई है क्योंकि इन स्थानों पर फ्लैटों का निर्माण नहीं किया गया है। परन्तु अशोक विहार के किसी भी आवंटी को वंचित नहीं किया गया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यथा घोषित लघु ड्रा नहीं निकाला जा सका क्योंकि समय के अनुसार ये फ्लैट जून, 86 में तैयार नहीं किये जा सके क्योंकि दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान की ओर से विद्युतीकरण के कार्यनिष्पादन में विलम्ब हुआ।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक इन फ्लैटों की अन्तिम लागत नहीं निकाली है।

दूरदर्शन के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

3030. **श्री पी० ए० एन्टनी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अथवा उनके विरुद्ध आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन के 41 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कारंवाही शुरू की गई है जिनमें से 2 सेवा निवृत हो गए हैं और एक इस समय आकाशवाणी में है। दूरदर्शन के एक अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

दिल्ली में सहकारी ग्रुप हाउसिंग समितियों का कार्यकरण

3031. **श्री कमल चौधरी :** क्या शहरी विकास मन्त्री दिल्ली में सहकारी ग्रुप हाउसिंग समितियों के कार्यकरण के बारे में 4 अगस्त, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2374 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालय में कितनी सहकारी ग्रुप हाउसिंग समितियां पंजीकृत हैं;

(ख) क्या उन ग्रुप हाउसिंग समितियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्होंने 30 जून, 1986 तक तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के संशोधित नियम, 62 के अनुसार चुनाव नहीं कराए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी समितियों का ब्योरा क्या है और इस संबंध में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या कुछ ऐसी समितियां हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों अर्थात् 1984-1985 और 1986 के दौरान वार्षिक आम बैठक नहीं बुलाई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 200

(ख) जी, हाँ।

(ग) ब्योरे सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3304/86]

(घ) जी, हां।

(ङ) इन समितियों के नाम सभा पर रखे गए विवरण II में दिए गए हैं [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3304/86**] दिल्ली सहकारी समितियों के पंजीकार ने सहकारी समिति अधिनियम की धारा 30 (1) के अन्तर्गत समिमितियों को चुनाव कराने हेतु मार्ग पत्र जारी करने आरम्भ कर दिए हैं। समितियों की आम सभाओं की बैठकों/चुनाओं के—प्रबोधन हेतु उप-पंजीकार की निगरानी में एक चुनाव कक्ष भी स्थापित किया गया है।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियम) अधिनियम 1976 के उद्देश्य की प्राप्ति

3032. **श्री मुरली देवरा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियम) अधिनियम, 1976 शहरी क्षेत्रों में मकानों की कीमतों को कम करने ताकि उनकी खरीद जन सामान्य के लिए सहज हो, के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई नया प्रस्ताव तैयार किया है; और

(ग) पिछले दशक में कमजोर वर्गों के आवास के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत कितनी भूमि अर्जित की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियम) अधिनियम, 1976 के उद्देश्य ये हैं; नगर सगटनों में रिक्त भूमि पर अधिकतम सीमा लगाना, अधिकतम सीमा से अधिक भूमि को अर्जित करना, ऐसी भूमि पर भवनों के निर्माण को विनियमित करना, शहरी भूमि को कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में एकत्रित होने से रोकना और उसमें सट्टेबाजी तथा मुनाफाखोरी को रोकना, और जन साधारण की भलाई के लिए नगर संघटनों में भूमि का समान वितरण करना। इस अधिनियम ने आंशिक रूप से अपने उद्देश्य प्राप्त किए हैं।

(ख) इस संबंध में सरकार का फिलहाल कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों इत्यादि ने अब तक 16,533,97 हैक्टेयर रिक्त भूमि अर्जित की है।

नकद भुगतान श्रेणी योजना के अन्तर्गत फ्लैटों के लिए निर्धारित की गई कीमतें

3033. श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित विशेष योजना के अन्तर्गत नकद भुगतान और किराया खरीद के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में फ्लैटों के लिए कितनी कीमत निर्धारित की गई थी;

(ख) क्या न्यू पैटर्न स्कीम 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों के लिए कुछ प्राथमिकता सूचियां तैयार की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्राथमिकता सूचियों का ब्यौरा क्या है और इन सूचियों की बिक्री न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जिस बिक्री कीमत पर लाभभोगियों को रिहायशी एकक आवंटित किए जाते हैं, वह दिल्ली विकास प्राधिकरण को पड़ने वाली वास्तविक लागत पर आधारित होती हैं जो कि कुर्सी क्षेत्रफल तथा डिजाइन इत्यादि के मुताबिक भिन्न-भिन्न होती हैं। हाल ही में तैयार किए गए मकानों की बिक्री कीमत निश्चित की गई है और यह नकद तथा किराया खरीद दोनों के आधार पर मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के लिए 87,200 रु० से 1,75,600/-रु० तक, निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के लिए 52,100/-रु० से 1,18,200 रु० तक तथा जनत फ्लैटों के लिए 35,100 से 42,100 रुपये तक हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) कम्प्यूटराइज्ड नम्बरों के आधार पर सूची बनाई जाती है और मूल वरीयता स्थितियों को कम्प्यूटराइज्ड नम्बरों में बनाये रखा जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस सूची को कीमत शुदा प्रकाशन बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

विभिन्न फसलों का उत्पादन

3034. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में धान तिलहन, मूंगफली, दाल, चना, गन्ना, कपास तथा पटसन की अलग-अलग कितनी मात्रा में पैदावार हुई ;

(ख) इनमें से प्रत्येक उत्पाद का क्या मूल्य है; और

(ग) इन फसलों की खेती के लिए राज्य वार कितने एकड़ भूमि का उपयोग किया गया ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में 1984-85 और 1985-86 में विशिष्ट फसलों के उत्पादन को दर्शाने वाली सारणी अनुबंध (सारणी 1 से 8) में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3305/86**]

(ख) फसल वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान औसत मासिक थोक मूल्य सूचकांक दर्शाने वाली सारणी अनुबंध सारणी 9 में दी गई है।

(ग) विशिष्ट फसलों की खेती के लिए प्रयुक्त राज्य वार एकड़ भूमि पर आंकड़े अनुबंध सारणी 1 से 8 में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी 3305/86**]

[अनुवाद]

संयुक्त पूंजी प्राईवेट और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धनराशि

3035. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान कितने नियोक्ता भविष्य निधि के अपने अंशदान की अदायगी करने में असफल रहे;

(ख) उनमें से कितनी संयुक्त पूंजी वाली प्राईवेट और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की संख्या कितनी है; और

(ग) भविष्य निधि अंशदान की अदायगी न करने पर कितनी कम्पनियों पर मुकदमें चलाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31-3-85 को 8765 छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों की ओर भविष्य निधि अंशदान की राशि बकाया थी।

(ख) संयुक्त पूंजी वाली प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के बारे में अलग से रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है और इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) उल्लिखित कंपनियों के संबंध में सूचना अलग से संकलित नहीं की जाती है। तथापि, वर्ष 1984-85 के दौरान, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की अदायगी न करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अधीन 5446 अभियोजन चलाए थे और कर्मचारी की मजदूरी से काटे गए कर्मचारियों के अंशदान के हिस्से को जमा न करने के लिए नियोक्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन 832 मामले न्यायालयों में दायर किए गए।

"पेस्टीसाइड्स किलर्स आफ ह्यूमन टू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3036. **श्री कमला प्रसाद सिंह** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 नवम्बर, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "पेस्टीसाइड्स किलर्स आफ ह्यूमन टू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कीटनाशकों से अत्यधिक और लम्बे समय से चली आ रही विषाक्तता और पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) कीटनाशकों के कारण विषाक्तता से गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) उल्लिखित रिपोर्ट ने बी एच सी और डी डी टी के अवशेषों और अन्य कृमिनाशी दवाओं की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया है।

नीति के तौर पर किसी भी कृमिनाशी का तब तक उपयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि पंजीकरण समिति नामक विशेषज्ञों का एक निकाय इसकी जांच करके इसके उपयोग की अनुमति नहीं दे देता। फिर भी जब इन कृमिनाशी दवाओं के उपयोग की अनुमति दे दी जाती है तो भी इन्हें सुरक्षा के संबंध में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उपयोग में लाया जाना जरूरी है। कृमिनाशी दवाओं के पैकेटों के साथ सांविधिक रूप से इश्तहार लगाना होता है जिसमें इसके उपयोग संबंधी निर्देश; सुरक्षा संबंधी सावधानियों और विष हर विवरण आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। समुचित अध्ययन के पश्चात् इसके लिए प्रतीक्षा की अवधि भी निर्धारित की जाती है।

2. हरी सब्जियों और फलों में अवशेषों के संचयन की घटना, जैसा कि उल्लेख किया गया है, इसके लिए प्रतीक्षा की अवधि से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों को अनुपालन नहीं करने के कारण हो सकता है।

3. ऐसी आकस्मिकताओं को दूर करने के लिए उन वनस्पति संरक्षण कार्मिकों, जो विस्तार कार्य में कार्यरत हैं, और किसानों के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जा रहा है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सरकारी संस्थाओं में और कीटनाशी विनिमाताओं द्वारा भी आयोजित किया जाता है।

जहां तक डी डी टी और बी एच सी का संबंध है, इन्हें व्यापक अध्ययन के लिए और भविष्य में में उनके निरन्तर उपयोग के बारे में सिफारिश करने के लिए डा० एस० एन० बनर्जी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति को भेजा गया। इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसकी सिफारिशों पर निर्णय सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रख कर जांच कर लेने के पश्चात् ही किया जाएगा।

(ग) राज्य सरकारी को कहा गया है कि वे ऐसी रिपोर्टों को बनाने के उत्तरदायित्व में लगे कार्मिकों के बारे में उन्हें अधिसूचित करें, जिन्हें इन मामलों को पंजीकरण समिति/केन्द्रीय कृमिनाशी बोर्ड को भेजना होता है।

सचिवालय ने गत् तीन वर्षों में निम्न रिपोर्टे प्राप्त की हैं:

1984 – शून्य

1985—इतफाक से ऐलूमिनियम फास्फाईड के खाने के कारण हरियाणा में एक मौत हुई।

1986—आत्म हत्या के प्रयोजन से कीटनाशी दवा खाने कारण पंजाब में दो मौतें हुई।

—खाद्य तेल के साथ क्लोरफाइरीफास के सम्मिश्रण के कारण गुजरात में छः मौतें हुई।

दूरदर्शन द्वारा प्रातःकाली ट्रांसमीशन

3037. **श्री शांताराम नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का प्रातःकालीन ट्रांसमीशन आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रातःकालीन कार्यक्रमों का स्वरूप और अवधि क्या होगी; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रातःकालीन प्रेषण की अवधि प्रातः 7 बजे से लगभग 60 मिनट अपेक्षित की गई थी; तथापि, फार्मेट, अवधि, आदि के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पहाड़ी क्षेत्रों के सुदूरवर्ती हिस्सों में दूरदर्शन प्रसारण सुविधाएं प्रदान करने करने के लिए माइक्रोवेव टेक्नोलाजी का इस्तेमाल

3038. **श्री हुसैन दलवई** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पहाड़ी क्षेत्रों के सुदूरवर्ती हिस्सों में दूरदर्शन प्रसारण सुविधाएं प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर माइक्रोवेव टेक्नोलाजी का इस्तेमाल करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) दूरदर्शन की मांग पर दूरसंचार विभाग द्वारा उपलब्ध किए गए माइक्रोवेव लिंको का दूरदर्शन कार्यक्रमों को रिले करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूरदर्शन की सातवीं योजना में इस प्रकार के और अधिक सर्किटों का प्रावधान सम्मिलित है तथापि दूरदर्शन द्वारा प्रयुक्त की जा रही टी० वी० सिगनलों के प्रेषण की उपग्रह प्रणाली विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अधिक लागत प्रभावी है। पहाड़ी क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने के लिए कार्यक्रमों को रिले करने के लिए उपग्रह प्रणाली का उपयोग करके बड़ी संख्या में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला और अति अल्पशक्ति (2×10 वाट) के टी० वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना करने की स्कीमें सातवीं योजना में शामिल है।

गुजरात में सूखा

3039. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में मानसून के न आने से सूखे की अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है और पेयजल का गम्भीर अभाव बना हुआ है;

(ख) क्या अपर्याप्त वर्षा के कारण गुजरात में खरीफ की फसल नहीं हो सकी है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने सूखे और पानी के अभाव की स्थिति का सामना करने हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है, यदि हां, तो कितनी मांग की गई और राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(घ) निरन्तर दो वर्षों में सूखे की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार राज्य की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए वहां किसी दल को भेज रही है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में कहा है कि 1986 के दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान अनियमित वर्षा और लम्बी अवधि तक वर्षा नहीं होने के कारण राज्य के कुछ भागों में सूखे की स्थितियां बनती जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में खरीफ फसलों का आंशिक नुकसान भी हुआ है।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार से इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता की मांग संबंधी कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। स्थिति का ब्यौरा देते हुए और इससे निपटने के लिए निधि की जरूरत के सम्बन्ध में राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने के बाद ही केन्द्रीय दल भेजा जाता है।

आंध्र प्रदेश में काला ग्रेनाइट खानों को उपयोग में लाना

3040. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में काले ग्रेनाइट के अनुमानतः कितने स्रोत हैं ?

(ख) काले ग्रेनाइट की कितनी खानें हैं; और

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में पाये गए काले ग्रेनाइट का विदेशों को निर्यात करने के लिए पूरी तरह दोहन करने हेतु सहायता देने के लिए कोई नये प्रस्ताव है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) आंध्र प्रदेश में काले ग्रेनाइट के स्रोत चित्तूर, कुरनूल, वारंगल, अनन्तपुर, खम्माम, गुन्टूर, नेल्लौर और प्रकाशम जिलों में हैं।

(ख) काले ग्रेनाइट खानों की संख्या 330 है।

(ग) राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशों में कार्य कर रहे हैं भारतीय कामगार

3041. **प्रो० रहीम खां** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय कामगारों के व्यवसाय वार तथा देशवार सांख्यकीय आंकड़े रखे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका देशवार और व्यवसाय वार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1985 के लिए देश-वार और व्यवसाय-वार सांख्यिकीय आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम	व्यवसाय का नाम	कर्मकारों की संख्या
1.	बढ़ई	15,059
2.	मिस्त्री	15,227
3.	मजदूर	53,278
4.	ड्राइवर	8,763
5.	दर्जी	4,791
6.	मैकेनिक	3,772
7.	तकनीशियन	2,605
8.	बिजली-मिस्त्री	4,634

1	2	3
9.	पलम्बर	2,650
10.	स्टील फिक्सर	3,368
11.	पेंटर	2,678
12.	फिटर	3,047
13.	अस्पताल स्टाफ	1,205
14.	आपरेटर	2,336
15.	रसोइये	3,269
16.	वेल्डर	1,651
17.	सेल्समैन	3,372
18.	हाउसमेड/हाउसमैन	2,232
19.	आफिस स्टाफ	2,168
20.	इन्जीनियर्स	537
21.	फोरमैन	420
22.	अन्य	25,973
	कुल :	1,63,035

वर्ष 1985 के दौरान देश-वार उत्प्रवास अनुमति को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	देश का नाम	भेजे गए कर्मकारों की संख्या
1.	बहरीन	11,246
2.	इराक	5,855
3.	जोर्डन	159
4.	साऊदी अरेबिया	68,938
5.	लीबिया	2,449
6.	ओमान	37,806
7,	वाई० ए० आर०/पी० डी० आर० वाई०	2,090
8.	कतार	5,214
9.	कुवैत	5,512
10.	यूनाइटिड अरब अमीरात	21,286
11.	सिंगापुर	201
12.	अलजीरिया	503
13.	अन्य	1,776
	कुल :	1,63,035

पत्रकारों द्वारा जानकारी का स्रोत प्रकट किया जाना

3042. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "आल इंडिया न्यूज पेपर एडिटर्स कांफ्रेंस" की महासभा की भोपाल में हुई बैठक में एक संकल्प के द्वारा यह मांग की गई थी कि पत्रकारों को उनकी जानकारी का स्रोत प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) मामले की द्वितीय प्रेस आयोग द्वारा गहराई से जांच की गई थी उसकी यह राय थी कि पत्रकारों को सूचना के अपने स्रोतों को प्रकट करने के लिए पूर्ण विमुक्ति नहीं है। सरकार ने इस सिफारिश को नोट कर लिया है।

उर्वरकों के विपणन के लिए कोई केन्द्रीय संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव

3043. डा० बी० एल० शैलेश : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी और आयातित उर्वरकों के विपणन के लिए कोई केन्द्रीय संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित कार्यदल ने इस कारोबार को संभालनें के लिए एक निगम की स्थापना करने का सुझाव दिया है,

(ख) यदि हां तो इससे बिक्री मूल्य में कितनी कमी आयेगी।

(ग) क्या प्रस्तावित निगम की कार्यप्रणाली तैयार कर ली गई है, यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) इस पर कितना पूंजी परिव्यय होगा, और

(ङ) प्रस्तावित निगम को स्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) से (ङ) कार्यकारी दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित करना

3044. श्री मोहन भाई पटेल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के प्रधान कार्यालय तथा इसकी विभिन्न यूनिटों में मासिक तथा मस्टर रोल के आधार पर नैमित्तिक कामगारों के रूप में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है तथा वे कब से सेवा में लगे हैं ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को नैमित्तिक माना जाता है यद्यपि उन्होंने बिना किसी व्यवधान के 2 से 3 वर्षों से भी अधिक समय से नियमित रूप से कार्य किया है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को 20 दिन की मजदूरी सहित छुट्टी की अनुमति दी जाती है जिसके लिए वे श्रम कानूनों के अधीन पात्र हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन्हें नियमित करने के क्या मानदण्ड हैं और क्या नियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के स्थायी आदेशों जो क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा प्रमाणित है, के अनुसार कर्मचारी एक कलैण्डर वर्ष में 10 दिन की छुट्टी के हकदार हैं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

मानदंड और समय ढांचा

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने विनियमन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियां निर्धारित की हैं :

कार्य स्थापना पर नियुक्ति के लिए 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले दिहाड़ी कर्मचारियों सहित नाम मात्र मस्टर रोल कर्मचारियों पर सामान्यतः एक वर्ष में दो बार अर्थात 31 मार्च और 30 सितम्बर को विचार किया जाता है। इसके अलावा नियमित स्थापना पर नियुक्ति के लिए कार्य स्थापना कर्मचारियों पर भी निम्नलिखित मानदण्डों के अध्यधीन विचार किया जाता है।

तीन वर्ष की निरन्तर सेवा वाले कार्य स्थापना कर्मचारी नियम के नियमित स्थापना में नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र होंगे ।

अथवा

दो वर्ष की निरन्तर सेवा और नाममात्र मस्टर रोल पर दो वर्ष की सेवा रखने वाले कर्मचारी नियमित स्थापन में नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र होंगे ।

अथवा

पांच वर्ष की सेवा के पश्चात् कार्य स्थापना में एक वर्ष की सेवा रखने वाले नाम मात्र मस्टर रोल कर्मचारी नियमित स्थापना में नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र होंगे ।

कर्मचारियों द्वारा, जहां आवश्यक है, ट्रेड टैस्ट और इस प्रयोजनार्थ यथा नियुक्त एक चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार देना अपेक्षित है । तथापि, रिक्तियों की उपलब्धता पर ही पदों को वास्तविक रूप से भरा जाता है ।

मूंगफली का उत्पादन

3045. श्री मोहन भाई पटेल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति यूनिटों की मांग को पूरा करने के लिए मूंगफली के तेल और मूंगफली की मांग प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है,

(ख) क्या यह भी सच है कि मूंगफली का उत्पादन घट रहा है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) मूंगफली उत्पादक राज्यों के नाम क्या हैं और उन राज्यों में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं । वनस्पति के निर्माण के लिए मूंगफली के तेल के उपयोग की अनुमति नहीं हैं ।

(ख) और (ग) मूंगफली का उत्पादन मौसम की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ वर्षानुवर्ष घटता-बढ़ता रहता है ।

(घ) मूंगफली का उत्पादन करने वाले राज्य हैं : आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश । इन राज्यों में एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना चल रही है जिसके अन्तर्गत राज्यों को विभिन्न आदानों जैसे बीज, पौध संरक्षण, फार्म उपस्कर, राइजोबियम कल्चर के उत्पादन आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है । इस परियोजना में खेती की उन्नत पद्धतियों के प्रदर्शन के लिए सहायता का भी प्रावधान है ।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम का निराशाजनक कार्य निष्पादन

3046. डा० सुधीर राय : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के सभी एककों का कार्य निष्पादन बहुत ही निराशाजनक रहा है;

(ख) क्या बरौनी में केवल 25 प्रतिशत, दुर्गापुर में केवल 38 प्रतिशत और नामरूप विस्तार में केवल 44 प्रतिशत क्षमता का उपयोग होता है;

(ग) क्या भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी उर्वरक संयंत्र की क्षमता का उपयोग घट कर केवल 3 प्रतिशत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे निराशाजनक कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं और सरकार का इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है।

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के एककों की क्षमता उपयोगिता के आधार पर, उनके कार्य निष्पादन को संतोषजनक नहीं समझा जा सकता।

(ख) इन एककों की क्षमता उपयोगिता नीचे दी गयी हैं :

एकक का नाम	प्रतिशत क्षमता उपयोगिता 1985-86
बरौनी	61·1
दुर्गापुर	30·4
नामरूप	38·6

(ग) जी, नहीं। यह 1985-86 में 33.3 प्रतिशत थी।

(घ) इन एककों की क्षमता उपयोगिता मुख्यत: उपस्कर की खराबी तथा पावर समस्याओं के कारण कम रही। सिन्दरी में, यह नवम्बर 1985 में सिन्थेसिस गैस कम्प्रेसर में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण हुआ। हाल ही में दुर्गापुर में एक कैपटिव पावर संयंत्र चालू किया गया है। सरकार ने बरौनी तथा नामरूप संयंत्रों के लिए भी केपटिव पावर संयंत्र अनुमोदित किए हैं। खराब उपस्करों की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन के लिए समय-समय पर आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

गुजरात राज्य उर्वरक कंपनी का विस्तार

3047. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य उर्वरक कंपनी उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने संयंत्रों का विस्तार करने की योजना बना रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विस्तार के बाद उर्वरक उत्पादन में लगभग कितनी वृद्धि होने की संभावना है,

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम वाशिंगटन इस परियोजना को आंशिक वित्त पोषण करने के लिए सहमत है, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण नीचे दिये गए हैं :

लाख टन प्रति वर्ष

	अमोनिया	अमोनिया सल्फेट
वर्तमान	3·30	2·28
विस्तार	4·45	1·00
विस्तार पश्चात्	7·75*	3·28

*अमोनिया । एवं अमोनिया 11 संयंत्रों का विभाजन करने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी लिमिटेड (जी० एस० एफ० सी०) ने सूचित किया है कि इन्टरनेशनल फाइनेन्स कार्पोरेशन, वाशिंगटन ने विस्तार परियोजनाओं के लिए वित्त प्रबन्ध करने के लिए सहमति व्यक्त की है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी लि० से सरकार को कोई औपचारिक संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

श्रम कार्यालय, नई दिल्ली में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के विरुद्ध लंबित पड़े मामले

3048. **अमरसिंह राठवा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम मजदूर और कर्मचारी एसोसिएशन ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 प के अन्तर्गत आवेदन दायर किया था और सहायक श्रम आयुक्त दिल्ली के समक्ष हुई इसकी सुनवाई लगभग पांच महीने पहले हो चुकी है;

(ख) क्या यह उपबन्ध केवल गैर-सरकारी नियोजकों पर ही लागू होता है, सरकारी उपक्रमों पर नहीं;

(ग) यदि हां, तो सरकारी निगमों को उक्त जांच उपबंधों के अन्तर्गत लाने के क्या कारण हैं, जिनके आदर्श नियोजक होने की अपेक्षा की जाती है; और

(घ) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के विरुद्ध दिल्ली के श्रम कार्यालय में कितने मामले लम्बित पड़े हैं और वे कितने समय से लम्बित पड़े हैं;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री दलबीर सिंह : (क) जी हां।

(ख) यह सही नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) दिल्ली स्थित श्रम कार्यालय में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के विरुद्ध 2 से 3 महीने की अवधि के बीच के 8 मामले निलम्बित पड़े हुए हैं।

भारतीय अल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के मजदूरों के साथ समझौता

3049. **श्री आनन्द पाठक :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 फरवरी, 1986 को भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में मजदूरों की मजदूरी और सेवा शर्तों के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) कम्पनी के कोरबा संयंत्र और अन्य स्थानों पर स्थित विभिन्न कार्यालयों के कामगारों के बारे में प्रतिनिधियों/मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ 17-2-1986 को एक मजदूरी समझौता हुआ था। इस समझौते से 6772 कामगार और गैर-कार्यचालक लाभान्वित हुए हैं। इसमें कम से कम 105 रु० के उपपन्न लाभ एवं प्रत्येक प्रकरण में संशोधित मजदूरीमान की दो वेतन वृद्धियों के बराबर राशि को मिलाकर परिलब्धियों में 127 रु० से लेकर 226 रु० तक की मासिक वृद्धि का प्रावधान है। इसके द्वारा परिवहन इमदाद 10 रु० मासिक से बदलकर वास्तविक हाजिरी के लिए 1-45 रु० दैनिक, कोरबा संयंत्र के कर्मचारियों को रात्रि पारी भत्ता 1 रु० प्रति पारी से बढ़ाकर 2 रु० प्रति पारी; यथा देय धुलाई भत्ता 9 रु०, 10 रु० और 15 रु० प्रति माह से बढ़ाकर क्रमशः 15 रु०, 17 रु० और 25 रु० प्रतिमाह कर दिया गया है। इसमें छुट्टी यात्रा अनुदान लाभ, इकतरफा अधिकतम 1500 किलोमीटर के लिए तथा अधिकतम चार वयस्क टिकटों के लिए, पात्र श्रेणी (प्रथम श्रेणी के ऊपर नहीं) के रेल किराए के 75% की दर से नकद प्राप्त करने, स्थानीय यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति 50 रु० की बजाए 100 रु० मासिक तथा खान भत्ता 37 रु० की बजाए 69 रु० और 46 रु० की बजाए 86 रु० मासिक देने का प्रावधान है। मजदूरी संशोधन और अन्य अनुषंगी लाभों का समग्र वित्तीय प्रभाव 1-4-1985 की प्रभावी तारीख से कुल वर्तमान मजदूरी बिल के 14·5% के बराबर होने का अनुमान लगाया गया था।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3050. **श्री आनन्द पाठक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक बड़े कस्बे अथवा शहर में वर्ष 1980 से 1985 के दौरान, वर्ष-वार और वर्ष 1986 के पहले नौ महीनों में कामकाजी श्रेणी के लिए (1960 को आधार वर्ष मानते हुए) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें 1980 से 1985 तक और 1986 के प्रथम आठ महीनों के लिए 50 केन्द्रों का वर्षवार औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) दर्शाया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3306/86] सितम्बर 1986 माह के लिए आंकड़े एकत्र किए जाएंगे और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में नारियल का पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाना

3051. **श्री सनतकुमार मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीपसमूह में अन्य आहार उपलब्ध न होने के कारण सूअरों के आहार के रूप में 4 से 6 की दर से नारियल उपयोग किए जा रहे हैं,

(ख) द्वीपसमूह में सुअरों की संख्या कितनी है, और

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं कि क्या निकोबार द्वीपसमूह में किसी वैकल्पिक पशु आहार की व्यवस्था की जा सकती है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) तक : अन्डमान तथा निकोबार प्रशासन से जानकारी मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के कामगारों के लिए बने स्थायी आदेश में संशोधन

3052. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के कामगारों और कर्मचारी संघ ने स्थायी आदेश को मई, 1985 से लागू करने के संबंध में संशोधन करने के लिए आवेदत किया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन संशोधनों के कब तक किये जाने की संभावना है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : यह मामला श्रम मंत्रालय/क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कानपुर के पास लम्बित पड़ा हुआ है।

राष्ट्रीय भवन निर्मान निगम के बी० पी० टी० कार्य का आवंटन

3053. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम का बी० पी० टी० कार्य युगोस्लाविया की मैसर्स पी० आई० एम० (एक सरकारी कम्पनी) को देने के निदेशक मण्डल के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड के मैसर्स क्रिश्चियन एण्ड वेल्जस को दिए जाने के तथ्यों की जांच करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक और नौवहन महानिदेशक की एक समिति नियुक्ति की है;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, यदि हां, तो कब और उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के किसी कर्मचारी या किन्हीं कर्मचारियों को कोई जिम्मेवार ठहराया गया है; यदि हां, तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक और नौवहन के महानिदेशक की एक समिति की अन्य बातों के साथ-साथ बूचर द्वीपसमूह में आयल जेटी के निर्माण से संबंधित कार्य अर्थात बी० पी० टी० कार्य की जांच करने की इस उद्देश्य से नियुक्ति की गई थी कि क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी ने ठेकेदारों अर्थात मैसर्ज क्रिश्चियन एन्ड नैलसन का अनुचित पक्ष लिया था या निगम को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई थी। समिति ने 29 जनवरी, 1986 को इन तथ्यों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी कि निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने निदेशक मंडल के समक्ष सभी संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए थे तथा मैसर्ज क्रिश्चियन एण्ड नेलशन को निर्माण सहयोगी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय उचित था तथा ठेकेदार को कार्य का अवार्ड करने में निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी ने कोई अनुचित पक्ष नहीं लिया था।

उड़ीसा में श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना लागू करना

3054. **श्री राधा कांत डिगाल :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना लागू नहीं की गई; और

(ख) उड़ीसा के अन्य जिलों में यह बीमा योजना लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) "श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना" नाम की कोई योजना लागू नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड में रोजगार देना

3055. **श्री राधाकांत डिगाल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने उड़ीसा में गन्धमार्दन के निकट अपने परिसर में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया है;

(ख) उनमें से स्थानीय क्षेत्रों से कितने कर्मचारी हैं;

(ग) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बाल्को) की गंधमर्दन बाक्साइट परियोजना में इस समय कुल 95 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 43 व्यक्ति नव भर्ती के हैं और शेष कंपनी की अमरकंटक/कोरबा परियोजनाओं से स्थानांतरित होकर आए हैं। नवभर्ती वाले 43 कर्मचारियों में से 41 कर्मचारी स्थानीय हैं तथा 3 कर्मचारी अनुसूचित जातियों के हैं। स्थानीय रूप से भर्ती व्यक्तियों में से कोई भी अनुसूचित जनजाति का नहीं है। परन्तु गंधमर्दन परियोजना में कुल कर्मचारियों में से 7 कर्मचारी अनुसूचित जनजातियों के हैं।

शहरी आवास जल-आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए परिव्यय

3056. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शहरी आवास, शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता और अन्य शहरी विकास कार्यक्रम हेतु सरकारी क्षेत्र के लिए आवंटित कुल परिव्यय का प्रतिशत कितना है;

(ख) शहरी आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता और अन्य विकास कार्यक्रमों हेतु अलग-अलग आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन बड़े शहरों की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने की दृष्टि से नए शहरी क्षेत्रों का विकास करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) शहरी आवास—1.05%

शहरी जलपूर्ति तथा स्वच्छता—1.62%

अन्य शहरी विकास कार्यक्रम - 1.00%

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) शहरी जनसंख्या के सन्तुलित वितरण और महानगरों की वृद्धि को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना लागू की गई थी जिसे सातवीं योजना में भी जारी रखा गया है। 1979-85 की अवधि के दौरान 235 कस्बों को इस योजना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया था और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 63·57 करोड़ रुपये की सहायता रिलीज की गई थी। इस योजना के लिए सातवीं योजना परिव्यय 88 करोड़ रुपये है और सातवीं योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 102 और कस्बों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

विवरण

शहरी आवास, जलपूर्ति, स्वच्छता तथा अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए
राशि के वितरण का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	योजना/कार्यक्रम	सातवीं योजना का परिव्यय
1	2	3
	शहरी आवास :	
	(क) राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	
1.	सामाजिक तथा विभागीय आवास योजनाएं	1,276·02
2.	पुलिस आवास योजना	315 42
	(ख) केन्द्रीय क्षेत्र आदि	
	हुडको एन० बी० ओ की सहायता से सम्बन्धित केन्द्रीय क्षेत्र में कुल 289·87 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह राशि शहरी तथा ग्रामीण आवास के लिए समान गतिविधियों के लिए है।	
3.	आवास तथा नगर निगम विकास	60·00
4.	राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन	4·00
5.	हिन्दुस्तान प्रिफैब लि०	2·00
6.	सामान्य पूल कार्यालय तथा रिहायशी वास	165·00
7.	बागवानी श्रमिक आवास	2·00
8.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	3·00
9.	गोदी कर्मचारी आवास	0·21
10.	के० लो० वि० प्रशिक्षण संस्थान	1·66
11	राष्ट्रीय आवास बैंक	50·00
12.	बेघरों को घर देने का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2·00

जलपूर्ति तथा स्वच्छता		
	राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों की योजना	
	शहरी जलपूर्ति तथा स्वच्छता	2935·64
	केन्द्रीय योजना	
	अन्य कार्यक्रम	35·61
शहरी विकास कार्यक्रम		
क. राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र		
1.	मलिन बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	269·55
2.	छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों का एकीकृत विकास तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित शहरी विकास कार्यक्रम	1069 15
3.	कलकत्ता महानगर विकास क्षेत्र तथा राज्य राजधानी परियोजनाए	294·58
ख. केन्द्रीय क्षेत्र		
4.	छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों का एकीकृत विकास	88·00
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	35·00
6	अनुसंधान तथा विकास	2·01
7.	विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी का विकास	1·50
8.	कलकत्ता में खटलों को हटाना	1·50
9.	शहरी सामुदायिक विकास	5 00
10.	राष्ट्रीय शहरी अर्थ संरचनात्मक विकास वित्त निगम	35·00

कर्नाटक को पशुधन शिविर और चारा बैंक के लिए केन्द्रीय सहायता

3057. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने पशुधन शिविर और चारा बैंकों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है, और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 और 1986-87 में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूखे के संबंध में कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए ज्ञापन में, राज्य सरकार ने गोपशु-शिविर की स्थापना करने के साथ विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत चारे की आपूर्ति और पशुचिकित्सा की सुविधा के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी थी। गोपशु संरक्षण, पशुचिकित्सा की सुविधा और चारे की आपूर्ति तथा परिवहन के लिए 1985-86 और 1986-87 प्रत्येक वर्ष के लिए 3.75 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की गई है। इसमें गोपशु शिविरों का संगठन शामिल है।

कर्नाटक में सूखा प्रवण क्षेत्र

3058 **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में कौन-कौन से क्षेत्र सूखा प्रवण हैं;

(ख) क्या सरकार का कर्नाटक के सूखा प्रवण क्षेत्रों में सूखे पर काबू पाने के लिए कुछ दीर्घावधिक उपाय करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) कर्नाटक के 11 जिलों के 71 खण्डों का राज्य के गम्भीर सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के रूप में पता लगाया गया था तथा इन्हें सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया। ये खण्ड संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) से (घ) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का लक्ष्य प्राकृतिक संतुलन को कायम रखना तथा भूमि, जल, पशुधन तथा मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है ताकि सूखे के प्रभावों को समाप्त किया जा सके तथा आधारभूत ढांचे के विकास के लिए समन्वित क्षेत्र दृष्टिकोण से आय में होने वाले उतार-चढ़ाव को कम किया जा सके। भूमि तथा नमी संरक्षण, सतही तथा भूमिगत जल का उत्पादक प्रयोग तथा विकास, वनरोपण तथा चारागाह भूमि विकास आदि कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं जो कि सूखे की सम्भावनाओं को समाप्त करने में सहायता करते हैं। यह कार्यक्रम पूरक किस्म का है तथा अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शिकाएं जारी की गई हैं ताकि इस कार्यक्रम का समन्वय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, के गरीबी निवारण कार्यक्रम, राज्य/केन्द्र की अन्य योजनाओं और साथ ही अभाव राहत के लिए रिलीज की गई निधियों के साथ भी हो सके।

विवरण

छठी योजना के दौरान कर्नाटक राज्य में सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए खण्डों की सूची

जिले का नाम	खण्ड का नाम
1. बिजापुर	1. बदामी
	2. बागलकोट
	3. बेलवाड़ी
	4. बिजापुर
	5. बिलागी
	6. हुनागुंड
	7. इन्दी
	8. जामाखंडी
	9. मुद्देबिहाल
	10. मुधोल
	11. सिंदगी
2. तुम्कूर	1. चिक्कनायक नहाली
	2. कोरटागेरे
	3. मधूगिरि
	4. पावागढ़ा
	5. सिरा
	6. तिप्तूर
3. धारवाड़	1. ब्यादागी
	2. धारवाड़
	3. गोडग
	4. हावेरी
	5. हिरीकरूर
	6. हुबली
	7. कालगहाटगी
	8. कुंडागोल
	9. मुंदारगी
	10. रानेबनूर
	11. रौन
	12. सवानूर
	13. शिगाव
	14. शिराहाट्टी

1	2
4. बैलगांव	1. अथानी
	2. गोकाक
	3. रामदुर्ग
	4. सौंदात्ती
5. कोलार	1. बेगीपल्ली
	2. बंगारपेठ
	3. चिंतामणि
	4. गुडिबन्डा
	2. कोलार
	6. मुलबगल
	7. सिदलागहट्टा
	8. श्री निवासपारा
	9. मालूर
6. बिदर	1. बस्वा कल्याण
	2. संथपुर
	3. हुम्नाबाद
7. चिकमंगलूर	1. कादूर
8. चित्रादुर्ग	1. चल्लाकरो
	2. चित्रादुर्ग
	3. होलाकरी
	4. होसादुर्ग
	5. जगलूर
	6. मोलाकलमूरा
9. गुलबर्गा	1. गुलबर्गा
	2. अफजलपुर
	3. अलाद
	4. चितापुर
	5. सिदम
	6. शाहपुर
	7. शोरापुर
	8. यादिगिरि

1	2
10. बेलरी	1. होब्सागल्ली
	2. हरपंहाली
	3. कुदलीगी
	4. मेलापुरम (एच० बी० हाल्ली)
	5. सन्दूर
11. रायचूर	1. कुस्तागि
	2. लिंगासुगूर
	3. दिओदुर्ग
	4. येलबर्गा

कुल, 71 खण्ड

शीतोष्ण फलों के लिए नया संस्थान

3059. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री फसलों और सब्जियों के उत्पादन के बारे में 6 मई, 1885 के तारांकित प्रश्न संख्या 710 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बागवानी में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक नया शीतोष्ण बागवानी संस्थान और चार राष्ट्रीय केन्द्र स्वीकृत किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के राज्यवार नाम क्या हैं जहां ये संस्थान खोले गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें किस तारीख तक खोल दिए जाने की संभावना है और प्रत्येक मामले में अनुमानित लागत कितनी आयेगी;

(घ) इस समय चल रहे चार केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों, चार अखिल भारत समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं और सात तदर्थ अनुसंधान योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ङ) बागवानी उद्योग के क्षेत्र में समेकित विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और

(च) वर्ष 1886-87, 1987-88 के लिए बागवानी में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए कितना परिव्यय नियत किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) पूर्ववर्ती प्रश्न का संबंध विशेष रूप से फलों और सब्जियों के उत्पादन से था जबकि अब पूछे गए प्रश्न का संबंध संपूर्ण बागवानी से है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सातवीं

योजना के दौरान बागवानी अनुसंधान में बढ़ोतरी करने के लिए प्रस्ताव में दो केन्द्रीय अनुसंधानों, 8 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, एक प्रायोजना निदेशालय और एक समन्वित प्रायोजना की स्थापना सम्मिलित है। नए एककों, सातवीं योजना के प्रस्तावित परिव्यय और उनके स्थान संलग्न विवरण I में दर्शाए गए हैं।

नए प्रस्ताविवए ककों में, जैसाकि अनुबंध में दर्शाया गया है, लखनऊ में संस्थान और तीन राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। शेष के लिए, प्रायोजना प्रस्तावों को विकसित करने और उपयुक्त स्थानों का सुझाव देने हेतु प्रथक "टारक फोर्स" गठित की गई है। प्रत्येक मामले में स्थापना की तिथि जहां पर ये स्थापित होंगे वहां भूमि की उपलब्धता और राज्य सरकार से उसका अधिग्रहण होने पर निर्भर करेगी।

(घ) बागवानी पर केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान :

1. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर।
2. उत्तरी मैदानों के लिए केन्द्रीय सरकार बागवानी संस्थान, लखनऊ।
3. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला।
4. केन्द्रीय कन्दवर्गीय अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम।
5. केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कसारगाड।

निम्नलिखित पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना

1. फल : इसको अब तीन स्वतंत्र प्रायोजनाओं में विभाजित कर दिया गया है— अर्थात्

   I (उप-उष्ण और शीतोष्ण फल;) II (उष्ण फल और) III (शुष्क फल)।

2. कंदवर्गीय फसलें।
3. आलू।
4. सब्जियां।

इनके अतिरिक्त, अन्य बागवानी फसलों पर 8 समन्वित प्रायोजनाएं कार्यरत हैं।

तदर्थ अनुसंधान योजनाएं :

आजकल फलों और सब्जियों पर ग्यारह तदर्थ योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनकी सूची संलग्न विवरण II में दी गई है।

(ङ) बागवानी के विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जैसे कि गुणवत्तापूर्ण बागानी सामग्री का उत्पादन और विरण सब्जियों की सुधरी हुई किस्मों के "मिनी किट्स" का वितरण; सुधरी हुई कृषि तकनीक पर प्रदर्शनों का आयोजन, पौध संरक्षण और फसल कटाई के बाद के संचालनों को लोकप्रिय बनाना आदि। राज्य सरकारें भी राज्य योजना राशियों से बागवानी के विकास हेतु अनेक योजनाओं पर अमल कर रही हैं।

(च) अनुसंधान और विकास हेतु निर्धारित परिव्यय (रुपए लाखों में)

	1986-87 (लगभग)	1987-88 (प्रस्तावित)
अनुसंधान	1096.59	1376.74
विकास	450.00	1094.00
योग :	1546.59	2470 74

विवरण I

क्रम संख्या एककों का नाम	प्रस्तावित परिव्यय (रु० लाखों में)	स्थान
I. केन्द्रीय संस्थान		
1. उत्तरी मैदानों के लिए केन्द्रीय बागवानी संस्थान	175.00	रहमानखेड़ा (उ०प्र०)
2. शीतोष्ण बागवानी पर केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान	50.00	निर्णय होना है।
II. राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र		
1. राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केन्द्र	75 00	नागपुर (म०प्र०)
2. राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र	50.00	निर्णय होना है।
3. शुष्क फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	50.00	निर्णय होमा है।
4. प्याज तथा लहसुन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	50.00	निर्णय होना है।
5. मसाले के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	100.00	कालीकट (केरल)
6. काजू के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	100.00	पूथूर (कर्नाटक)
7. आर्किड के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	30.00	निर्णय होना है।
8. चिकित्सा तथा सुगन्धित पौधों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	50.00	निर्णय होना है।

1	2	3
III. **प्रायोजना निदेशालय**		
वर्तमान अखिल भारतीय समन्वित सब्जी अनुसंधान प्रायोजना को उन्नत करके	144.24	निर्णय होना है।
IV. **समन्वित प्रायोजना**		
बागवानी फसलों के ऊतक पालन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना	40.00	निर्णय होना है।

विवरण II

क्रम सं०	योजना का नाम	स्थान
1.	अर्धरूप में और बिना उपयोग में लाये गए पौधों, विन्सड बीन से संबंधित अनुसंधान	कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
2.	चूर्णी फफूंदी की प्रतिरोधी बीडिंग गार्डन पीज	जबलपुर (मध्य प्रदेश)
3.	कारतोली स्थापित करना (स्वीट गुअंड) यानी **मोमोरडिका डाओइका** एल सब्जी की तरह उगाये जाने वाला	कोसबाद हिल (महाराष्ट्र)
4.	चयन के द्वारा कागजी नींबू का सुधार	राहुड़ी (महाराष्ट्र)
5.	पपीते से क्वालिटी पपेन के उत्पादन के लिए कृषि प्रौद्योगिकी का विकास	राहुड़ी (महाराष्ट्र)
6.	आम की खेती के लिए कृषि तकनीको का विकास	माल्दा (पश्चिम बंगाल)
7.	कोकण क्षेत्र में छोटे फल उगाने के लिए सुधार	डपोली (महाराष्ट्र)
8.	केले की फसल कटाई के बाद की हानियों के नियन्त्रण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास	राहुड़ी (महाराष्ट्र)
9.	ऊतक पालन के माध्यम से फीमूल डेट पाम का तेज प्ररोही संवर्धन	हिसार (हरियाणा)
10.	क्षारीय मृदा दशाओं में इनकी खेती के लिए आंवला (**फिलानथस इमबलिया एल**) बेल (**एइगैल मारमेलोस कोटेआ**) तथा बेर (**जीजीफुस माउरीटियाना लाम**) की कृषि तकनीकों का सर्वेक्षण, एकत्रीकरण, मूल्यांकन और मानकीकरण	फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)
11.	उत्तरी बंगाल में अनन्नास उत्पादन की उच्चतम सीमा में बढ़ाने के लिए जाँच	कल्याण (पश्चिम बंगाल)

पशु चिकित्सा सुविधाएं

3060. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री छठी योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सुविधाओं के बारे में 19 मार्च, 1984 अतारांकित प्रश्न संख्या 3496 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए स्वीकृत किए गए पशु चिकित्सा औषधालयों/अस्पतालों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान इनकी संख्या बढ़ाने की मांग की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वास्तव में कितने अस्पतालों/औषधालयों का आवंटन किया गया था; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि राज्य सरकारें वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान उन्हें आवंटित अस्पताल/औषधालय खोलती है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्यों द्वारा राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के तसत पशु-चिकित्सालयों और पशु-औषधालयों को स्थापित किया जाता है। 1984-85 और 1985-86 के दौरान इस प्रकार के संस्थानों की राज्य-वार प्रस्तावित उपलब्धियों और 1986-87 के लिए उनके निर्धारित लक्ष्यों को प्रदर्षित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य वर्ष के दौरान विद्यमान संसाधन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पशु चिकित्सा अस्पताल			पशु औषधालय		
	प्रत्याशित	उपलब्धियां	लक्ष्य	प्रत्याशित	उपलब्धियां	लक्ष्य
	1984-85	1985-86	1986-87	1984-85	1985-86	1986-87
1. आन्ध्र प्रदेश	251	256	261	1036	1451	1451
2. असम	25	25	25	265	276	882
3. बिहार	62	62	62	962	1056	1122
4. गुजरात	230	250	270	×	×	×
5. हरियाणा	376	406	436	325	365	405
6. हिमाचल प्रदेश	197	209	221	393	419	444

1	2	3	4	5	6	7
7. जम्मू और कश्मीर	14	15	17	498	537	587
8. कर्नाटक	35	35	35	492	492	547
9. केरल (+)	66	66	66	461	476	491
10. मध्य प्रदेश	748	748	748	1331	1331	1366
11. महाराष्ट्र	114	114	114	808	938	1002
12. मणिपुर	45	48	50	83	86	89
13. मेघालय	1	1	2	47	47	48
14. नागालैंड	3	3	4	27	27	27
15. उड़ीसा	57	57	57	456	457	459
16. पंजाब	769	776	786	467	465	480
17. राजस्थान	503	503	503	585	585	585
18. सिक्किम	7	8	8	25	25	25
19. तमिलनाडु	79	79	82	689	699	709
20. त्रिपुरा	5	7	9	45	47	49
21. उत्तर प्रदेश	1363	1485	1544	×	×	×
22. पश्चिम बंगाल	109	114	120	531	551	591
23. अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह	7	7	8	2	2	1
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	73	74	76
25. चंडीगढ़	3	4	4	—	—	—
26. दादर और नगर हवेली	1	1	1	1	1	1
27. दिल्ली	46	46	46	15	15	23
28. गोआ, दमन और दीव	1	1	1	16	18	20
29. लक्षद्वीप	—	—	—	6	7	8
30. मिजोरम	1	1	2	26	28	30
31. पाण्डिचेरी	2	2	3	13	13	13

(+) पहले के अस्पतालों और औषधालयों के ब्यौरे अब प्राप्त हो गए हैं।

× अस्पतालों में शामिल किए गए।

सातवीं योजना में पशु चिकित्सालय खोलना

3061. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार की सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कई पशु औषधालय/पशु चिकित्सालय खोलने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 में राज्यवार ऐसे कितने संस्थान खोले गए हैं और सातवीं योजना के शेष वर्षों के दौरान राज्यवार और कितने संस्थान खोलने का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना में मौजूदा औषधि भंडार केन्द्रों/औषधालयों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें चिकित्सालयों में परिवर्तित करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पूरी योजनावधि में राज्यवार कितने औषधि भंडार केन्द्र औषधालयों को परिवर्तित करने/दर्जा बढ़ाने का विचार है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। राज्य सरकारों ने सातवीं योजना के दौरान पशु औषधालयों तथा पशु चिकित्सालयों को स्थापित करने की योजना बनाई है।

(ख) 1985-86 के दौरान पशु औषधालयों और पशु चिकित्सालयों की स्थापना करने के सम्बन्ध में राज्यवार प्रत्याशित उपलब्धियां और सातवीं योजना (1989-90) के लक्ष्य प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) कुछ मौजूदा स्टाकमेन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर औषधालयों तथा अस्पतालों को चिकित्सालयों का दर्जा देना होगा। नए अस्पतालों तथा औषधालयों की स्थापना करने के लक्ष्यों में इस प्रकार के दर्जा बढ़ाने के कार्य भी शामिल हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पशु चिकित्सालय प्रत्याशित उपलब्धियां 1985-86	सातवीं योजना के लक्ष्य 1989-90	पशु चिकित्सा प्रत्याशित उपलब्धियां 1985-86	औषधालय सातवीं योजना के लक्ष्य 1989-90
1. आन्ध्र प्रदेश	256	308	1451	1497
2. असम	25	25	276	352
3. बिहार	62	84	1056	1300
4. गुजरात	250	242	×	×
5. हरियाणा	406	526	365	461

1	2	3	4	5
6. हिमाचल प्रदेश	209	257	419	550
7. जम्मू और कश्मीर	15	21	543	549
8. कर्नाटक	35	35	492	727
9. केरल	66	66	476	534
10. मध्य प्रदेश	748	789	1331	2121
11. महाराष्ट्र	114	115	938	1708
12. मणिपुर	48	53	86	87
13. मेघालय	1	3	47	52
14. नागालैंड	3	5	27	31
15. उड़ीसा	57	57	457	466
16. पंजाब	776	969	465	367
17. राजस्थान	503	803	585	285
18. सिक्किम	8	10	25	25
19. तमिलनाडु	79	129	699	864
20. त्रिपुरा	7	9	47	65
21. उत्तर प्रदेश	1485	1766	×	×
22. पश्चिम बंगाल	114	139	551	716
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7	8	2	1
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	74	79
25. चंडीगढ़	4	4	—	—
26. दादर और नगर हवेली	1	1	1	1
27. दिल्ली	46	46	15	55
28. गोआ दमन और दीव	1	3	18	24
29. लक्षद्वीप	—	—	7	10
30. मिजोरम	1	3	28	32
31. पांडिचेरी	2	5	13	11

केरल : अस्पतालों और औषधालयों के पहले प्राप्त न हुए ब्योरे अब प्राप्त हो गए हैं ।

× : अस्पतालों में शामिल ।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा तिलहनों के उत्पादन के लिए धनराशि दिया जाना

3062. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने तथा आंध्र प्रदेश के रायल सीमा जिले में तेल मिलों के आधुनिकीकरण/विकास के लिए धनराशि देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि निर्धारित मंजूर की गई है;

(ग) "क्लूजा" और "सीडा" खाद्य तेल परियोजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के पास कुल कितनी राशि उपलब्ध है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को वर्ष वार कितनी राशि का आवंटन किया गया और वास्तव में कितनी राशि दी गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्तावित है कि इस कार्यक्रम को कनाडा के सहकारी संघ (सी० यू० सी०) की सहायता से आन्ध्र प्रदेश के रायाला सीमा क्षेत्र के चुनिन्दा जिलों में चलाया जाये। इस प्रस्ताव का ब्यौरा अभी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा तैयार किया जाना है। लेकिन, इस प्रयोजन के के लिए 25-28 करोड़ रुपये की राशि अन्तिम तौर पर नियत की गई है।

(ग) क्लूजा तथा कनाडा के सहकारी संघ से उपहार स्वरूप मिले खाद्य तेल की बिक्री से 2.11 करोड़ रुपये की राशि अर्जित की गई है। कनाडा का सहकारी संघ कनाडियन इण्टरनेशनल डेवेलमेंट एजेंसी के माध्यम से काम करता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में किए गए आवंटनों और वास्तव में दिए गए धन का राज्यवार तथा वर्ष वार ब्यौरा इस प्रकार है :

परिव्यय और दिये गये धन का राज्यवार ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

राज्य का नाम	परियोजना का परिव्यय	दी गई राशि		
		83-84	84-85	85-86
गुजरात	7242	1600	3907	4632
मध्य प्रदेश	3515	397	867	1633
तमिलनाडु	1561	94	124	500
आन्ध्र प्रदेश	1879	68	283	451
उड़ीसा	1912	163	339	629
महाराष्ट्र	1748	—	117	317
कर्नाटक	1477	—	27	107

लोदी कालोनी, नई दिल्ली में पानी आदि की सप्लाई न होना

3063. श्री के० राममूर्ति : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोदी कालोनी, नई दिल्ली के 22 और 23 ब्लाकों की रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसियेशनें एन ब्लाकों में पहले तल के फ्लैटों और सर्वेन्ट क्वार्टरों में पानी की अपर्याप्त सप्लाई/सप्लाई न होने का मामला सम्बन्धित अधिकारियों की जानकारी में लाई है;

(ख) क्या यह सच है कि छत पर बनी पानी की टंकियां गत एक दशाब्दि से भी अधिक समय से काम नहीं कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सभी पहले तल के फ्लैटों में पानी की टंकियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(घ) इस कालोनी के 22 और 23 ब्लाकों के लिए कितने माली नियुक्त किये गए हैं और क्या लान और मकानों के पिछवाड़ों का उचित ढंग से रख-रखाव किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त मामलों के सम्बन्ध में इन ब्लाकों के निवासियों को राहत देने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इन ब्लाकों में पानी की सप्लाई नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा की जा रही है। यह ज्ञात नहीं है कि क्या संघ ने इस बारे में उन्हें सूचित किया है।

(ख) जी, नहीं। टंकियां केवल तभी काम नहीं करती जब कम दबाव के कारण उन तक पानी नहीं पहुंचता है।

(ग) जी, नहीं। जैसे ही पुरानी टंकियां बेकार हो जाती हैं, वैसे ही टंकियों को बदल दिया जाता है। किसी एक क्वार्टर में लगा दिया जाता है।

(घ) केवल एक ही माली नियुक्त किया गया है और बाग की देखभाल संतोषजनक है। मकानों के पिछवाड़ों के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली नगर निगम का है।

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निवारक निरीक्षण में तथा किसी शिकायत के प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

बाढ़ आदि के कारण फसल की हानि

3064. श्री काली प्रसाद पांडेय: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूफान, बवण्डर, बाढ़ और सूखे के कारण वर्ष 1986-87 के लिए निर्धारित कृषि उत्पादन के लक्ष्य में कमी आने की संभावना है; और

(ख) यदि, हां तो प्रत्येक राज्य में उपर्युक्त कारणों से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) फसल वर्ष 1986-87 के लिए देश में खरीफ फसलों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान राज्यों से अभी देय नहीं हुए हैं, और रबी फसलों के लिए कुछ राज्यों में बुवाई का काम अभी चल रहा है। इसलिए, अभी यह नहीं कहा जा सकता कि 1986-87 के दौरान कृषि उत्पादन इस वर्ष के लिए रखे गए लक्ष्यों से कम हो जाएगा अथवा नहीं। तथापि कुछ मुख्य उत्पादक राज्यों में मौसम की खराब परिस्थितियों सूखे/बाढ़ की स्थिति के कारण यह सम्भावना है कि इस वर्ष चावल का उत्पादन 1985-86 में उपलब्ध 642 लाख मीटरी टन के रिकार्ड उत्पादन की तुलना में कम हो जाए। खरीफ, 1986 के लिए उत्पादन के सरकारी अनुमान अभी देय नहीं हैं, इसलिए सूखे/बाढ़ आदि के कारण उत्पादन में कमी की राज्यवार सीमा को अभी बताया जाना सम्भव नहीं है।

दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार बुलेटिनों में राजनीतिक दलों की गतिविधियों को दिया गया समय

3065. **श्री जैनुल बशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विपक्ष में राजनीतिक दलों अर्थात् तेलुगुदेशम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अन्ना डी० एम० के०, जनता पार्टी, लोक दल और भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार बुलेटिनों में। जनवरी, 1986 से 25 अक्तूबर, 1986 की अवधि के दौरान कितना समय दिया गया; और

(ख) गतिविधियों के प्रसारण का समय निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) आकाशवाणी के संजाल के केन्द्र घरेलू सेवा में प्रतिदिन विभिन्न भाषाओं और बोलियों में लगभग 180 समाचार बुलेटिन प्रसारित करते हैं। इसी प्रकार, दूरदर्शन केन्द्र संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार बुलेटिन टेलीकास्ट करते हैं। इन समाचार बुलेटिनों में विभिन्न राजनीतिक दलों को दिए गए समय को केन्द्रीय रूप से संकलित रूप में नहीं रखा जाता है। तथापि, आकाशवाणी द्वारा सितम्बर और अक्तूबर, 1986 के दौरान प्रातः 8.10 बजे, दोपहर 2.00 बजे और रात 9.00 बजे के अपने तीन मुख्य केन्द्रीय अंग्रेजी बुलेटिनों में दिए गए कवरेजों के बारे में सूचना दी गई है :

दल	कवरेज	
	सितम्बर, 1986	अक्तूबर, 1986
1. तेलुगु देशम	58 पंक्तियां	39 पंक्तियां
2. भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी)	118 "	76 "
3. भारतीय साम्यवादी दल	15 "	40 "
4. अन्नाद्रविड़मुन्नेत्र कड़गम	37 "	82 "
5. जनता पार्टी	106 "	100 "
6. लोक दल	15 "	15 "
7. भारतीय जनता पार्टी	47 "	129 "

आम तौर पर 1 मिनट में 12 से 13 पंक्तियां पढ़ी जाती हैं।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है दिल्ली से टेलीकास्ट किए गए राष्ट्रीय समाचारों में इस प्रकार के राजनीतिक दलों को जनवरी से अक्तूबर, 1986 तक दिया गया समय इस प्रकार है :

दल	अवधि (मिनट में लगभग)
1. तेलुगु देशम	26.00
2. भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी)	51.00
3. भारतीय साम्यवादी दल	48.00
4. अन्नाद्रविड़मुन्नेत्र कड़गम	15.00
5. जनता पार्टी	66.00
6. लोक दल	31.30
7. भारतीय जनता पार्टी	81.00

(ख) विभिन्न राजनीतिक दलों को कवर करने के लिए समाचार बुलेटिनों में कोई पक्का समय आवंटन नहीं है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के दृष्टिकोण को समाचारों में उनके समाचारिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए स्थान दिया जाता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों सरकारी माध्यमों संबंधी माध्यम सलाहकार समिति के द्वारा निर्धारित समाचार नीति और मार्गदर्शक सिद्धान्तों का कड़ाई से पालन करते हैं।

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कार्मिक नीतियों का पुनर्निर्धारण

3066. श्री मानिक रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कार्मिक नीतियों का पुनर्निर्धारण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भा० कृ० अ० प० की कार्मिक नीतियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और जहां कहीं भी आवश्यक होता है उनमें सुधार किया जाता है। लेकिन कार्मिक नीतियों में सुधार परिषद के शासी निकाय द्वारा उन पर विचार कर लिये जाने या सरकार द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद किया जाता है। मौजूदा समय में भा० कृ० अ० प० के कार्यों की एक विशेषज्ञ समिति से समीक्षा कराने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसके ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

हल्दिया उर्वरक निगम को लाभ/हानि

3067. श्री प्रकाश बी० पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया उर्वरक कारखाने को चलाने के लिए एक कम्प्रैसर प्रयोग किया जाता है, जिस पर सरकार को प्रति माह 4 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं,

(ख) इस कारखाने में प्रति मास कितना और कितने मूल्य का उत्पादन होता है, और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिमाह कितनी हानि हुई है।

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) से (ग) हल्दिया स्थित एकक अभी एक परियोजना ही है और लाभ/हानियों का मूल्यांकन वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ होने के बाद ही किया जाता है। तीन आक्सीजन कम्प्रैसरों की कुल लागत लगभग 2.52 करोड़ रुपये है जो संचालन में समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं।

दिल्ली में लाइट रेल परिवहन प्रणाली शुरू करना

3068. डा० जी० विजय रामाराव :
श्री पी० एम० सईद :
श्री मानिक रेड्डी :
श्री विजय एन० पाटिल :
श्री सत्येन्द्र नारायणसिंह :
श्री अमरसिंह राठाव :
श्री के० एस० राव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लाइट रेल परिवहन प्रणाली शुरू करने का विचार है;

(ख) क्या राजधानी के लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस प्रणाली की उपयुक्तता के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय करने के लिए कोई गहन अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में और क्या कदम उठाने का विचार है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पानी इकट्ठा हो जाने और पानी खारा होने के कारण भूमि का बेकार हो जाना

3069. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :**
श्री टी० बाल गौड़ : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानी के इकट्ठा हो जाने और पानी खारा होने के कारण हर वर्ष काफी भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है और नई सिंचाई के अन्तर्गत नई भूमि लाई जाती है,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी भूमि कृषि योग्य नहीं रही, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में पानी के इकट्ठा होने से होने वाली क्षति को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) बार-बार बाढ़ आने, अपवाह द्वारा जल के बहने, अधिक सिंचाई, निस्पन्द, आर्टीसन वाटर और उप-सतही जल निकासी की कमी आदि जैसी परिस्थितियों के कारण पानी इकट्ठा होता है। कुछ समय पश्चात् इसमें से कुछ भूमि लवणीय अथवा क्षारीय बन जाती है जिसके परिणाम स्वरूप खेती के अधीन भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। देश में सिंचाई के अंतर्गत प्रतिवर्ष और लाया जाने वाला क्षेत्र 22 लाख हैक्टर है। जल के इकट्ठा होने और पानी खारा होने के कारण खेती के योग्य न रहने वाली भूमि के वर्ष-वार अनुमान नहीं लगाये जाते। राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट (1976) से पता चलता है कि कुल 60 लाख हैक्टर क्षेत्र पानी इकट्ठा होने और 71·6 लाख हैक्टार क्षेत्र लवणता और क्षारता के कारण प्रभावित हुआ था। केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा किये गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अप्रेल के महीने में विद्यमान जलसारणी के स्तरों के आधार पर 34 लाख हैक्टर क्षेत्र में पानी इकट्ठा हो सकता है। उपरोक्त क्षेत्र सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में स्थिति है।

(ग) निवारक और उपचारी उपाय किये जा रहे हैं जिनमें चुनींदा स्थानों में नहरों और जल धाराओं के किनारों को पक्का करना, भूमिगत और सतही जल का संयुक्त उपयोग और जल

प्रबंध की वैज्ञानिक पद्धतियों को शुरू करना शामिल है। 18 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश में 133 प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में कमान क्षेत्र विकास की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है ताकि सिंचाई जल का प्रभावी उपयोग किया जा सके। इससे पानी इकट्ठा होने के कारण होने वाली क्षति को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

दिल्ली में परिवहन सुविधाएं

3070. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के आस-पास प्रस्तावित राजधानी क्षेत्र में रेल तथा सड़क-परिवहन सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या मूल्यांकन है; और

(ग) दिल्ली से संपर्क बनाये रखने में सुधार करने के लिए राजधानी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या योजना बनाई गई है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के विकासार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा तैयार की गई अन्तरिम विकास योजना 2001 में यह विचार किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय यातायात नीति क्षेत्र के आर्थिक विकास को उन्नत करने तथा सहायता देने और राष्ट्रीय राजधानी में यातायात की भीड़ भाड़ को कम करने वाली होनी चाहिए। अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

(i) रोड नैट वर्क के माध्यम से चुने हुए क्षेत्रीय शहरी केन्द्रों को हर एक अन्यों के साथ परस्पर जोड़ना।

(ii) चुने हुए शहरों, नामत: मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, खुर्जा कम्पलैक्स, रोहतक, पानीपत, पलवल, रिवाड़ी, भिवाडी-धारूहेड़ा कम्पलैक्स तथा अलवर को तीव्र गामी मार्ग एवं रेल यातायात द्वारा दिल्ली से जोड़ना।

(iii) क्षेत्रीय रेल उप-मार्ग (बाई पास) का विकास जो कि दिल्ली को पृथक रखेगा, तथा

(iv) क्षेत्र में परिधान गलियारों (रेडियल कोरीडोरों) के साथ-साथ रेल मार्गों का पूर्ण रूपेण विद्युतीकरण करना।

[हिन्दी]

किसानों और मजदूरों को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना

3071. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों और खेतिहर मजदूरों को वित्तीय सहायता देने के लिए ताकि वे कुछ उद्योग या अन्य व्यवसाय शुरू कर सकें, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोई योजना तैयार की जा रही है; और

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को कोई उद्योग या अन्य व्यवसाय शुरू करने का अवसर दिया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) : किसानों और खेतहर मजदूरों को वित्तीय सहायता देने के लिए ताकि वे उद्योग अथवा व्यवसाय शुरू कर सकें, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा फिलहाल कोई नई योजना तैयार नहीं की जा रही है तथापि, चल रहे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए लाभार्थी परिवारों, जिनमें छोटे तथा सीमान्त किसान, खेतहर मजदूर और ग्रामीण शिल्पकार शामिल हैं, को आर्थिक सहायता तथा ऋण दिए जाते हैं ताकि वे कोई आर्थिक रूप से सक्षम कार्य कर सकें, जिनमें उद्योग तथा व्यापार शामिल है ।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनता फ्लैटों के मूल्य में परिवर्तन

3073. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण लगभग 26 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले "जनता" फ्लैटों का मूल्य 8,000 रुपये से बढ़ाकर 55,000 रु० कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो जनता फ्लैटों के मूल्य में वृद्धि करने से कितनी अतिरिक्त धनराशि वसूल होगी ।

(ग) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कितने फ्लैट निर्माणाधीन हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के निर्माण में अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) नवीन पद्धति पंजीकरण योजना 1979 के लिए जारी विवरणिका में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के फ्लैटों की दी गई लागत 8000 रु० उस समय प्रचलित संरचना लागत पर आधारित थी फ्लैटों की बिक्री लागत उस समय आंकी जाती है जब वे पूर्ण हो जाते हैं और ये कुर्सी क्षेत्र डिजाइन तथा उस दर पर निर्भर होते हैं जिस पर ठेकेदार आदि को कार्य का अवार्ड किया जाता है । आदि पर निर्भर करता है, जहां तक सम्पूर्ण आवास कार्यक्रम का संबंध है, लागत फार्मूला लाभ-हानि रहित आधार पर निकाला गया है, वास्तव में, यह आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/जनता श्रेणी के फ्लैटों के पक्ष में आर्थिक सहायता का एक घटक है, हाल ही में जनता फ्लैटों के पक्ष में आर्थिक सहायता का एक

घटक है, हाल ही में जनता फ्लैटों की बिक्री लागत 35,100 से 42,000 रुपये के बीच निकाली गई है।

(ग) 1985-86 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में निर्माणाधीन मकानों की संख्या इस प्रकार है :

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	26706
निम्न आय वर्ग	19160
मध्यम आय वर्ग	18390
स्ववित्त पोषित योजना	18531
योग :	82787

(घ) जी, हां।

प्राथमिक कृषि-ऋण समितियों की सदस्यता

3076. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

श्री सुभाष यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के अन्त में देश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों की कुल संख्या क्या थी;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सामान्यतः इन समितियों में नए लोगों को सदस्य बनने के लिए निरुत्साहित किया जाता है और निम्नतम स्तर के लोगों, भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण दस्तकारों आदि को इन समितियों का अनिवार्य रूप से सदस्य बनाने के कोई प्रयास नहीं किये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 30 जून, 1985 को, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 6 92 करोड़ थी।

(ख) और (ग) जी नहीं। सामान्य सदस्यता उन मूल सिद्धांतों में से एक है जिस पर सहकारी समितियां गठित की जाती हैं। कृषि तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धी संस्थागत ऋण की समीक्षा प्रबन्ध समिति की सिफारिशों के आधार पर सहकारी समितियों की सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं, ताकि समितियों के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया जाये। कृषि तथा ग्रामीण विकास संबंधी राष्ट्रीय बैंक राज्य सरकारों को विशेष रूप से, भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण दस्तकारों तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को प्राथमिक कृषि-सहकारी समिति के सदस्यों के रूप में पंजीयन करने

की आवश्यकता पर भी बल देता रहा है। आदिवासी सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए नेबार्ड ने बड़े आकार के बहु-उद्देशीय समितियों के प्रबंधन में आदिवासी सदस्यों के 50% प्रतिनिधित्व के लिए सलाह दी है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को नागपुर स्थानान्तरित करना

3077. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने, दिल्ली में लोगों के भारी आगमन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को दिल्ली से नागपुर स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में स्थित उन सरकारी कार्यालयों के नाम क्या हैं जिन्हें चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नागपुर स्थानान्तरित किए जाने का विचार है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अब तक लिये गये निर्णय के अनुसार, दिल्ली में स्थित कुछ सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है लेकिन नागपुर नहीं। दिल्ली में स्थित और कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने से सम्बन्धित मामले पर सरकार द्वारा यथा समय विचार किया जायेगा।

नई दिल्ली में हुए राज्य मंत्रियों का सम्मेलन

3078. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :

डी० बी० एल० शैलेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने के दौरान नई दिल्ली में ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें विशेष रूप से ग्रामीण निर्धन लोगों के उत्थान की आवश्यकता के सम्बन्ध में किन किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) सम्मेलन में दिए गए विभिन्न सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) जी, हां। ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन अक्तूबर, 1986 के अन्तिम सप्ताह में हुआ था।

(ख) सम्मेलन की कार्यसूची में सभी मुख्य गरीबी निवारण कार्यक्रमों को शामिल किया गया था जिसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास (डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०) ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०)।

(ग) सम्मेलन में लिए गए विभिन्न निष्कर्षों को कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए नोट कर लिया गया है।

कृषि आदानों के मूल्यों में वृद्धि

3079. **श्री रेणुपद दास :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 से 1985-86 की अवधि के दौरान प्रत्येक कृषि आदान (उर्वरक, सिंचाई, ट्रेक्टर आदि सहित) और कृषि उत्पादों में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : 1985-86 के थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार, कीटनाशी दवाइयों की कीमतों में 1983-84 के मूल्य स्तर पर 3·73 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ट्रैक्टरों की कीमतें 14·14 प्रतिशत बढ़ीं। उर्वरकों के मामले में, इसी अवधि के दौरान कीमतें 0·22 प्रतिशत तक गिरीं। जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि सिंचाई जल की दरों में पिछला संशोधन केवल बिहार और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा 1983 में किया गया था। 1983-84 और 1985-86 के बीच कृषि उत्पादों में, खाद्य पदार्थों की कीमतें 12·22 प्रतिशत बढ़ीं और अखाद्य पदार्थों को 1·85 प्रतिशत बढ़ीं।

पशु कल्याण बोर्ड के पदाधिकारी

3080. **डा० ए० के० पटेल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और इस समय इस बोर्ड के पदाधिकारियों संबंधी ब्योरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 19 मार्च, 1962 को की गई थी।

(ख) बोर्ड के पुनर्गठन होने तक डा० ओ० एन० सिंह, पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार और बोर्ड के पदेन सदस्य ने 30-7-81 से 28-9-84 तक पशु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के कार्य करना जारी रखा।

श्रीमती रुक्मिनी देवी अरुणदेल को 29-9-84 से बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था और वे 24-2-86 तक, जबकि उनका देहांत हुआ, अध्यक्षा बनी रहीं।

4 जुलाई, 1986 से श्री एम० सी० डागा, संसद सदस्य को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था और वे अब तक इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नामों और पतों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के नाम व पते

अध्यक्ष

1. श्री एम० सी० डागा, संसद सदस्य
संख्या 140, संसद भवन, तीसरी मंजिल,
नई दिल्ली-110001

सदस्य

2. श्री माधवराव सिन्धिया, संसद सदस्य,
रेल राज्य मंत्री,
(प्रतिनिधि भारतीय जीवजन्तु बोर्ड)
7 ए० बी०, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001

3. श्री पी० चिदम्बरम, संसद सदस्य
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री
तमिलनाडु भवन,
नई दिल्ली-110001

4. श्री मनवेन्द्र सिंह, संसद सदस्य
506, विदेश मन्त्रालय होस्टल,
नई दिल्ली 1

5. श्री प्रकाशचंद, संसद सदस्य,
107, नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली-110001

6. श्री सी० जंगा रेड्डी, संसद सदस्य,
127-129, साऊथ ऐवेन्यू,
नई दिल्ली-110011

7. श्री एरा साम्बाशिवम, संसद सदस्य
संख्या 37, साऊथ ऐवेन्यू,
नई दिल्ली-110001

8. श्री पीला रामकृष्णा,
सचिव,
आन्ध्र प्रदेश जीव रक्षा संघम,
गुन्टूर-522003 (आन्ध्र प्रदेश)

9. श्री तिलक राज,
अवैतनिक सचिव,
पशु क्रूरता निवारण समिति, अमृतसर,
ढब बस्ती राम,
अमृतसर-143001

10. श्री राजकिशोर सिंह,
सचिव,
राज्य पशु क्रूरता निवारण समिति, बिहार
अनुग्रह भवन डाकखाना,
सदाकत आश्रम,
पटना-800010 (बिहार)

11. श्री एल० एच० ए० रेगो,
विशेष सचिव,
वन तथा जीवजन्तु विभाग,
भारत सरकार,
कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

12. डा० ए० के० चटर्जी,
पशुपालन आयुक्त,
भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

13. श्री वाई० एन० चतुर्वेदी,
संयुक्त सचिव,
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय,
(शिक्षा विभाग),
भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

14. डा० वी० के वर्मा,
निदेशक,
आपातकालीन चिकित्सा राहत,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
555-ए, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011

15. श्री वैद्य सतीश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन मेडिसिन्स
फार्मेस्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड,
मोहन (जिला-अल्मोड़ा),
वाया रामनगर-244715 (उत्तर प्रदेश)

16. श्री अमोद कुमार,
नगर निगम पार्षद,
1589, मद्रास रोड,
कश्मीरी गेट, रेलवे क्वार्टर्स,
नई दिल्ली-110006

17. डा० कैलाश शंखला,
21-धुलेश्वर गार्डन,
जयपुर-302001

18. कैप्टन वी० सुन्दरम,
अध्यक्ष, ब्लू क्रौस आफ इण्डिया,
1-फिफ्थ एवेन्यू,
बेसेन्ट नगर,
मद्रास-600090

19. कुमारी क्रिस्टल रोजर्स,
एच० आई० एस० सैन्क्चूअरी,
दुर्गपुरा,
जयपुर-302015

20. श्रीमती शान्ति पहाड़िया, संसद सदस्य,
बीकानेर हाऊस एनेक्सी,
पन्डारा रोड, नई दिल्ली-1

21. श्री दशरथ भाई एम० ठक्कर,
अवैतनिक सचिव,
बम्बई ह्यूमैनिटेरियन लीग,
"दया मन्दिर", 125-127, मुम्बादेवी रोड,
बम्बई-400003 (महाराष्ट्र)

22. मेहसाना जिला पशु कल्याण समिति
का प्रतिनिधि,
कापड़ बाजार,
वादनगर-384355
(नार्थ गुजरात)

23. असम राज्य पशु क्रूरता निवारण समिति का
प्रतिनिधि, छाबड़ा भवन,
एम० एस० रोड, गोहाटी-781001 (असम)

24. गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि,
नार्थ ब्लाक, भारत सरकार,
नई दिल्ली-110001

25. डा० अशोक अनन्त पादलकर,
प्रबन्धक, देओनार एबोटोयर,
बम्बई नगर निगम, बम्बई।

26. डा० पी० ए० बालू,
भारतीय पशु-चिकित्सा संघ,
मद्रास।

[हिन्दी]

पशु कल्याण बोर्ड में हिन्दी का प्रयोग

3081. **डा० ए० के० पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु कल्याण बोर्ड में सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और इस बोर्ड में कोई हिन्दी अधिकारी नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं। बोर्ड ने एक हिन्दी आशुलिपिक और एक हिन्दी टाइपिस्ट के अलावा एक वरिष्ठ अनुवादक भर्ती किया है। तथापि, वरिष्ठ हिन्दी अनुवाद ने अन्य संगठन में पद भार संभालने के लिए इस बोर्ड का पद छोड़ दिया है और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से पद भरने के लिए उठाए गए हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों की आय की सीमा निर्धारित करने के लिए मानदण्ड

3082. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के छोटे और सीमांत किसानों का निर्धारण करने के लिए आय की क्या सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) उनको क्रमशः मैदानी, पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में आवंटन के लिए अलग-अलग कितनी सिंचित और असिंचित भूमि रखी गयी है;

(ग) उन्हें भूमि का आवंटन किन मानदण्डों के आधार पर किया जाता है;

(घ) क्या यह सच है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में आवंटन के लिए निर्धारित भूमि और उसके लिए अपनाये गये मानदंड बहुत ही अपर्याप्त हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनेक गरीब किसान, जिनकी आय निर्धारित सीमा से कम है, इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाते; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले पर नये सिरे से विचार करने और रेगिस्तानी क्षेत्रों में भूमि के आवंटन के लिए निर्धारित सीमा बढ़ाने के लिए इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 4800 रुपये की सीमा रेखा से कम वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को सहायता दी जा सकती है। आय का यही मानदंड लघु और सीमान्त किसानों पर भी लागू होता है।

(ख) से (घ) : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आय का सृजन करने वाली परिसम्पत्तियां प्रदान करके परिवारों की सहायता की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए लाभार्थियों को भूमि का आवंटन नहीं किया जाता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मदर डेरी के कर्मचारियों के लिए सेवा नियम

3083. **डा० चिन्ता मोहन** :
डा० जी० विजय रामाराव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 में बनाए गए सरकारी क्षेत्र के एक यूनिट मदर डेयरी दिल्ली ने अपने सेवा संबंधी नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखने का विचार है; और

(ग) यदि अभी तक नियम नहीं बनाये गए हैं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तें किन नियमों से अधिशासित होती हैं;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) मदर डेरी ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अनुसरण में प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणित करने वाले अधिकारी को नवम्बर, 1977 में स्थायी आदेशों का प्रारूप प्रस्तुत किया था। स्थायी आदेशों के प्रारूप का प्रमाणीकरण होने तक, मदर डेरी के कर्मचारियों के रोजगार की शर्तें मोडल स्थायी आदेशों में अधिशासित होती हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

3084. **श्री हरीश रावत :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना का कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए स्थापना स्थल चुन लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) आकाशवाणी ने पिथौरागढ़ में किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के साथ नया रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीम शामिल की है। इस स्कीम की अनुमोदित लागत 82.71 लाख रुपए है। इस प्रयोजन के लिए लगभग 6.5 एकड़ के उपयुक्त स्थान की आवश्यकता है। कोई सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह गैर सरकारी भूमि अधिग्रहण करे। क्षेत्र एक से अधिक मालिकों का है। राज्य सरकार ने इस भूमि का कब्जा देने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है। अतः काम शुरू करने की तारीख के बारे में कोई निश्चित संकेत देना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में मछली पालन

3085. **श्री हरीश रावत :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मछली पालन कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि का आवंटन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि इस राज्य में उक्त प्रयोजन के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि अन्य राज्यों की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए कौन-से कदम उठाये जाएंगे ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में मछली पालन विकास एजेंसियों के माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 828.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :

(1) 48 जिलों में मछली पालन विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं (26 विश्व बैंक की सहायता प्राप्त अन्तर्देशीय मछली परियोजना के अन्तर्गत, 2 केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र के अंतर्गत तथा 20 राज्य क्षेत्र के अंतर्गत) इनकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में मछली-पालन को लोकप्रिय बनाने के लिए चुने हुए और प्रशिक्षित मछली पालकों को वित्तीय, तकनीकी और विस्तार संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए की गई है ।

(2) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त अंतर्देशीय मछली पालन परियोजना और समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत 10-10 हैक्टर की छह वाणिज्यिक मत्स्य बीज हैचरियां खोली गई हैं और मत्स्य बीज की मांग पूरी करने के लिए चार और हैचरियां खोलने का प्रस्ताव है ।

(3) विस्तार स्टाफ और प्रगतिशील मछली पालकों को प्रशिक्षण देने के लिए पंत नगर में एक मत्स्य विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है ।

उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज

3086. **श्री हरीश रावत :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक कौन-कौन से मुख्य खनिज मिले हैं ?

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में इन खनिजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) उत्तर प्रदेश में अब तक ज्ञात प्रधान खनिज हैं : चूना, पत्थर, कोयला, एन्डालुसाइट, संगमरमर, लौह अयस्क, कैल्साइट, खनिज मिट्टी, बाक्साइट ग्लास-सैंड, डोलोमाइट, ग्लाउकोनाइट/पोटाश, डायस्पोर/पाइरोफिलाइट, फास्फोराइट, आधार-धातुएं, मैग्नेसाइट, सोपस्टोन, ग्रेफाइट, शीलाइट, ऐस्बैस्टस, बैराइट जिप्सम और चूना (कल्कातुफ) ।

(ख) जी, हां।

(ग) सीमेंट कारखाने, कांच के कारखाने फुंके हुए मैग्नेसाइट कारखाने हैं, जो क्रमशः चूना-पत्थर, ग्लास सैंड और मैग्नेसाइट खनिजों पर आधारित हैं। एक कैल्सियम कार्बाइड कारखाना तथा कुछ छोटे सीमेंट कारखाने लगाने का प्रस्ताव है। सोपस्टोन, बाक्साइट, फास्फोराइट एवं पाइरोफिलाइट/डायस्पोर के विदोहन हेतु अनेक खनन परियोजनाएं सरकारी और गैर-सरकारी सेक्टर में चल रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम द्वारा बजरी, स्वर्ण, शीलाइट और आधार-धातुओं के लिए खनन एवं परिष्करण परियोजनाएं चलाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

खरीफ फसल के दौरान पैदावार

3087. श्री मानिक रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ फसल के दौरान सभी फसलों की पैदावार पूर्वानुमानों के अनुसार होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या अच्छी फसल होने के कारण उपभोक्ता मूल्यों में गिरावट आने की संभावना है, जिससे कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग अपनी पोषाहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे; और

(ग) क्या उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने और निगरानी रखने के लिए खरीफ और रबी फसलों के साथ-साथ सब्जियों, फलों, भोजन, दूध, अंडों आदि सहित पोषक पदार्थों के उत्पादन के भी पूर्वानुमान लगाए जाएंगे;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) खरीफ फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमान अभी राज्यों से देय नहीं हुए हैं। इसलिए यह कहना अभी संभव नहीं है कि उत्पादन लक्ष्यों से कम हो जायेंगे अथवा नहीं। तथापि, कुछ मुख्य उत्पादक राज्यों में मौसम की खराब परिस्थितियों के कारण यह संभावना है कि इस खरीफ मौसम में चावल का उत्पादन 1985 खरीफ मौसम के दौरान 598 लाख मीटरी टन के रिकार्ड उत्पादन की तुलना में कम हो जाए। तथापि, इस खरीफ मौसम में मोटे अनाजों, दलहनों और तिलहनों का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा बेहतर होने की आशा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कुछ फलों और सब्जियों की फसलों के उत्पादन के अनुमान पहले ही नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इसी प्रकार, दूध और अण्डों के उत्पादन अनुमान भी प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किए जाते हैं।

भारतीय जन संचार संस्थान में स्थानों का आरक्षण

3088. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या भारतीय जनसंचार संस्थान में पत्रकारिता और विज्ञापन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पिछड़े क्षेत्रों अथवा राज्यों के प्रत्याशियों के लिए 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन पाठ्यक्रमों में ऐसे क्षेत्रों के कितने प्रत्याशियों को प्रवेश दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों को बेचने की अनुमति

3089. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों को मूल आवंटियों द्वारा बेच कर हस्तान्तरित किया जा सकता है ? यदि हां, तो उसकी प्रक्रिया और शर्तें क्या हैं ?

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटियों के बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन निपटाये जाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लंबित पड़े हैं ; और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों को बेचने की अनुमति के लिए लंबित आवेदनों को निपटाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण मूल आवंटी द्वारा भूमि की लागत में 50 प्रतिशत की अनर्जित वृद्धि के भुगतान पर फ्लैटों को बेच कर अन्तरण की अनुमति देता है बशर्ते कि आवंटी द्वारा फ्लैट का पूरा-पूरा भुगतान कर दिया गया हो। आवंटी को अनुमति के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजधानी में अवैध निर्माणों का गिराया जाना

3090. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** :

श्री जी० एस० बसवराजू : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विनोद नगर में निर्मित 45 अनधिकृत दीवारों को और 57 कमरों को गिराया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राजधानी में कितने अवैध निर्माणों को गिराया गया ;

(ग) अवैध भवन निर्माण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 28,053 ।

(ग) अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण पर नियन्त्रण करने के निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(i) सभी सम्बन्धितों को यह निर्देश जारी किया गया था कि सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण को प्रारम्भ में ही रोका जाना चाहिए तथा इसे स्थाई बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जबकि उन्हें हटाना कठिन हो जाता है ।

(ii) अनधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित करने और सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर दिल्ली में मकान गिराने के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई हेतु अपिलीय अधिकरण (अपीलेट ट्रिब्यूनल) की व्यवस्था करने के लिए विकास अधिनियम, 1957 दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, पंजाब नगर पालिका अधिनियम 1911 (जैसा कि नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में लागू है) तथा लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम 1971 में मई, 1984 में यह संशोधन किया गया था । इनको संज्ञेय अपराध घोषित करने सम्बन्धित प्रावधानों को गत वर्ष लागू किया गया था । अपिलीय अधिकरण के गठन से सम्बन्धित प्रावधानों को भी अब लागू कर दिया गया है । (दिल्ली नगर निगम अधिनियम तथा पंजाब नगर पालिका अधिनियम के सम्बन्ध में 10-2-86 से और दिल्ली विकास अधिनियम के सम्बन्ध में 24-2-86 से) ।

(iii) गृह मंत्री ने 18-6-85 को एक बैठक आयोजित की थी जिसमें अनधिकृत निर्माण की रोकथाम करने के लिए मार्ग-निर्देशन निर्धारित किए गए थे । तथा सम्बन्धित संगठनों में नितान्त उच्च स्तर पर इस प्रयोजनार्थ उत्तरदायित्व निर्धारित करने का निर्णय लिया था ।

(iv) अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण पर कार्यवाई करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित विशिष्ठ कदम उठाये हैं :

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण के चलते-फिरते गिराऊ दस्ते द्वारा नये अतिक्रमणों को गिराया जा रहा है । 1-1-85 से 30-9 86 तक 17339 अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माणों को हटाया गया ।

(2) भूमि की गैर कानूनी बिक्री से संबंधित विशेष कक्ष ने 3233 मामले दर्ज किए और 4038 को गिरफ्तार किया गया है ।

(3) दिल्ली विकास अधिनियम के संशोधित उपबन्धों के तहत अभियोजन के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

(4) नये अतिक्रमणों की रोकथाम करने के लिए उपराज्यपाल द्वारा थानाध्यक्षों को अनुदेश जारी किए गये हैं ।

(5) विभिन्न स्तरों पर संबंधित फील्ड स्टाफ को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाने के आदेश जारी किये हैं ।

अन्य स्थानीय निकायों और भूमि-स्वामित्व वाले विभागों ने भी सूचित किया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अतिक्रमणों को हटाने के लिए कारंवाई करते रहे हैं ।

(घ) इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए सोवियत संघ का प्रस्ताव

3091. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री जी० एस० बसवराजू : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने सरकारी क्षेत्र के दो इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और उनकी प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत के कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) क्या भारत ने उसे स्वीकार कर लिया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) दोनों पक्ष आपस में सहयोग कर रहे हैं और भिलाई तथा बोकारो के इस्पात कारखानों में निर्धारित क्षमता प्राप्त करने, किसी भी प्रकार की कठिनाई को दूर करने तथा इन कारखानों में तकनीकी और आर्थिक सूचकों तथा उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर योजनाओं का पता लगा रहे हैं ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना में संशोधन करना

3092. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री जी० एस० बसवराजू : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में संशोधन करने और इसे सफल बनाने हेतु तीन विशेष समितियां गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन तीनों विशेषज्ञ समितियों द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार इस संबंध में निर्णय कब तक लेगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार ने निर्णय लिया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के कार्यकरण को आंकने के लिए तीन तदर्थ समितियां गठित की जाएं।

(ख) समिति को उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इन्हें गठित करने की तिथि से छह माह का समय दिया जाएगा।

(ग) अभी कोई समय-सीमा बताना असंभव है।

पिछड़े क्षेत्रों को इस्पात का आवंटन करना

3093. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री अमरसिंह राठवा :

श्री एच० बी० पाटिल : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए इस्पात का और अधिक आवंटन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र को कुल कितने इस्पात का आवंटन करने का विचार है;

(ग) क्या उपभोक्ताओं को चार श्रेणियों में रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों को को किस सीमा तक सहायता दी जाएगी, और

(च) क्या कोई विवरण संबंधी मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (च) : इस्पात सामग्री संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा घोषित वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वितरित की जाती है। पिछड़े क्षेत्रों की इकाइयों की सहायता करने के लिए, संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा शीघ्र ही घोषित किये जाने वाले प्रस्तावित मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्धारित किया गया है कि इन क्षेत्रों में स्थित इकाइयों की इस्पात खपत करने की पात्रता, पात्रताओं के सामान्य स्तरों की तुलना में 10% तक बढ़ा दी जाएगी। तथापि, इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में क्षेत्रवार या इलाका वार इस्पात के वितरण की व्यवस्था नहीं की गई है।

मार्गदर्शी सिद्धांतों में, उपभोक्ताओं को क, ख, ग और घ प्राथमिकता क्रम में चार श्रेणियों में बांटा गया है। स्तर "क" में रक्षा, रेलवे, केन्द्रीय सरकार के मुख्य विभाग/उपक्रम, एस० एस० आई० निगम आदि सम्मिलित हैं। स्तर 'ख' में स्तर 'क' में असम्मिलित सरकारी क्षेत्र के उपभोक्ता,

नगर निगम, नगर पालिकाएं, जिला परिषद्, पंचायत समितियां सम्मिलित हैं। शेष उपभोक्ता स्तर 'ग' और 'घ' के अन्तर्गत आएंगे।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों के कार्य के मूल्यांकन के लिए समिति

3094. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इन्जीनियरों का और ड्राफ्टसमैन ग्रेड एक के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्य-मूल्यांकन समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो उस समिति ने क्या रिपोर्ट दी है और सरकार ने जूनियर इन्जीनियरों को ड्राफ्ट्समेन, ग्रेड एक से बेहतर वेतनमान देने की सिफारिश पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह सच है कि जून, 1986 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री ने वित्त मन्त्री से जूनियर इन्जीनियरों की, उनका वेतनमान भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ाने और बकाया राशि का 1978 से भुगतान करने की मांगों को स्वीकार करने का अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। इस समिति ने कनिष्ठ इन्जीनियरों तथा ड्राफ्टमैन ग्रेड-1 के पदों का कार्य मूल्यांकन किया है। यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

(ग) और (घ) चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद इस पर वित्त मंत्रालय के तहत गठित एक अधिकार प्राप्त समिति ने विचार किया। इस स्तर पर शहरी विकास मन्त्रालय ने इस बात पर बल दिया था कि कनिष्ठ इन्जीनियरों और ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1 के मध्य समानता को बनाये रखने के उनके सुझाव को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह इसलिए था कि चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया था।

इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया। इस विषय पर सरकार ने चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग को पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय फिल्में

3095. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए कुछ भारतीय फिल्में भेजी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी हां।

(ख) 13 नवम्बर से 30 नवम्बर, 1986 तक आयोजित होने वाले लंदन फिल्म-समारोह में जो गैर-प्रतियोगी समारोह हैं, समारोह अधिकारियों द्वारा आमन्त्रित की गई निम्नलिखित भारतीय फीचर फिल्में, फिल्म समारोह निदेशालय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा समारोह में भाग लेने के लिए भेजी गई हैं ;

1. चिदम्बरम्
2. त्रिकाल
3. न्यू दिल्ली टाइम्स
4. राव साहब

एक अन्य फिल्म 'जेनेसिस' को भी समारोह में प्रविष्ट किया गया है किन्तु यूरोप स्थित कम्पनी द्वारा जिसके पास फिल्म के विदेशी अधिकार हैं।

आंध्र प्रदेश में दूरदर्शन रिले केन्द्रों का कार्य निष्पादन

3096. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के लोगों से राज्य में दूरदर्शन रिले केन्द्रों के खराब कार्य निष्पादन की शिकायतों के अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का स्वरूप क्या है ; और

(ग) दूरदर्शन को अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु उक्त राज्य में दूरदर्शन व्यवस्था के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी हां।

(ख) ऐसी शिकायत रही है कि विशाखापत्तनम के उच्च शक्ति (10 किलोवाट) के ट्रांसमीटर के टी० वी० सिगनलों का कतिपय क्षेत्रों, विशेषकर दूरदर्शन टावर के निकट पहाड़ी के ठीक नीचे के क्षेत्र में संग्रहण असन्तोषजनक है। अडोनी, काकीनाडा तथा राजामुन्द्री स्थित अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का संग्रहण असन्तोषजनक होने सम्बन्धी शिकायतें भी यदा-कदा रही हैं।

(ग) विशाखापत्तनम का ट्रांसमीटर 10 किलोवाट की पूर्ण शक्ति पर सामान्य रूप से कार्य कर रहा है तथा यह लगभग 140 किलोमीटर की दूरी तक जहां दृष्टि रेखा उपलब्ध है, संतोषजनक सेवा प्रदान करता है। इस ट्रांसमीटर के टावर के निकट की पहाड़ियों से उत्पन्न छाया क्षेत्रों में संग्रहण को सुधारने की दृष्टि से विशाखापत्तनम में एक ट्रांसपोजर स्थापित करने का निर्णय लिया

गया है। अडोनी, काकीनाडा तथा राजमुन्द्री के अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के बारे में शिकायतों का समय-समय पर समाधान किया जाता रहा है।

कृषि क्षेत्र के विकास हेतु आंध्र प्रदेश के लिए मार्ग निर्देश

3097. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्षेत्र के विकास हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को जारी किए गए मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है,

(ख) राज्य में इन मार्ग निर्देशों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) कृषि विकास से आंध्र प्रदेश सरकार को छठी और सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण लोगों को किस सीमा तक रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता मिली है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) योजना आयोग कृषि सहित सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित विकास योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को, जिनमें आंध्रप्रदेश भी शामिल है, मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करता है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में फसल, पशुपालन, मात्स्यकी और अन्य उपक्षेत्रों के विकास के लिए प्राथमिक क्षेत्रों पर जोर दिया जाता है। योजनाएं तैयार करते समय राज्य सामान्यत: इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय कृषि और सहकारिता विभाग भी कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करता है। पिछले पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश में खाद्य उत्पादन की प्रगति नीचे उल्लिखित है :

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	खाद्य उत्पादन
1985-86	104·68
1984-85	96·15
1983-84	118·81
1982-83	111·72
1981-82	114·13

कार्यकलापों के विस्तार से जहां कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन सम्भव हो सका है, वहीं फार्मों पर अधिक रोजगार के सृजन में भी मदद मिली है।

गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभ पाने वाले परिवार

3098. श्री बी० तुलसीराम :

श्री शिलेन्द्र प्रसाद :

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री रामपूजन पटेल :

श्री सैयद मसूदल हुसेन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1986 की स्थिति के अनुसार सातवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों में कितने परिवारों को सहायता प्रदान की गई है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(ग) क्या इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) हैं। ग्रामीण विकास विभाग के तीन मुख्य गरीबी निवारण कार्यक्रम वर्ष 1985-86 और 1986-87 (सितम्बर, 1986 तक) के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दिए गए परिवारों की संख्या और इस विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य सभा पटल पर रखे गए विवरण 1 में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3307/86]

1985-86 और 1976-88 (सितम्बर, 1986 तक) में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार-सृजन हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य और उपलब्धियां सभा पटल पर रखे गये विवरण-2 और 3 में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3307/86]

1985-86 के वार्षिक लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान सितम्बर, 1986 तक की प्रगति सन्तोषजनक है।

शहर की स्वच्छता के लिए केन्द्रीय योजना

3099. श्री भो० एस० कृष्ण अय्यर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी स्वच्छता के सम्बन्ध में केन्द्रीय योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का शहरों में मल-शोधन संयन्त्रों की स्थापना के लिए राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता देने की ऐसी एक योजना लागू करने का विचार है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि शहरी क्षेत्रों में कम लागत वाली स्वच्छता छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा परिवर्तित योजना का एक घटक है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, पालिका निकायों द्वारा कम लागत वाली स्वच्छता योजनाएं शुरू करने के लिए जीवन बीमा निगम और हुडको से भी ऋण उपलब्ध है।

गन्दी बस्तियों के निवासियों पर प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि करने का प्रस्ताव

3100. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं सुलभ कराने के लिए प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया जाता है;

(ख) क्या इस प्रति व्यक्ति व्यय की राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इस सरकार का विचार उपर्युक्त व्यय के संबंध में 75% राशि राज सहायता के रूप में देने और शेष 25% राशि को राज्य सरकारों द्वारा स्वयं व्यवस्था किए जाने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की राज्य क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान के लिए वर्तमान प्रति व्यक्ति लागत 300,00 रुपये है।

(ख) अक्तूबर, 1986 में दिल्ली में हुई स्थानीय शासन तथा नगर विकास की केन्द्रीय परिषद की 23वीं बैठक में यह संकल्प किया गया था कि उपर्युक्त विद्यमान प्रति व्यक्ति लागत की दर को 300,00 रुपये से बढ़ाकर पर्याप्त सीमा (कम से कम 500,00 रुपये) तक तत्काल कर दिया जाए।

(ग) जी, नहीं।

मकानों के लिए ऋण की अधिकतम सीमा

3101. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आवास और शहरी विकास निगम, इमारती सामान और मजदूरी में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कमजोर वर्गों के लिए ऋण की वर्तमान अधिकतम सीमा को 12,000 रुपये प्रति मकान से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति मकान करेगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के निमित्त रिहायशी एककों के बारे में ऋण राशि की सीमा को 23 दिसम्बर, 1985 से 9,700 रुपये से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दिया गया है। इसे और आगे बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में आपरेशन फ्लड-दो कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3102. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन फ्लड-दो कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केरल को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है,

(ख) क्या यह योजना केरल के मालाबार क्षेत्र में भी कार्यान्वित की गई थी, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केरल में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय डेरी निगम (आई० डी० सी०) ने आपरेशन फ्लड 2 कार्यक्रम के तहत मार्च, 1985 तक केरल को 833·75 लाख रुपए की धनराशि वितरित की है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता प्रदान करना

3103. **श्री गुरुदास कामत** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का विचार सरकारी उद्यमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का है, जैसा कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के मामले में किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बम्बई शहरी परिवहन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

3104. **श्री गुरुदास कामत** : क्या शहरी विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई शहरी परिवहन परियोजना के लिए विश्व बैंक से कोई ऋण उपलब्ध कराया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) बम्बई नगर परिवहन परियोजना-II में शामिल करने के लिए विस्तृत योजनाएं/प्रस्ताव इस समय महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। उनके प्राप्त होने और जांच कर लिए जाने के पश्चात ऋण सहायता के लिए विश्व बैंक से सम्पर्क करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

अमरावती जिले में सन्तरे के बागान लगाना

3105. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पिछले 10 वर्षों से अमरावती जिले आदि में संतरे के बागान रोग ग्रस्त हो जाने के कारण विनष्ट होने की स्थिति में हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या संतरे के बागानों से रोग का उन्मूलन करने तथा रोग को और फैलने से रोकने के विचार से एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने अथवा रोग उन्मूलन योजना आरंभ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विदर्भ में संतरों के संसाधन, पैकिंग और विपणन की योजना के कार्यान्वियन में नाफेड का सहयोग लेने का है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को पता है कि पिछले 10 वर्षों से अमरावती जिले सहित विदर्भ क्षेत्र में संतरे के बागान कीट कृमियों और रोगों से रोग ग्रस्त होने की समस्या का सामना कर रहे हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने जुलाई 1986 में नागपुर में एक पूर्ण विकसित राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र का गठन किया है ताकि उक्त क्षेत्र में सन्तरे के महत्वपूर्ण रोगों के नियंत्रण सम्बन्धी उपयुक्त उपाय किये जा सकें।

(ग) नेफेड अमरावती जिले में उत्पादित संतरों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की आजादपुर फल और सब्जी मण्डी में अपनी अवसंरचना के जरिए उनकी बिक्री का प्रबंध करके सहायता कर रहा है। तथापि नेफेड के पास फिलहाल परिसंस्करण और पैकिंग के कार्यों में सहयोग देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की योजना

3106. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों को नियमित बनाए जाने के बारे में 15 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3095 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई बसी और इस समय विद्यमान अनधिकृत कालोनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सातवीं योजना के दौरान अनधिकृत कालोनियों को चरणों में नियमित करने की कोई योजना बनाई है;

(ग) अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और मार्ग-निर्देश क्या हैं; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नियमित की जाने वाली कालोनियों के नाम क्या हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार की विद्यमान नीतियों के अनुसार, दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को जिनमें 30-6-77 और 16-2-77 तक बनी क्रमशः रिहायशी और वाणिज्यिक संरचनाएं भी शामिल हैं, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा नियमित किया जाना है । दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1977 के बाद बनी नयी अनधिकृत कालोनियों का कोई नवीनतम सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ख) जी, हां । परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण केवल उन्हीं कालोनियों पर विचार करेगा जो उपर्युक्त नीति के अन्तर्गत आती हैं ।

(ग) अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया इस प्रकार है :

(i) वास्तविक सर्वेक्षण

(ii) समाजार्थिक सर्वेक्षण

(iii) बृहद योजना/क्षेत्रीय योजना का अध्यारोपण

(iv) मुख्य पथ संरचना और प्रमुख सड़कों की सिधाई को अन्तिम रूप देने के लिए आधार नक्शे पर प्रस्ताव ।

(v) दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम की तकनीकी समिति द्वारा नक्शे को अन्तिम रूप देना और उनका अनुमोदन करना ।

(vi) सामुदायिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित पाकेटों का निर्धारण ।

(vii) सामुदायिक सुविधाओं और अवसंरचना के लिए अपेक्षित पाकेटों का अर्जन ।

(viii) विकास कार्यों का आकलन तथा उनका अनुमोदन ।

(ix) कालोनी का विकास

(x) भवन नक्शों की स्वीकृति ।

(xi) सेवाओं का कलैक्शन ।

(xii) सेवाओं के अनुरक्षण के लिए कालोनी को दिल्ली नगर निगम को अन्तरण ।

(xiii) सरकारी भूमि पर सम्पत्तियों के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रिमियम का एकत्रीकरण ।

(xiv) विभिन्न सोपानों में विकास प्रभारों का एकत्रीकरण ।

(xv) अनधिकृत कालोनियों के क्षेत्र में वाणिज्यिक तथा अन्य सम्पत्तियां यदि कोई हों, की बिक्री करना।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित कालोनियों को नियमितिकरण के लिए लिया गया है:

1. ओम विहार	दिल्ली नगर निगम द्वारा
2. नयी बस्ती हरिजन कालोनी	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा
3. आर्य नगर	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा
4. सदोरा कलां चौकी नं० 2	दिल्ली विकास प्राधिक ण द्वारा

राजकोट रिले केंद्र के क्षतिग्रस्त एन्टीना को बदलना

3107. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकोट रिले केन्द्र के एंटीना को ठीक करा दिया गया है/बदल दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : जी, हां। आवश्यक मरम्मत के बाद एन्टीना पद्धति को सक्रिय कर दिया गया है।

प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के लिए मार्ग निर्देश

3108. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी क्षेत्र को प्राकृतिक आपदाग्रस्त (बाढ़ और सूखा आदि) क्षेत्र घोषित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मार्ग निर्देश अपनाए जाते हैं;

(ख) ऐसे आपदाग्रस्त घोषित क्षेत्रों के लोगों को क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(ग) क्या ये सुविधाएं सभी राज्यों में समान हैं; और

(घ) यदि नहीं तो उनमें क्या अंतर है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत की व्यवस्था करना मुख्यत: सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। किसी विशेष क्षेत्र को प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त क्षेत्र घोषित करना राज्य सरकार का काम है। यद्यपि राहत और पुनर्वास के उपाय राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किए जाते हैं, केन्द्रीय सरकार प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न स्थिति का सामना करने में राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है। यदि राज्य सरकार स्वयं इस स्थिति से निपटने में असमर्थ हो तो वह केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ज्ञापन भेज सकती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार की गई 8वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार सहायता स्वीकृत किए जाने के मापदण्ड सभी राज्यों के लिए एक-जैसे हैं।

मेटलर्जी यूनिटों का आधुनिकीकरण करने के लिए सोवियत संघ की पेशकश

3109. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने मेटलर्जी यूनिटों के लिए अपनी नवीनतम प्रौद्योगिकी की पेशकश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह प्रौद्योगिकी विश्व में उपलब्ध प्रौद्योगिकीयों में सर्वोत्तम है; और

(ग) क्या हमारे अनुसंधान और विकास एककों ने कोई अनुसंधान और विकास कार्य किया जिसका विदेशों को पहले पता नहीं था और यदि हां तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) दोनों पक्ष आपस में सहयोग कर रहे है और किसी भी प्रकार की कठिनाई को दूर करने तथा भिलाई और बोकारो के इस्पात कारखानों में तकनीकी और आर्थिक सूचकों तथा उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करने के लिए दोनों पक्ष मिल कर योजनाओं का पता लगा रहे हैं।

(ख) सोवियत संघ द्वारा सप्लाई की जा रही प्रौद्योगिकीयां, इन कारखानों में उपयोग के लिए उपयुक्त पाई गई हैं।

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सम्बलपुर दूरदर्शन के लिए स्टूडियो की स्थापना

3110, **श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सम्बलपुर दूरदर्शन केन्द्र के लिए एक अलग स्टूडियो स्थापित करने की कोई मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन की सातवी योजना में सम्बलपुर में दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने को कोई स्कीम नहीं है। तथापि, योजना में भुवनेश्वर में उपग्रह अपलिंक सुविधाओं के साथ पूर्णरूपेण दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने की स्कीम शामिल है ताकि समूचे उड़ीसा राज्य की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली की भूमि का उपयोग

3111. **श्री राजकुमार राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली के कब्जे में कितने हैक्टेयर भूमि है और इसमें कितनी भूमि का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) उपलब्ध भूमि के पूरे क्षेत्र का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस भूमि पर पैदा किये जा रहे खाद्यान्न किस प्रयोजन के लिए उपयोग किए जा रहे हैं?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आई० ए० आर० आई० के कब्जे में कुल 480 हैक्टेयर भूमि है जिसमें से 160 हैक्टेयर में भवन और सड़कें आदि हैं। शेष 320 हैक्टेयर में फसलें उगाई जाती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कृषि कार्य किए जाने वाले क्षेत्र के अधिकांश भाग में परीक्षण का कार्य किया जाता है। छोटे क्षेत्र में नाभिक एवं प्रजनन बीज उत्पादन का कार्य होता है। नाभिक बीज का उपयोग प्रजनन बीज के और अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। मूल बीज उत्पादन के लिए बीज उत्पादक एजेंसियों को प्रजनन की सप्लाई की जाती है। इसमें कुछ बीज का इस्तेमाल असामान्य परीक्षणों और मिनिकीट अनुकूली प्रदर्शन परीक्षणों के लिए किया जाता है। परीक्षणों से प्राप्त उत्पादों में से कुछ मात्रा अनाज के रूप में बेच दिया जाता है।

दिल्ली में मंडावली फाजलपुर गांव में भूमि का अधिग्रहण

3112. **श्री राजकुमार राय :** क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली में मंडावली फाजलपुर गांव में भूमि के अधिग्रहण के बारे में 11 अगस्त, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4601 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खसरा संख्या 598, 599 और 600 के अन्तर्गत भूखण्डों का किस प्रयोजन के लिए खाली कराया गया था और इस समय इसका किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार शेष लोगों को जिन्हें वैकल्पिक भूमि अथवा मकान नहीं दिए गए हैं, कुछ भूमि अथवा उसका कुछ हिस्सा आवंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं? और

(ङ) इन खसरों से संबंधित लोगों के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए खसरा नं 598, 599 तथा 600 का अर्जन किया गया था जिसमें से खसरा नं० 599 के अन्तर्गत रिक्त भूमि का कब्जा 23-7-86 को दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। इस भूमि पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक विकास कार्य आरम्भ नहीं किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण सरकार ने खसरा नं० 598 तथा 600 का कब्जा नहीं लिया है।

(ख) से (ङ) चूंकि उपर्युक्त समस्त भूमि किसी व्यक्तिगत मालिक की न होकर ग्राम सभा की है, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कलकत्ता निगम को नदी क्षेत्र की भूमि का कब्जा सौंपना

3113. डा० सुधीर राय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में स्टैंड शेड के साथ लगी नदी क्षेत्र की भूमि संबंधी मामला विवाद में पड़ गया है, क्योंकि कलकत्ता पत्तन न्यास ने भूमि कलकत्ता निगम को देने से इन्कार कर दिया; और

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में कलकत्ता निगम को कोई सहायता प्रदान करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कलकत्ता पत्तन न्यास तथा कलकत्ता निगम से एक रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, इस मामले की आगे जांच की जाएगी।

उड़ीसा में दैतारी में इस्पात संयंत्र के लिए अर्जित भूमि

3114. श्री हरिहर सोरन : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में दैतारी में इस्पात सन्यन्त्र स्थापित करने के लिए कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है उन्हें कितना मुआवजा दिया गया है;

(ग) इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए मुआवजे की अदायगी और अन्य आरम्भिक कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) परियोजना के समर्थकारी निर्माण कार्यों के लिए 16.74 एकड़ सरकारी भूमि अधिगृहीत कर ली गई है इस्पात संयंत्र विशेष के लिए अभी तक कोई भूमि अधिगृहीत नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कोई गैर-सरकारी भूमि अधिगृहीत नहीं की गई है।

(ग) और (घ) अक्तूबर, 1986 के अन्त तक इस परियोजना पर 555.13 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम सं०	मद	राशि : लाख रुपयों में
1.	कम्पनी का पंजीकरण	40.00
2.	अचल परिसम्पत्तियां	40.69
3.	परामर्शी फीस	182.82
4.	भूमि की जांच, सर्वेक्षण, समर्थकारी निर्माण कार्य, नमूना तथा परीक्षण आदि।	115.01
5.	स्थापना और प्रशासनिक व्यय	176.61
		555.13

खाड़ी के देशों में कामगारों के वेतन-स्तर के बारे में देशों के बीच समझौता

3115. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों को श्रमिक भेजने वाले देशों के बीच श्रमिकों की मजदूरी के बारे में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में भूमि के कटाव, गाद जमा होने से कटाव और परिवर्ती खेती के कारण नुकसान

3116. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि के कटाव, गाद जमा होने, वायु से कटाव और परिवर्ती खेती के कारण उड़ीसा राज्य को हुए नुकसान का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कारणों से प्रतिवर्ष होने वाले भूमि के कटाव का हैक्टेयरों में ब्यौरा क्या है ;

(ग) भूमि के कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या इसके लिए कोई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना कार्यान्वित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उड़ीसा सरकार ने अमुमान लगाया है कि विभिन्न प्रकार के मूमि कटावों के कारण लगभग 82 लाख हैक्टर क्षेत्र अथवा मूमि प्रभावित है। भारत में झूम खेती पर बने कृतक बल (अक्तूबर, 1983) के अनुसार, उड़ीसा में झूम खेती से प्रभावित कुल क्षेत्र लगभग 26.5 लाख हैक्टर है और प्रतिवर्ष लगभग 5.3 लाख हैक्टर क्षेत्र प्रभावित होता है। तटवर्ती इलाकों में बायु से कटाव द्वारा लगभग 30,000 हैक्टर क्षेत्र प्रभावित बताया जाता है। गाद जमा होने से प्रभावित क्षेत्र के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रतिवर्ष विभिन्न कारणों से होने वाले मूमि कटाव के अनुमान नहीं लगाये गए हैं।

(ग) राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्र दोनों के तहत मृदा संरक्षण कार्यक्रमों में मूमि कटाव की रोकथाम के उपाय किए गए हैं। इन उपायों में वानस्पतिक इन्जीनियरी और उन्नत प्रबन्ध पद्धतियां जैसे बांध लगाना, टैरेस बनाना, उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी, बागवानी रोपण, वनरोपण, चारागाह का विकास, गली नियन्त्रण, नदी के तटबंध का नियन्त्रण, चेक डैम, जल संचयन ढांचे आदि शामिल हैं। 1985-86 तक, विभिन्न राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र के मृदा संरक्षण कार्यक्रमों के तहत लगभग 6.00 लाख हैक्टार क्षेत्र लाया गया है।

(घ) और (ङ) उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित केन्द्र द्वार प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं ;

(1) हीराकुंड, मछकुन्ड/सिलेरू और रंगाली मन्दिरा की नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

(2) कालाहंडी, फूलबानी, सम्बलपुर और बोलंगीर, के जिलों में सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम।

(3) कोरापुट के ज़िले में वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम।

(4) ग्रामीण ईंधन की लकड़ी तथा बागान लगाना।

(5) पोडु से प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिए विकास कार्यक्रम।

[हिन्दी]

उर्वरक कारखानों को बिजली की अनियमित सप्लाई

3117. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की अनियमित सप्लाई के कारण आधे से अधिक उर्वरक उत्पादन क्षमता का नुकसान हुआ है, यदि हां, तो सरकार द्वारा बिजली की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

जिससे कि उर्वरक कारखानों की पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा सके;

(ख) उर्वरक कारखानों में भारी नुकसान का, रखरखाव का घटिया स्तर भी एक मुख्या कारण है और यदि हां, तो बेहतर रख रखाव और उर्वरकों के भण्डारण के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उन उर्वरक कारखानों के नाम क्या है जी हां रखरखाव के प्रबन्ध पर्याप्त नहीं हैं और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक कारखाने द्वारा वर्ष 1985-86 से कितनी धनराशि खर्च की गई तथा वर्ष 1986-87 में कितनी धनराशि खर्च किए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों को कितनी मात्रा आयात करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आ० प्रभु) : (क) बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण उर्वरकों के उत्पादन में हानि हुई है, हालांकि यह उत्पादन क्षमता के आधे से अधिक नहीं है।

समय समय पर राज्य सरकारों से उर्वरक कारखानों को बिजली की कटौती/प्रतिबंधों से छूट देने के लिए अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त अस्थिर ग्रिड आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए, जहां भी आवश्यक समझा गया, कैप्टिव पावर सन्यन्त्र लगाए गए हैं तथा लगाए जा रहे हैं।

(ख) उर्वरकों के उत्पादन में कमी, मुख्यत: अन्य बातों के साथ-साथ असंतोषजनक रख रखाव के कारण उपकरणों में खराबी से हुई है। इसलिए उर्वरक कम्पनियों को कहा गया है कि वे अपनी अनुरक्षण व्यवस्था तथा रुकावट के प्रत्येक मामले के विश्लेषण के साथ-साथ निरोधी व भावी अनुरक्षण प्रक्रिया को सुदृढ बनाये।

अधिकतर उत्पादकों के पास उनके संयंत्रों में ही सामान्य मानक के अनुसार भण्डारण क्षमता है। इसके अलावा, केन्द्रीय व राज्य भण्डारण निगमों को क्षेत्र में उर्वरकों के भण्डारण की आवश्-य कता के बारे में सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत परियोजना कार्यक्रम

3118. **श्री श्रीहरि राव** :
श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी परियोजना कार्यक्रम भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना कार्यक्रमों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) वर्ष 1986-87 में प्राप्त हुई 8 परियोजनाओं में से 7 पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं । एक अभी विचाराधीन है क्योंकि राज्य सरकार से ब्यौरे और स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए हैं । परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

1986-87 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कारन्टी कार्यक्रम परियोजनाओं का दर्जा ।

क्र० सं०	परियोजना का नाम		अनुमोदित अनुमानित परियोजना लागत
			(लाख रु०)
1.	इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आवासों का निर्माण ।		1273.28
2.	ग्रामीण सम्पर्क सड़कों, लघु सिंचाई कार्य और सामुदायिक सिंचाई कुओं का निर्माण		312.00
3.	सामुदायिक सिंचाई कुओं का निर्माण		1235.05
4.	ग्रामीण स्वच्छ शौचालयों का निर्माण बच्चों के विकास जिला केन्द्रों में बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण		136.83
5.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास जिला केन्द्रों में बहुतउद्देशीय सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण		50.60
6.	सड़कों, सामुदायिक शौचालयों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावास भवनों, पेयजल कुओं इत्यादि का निर्माण ।		3042.81
7.	सामाजिक वानिकी कार्य		869.05
8.	सामाजिक वानिकी कार्य	विचाराधीन	अनुमानित परियोजना लागत 59 25 लाख रुपये है । अतिरिक्त ब्योरा/स्पष्टीकरणों की राज्य-सरकारों से प्रतीक्षा की जा रही है ।

हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती के कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि

3119. श्री कुंवर राम : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 1986 तक हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती के कर्मचारियों की उनके वेतन, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और उपदान की बकाया राशि कितनी थी;

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि प्राप्त करने में सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) दिल्ली के श्रम आयुक्त द्वारा की गई कार्यवाही का क्या परिणाम निकला ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा/कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, उक्त दो प्रतिष्ठानों की ओर कर्मचारी राज्य बीमा/कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि निम्न प्रकार से थी :

प्रतिष्ठान का नाम	बकाया राशि कर्मचारी राज्य बीमा :—	कर्मचारी भविष्य निधि
	(रुपये लाखों में)	
मैसर्स हिन्दुस्तान समाचार	3·00 (3१-10-85 तक)	17·-6 (31-3-86 तक)
मैसर्स समाचार भारती	3·19 (30-6-85 तक)	12·02 (31-12-85 तक)

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें हिन्दुस्तान समाचार कर्मचारी यूनियन और समाचार भारती कर्मचारी यूनियन से मजदूरी की अदायगी न करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह मामला प्रबन्धतन्त्र के साथ उठाया गया था और कर्मकारों को उनकी दिसम्बर, 1985 तक की मजदूरी अदा कर दी गई है। तत्पश्चात उन्हें मजदूरी की अदायगी न करने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, उन्हें उक्त दोनों प्रबन्ध तन्त्रों द्वारा उपदान की अदायगी न करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बताया गया है कि दिल्ली प्रशासन इन शिकायतों पर उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार तकारंवाई कर कर है।

कर्मचारी राज्य बीमा/ कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी भी कर्मचारी राज्य बीमा/कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशियों की वसूली करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा/ कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

[हिन्दी]

समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत समाचार-पत्र और पत्रिकाएं

3120. **श्री शांति धारीवाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के पास सितम्बर, 1986 तक कितने समाचार-पत्र और पत्रिकाएं पंजीकृत थीं;

(ख) इनमें से कितने समाचार पत्र/पत्रिकाएं लगातार प्रकाशित की जा रही हैं;

(ग) इनमें से उन समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की संख्या कितनी है जो 31 दिसम्बर, 1986 के बाद प्रकाशित नहीं हुई हैं;

(घ) क्या सरकार उन समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का पंजीकरण रद्द करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) 30-9-1986 के दिन की स्थिति के अनुसार, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के यहां पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या 23,596 थी।

(ख) और (ग) क्योंकि प्रकाशक सम्बन्धित अधिकारियों को सदा सूचित किये बिना समाचार पत्र का प्रकाशन स्वयं निलम्बित या बन्द कर देते हैं, इसलिए भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के लिए इस बारे में अधिकृत सूचना रखना सम्भव नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के उपबन्धों के अनुसार, सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनियमित प्रकाशनों के मामलों में घोषणा को रद्द करने के लिए सक्षम है। इस प्रकार से युक्त शीर्षकों के बारे में सूचना समय-समय पर भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक को भेजी जाती है, और उसके बाद वे उन्हें अन्य आवेदकों को आबंटित करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए बसंतकुंज स्थित फ्लैटों के आवंटनपत्रों में अनियमितताएं

3121. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसन्त कुंज में स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के

फ्लैटों के भावी खरीददारों को जारी किये गए आवंटन पत्रों और वास्तविक निर्माण में व्यापक विसंगति और विषमताएं हैं;

(ख) क्या बन रहे फ्लैटों के निर्माण पर कोई गुणवत्ता नियन्त्रण नहीं रखा जा रहा है जिनके कारण आबंटितियों में भारी रोष है;

(ग) यदि हां, तो आबंटितियों को जारी किए गए आवंटन पत्रों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिए गए वचन को न निभाये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) फ्लैटों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या निगरानी रखी जा सकती है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (घ) निर्माण की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए जिसमें बढ़िया सामग्री के प्रयोग और विशिष्टियों में अनुरूपता भी शामिल है, दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास एक गुणवत्ता नियन्त्रण कक्ष है।

(ङ) भाग (ख) तथा (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

3122. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, राज्यों को उत्तम किस्म के बीज उगाने और खेती की तकनीक सुधारने के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहायता और उन्हें वित्तीय मदद प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार राज्यों को किस किस्म की सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) दी गई इस सहायता से कृषि उत्पादन विशेषकर दलहनों और तिलहनों का उत्पादन कितना बढ़ा है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य सरकारों को पांच वर्षीय आधार पर समन्वित प्रयोजनाओं की बहु-स्थानीय योजना राशियों, विदेशों से सहायता प्राप्त योजनाओं और राष्ट्रीय बीज प्रायोजना के लिए योजना राशियों के रूप में कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करती है। परिषद राज्य कृषि विश्व विद्यालयों के लिए फसलों की बेहतर प्रजातियां विकसित करने हेतु

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से जननद्रव्य और प्रजनक सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था भी करती है। तकनीकी और वैज्ञानिक मामलों में भा० कृ० अ० प० और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के बीच सतत् पारस्परिक सम्बन्ध है।

(ग) उपरोक्त प्रकार से भा० कृ० अ० प० द्वारा दी गई सहायता के फलस्वरूप कृषि विश्वविद्यालयों ने देश में उत्पादन का वर्तमान स्तर प्राप्त करने में पर्याप्त योगदान दिया है। दालों के उत्पादन के संबंध में एक धीमी और स्थिर प्रगति विगत कुछ वर्षों में रही है अर्थात 1985-86 में यह 129·6 लाख टन रही जबकि 1980-81 में यह 100·3 लाख टन थी। सुधरी हुई किस्मों और उत्पादन प्रौद्योगिकीय की सहायता से अरहर, उड़द, मूंग चना और मसूर में विशेष रूप से उत्पादन बढ़ा है।

तिलहनों में प्रति हैक्टर उपज बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन संरक्षण प्रौद्योगिकियों और स्थान विशेष पर लाभदायक मिश्रित खेती प्रणाली की पहचान करने के साथ साथ 265 सुधरी हुई प्रजातियां और संकर प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। फलस्वरूप तिलहन उत्पादन 1980-85 के दौरान 9·37 मिलियन टन से बढ़कर 1984-85 के दौरान 12·95 मिलियन टन हो गया।

शुष्क भूमि पर खेती करने की प्रौद्योगिकी में सुधार करना

3123. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शुष्क भूमि पर खेती करने की तकनीक को विकसित करने या मौजूदा तकनीक में सुधार करने की कोई योजना बनाई है।

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार शुष्क भूमि का कुल कितना क्षेत्र है और उसमें किस सीमा तक खाद्य फसलें पैदा की जा सकती हैं, और

(ग) चालू योजनावधि के दौरान प्रत्येक राज्य में आरम्भ किए गए कार्यक्रमों के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्रों को लेने का विशेष हवाला देते हुए योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यवार और पूरे देश का निवल तथा सकल असिंचित क्षेत्र दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

इन बारानी क्षेत्रों में खाद्य फसलें किस सीमा तक उगाई जा सकती हैं, के बारे में कोई मात्रा सम्बन्धी अनुमान नहीं लगाये गए हैं।

(ग) आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से बारानी खेती के विकास का काम चालू प्लान अवधि के दौरान विभिन्न राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन से शुरू किया गया है। इसमें शामिल राज्य हैं—आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

विवरण

निवल तथा सकल असिंचित क्षेत्र -- 1982-83 (अनन्तिम)

(हजार हैक्टार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निवल असिंचित क्षेत्र	सकल असिंचित क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश	7507	8251
असम	2124	2984
बिहार	5959	6291
गुजरात	7515	7667
हरियाणा	1240	1747
हिमाचल प्रदेश	478	799
जम्मू व कश्मीर	406	597
कर्नाटक	8870	9359
केरल	1921	2473
मध्य प्रदेश	16371	19471
महाराष्ट्र	16375	17271
मणिपुर	75	113
मेघालय	143	157
नागालैण्ड	99	102
उड़ीसा	4915	6320
पंजाब	652	767
राजस्थान	12442	14307
सिक्किम	64	91
तमिलनाडु	3004	3298
त्रिपुरा	217	343
उत्तर प्रदेश	7342	12583
पश्चिम बंगाल	3731	5170
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	33	35
अरुणाचल प्रदेश	94	38

1	2	3
चण्डीगढ़	3	4
दादरा और नागर हवेली	23	25
दिल्ली	13	35
गोआ दमन और दीव	120	129
लक्षद्वीप	3	3
मिजोरम	57	70
पाण्डिचेरी	4	7
अखिल भारत	101800	120607

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित छोटे और सीमांत किसान

3124. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना से छोटे और सीमांत किसानों को भी लाभ होता है।

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सम्बन्धी योजना का लाभ मिला है; और

(ग) क्या इस अनुपात को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) सभी परिवार जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं तथा जिनकी वार्षिक आय 4,800 रुपये से कम है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इस श्रेणी में आने वाले छोटे तथा सीमान्त किसानों को भी सहायता दी जा सकती है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित हुए छोटे तथा सीमान्त किसानों के प्रतिशत की निगरानी अलग से नहीं की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकरण की जांच के लिए दल

3125. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री सुभाष यादव :
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :
डा० बी० एल० शैलेश :
श्री सी० सम्बु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय दल का गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की व्यापक रूप रेखाएं क्या हैं ?

(ग) दल की रचना क्या है; और

(घ) यह कब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :

(क) से (घ) यह मामला विचाराधीन है और जैसे ही इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा, उनका ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास

3126. **श्री राजकुमार राय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि बंधुआ श्रमिकों की पुनर्वास योजनाओं के आवंटन के मामले में लाभार्थियों की पृष्ठभूमि और रुचि का मूल्यांकन करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा व्यावहारिक दृष्टि से सभी मामलों में कोई कार्य-वाही नहीं की गई;

(ख) क्या बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के कार्यान्वयन में कुछ कमियां थीं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उस स्थिति में किस प्रकार सुधार करने का विचार है ताकि बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) श्रम मंत्रालय के अनुरोध पर योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 1981 और 1982 में बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का मूल्यांकन किया था और अपनी रिपोर्ट 1984 में दी थी। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष यह था कि पुनर्वास स्कीमों को लाभानुभोगी की पृष्ठभूमि और इच्छा के अनुकूल तैयार नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन, बंधुआ श्रमिकों का पता लगाना, उन्हें मुक्त कराना और पुनर्वासित करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों को पुनर्वास स्कीमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केन्द्रीय सरकार ने उक्त स्कीमों की रूप रेखा भी भेजी है जिसमें सुझाव दिया गया है कि पुनर्वास स्कीमों को किस तरह तैयार किया जाय राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अन्य गरीबी निवारण स्कीमों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के साथ एकीकृत करें ताकि बंधुआ मजदूरों को काफी लाभ मिल सके।

वायनाड में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करना

3127. **डा० के० जी० आदियोडी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वायनाड में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) वायनाड जिले में कालपेट्टा में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल है ।

क्षेत्रीय समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन

3128. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन और दृश्य प्रचार विभाग क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन देता है; और

(ख) यदि हां, तो 1983, 1984 और 1985 के दौरान उड़िया भाषा के समाचार पत्रों को विज्ञापन देने में कितनी राशि खर्च की गई और समाचार पत्रों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान उड़िया के समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को जिनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जारी किए गए विज्ञापनों पर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का जो खर्च हुआ, वह इस प्रकार है :

वर्ष	राशि (रुपयों में)
1983-84	6,39,668
1984-85	7,75,005
1985-86	7,30,072

विवरण

1983-84

दैनिक

1. समाज, कटक
2. प्रजातंत्र, कटक
3. धारित्री, भुवनेश्वर
4. प्रगतिवादी, भुवनेश्वर
5. मातृभूमि, कटक
6. स्वराज्य, भुवनेश्वर
7. दिनालिपि, भुवनेश्वर
8. हीराखंडे, सम्बलपुर
9. खबर कागज, भुवनेश्वर
10. अग्निशिखा, सम्बलपुर
11. गणवार्ता, सम्बलपुर
12. दैनिक आशा, बरहम्पुर

साप्ताहिक

1. राष्ट्रदीप, कटक
2. राउरकेला रिपोर्टर, राउरकेला
3. दि जनशक्ति, नौरंगपुर
4. अभिमत, भुवनेश्वर
5. दि नवीन, बरहमपुर
6. दि दहन, कटक
7. टयूज डे, भुवनेश्वर
8. दि विवर्तन, कटक
9. सविता, बरहम्पुर

अन्य

1. सुचारिता, भुवनेश्वर
2. पौरष, कटक
3. झंकार, कटक
4. बरमजा, भुवनेश्वर
5. मीना बाजार
6, उत्कल प्रसंग, भुवनेश्वर
7. बनफूल, भुवनेश्वर
8. असंताकली, कलकत्ता
9. जहानारंजा, भुवनेश्वर
10. दीगारे, कटक
11. कुनी रेंजा, भुवनेश्वर
12. शिशु रेंजा, कोरापुर
13. ताकत, कटक
14. नबालिपि, पुरी
15. पुरामा दर्शन, कटक
16. जिजिशा, भुवनेश्वर
17. प्रतिवेषी, कलकत्ता

1984-85

दैनिक

1. समाज, कटक
2. प्रजातंत्र, कटक
3. धारित्री, भुवनेश्वर
4. प्रगतिवादी, भुवनेश्वर
5. मातृभूमि, कटक
6. दिनालिपि, भुवनेश्वर
7. स्वराज्य, भुवनेश्वर
8. खबर कागज, भुवनेश्वर
9. अग्निशिक्षा, सम्बलपुर
10. दैनिक आशा, बरहम्पुर
11. कुरुक्षेत्र, राउरकेला

साप्ताहिक

1. राष्ट्रदीप, कटक
2. गणवार्ता, सम्बलपुर
3. राउरकेला रिपोर्टर, राउरकेला
4. दि जनशक्ति, नौरंगपुर
5. अभिमत, भुवनेश्वर
6. दि नवीन, बरहम्पुर
7. दि दहन, कटक
8. टयूज डे, भुवनेश्वर
9. विवर्तन, कटक
10. गण इश्तहार, सम्बलपुर

अन्य

1. सबिता, बरहम्पुर
2. सम्पादक, जयपुर
3. सुचरिता, भुवनेश्वर
4. पौरष, कटक
5. झंकार, कटक
6. बरमजा, भुवनेश्वर
7. उत्कल प्रसंग, भुवनेश्वर
8. बनफूल, भुवनेश्वर
9. असंताकली, कलकत्ता
10. कुनीरंजा, भुवनेश्वर
11. शिशुरंजा, कोरापुट
12. संसार, कटक
13. ताकत, कटक
14. टिकी दुनिया, कटक
15. पुरम दशन, कटक
16. जिजिशा, भुवनेश्वर
17. प्रतिवेशी, कलकत्ता
18. अमृतायन, भुवनेश्वर

1985-86

दैनिक

1. समाज, कटक
2. प्रजातंत्र, कटक
3. धारित्री, भुवनेश्वर
4. प्रगतिवादी, भुवनेश्वर
5. मातृभूमि, कटक
6. दिनालिपि, भुवनेश्वर
7. स्वराज्य, भुवनेश्वर
8. खबर कागज, भुवनेश्वर
9. अग्निशिक्षा, सम्बलपुर
10. दैनिक आशा, बरहम्पुर
11. कुरुक्षेत्र, राउरकेला
12. संवाद, भुवनेश्वर

साप्ताहिक

1. राष्ट्रदीप, कटक
2. जनशखा, नौरंगपुर
3. नबीन, बरहम्पुर
4. टयूज डे, भुवनेश्वर
5. विवर्तन, कटक
6. गण इश्तहार, सम्बलपुर
7. ढकारा, सम्बलपुर

अन्य

1. सबिता, बरहम्पुर
2. सुचरिता, भुवनेश्वर
3. झंकार, कटक
4. बरमजा, भुवनेश्वर
5. उत्कल प्रसंग, भुवनेश्वर
6. बनफूल, भुवनेश्वर
7. असंताकाली, कलकत्ता
8. ससार, कटक
9. ताकत, कटक
10. मीना बाजार, कटक
11. टिकी दुनिया, कटक
12. पुरमा दशन, कटक
13. जिजिशा, भुवनेश्वर
14. प्रतिवेशी, कलकत्ता
15. अमृतायन, भुवनेश्वर
16. नबालिपि, पुरी
17. संजीवनी, भुवनेश्वर

उपलब्ध की गई मूंगफली की किस्में

3129. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मूंगफली की कितनी किस्में उपलब्ध की गई और 1985-86 में देश में इन किस्मों की कितनी भूमि में खेती की गई;

(ख) निरन्तर सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए मूंगफली की कौन सी किस्में विकसित की गई हैं; और

(ग) इन किस्मों की सूखे का सामना करने की कितनी क्षमता है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले 10 वर्षों के दौरान भा० कृ० अ० प० ने मूंगफली की 23 उन्नत किस्मों का विकास किया है। कृषकों के खेतों पर परीक्षण करने के बाद विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य किस्म रिलीज समितियां इन्हें रिलीज करती हैं। देश की वर्तमान कृषि सांख्यिकीय विधियों के अन्तर्गत कौन सी किस्म कितने क्षेत्र में उगाई जाती है इससे संबंधित सूचना अखिल भारतीय स्तर पर एकत्र नहीं की जाती। फिर भी वर्ष 1985-86 के दौरान मूंगफली (इसमें सभी किस्में शामिल हैं) का अखिल भारतीय क्षेत्र 7·31 मिलियन हैक्टेयर था।

(ख) रिलीज की गई 23 किस्मों में से 11 किस्में सूखा-प्रवण क्षेत्रों (वर्षा पर निर्भर) के लिए उपयुक्त हैं।

(ग) इन किस्मों में सूखा सहने की क्षमता एक स्थान से दूसरे स्थान, मृदा की नमी धारण करने की क्षमता, फसल की बढ़वार अवस्था और सूखे की अवधि के अनुसार अलग-अलग होती है।

सूखे से निरन्तर प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों के लिए विकास प्राधिकरण का गठन

3130. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखे से निरन्तर प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों जिनमें रायलसीमा के चार जिले, तेलंगाना के दो जिले और कर्नाटक का एक जिला शामिल है, के लिए एक विकास प्राधिकरण बनाने के बारे में सरकार से अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मत्स्य उद्योग के लिए उड़ीसा को आस्ट्रेलिया से सहायता

3131. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने राज्य में मत्स्य उद्योग (गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सहित) के विकास के लिए आस्ट्रेलिया सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो मांगी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या हाल ही में नई दिल्ली आए आस्ट्रेलिया के उच्च स्तरीय सरकारी शिष्टमंडल के साथ इस विषय पर चर्चा हुई थी, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कर्मचारी भविष्य निधि की एक करोड़ रुपए से अधिक की बकाया धनराशि जमा न कराने वाले प्रतिष्ठान

3132. **सैयद शाहबुद्दीन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छूट न दिए गए उन प्रतिष्ठानों के नाम क्या है जिन्हें अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में भविष्य निधि में एक करोड़ रुपये से अधिक की बकाया धन राशि जमा करनी है;

(ख) छूट दिए गए उन प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1985-86 में जांच के दौरान अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते को बनाये रखने में अनियमितताएं करते हुए पाया गया; और

(ग) उन प्रतिष्ठानों के नाम क्या है जिनके विरुद्ध वर्ष 1985-86 और चालू वित्तीय वर्ष में मुकदमे चलाए गए ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 31-3-86 को निम्नलिखित छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों ने एक करोड़ रुपये से अधिक की बकाया धनराशि जमा करनी थी :

1. मैसर्स गेडोर टूल्स इण्डिया लि०, फरीदाबाद
2. मैसर्स होप टैक्सटाइल्स लि०, इन्दौर
3. मैसर्स विनोद मिल्स कं० लि०, उज्जैन
4. मैसर्स हिन्द साइकिल लि०, बम्बई
5. मैसर्स ब्रैडवरी मिल्स लि०, बम्बई
6. मैसर्स इंडिया यूनाइटिड मिल्स, बम्बई
7. मैसर्स श्री सीताराम मिल्स, बम्बई
8. मैसर्स लक्ष्मी सुगर एंण्ड जनरल मिल्स, हारदोई।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन प्रतिष्ठानों के नाम दिए गए हैं जिन्हें भविष्य निधि अंशदानों को न्यासी बोर्ड में हस्तांरित न करते हुए पाया गया।

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान, बकायादार छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के खिलाफ 5155 अभियोजन मामले चलाए गए और बकायादार छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के विरुद्ध 168 अभियोजन मामले चलाये गए।

विवरण

क्रमांक	क्षेत्रवार प्रतिष्ठान का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	मैसर्स अल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज लि०
2.	मैसर्स एच० एम० टी० लि०
	बिहार
1.	मैसर्स के० ई० डब्ल्यू० रोलिंग मिल एंड डिवलप०
2.	मैसर्स बिहार स्टेट शूगर कोपरेटिव लि०
3.	मैसर्स मोदीपुर शूगर केन फार्म्र
4.	बिहार फायरब्रिक्स एण्ड पोटरी लि०
5.	मैसर्स रोहतास लि०
6.	मैसर्स पार्श्व प्रोपर्टी लि०
7.	मैसर्स बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन
8.	मैसर्स एस० के० जी० शुगर मिल्स लि०
9.	मैसर्स सोनवैली पोर्टलेंड सीमेंट कं०
10.	मैसर्स अशोका सीमेंट लि०
	दिल्ली
1.	मैसर्स मोहन मशीन्स लि०
	गुजरात
1.	मैसर्स शुबलक्ष्मी मिल्स लि०
2	मैसर्स गायकवाड़ मिल्स लि०
3.	मैसर्स वैनी सिल्क मिल्स

1	2
	हरियाणा
1.	मैसर्स भारत स्टील ट्यूब्स लि०
	कर्नाटक
1.	मैसर्स श्री आर० के० मिल्स
2.	मैसर्स सलार जंग शूगर मिल्स
	केरल
1.	मैसर्स अल्यूमिनियम इण्डस्ट्रीज लि०
2.	मैसर्स कंडोठी पी०सी०सी० सोसाइटी लि०
3.	मैसर्स ट्रावनकोर रेयन्स लि०
4.	मैसर्स ट्रांसफार्मर्स एण्ड इलैक्ट्रीकल्स
5.	मैसर्स अल्यूमिनियम इण्डस्ट्रीज लि०, मूनर
	मध्य प्रदेश
1.	मैसर्स बुरहनपुर ताप्ती मिल्स
2.	मैसर्स राजकुमार मिल्स लि०
3.	मैसर्स हुकमचन्द मिल्स लि०
4.	मैसर्स सज्जन मिल्स लि०
	महाराष्ट्र
1.	मैसर्स दी खंडेश स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०
2.	मैसर्स जैसमिन मिल्स लि०
3.	मैसर्स श्रीनिवास कॉटन मिल्स लि०
4.	मैसर्स अलॉक एशडाउन एण्ड कं० लि०
5.	मैसर्स मॉडल मिल्स लि०
6.	मैसर्स वैस्टर्न इण्डिया स्पीनिंग एण्ड वीविंग कं० लि०
7.	फिनले मिल्स लि०
8.	मैसर्स गोल्ड मोहर लि०
9.	मैसर्स एलपिन्सटन स्पीनिंग एण्ड वाविंग मिल्स लि०

1	2
10.	मैसर्स दी ओरिएण्टल मैटल प्रोसेसिंग
11.	मैसर्स चांगदेव शूगर मिल्स
12.	मैसर्स रेयन्ड वूलन मिल्स
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
1.	मैसर्स असम ट्रब्यून, गोहाटी
2.	मैसर्स बुडकाफ्ट्स प्रोवीडेण्ट फंड
3.	मैसर्स एच० एफ० सी०
4.	ए० एस० ई० बी० (गोहाटी)
	उड़ीसा
1.	मैसर्स अल्यूमिनियम इण्डस्ट्रीज लि०
2,	मैसर्स बी० टी० एम०
3.	मैसर्स स्ट्रा प्रोडक्ट
4.	एच० ए० एल०
5.	के० टी० एल०
	पंजाब
	शून्य
	राजस्थान
1.	मैसर्स श्री गांधी सेवा सदन
2.	मैसर्स राजस्थान स्टेट मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन लि०
3.	मैसर्स राजस्थान स्टेट टंगस्टन डिवलपमेंट कारपोरेशन लि०
	उत्तर प्रदेश
1.	मैसर्स मोदी स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं०
2.	मैसर्स नारंग इण्डस्ट्रीज
3.	मैसर्स अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लि०
4.	मैसर्स साइंटीफिक इंस्ट्रूमेंट कं० लि०
5.	मैसर्स बस्ती शूगर मिल्स कं०

1	2
	तमिलनाडु
1.	मैसर्स बिन्नी इंजीनियरिंग लि०
2.	मैसर्स मेथुर टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज लि०
3.	मैसर्स ह्रीकब्रिज हेविट्रीक एसुम लि०
4.	मैसर्स एश्वर्न एण्ड सन्स इंजीनियर्स लि०
	पश्चिम बंगाल
1.	मैसर्स केल्विन जूट कं० लि०
2.	मैसर्स मैग्ना लि०
3.	श्री अम्बिका जूट कं० लि०
4.	एंग्लो इंडिया जूट मिल्स लि०
5.	डलहौजी जूट कं० लि०
6.	ईस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०
7.	नार्थ ब्रुक जूट मिल्स लि०
8.	एम्पायर जूट कं० लि०
9.	मैसर्स श्री गौरीशंकर जूट मिल्स लि०
10.	बर्ड जूट एण्ड एक्सपोर्टस लि० (प० बं/14)
11.	ईस्ट बंगाल इन्जीनियरिंग कं० लि०
12.	वैरायटी इंडस्ट्रीयल वर्क्स लि०
13.	वेस्टिंग हाउस सेक्सबी टारमर लि०
14.	इण्डिया हार्ड मैटल्स लि०
15.	बर्न एण्ड कं० लि०
16.	इंडिया स्टैंडर्ड वैगन लि०
17.	बंगाल पोटरीज लि०
18.	ओरिएन्टल मैटल्स इंडस्ट्रीज लि०
19.	मोनीनि मिल्स लि०
20.	इंडिया पेपर पल्प कं० लि०
21.	हालजर्स लि०
22.	अमृत बाजार पत्रिका लि०

1	2
23.	जुगान्तर लि०
24.	रोबर्टस हडसन इण्डिया लि०
25.	इंडियन हैल्थ इन्स्टीट्यूट एण्ड लेबोरेटरी लि०
26.	श्री हनुमान जूट मिल्स लि०
27.	स्टील एण्ड एलायड प्रा० लि०
28.	बेनी लि०
29.	बेलफोर्ड ट्रांसपोर्ट कं० लि०
30.	बर्ड एण्ड कं० लि० प्रोसेस इन्जीनियरिंग डिवीजन
31.	हुगली डॉकिंग इंजीनियरिंग कं० लि०
32.	डब्ल्यू० एस० क्रेसवाल
33.	रामनगर केन एंड शूगर कं० लि०
34.	अल्यूमिनियम मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०
35.	बी० बी० जे० कंसट्रक्शन कं० लि०
36.	बर्ड एंड कं० लि०
37.	सेन रिले कं० लि०
38.	गौरीपुर कं० लि०
39.	बज बज जूट कं० लि०
40.	बारानगर जूठ मिल्स लि०
41.	हावड़ा मिल्स लि०
42.	कल्याणी स्पीनिंग मिल्स लि०
43.	नफ्फार चन्द्र जूट मिल्स लि०
44.	कॉकीनहां कं० लि०
45.	नैहाटी जूट कं०
46.	हिमालय शिपिंग कं० लि०
47.	न्यू सेंट्रल जूट मिल्स
48.	अगरपारा कं०
49.	टीटागढ़ जूट मिल्स लि०
50.	गंगेज रोप कं० लि०

1	2
51.	विक्टोरिया जूट कं० लि०
52.	दी ब्रंगुस कं० लि०
53.	श्यामनगर जूट फैक्टरी कं० लि०
54.	नुइहिया मिल लि०
55.	गंगेज मैन्युफैक्चरिंग लि०
56.	माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लि०
57.	मार्टीन बर्न एण्ड कं० लि०
58.	डेल्टा जूट एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०
59.	जटिया कॉटन लि०
60.	इण्डिया केपेसिटर्स
61.	रिहेबिलेसेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन
62.	मैसर्स बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०
63.	वेस्ट बंगाल मिनरल डैवलपमैंट कारपोरेशन लि०
64.	मैसर्स अग्रवाल हार्डवेयर कं० लि०
65.	मैसर्स अम्बोतिया टी इस्टेट लि०
66.	मैसर्स कोलोडोनियन जूट मिल्स लि०
67.	मैसर्स नेशमल पाईप एण्ड ट्यूब्स लि०
68.	मैसर्स विलिंगटन जूट मिल्स लि०
69.	मैसर्स स्काट एंड सेक्सबी लि०
70.	मैसर्स नेशनल रबड़ कं० लि०
71.	मैसर्स ईस्टर्न स्केल प्रा० लि०
72.	मैसर्स इंडिया जूट कं० लि०
73.	मैसर्स दंबर मिल्स लि०
74.	मैसर्स भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस
75.	मेसर्स दी शालीमार रोप वर्क्स
76.	मैसर्स कलकत्ता कैमिकल्स लि०
77.	वेस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड
78.	थामस डफ एण्ड कं० लि०
	कुल प्रतिष्ठान : 139

उर्वरक उत्पादक

3133. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रमुख उर्वरक उत्पादकों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या प्रत्येक उत्पादक का अपना अलग वितरण नेटवर्क है,

(ग) क्या सभी उत्पादक अपना उत्पाद देश भर में वितरित करने के लिए स्वतन्त्र हैं,

(घ) क्या विभिन्न उत्पादकों के एजेंट अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए अपने स्थानीय डीलरों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देते हैं, और

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र के उत्पादकों में ऐसी स्पर्द्धा का होना उचित है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) देश में उर्वरकों के मुख्य उत्पादक निम्नलिखित हैं :

1. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
2. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड
4. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड
5. राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
6. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
7. पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड
8. इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड
9. कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड
10. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लिमिटेड
11. गुजरात नरमदा वेली फर्टिलाइजर्स कम्पनी लिमिटेड
12. कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
13. श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स
14. आई० ई० एल० लिमिटेड
15. जुआरी एग्रो कैमिकल्स लिमिटेड
16. साउदर्न पेट्रोकैमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
17. मंगलोर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

(ख) जी, हां। उक्त क्रम सं० 7 और 12 पर निर्दिष्ट कम्पनियों के अलावा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

(ङ) उर्वरकों की बिक्री अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आवंटन द्वारा नियन्त्रित की जाती है तथा सरकार द्वारा निर्धारित लाभ के पालन पर बल दिया गया है।

अरलाम राज्य फार्म, कन्नानोर (केरल) में श्रमिक विवाद

3134. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कन्नानोर के अरलाम राज्य फार्म में श्रमिक विवाद निपटा दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान अरलाम राज्य फार्म लाभ कमा रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) औद्योगिक न्यायालय, कालीकट द्वारा दिए गए निर्णय की व्याख्या और क्रियान्वयन के विवाद पर भारतीय राज्य फार्म निगम के प्रबन्धकों और केन्द्रीय राज्य फार्म, अरालम के श्रमिकों के बीच 11-8-86 को समझौता हो गया है। समझौते की शर्तों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय राज्य फार्म निगम का लेखा वर्ष जुलाई से जून है। तथापि, वर्ष 1985-86 के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

1983-84 और 1984-85 के दौरान केन्द्रीय राज्य फार्म, अरलाम के लाभ/हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	निवल लाभ (+)/(हानि) (—)
1983-84	(—) 20.02 लाख रुपये
1984-85	(+) 1.04 "

विवरण

समझौते की शर्तें

1. प्रबंधन 1-1-1978 से निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए सहमत हो गया है। इस निर्णय द्वारा आवृत्त 1-1-1978 से 31-5-1986 तक का श्रमिकों को देय बकाया राशि का भुगतान प्रबंधन द्वारा श्रमिकों की मासिक मजदूरी दर की व्याख्या के अनुसार नीचे दी गई धारा में किए गए वर्णन के अनुसार किया जाएगा। निर्णय के अनुसार श्रमिकों को पूरा वेतन 1-6-1986 से दिया जाएगा।

2. जून और जुलाई, 1986 के महीने के लिए बकाया राशि का भुगतान 10 सितम्बर, 1986 से पहले कर दिया जाएगा।

3. प्रबंधन और यूनियन दोनों ही इस बात पर सहमत हो गए हैं कि निर्णय के अनुसार श्रमिकों के वेतन की उपयुक्तता की गणना की पद्धति से संबंधित विवाद को सरकार द्वारा कानूनन उचित प्राधिकरण को भेजा जाएगा।

4. यह बात मान ली गई है कि उपयुक्त प्राधिकरण के लम्बित निर्णय तक श्रमिकों का वेतन प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए और निर्णय में दिए गए फार्मूले के अनुसार तैयार किया जाएगा तदनुसार जनवरी, 1878 के महीने के लिए श्रमिकों का वेतन 224 रु० पुरुषों के लिए और 185 रु० महिलाओं के लिए होगा।

5. निर्णय में किए गए निर्धारण के अनुसार कालीकट में प्राप्त जीवन-यापन लागत के सूचकांकों के परिवर्तनों के अनुसार मासिक मजदूरी के महंगाई-भत्ता घटक में संशोधन किया जाएगा।

6. जहां तक 1-1-1978 से 31-5-1986 की अवधि के लिए बकाया राशि के भुगतान का संबंध है, प्रत्येक श्रमिक द्वारा किए गए कार्य दिवसों की संख्या के लिए संशोधित मजदूरी को उपर्युक्त धारा-4 में दिए गए तरीके से गिना जाएगा जिसमें से मौजूदा मजदूरी में पहले ही भुगतान की जा चुकी मजदूरी को काट लिया जाएगा और श्रमिकों को देय बकाया राशि का निर्धारण किया जाएगा। प्रत्येक श्रमिक को ऊपर किए गए निर्धारण के अनुसार बकाया राशि का 35% भुगतान निम्नलिखित के अनुसार तीन किस्तों में किया जाएगा :

(क) दिसम्बर, 1986 तक	10 प्रतिशत
(ख) जून, 1987 तक	10 प्रतिशत
(ग) जून, 1988 तक	15 प्रतिशत

श्रमिकों के प्रतिनिधि 1-1-1978 से 31-5-1986 तक की अवधि के लिए बकाया राशि की 65% राशि को छोड़ने के लिए सहमत हो गए हैं। इस बात पर भी सहमति हुई है कि श्रमिक संघ भविष्य में इस पर आगे और कोई दावा नहीं करेंगे।

7. निर्णय में किए गए निर्धारण के अनुसार वेतन-वृद्धि का भुगतान कानून के अनुसार किया जाएगा।

भद्रावती स्थित विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए अनुरोध

3135. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक सरकार से भद्रावती स्थित विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड का प्रबन्ध ग्रहण करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार का फिलहाल इस कारखाने को अपने अधिकार में लेने का प्रस्ताव नहीं है।

डेयरी उत्पादों का बिक्री मूल्य

3136. **श्री के० राममूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध योजना दो के अन्तर्गत, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में दूध एकत्र करने वाले एजेंटों एककों द्वारा ग्रामीण दुग्ध विक्रेताओं से दूध किस मूल्य पर खरीदा जाता है;

(ख) इन राज्यों में वास्तविक उपभोक्ताओं को दूध किस मूल्य पर बेचा जाता है; और

(ग) दुग्ध योजना कार्यक्रम के लिए अथवा उसके अधीन कार्य कर रहीं एजेंसियां उपभोक्ताओं को घी, मक्खन, पनीर, दुग्ध-चूर्ण किस मूल्य पर बेचा जा रहा है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, और तमिलनाडु के राज्यों में आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत दूध इकट्ठा करने वाली सभी एजेंसियां/एकक संबंधित जिला सहकारी डेरी संघों/राज्य स्तरीय सहकारी डेरी संघों के स्वामित्व में हैं और इनका प्रबंध भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है और ये संबंधित राज्य सरकारों के समग्र नियन्त्रण में हैं। ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को दिए जाने वाले दूध के मूल्य अथवा वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचे गए दूध और घी, मक्खन, पनीर, दुग्ध-चूर्ण जैसे दुग्ध उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण राज्यों/राज्य सहकारी डेरी संघों/जिला संघों द्वारा किया जाता है। ये मूल्य प्रत्येक राज्य और हर मौसम में भिन्न-भिन्न होते हैं।

तमिलनाडु में कम क्षमता वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना

3137. **श्री के० राममूर्ति** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में धर्मपुरी, नागरकोइल तथा कुड्डालोर में कम क्षमता वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन ट्रांसमीटरों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या इन ट्रांसमीटरों के कोई विदेशी पुर्जा लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि नियत की गई है और इन तीनों ट्रांसमीटरों में से प्रत्येक के लिए अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) इन ट्रांसमीटरों के लिए अपेक्षित उपकरणों के लिए आर्डर भेज दिए गए हैं।

(ख) दूरदर्शन की सातवीं योजना में, अन्य बातों के साथ साथ, बड़ी संख्या में नए ट्रांसमीटरों की स्थापना का प्रावधान है। इन ट्रांसमीटरों की योजना संसाधनों के वार्षिक आवंटन, अपेक्षित उपकरणों की सप्लाई करने में निर्माताओं द्वारा लिए जाने वाले समय तथा समग्र अग्रताओं पर निर्भर करते हुए केवल चरणबद्ध ढंग से ही स्थापित किया जा सकता है। धर्मपुरी, नागरकोइल तथा कुड्डालोर में प्रस्तावित नए अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना करना भी इन्हीं बातों पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) आवश्यक अंगों का आयात करने के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की व्यवस्था स्वदेश निर्माताओं द्वारा अपने आवंटनों में से की जाती है।

आकाशवाणी, सिलिगुडी से प्रसारण

3138. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) आकाशवाणी, सिलीगुड़ी से प्रसारण की अवधि क्या है;

(ख) आकाशवाणी, सिलीगुणी से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस रेडियो स्टेशन से किन-किन भाषाओं में प्रसारण होता है;

(घ) आकाशवाणी, सिलीगुडी से सांथलउरोंव मुंडा और अन्य जनजातीय भाषाओं में किए गए प्रसारणों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) जन जातीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) आकाशवाणी, सिलीगुड़ी के प्रसारणों की दैनिक औसत अवधि 12 घंटे है।

(ख) आकाशवाणी, सिलीगुड़ी से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम संगीत (लोक, आदिवास, फिल्मी, सुगम और शास्त्रीय), समाचार (केन्द्रीय और क्षेत्रीय) और भाषित शब्द कार्यक्रम (नाटक, रूपक, वार्ताएं, शैक्षिक और विशेष श्रोता कार्यक्रम) हैं।

(ग) यह केन्द्र बंगला, नेपाली, अंग्रेजी और हिन्दी में कार्यक्रम प्रसारित करता है।

(घ) यह केन्द्र अपने संगीत कार्यक्रमों में रावा, सन्थाली, दिमासा, बोरो और राजबंशी बोलियों के गीत शामिल करता है।

(ङ) और (च) आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षा, मनोरंजन, आदि के माध्यम से अपने-अपने सेवा क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए किया जाता है। इसलिए कार्यक्रम क्षेत्र की मुख्य भाषा में तथा उस भाषा (ओं)/बोली (यों) में प्रसारित किए जाते हैं जब उन्हें

बोलने वालों की जनसंख्या उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 5% से कम न हो।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन

3139. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितने फ्लैटों, प्लाटों, दुकानों आदि का आवंटन किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पृथक-पृथक कितने और कितना प्रतिशत आवंटन किया गया; और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों, फ्लैटों, दुकानों आदि के आरक्षण/आवंटन के लिए निर्धारित मानदंड क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी :

प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए दूरदर्शन कर्मचारी

3140. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए दूरदर्शन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें कितनी अवधि के लिए विदेश भेजा गया है तथा उन्हें प्रशिक्षण हेतु किस देश में भेजा गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गत दो वर्षों के दौरान प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए दूरदर्शन कार्मिकों का ब्यौरा

1984

क्रम सं०	नाम और पदनाम	अवधि	देश जिसकी यात्रा की गई
1	2	3	4
1.	श्री ए० के० विजयराघवन, केन्द्र इन्जीनियर, दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास	19-1-84 से 12-3-84	जापान

1	2	3	4
	2. श्री ए० धर्माधिकारी, प्रोड्यूसर ग्रेड 2		
	3. श्री केल्ली मिस्त्री, कैमरामैन	19-3-84 से 13-4-84	मलयेशिया
	4. श्री एस० जी० सेन, फिल्म संपादक		
	5. श्री एम० के० परारे, वरिष्ठ इन्जीनियरी सहायक, दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई		
	6. कु० चित्रा कृष्णस्वामी, ए०आर०ओ०, दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास	16-4-84 से 18-5-84	मलेशिया
	7. श्री पी० के० सुब्रमण्यम, केन्द्र, इन्जीनियर, दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता	21-5-84 से 16-6-84	मलेशिया
	8. श्री आर० महादेवन, सहायक केन्द्र निदेशक	16-4-84 से 18-5-84	मलेशिया
	9. श्री एन० कृष्णमूर्ति, कैमरामैन, दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास		
	10. श्रीमती कुसुम नांगिया, प्रोड्यूसर, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली		
	11. श्री कृष्णन, कैमरामैन, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	11-6-84 से 6-7-84	मलेशिया
	12. श्री एम० एल० सहायक कर समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	16-7-84 से 27-7-84	श्रीलंका
	13. श्री ई० कृष्णाराव, प्रोड्यूसर	16-7-84 से 10-8-84	मलेशिया
	14. श्री आर० सुब्रमण्यन, कैमरामैन		
	15. श्री के० लक्ष्मणराव, एस० आर०		
	16. श्री के० पुजारी, एष० ई० उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद		

1	2	3	4
17.	श्रीमती कमलिनी दत्त, पोड्यूसर, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	16-8-84 से 14-12-84	नीदरलैंड
18.	श्री एम० एन० मेहतानी, निदेशक (इन्जीनियरी)	3-9-84 से 16-11-84	एफ०आर० जी०
19.	कु० भक्ति प्रभा, प्रोड्यूसर, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	17-9-84 से 21-9-84	सोवियत संघ
20.	श्री आर० शनमुगसुन्दरम, संदर्भ अधिकारी, दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास	8.-10-84 से 19-10-84	मलेशिया
21.	श्री शिवाजी बाला फुलसुन्दर प्रोड्यूसर, दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई		
22.	श्री एन० अलागप्पन, कैमरामैन दूरदशन केन्द्र, जालंधर	8-10-84 से 2-11-84	श्रीलंका
23.	श्री के० सुरेश कुमार, एफ० ई०, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद	8-10-84 से 2-11-84	श्रीलंका
24.	श्री एस०के० लहरी, ग्राफिक आर्टिस्ट/पर्यवेक्षक, दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली	13-10-84 से 8-11-88	बंगला देश
25.	श्री पी० के० मोहन्ती, सीनिक डिजाइनर, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, कटक	13-10-84 से 8-11-84	बंगला देश
26.	श्री जफर अहमद, प्रोड्यूसर, दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर	16-10-84 से 19-10-84	मलेशिया

1985

1	2	3	4
1.	कु० नालिनी रमन्ना, प्रोड्यूसर, दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर	4-2-85 से 8-2-85	मलेशिया
2.	श्री मधुपेन्द्र कुमार, उप निदेशक इन्जीनियरी	25-2-85 से 1-3-85	अमरीका

1	2	3	4
3.	श्री अतुल सेठ, सहायक केन्द्र इन्जीनियर, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ	25-2-85 से 5-4-85	मलेशिया
4.	श्री बी० अधिकारी, प्रोड्यूसर, दूरदर्शन केन्द्र, कटक		
5.	श्री ए० विश्वनाथ, सहायक केन्द्र इन्जीनियर, दिल्ली	20-5-85 से 24-5-85	बरतानिया
6.	श्री एस० एच० जकाती, निदेशक इन्जीनियरी	23-5-85 से 24-6-85	फ्रांस
7	श्री एन० सुब्रमण्यन, उपनिदेशक इंजीनियरी		
8.	श्री वाई० वेंकटेश्वरलु, केन्द्र इन्जीनियर, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	23-5-85 से 22-7-85	फ्रांस
9.	श्री वेद रतन, सहायक केन्द्र इन्जीनियर, दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली	23-5-85 से 15-7-85	फ्रांस
10.	श्री बी० एल० मदान, सहायक केन्द्र इंजीनियर, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	23-5-85 से 15-7-85	फ्रांस
11.	श्री अविनाश आचार्य, प्रोड्यूसर. दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली	23-5-85 से 17-6-85	फ्रांस
12.	श्री सी० डी० बनर्जी, उपनिदेशक इन्जीनियर	8-6-85 से 19-7-85	अमरीका
13.	श्री एस० डी० गुप्ता, उपनिदेशक इन्जीनियरी, दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता	15-17-7-85	फ्रांस
14.	श्री यशपाल शर्मा, प्रोड्यूसर, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	10-20-7-85	मलेशिया
15.	श्री श्यामल राय चौधरी, संदर्भ अधिकारी, कलकत्ता	9-26-7-85	मलेशिया

1	2	3	4
16.	श्री सी० बी० रामकृष्णन, सहायक केन्द्र इन्जीनियर, दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर	18-7-85 से 7-10-85	जापान
17.	श्री जी० एस० गुन्थे, प्रोड्यूसर, दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई	29-7-85 से 30-8-85	मलेशिया
18.	श्री वी० एम० कुन्टे, कैमरामैन, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद		
19.	श्री सी० बाई० कुमुलकर, एफ० ई० दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई		
20.	श्री डी० नारायण स्वामी, केन्द्र इन्जीनियर, एम०सी०टी०वी० बेलगांव	19-8-85 से 4-10-85	मलेशिया
21.	श्रीमती निम्मी गुप्ता, प्रोड्यूसर		
22.	श्री यू० एन० नायक, कैमरामैन, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली	2-9-85 से 4-10-85	फिलीपीन्स
23.	श्री कशमीरी लाल, उप निदेशक प्रशासन, दूरदर्शन महानिदेशालय	19-9-85 से 15-12-85	बरतानिया
24.	श्री वीरेन्द्र विजय, निदेशक इन्जीनियरी, दूरदर्शन महानिदेशालय	23-8-85 से 20-12-85	युगोस्लाविया
25.	श्री वी० डी० पुरोहित, सहायक समाचार सम्पादक	14-10-85 से 8-11-85	मलेशिया
26.	श्री राजेश भाटिया, कैमरामैन	14-10-85 से 8-11-85	मलेशिया
27.	श्री पी० सी० गुप्ता, वरिष्ठ इन्जीनियरी सहायक		
28.	श्री ए० के० रैना, फिल्म संपादक दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली		
29.	श्री के० सेलवाराजू, समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली	18-30-11-85	मलेशिया
30	श्री मनमोहन सिंह, कैमरामैन, दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली		
31.	श्री सी० बी० पिल्लै, सहायक निदेशक (इंजीनियरी), दूरदर्शन महानिदेशालय	25-11-85 से 13-12-85	मलेशिया
32.	श्री मंजूर-उल-हक, प्रोड्यूसर	25-11-85 से 20-12-85	मलेशिया
33.	श्री मो० अशरीफ मीर, कैमरामैन		
34.	श्री अली मोहम्मद धर, फिल्म संपादक (दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर)		

बाढ़ और सूखा राहत पर व्यय

3141. **श्री के० राममूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार बाढ़ और सूखा राहत कार्यों पर कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या उन क्षेत्रों का पता लगाया गया है, जो प्राय: सूखा और बाढ़ ग्रस्त रहते हैं, और

(ग) यदि हां, तो उनका राज्य-वार/संघ-राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1983-84 से 1985-86 के दौरान बाढ़ आदि के लिए तथा सूखे के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मंजूर की गई व्यय की अधिकतम सीमा प्रदर्शित करने वाले विवरण क्रमश: संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : सूखा प्रवरण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 13 राज्यों के 615 खंडों को सूखा प्रवण बताया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चार खंडों की संख्या संलग्न विवरण III में दी गयी है। कृषि मंत्रालय ने बाढ़ों से बार-बार प्रमाणित किसी क्षेत्र का पता नहीं लगाया है।

विवरण I

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1983-84	1984.85	1985-86
1.	आन्ध्र प्रदेश	96.70	29.84	15.49 ×
2.	असम	11.07	39.12	22.16
3.	बिहार	—	38 02	20.92 ×
4.	गुजरात	43.67 ×	—	—
5.	हरियाणा	17.07	1.55	7.94
6.	हिमाचल प्रदेश	8.29	2.73	12.40
7.	जम्मू व कश्मीर	1.00	3.78	—
8.	कर्नाटक	3.29	—	—
9.	केरल	—	21.33	134.79
10.	मध्य प्रदेश	6.69 ×	5.91	—
11.	महाराष्ट्र	24.69	—	14.19

1	2	3	4	5
12.	मणिपुर	—	0.28	1.60
13.	मेंघालय	0.73	2.93 ×	2.61
14.	नागालैंड	0.77	—	0.24
15.	उड़ीसा	22.98 ×	23.43	32.62
16.	पंजाब	—	—	60.88
17.	राजस्थान	8.93	4.99	4.98
18.	सिक्किम	1.97	6.33 ×	5.53 ×
19.	तमिलनाडु	41.18	27.96 ×	66.81
20.	त्रिपुरा	4.50	7.30	4.42 ×
21.	उत्तर प्रदेश	56.44 × ×	57.24 ×	136.27 × ×
22.	पश्चिम बंगाल	0.60	48.03	10.65 ×
23.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	3.79
24.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—
25.	चंडीगढ़ प्रशासन	—	—	—
26.	गोआ दमन तथा दीप	—	—	0.004
27.	दिल्ली	—	—	—
28.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—
29.	मिजोरम	—	—	0.27
30.	पांडिचेरी	1.29	0.19	5.07
31.	दादर तथा नागर हवेली	—	—	—

× इस वर्ष के प्रयोग के लिए पिछले वर्ष मंजूर की गई सहायता शामिल है।

× × इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार को 1983-84 की बाढ़ के लिए 1985-86 में 8.00 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई।

× × × 1983-84 की बाढ़ों के लिए मंजूर किये गए 8.00 करोड़ रुपये शामिल हैं।

विवरण II

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1983-84	1984-85	1985-86
1.	आंध्र प्रदेश	28.26	54.42	63.09
2.	बिहार	8.98	—	—
3.	गुजरात	9.18	—	31.83
4.	हरियाणा	—	8.70 ×	9.21
5.	हिमाचल प्रदेश	—	12.70	23.13 × ×
6.	जम्मू व कश्मीर	—	—	4.12
7.	कर्नाटक	14.00	32.73	62.46
8.	केरल	42.46	—	0.30
9.	मध्य प्रदेश	22.29	11.38	51.11
10.	महाराष्ट्र	11.63	30.63 1.20 ×	65.56
11.	उड़ीसा	24.65	2.95	6.00 × ×
12.	पंजाब	—	6.35 +	8.14
13.	राजस्थान	39.85	5.43	89.65 × ×
14.	सिक्किम	0.13	—	—
15.	तमिलनाडु	59.15	—	—
16.	उत्तर प्रदेश	1.57	8.10	51.78
17.	पश्चिम बंगाल	30.59	—	—
18.	अरुणाचल प्रदेश	0.09	—	—
19.	मिजोरम	1.43	0.84	0.24
20.	पांडिचेरी	0.44	—	1.19

+ शीत लहर कपास की हानि और नहर में दरार आने के लिए मंजूर की गई रकम।

×— 1985-86 में उपयोग के लिए 1984-85 के दौरान मंजूर की गई सहायता शामिल है।

विवरण III

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के तहत कवर किए गए जिलों तथा खंडों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	जिलों की संख्या	खंडों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	8	69
2. बिहार	5	54
3. गुजरात	8	43
4. जम्मू व कश्मीर	2	13
5. कर्नाटक	11	71
6. हरियाणा	1	9
7. मध्य प्रदेश	6	49
8. महाराष्ट्र	12	74
9. राजस्थान	3	30
10. उड़ीसा	4	39
11. तमिलनाडु	6	43
12. उत्तर प्रदेश	16	87
13. पश्चिम बंगाल	3	34
योग :	90	615

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को सहायता

3142. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 के दौरान केरल में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने परिवारों को सहायता दी गई और राज्य में उक्त अवधि के दौरान दी गई कुल राज सहायता और ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : वर्ष 1985-86 के दौरान केरल में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 71,376 परिवारों को सहायता दी गई थी । लाभार्थियों को 775·28 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई तथा 1677·23 लाख रुपये के ऋण दिए गए ।

कुड्डापाह, आंध्र प्रदेश में खनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना

3143. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कुड्डापाह में एक खनन अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों का विकास

3144. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल के कुछ छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों के विकास के लिए कुछ धन राशि देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत नगरों के चयन का मानदंड क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। 31-10-86 तक दी गई रिलीजों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। निधियों का आगे रिलीज करना निर्धारित मार्गदर्शनों के अनुसार कार्यान्वियन की प्रगति तथा पूरी की गई परियोजना दस्तावेजों की प्राप्ति पर निर्भर करेगा।

(ग) छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास की इस योजना के अन्तर्गत एक लाख और इससे कम आबादी वाले शहर आते हैं। जिला मुख्यालय शहरों, उप प्रभागीय शहरों, मंडी शहरों और अन्य महत्वपूर्ण विकास केन्द्रों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि बड़े-बड़े शहरों में आबादी के प्रवजन को रोका जा सके और दूर दराज के ग्रामों को लाभ पहुंचे औ क्षेत्र/जिले का सम्पूर्ण रूप से सन्तुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। सम्बन्धित राज्य सरकारों की सिफारिशों को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अन्तिम रूप से चयन किया जाता है।

विवरण

(लाख रुपयें में)

क्रम सं०	विवरण	राशि
1.	7वीं योजना के दौरान चालू योजनाओं के लिए रिलीज की गई राशि	155·90
2.	7वीं योजना के दौरान राज्य को आवंटित किये गए 5 शहरों में से 31-10-1986 तक केवल 3 शहरों को लाभान्वित किया गया है।	
	नये शहरों के लिए रिलीज की गई राशि	48·80
	योग	204·70

टैगोर की कृतियों पर धारावाहिक टी० वी० कार्यक्रम तैयार करना

3145. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुरू रवीन्द्रनाथ टैगोर की 125 वीं जयन्ती के अवसर पर टैगोर की किसी कृति पर आधारित धारावाहिक टी० वी० कार्यक्रम तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) यह कब तक आरम्भ किया जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) जी, हां। टैगोर की लघु कहानियों पर आधारित श्री बिजाय चटर्जी द्वारा तैयार किए गए एक धारावाहिक को दूरदर्शन पर 23 अगस्त, 1986 से मास के हर चौथे शनिवार को रात 9·55 बजे टेलीकास्ट किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए आवंटित की गई धन राशि

3146. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए हाल ही में धन दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के लाभार्थियों का चयन करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) लाभार्थियों के निष्पक्ष और न्यायसंगत चयन पर देखरेख करने के लिए क्या निगरानी योजना बनाई गई है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश में बाढ़ों से क्षतिग्रस्त अथवा बरबाद हुए मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए हाल ही में 11·75 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी है।

(ग) और (घ) प्रभावित लोगों को राहत संबंधी सहायता देना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। भारत सरकार इस संबंध में अलग-अलग व्यक्तियों से व्यवहार नहीं करती है।

आंध्र प्रदेश में प्रकाशम जिले में भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण

3147. **श्री सी० सम्बु :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र प्रदेश में प्रकाशन जिले में सर्वेक्षण कार्य स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान-मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशम जिले के भू-भागों में क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण जारी है। तांबा-सीसा खनिजों के लिए कुछ सम्भावित क्षेत्रों का विस्तृत अन्वेषण किया गया परन्तु अब तक प्राप्त परिणाम उत्साहवर्धक नहीं हैं। एयरबोर्न एनोमली वाले कुछ अनुकूल जोनों का विस्तृत अन्वेषण किया जा रहा है।

हल्दिया उर्वरक संयंत्र चालू करने पर व्यय पर रोक लगाना

3148. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया उर्वरक संयंत्र के चालू करने पर सभी प्रकार के व्यय पर रोक लगाने का आदेश दिया है और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी, हां । विस्तृत समीक्षा होने तक हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० को कहा गया है कि संयंत्र को चालू करने के कार्यकलाप पर कोई व्यय न करे और व्यय को मजदूरी तथा इसी प्रकार के स्थायी व्ययों तक ही सीमित रखें ।

(ख) डिजाइन कमियां, बारम्बार उपस्कर की खराबी तथा संयंत्र चालू करने के कार्यकलापों पर भारी व्यय ।

"काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के लिए आन्ध्र प्रदेश को खाद्यान्न

3149. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के सूखा तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम् शुरू करने के लिए दो लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न मंजूर करने के लिए राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम सामान्य योजना कार्यक्रम हैं तथा इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों को खाद्यान्नों का वितरण निश्चित मान दंड के आधार पर किया जाता है जिसके तहत 50 प्रतिशत बल खेतीहर मजदूरों, सीमान्त कामगारों तथा सीमान्त किसानों की संख्या को दिया जाता है तथा 50 प्रतिशत बल गरीबी के प्रभाव पर दिया जाता है । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिए जाने वाले खाद्यान्नों के प्रयोग की । अनुमति उन मजदूरों को मजदूरी के भाग के रूप में दिए जाने के लिए है जो कि सूखा/बाढ़ राहत कार्यों में लगे हुए हैं परन्तु सामान्यतया इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न नहीं दिए जाते हैं । तथापि, इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल किए गए आबंटन में से खाद्यान्नों के उपलब्ध होने की स्थिति में, कभी-कभी राज्यों के निष्पादन आदि के आधार पर खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा रिलीज की जाती है । ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार के सृजन की संभावना को सहायता की इस राशि का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाता है लेकिन सूखा तथा बाढ़ सहायता कार्य के लिए सहायता अलग से अभाव राहत के रूप में प्रदान की जाती है ।

आंध्र प्रदेश के संबंध में वर्ष 1986-87 के दौरान उपयोग के लिए उपलब्ध कराये गए खाद्यान्नों की कुल मात्रा 190405 मीटरी टन है जिसमें वर्ष 1985-86 का भी उपयोग में न लाया गया शेष खाद्यान्न शामिल है। इसमें से केवल 45117 मीटरी.टन मात्रा को उपयोग में लाये जाने की सूचना मिली है।

चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित खाद्यान्नों की काफी मात्रा उपयोग में नहीं लाई गई है, अत: आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त 2 लाख मीटरी टन अतिरिक्त खाद्यान्नों के आबंटन के अनुरोध को पूरा नहीं किया जा सकता।

एशियाड फ्लैटों की बिक्री

3150. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेल गांव में कितने भव्य फ्लैट अभी तक नहीं बिके हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार का इन फ्लैटों का किस तरह प्रयोग करने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) एशियाई खेल गांव में अभी भी 315 फ्लैटों की बिक्री की जानी है। सरकार के निर्णय के अनुसार, इनमें से 57 फ्लैट विदेशी मुद्रा में प्रवासी भारतीयों को बेचने के लिए उद्दिष्ट किए गए हैं और शेष की बिक्री नीलामी द्वारा की जानी है।

विज्ञान विहार के लिए 'डी' फार्म और निर्माण पूर्ति प्रमाणपत्र जारी करना

3151. **श्री राम धन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को वर्ष 1985 के दौरान विज्ञान विहार में भवन निर्माताओं से "डी" फार्म और निर्माणपूर्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को ये आवेदन-पत्र कब प्राप्त हुई और प्रत्येक मामले में भवन निर्माताओं को स्वीकृति/आपत्ति की सूचना कब भेजी गई थी;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) विज्ञान विहार सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्यों से 1985 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण को 14 "डी" प्रपत्र के आवेदन पत्र तथा 7 पूर्णता प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण (I) और (II) में दिए गए हैं।

विवरण I

विज्ञान विहार में वर्ष 1985 के लिए प्रपत्र "डी" का विवरण

(पहली जनवरी, 1985 से 31 दिसम्बर, 1985 तक)

क्रम सं०	प्लाट सं०	"डी" प्रपत्र के लिए आवेदन की तारीख	"डी" प्रपत्र अनुमोदित/अस्वीकृत/आपत्तियां	
1.	17	21-11-85	10-12-85	अनुमोदित
2.	29	11-6-85	23-7-85	अस्वीकृत
		27-1-86	17-6-85	अनुमोदित
3.	40	29-7-85	4-9-85	अनुमोदित
4.	41	16-12-85	28-2-86	अनुमोदित
5.	43	15-1-85	24-1-85	अस्वीकृत
		12-6-85	9-12-85	अनुमोदित
6.	55	7-11-85	25-2-86	अनुमोदित
7.	58	30-12-85	20-3-86	अनुमोदित
8.	78	5-12-85	19-12-85	अनुमोदित
9.	93	10-12-85	14-1-86	अनुमोदित
10.	130	18-10-85	26-5-86	अनुमोदित
11.	135	18-1-85	4-3-85	अनुमोदित
12.	19	1-7-85	13-12-85	अनुमोदित
13.	154	27-9-84	25-10-84	अस्वीकृत
		1-2-85	16-2-85	अनुमोदित
14.	162	23-8-85	26-12-85	अनुमोदित

विवरण II

विज्ञान विहार में वर्ष 1985 (1 जनवरी 1985 से 31 दिसम्बर, 1985) के लिए पूर्णता प्रमाण पत्रों का विवरण

क्रम सं०	प्लाट सं०	पूर्णता प्रमाण पत्र के लिये आवेदन की तारीख	निरीक्षण हेतु समय देने का पत्र/समय निर्धारण के लिए पत्र भेजने की तारीख	समाधेय शुल्क/जुर्माना पत्र/आपत्ति पत्र भेजने की तारीख	पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख	टिप्पणी
1.	154	19-4-85	25-4-85, 10-5-85, 17-7-85, 6-8-85	12-2-86 को समाधेय शुल्क पत्र जारी किया गया	—	—
2.	135	27-5-85	23-7-85	—	—	—
3.	125	29-8-85	—	—	—	श्री बी० पी० गुप्ता के नाम से श्रीमती मोहिनी गुप्ता के नाम पर स्वामित्व परिवर्तन के कारण पूर्णता प्रमाण-पत्र लम्बित पड़ा हुआ है। स्वामित्व में परिवर्तन के कारण इस मामले में अन्तरण पत्र अपेक्षित है। पार्टी को 2-6-86 तक इसे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
4.	43	27-12-85	—	—	2-9-86	
5.	123	1-2.85	—	—	30-7-85	
6.	42	19-4-85	—	—	20-8-85	
7.	12	8-1-85	—	—	25-9-85	

प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि उत्पादन में हानि

3152. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रत्येक राज्य में कितनी मात्रा में कृषि उत्पादन की क्षति हुई और इससे कितने धन की हानि हुई है;

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : वर्ष 1986-87 के लिए फसल उत्पादन के अन्तिम आकलन राज्यों से अभी देय नहीं हुए हैं। इसलिए, इस स्थिति में उत्पादन की संभावित हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

यलेरू जलाशय के लिए आंध्र प्रदेश को सहायता

3153. **श्री सी सम्बु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को जल सप्लाई करने के लिए यलेरू जलाशय का निर्माण कार्य तेज करने के लिए केन्द्रीय सरकार से 70 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल के लिए मछली पालन योजना

3154. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पालन के क्षेत्र में कोई दीर्घकालीन या अल्पकालीन योजना तैयार की गई है, और

(ख) यदि हां, तो मत्स्य क्रांति में विशेषत: पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कितनी क्षमता का लक्ष्य है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिमी बंगाल में मछली पालन की योजना का उद्देश्य जिन तालों में पहले से ही मछली पालन किया जा रहा है/तथा उनमें उत्पादकता को बढ़ाना तथा और अधिक अनुपयुक्त जल क्षेत्र को उचित विकास द्वारा मछली पालन के अन्तर्गत लाना है। पश्चिमी बंगाल में ग्रामीण तालों पोखरों में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त अन्तर्देशीय मछली पालन परियोजना के अन्तर्गत 16 मछली पालन विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं। अब तक उन्होंने लगभग 40,000 हैक्टार जल क्षेत्र में गहन मछली पालन शुरू किया है जिससे लगभग

इतने ही मछली पालकों को लाभ पहुंचा है। इस कार्यक्रम और विभन्न अन्य योजनाओं के अन्तर्गत मछली पालन के लिए दी गई विस्तार सम्बन्धी एवं वित्तीय सहायता के परिणामस्वरूप उत्पादकता बढ़ी है। पश्चिमी बंगाल ने उन्नत प्रजनन तकनीकों को अपनाकर मत्स्य-बीज-उत्पादन कार्य में भी क्रान्ति ला दी है। इस प्रयोजन के लिए तीन वाणिज्यिक मत्स्य-बीज हैचरियां खोली गई हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 435 लाख प्रतिवर्ष है। अन्तर्देशीय मत्स्य संसाधनों से मछली उत्पादन जो 1979 में में 2·32 लाख टन था, बढ़कर 1984 में 3·50 लाख टन हो गया। मत्स्य बीज (फ्राई) उत्पादन, जो 1979-80 में 300 मिलियन था, बढ़कर 1985-86 में 5000 मिलियन हो गया है।

आंध्र प्रदेश में चल रही खानें

3155. **श्री टी० बालगौड़** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितनी खानों में काम चल रहा है;

(ख) गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में क्षेत्रवार कितनी खानें हैं; और

(ग) प्रत्येक खान की क्षमता कितनी है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1985 मे आन्ध्र प्रदेश में 415 खानों में उत्पादन किया जा रहा था जिसमें से 78 खानें सरकारी क्षेत्र में और 337 निजी क्षेत्र में थीं। खान-वार क्षमता के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

मध्य प्रदेश में शीशा अयस्क के भंडार

3156. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सीसा अयस्क के पर्याप्त भण्डार पाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन भण्डारों का वाणिज्यिक प्रयोजन के उपभोग की क्षमता और लाभप्रदता का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मध्य प्रदेश के कई जिलों में तांबा तथा जस्ता मिश्रित सीसा अयस्क के नगण्य भंडार पाए गए हैं। परन्तु ये भंडार वाणिज्यिक विदोहन के अनुकूल नहीं हैं।

"मैसिव फूड लासेज ड्यू टु सायल इरोजन" शीर्षक से समाचार

3157. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 सितम्बर, 1986 के "इंडियन एक्सप्रेस" में मैसिव फूड लासेज ड्यू टू सायल इरोजन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समाचार के अनुसार नदियां भारत की भूमि की ऊपरी परत का 1200 करोड़ टन भाग प्रति वर्ष बहा ले जाती हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस समाचार की विस्तृत जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो भू-क्षरण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सरकार को 24 सितम्बर, 1986 के "इंडियन एक्सप्रेस" में, "मैसिव फूड लासेज ड्यू टू सायल इरोजन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बारे में पता है। तथापि, समाचार में बताई गई इकोनोमिस्ट, लंदन की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। 1200 करोड़ टन भूमि की ऊपरी परत प्रति वर्ष क्षति होने के बारे में, जैसा कि समाचार में बताया गया है, विभिन्न दस्तावेजों में बताये गए अनुमानित आंकड़े 6000 करोड़ टन प्रति वर्ष है।

सरकार को देश में भू-क्षरण की समस्याओं और खतरों के बारे में पता है। पहली पंचवर्षीय योजना से राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र दोनों के अन्तर्गत भू-क्षरण की रोकथाम के लिए मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। इंजीनियरी और वनस्पतिक दोनों उपाय अपनाये जाते हैं। ये उपाय हैं: बांध बनाना, टैरेस बनाना, भूमि समतलन और आकार, जल कृषि की संरचना, उन्नत फसल पद्धति, गुलीज नियन्त्रण, खड्डों का सुधार, क्षारीय और लवणीय मृदा का सुधार, वनरोपण, चरागाह विकास आदि, जो विभिन्न प्रकार की भूमि समस्या के स्वस्थ पर निर्भर करते हैं। छठी योजना के अन्त तक केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत 293 लाख हैक्टार क्षेत्र का मृदा और नमी संरक्षण उपचार की विभिन्न पद्धतियों से उपचार किया गया है।

फसल बीमा योजना से लाभान्वित हुए किसान

3158. **डा० कृपा सिन्धु भोई :**

डा० के० जी० अदियोडी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों द्वारा फसल बीमा योजना की प्रीमियम के रूप में कितनी धनराशि जमा कराई गई है;

(ख) किसानों को फसलों के नुकसान के कारण अब तक कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) क्या इस योजना का रोग प्रवण क्षेत्रों में भी विस्तार किया जा सकता है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत एकत्र प्रीमियम तथा भुगतान किए गए

दावों के संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए है :

रुपए करोड़ में

मौसम	एकत्र किए गए प्रीमियम प्रभार	भुगतान किए गए दावें
खरीफ 85	9.33	80.93
रबी 1985-86	4.13	1.50
खरीफ 86 (15-10-86 को)	8.74	शून्य

(ग) जी हां ।

मंत्रालय द्वारा महिला विकास अध्ययन केन्द्र को प्लाट का कब्जा दिया जाना

3159. डा० फूलरेणु गुहा : क्या शहरी विकास मंत्री महिला विकास अध्ययन केन्द्र को प्लाट का कब्जा दिये जाने के बारे में 28 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7961 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला विकास अध्ययन केन्द्र को आवंटित भूमि में बने बंगले को खाली कर दिया गया है/गिरा दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त संस्था को इसका कब्जा कब तक दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) महिला विकास अध्ययन केन्द्र को आवंटित भूमि पर बने दोनों बंगलों को खाली करा लिया गया है। एक बंगले को गिरा दिया गया है तथा दूसरे को गिराया जा रहा है।

(ग) दूसरे बंगले को गिराने और स्थल को साफ करने के पश्चात् जैसे ही भूमि उपलब्ध होगी उसका कब्जा आवंटी संस्था को सौंप दिया जाएगा।

स्थानीय स्वशासन के संसाधनों को बढ़ाना

3160. श्री शरद दिघे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों के संसाधनों को बढ़ाने की समस्या को केंद्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों ने इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में उनका क्या मत है; और

(घ) किन-किन राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों के संसाधनों को बढ़ाने के तरीकों पर विचार करने के लिए नगर वित्त आयोग और संसाधन जुटाने संबंधी समितियां स्थापित की हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) स्थानीय शासन और शहरी विकास की केन्द्रीय परिषद् की दिनांक 15 और 16 अक्तूबर, 1986 को दिल्ली में हुई 23वीं बैठक, जिसमें राज्यों से स्थानीय शासन/शहरी विकास विभागों के प्रभारी मंत्रियों और सचिवों ने भाग लिया था, में यह संकल्प लिया गया था कि :

(1) केन्द्रीय और राज्य करों और शुल्कों में से संसाधनों के पर्याप्त भाग का पालिका निकायों को हस्तान्तरण किये जाने का प्रश्न, एक विशेष विचारार्थ विषय के रूप में इस विषय को शामिल करते हुए 9वें वित्त आयोग को भेजा जाए।

(II) भारत सरकार से अनुरोध किया जाए कि वह व्यवसायों, व्यापारों, पेशों और रोजगारों पर विद्यमान कर के 250.00 रुपये की अधिकतम सीमा को समाप्त करने के लिए सम्बद्ध कानूनों में संशोधन करने हेतु शीघ्र उपाय करे।

(ग) ये संकल्प विचाराधीन हैं।

(घ) यह सूचित किया गया है कि निम्नलिखित राज्य सरकारों ने पालिका वित्त निगमों/संसाधन संग्रहण समितियों की स्थापना की है :

1. हिमाचल प्रदेश
2. केरल
3. असम
4. गुजरात
5. कर्नाटक
6. महाराष्ट्र

हरारे से "नाम" के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण

3161. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरारे से गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के देशों के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण अचानक बन्द होने के बारे में कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले और इस प्रकार के व्यवधानों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (ए० के० पांजा) : (क) और (ख) दूरदर्शन 1 सितम्बर, 1986 को हरारे में गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को पूरे रूप में

टेलीकास्ट नहीं कर सका। पुष्ट सूचना के अनुसार उद्घाटन अपराह्न 1.15 बजे (भारतीय मानक समय) होना था। अतएव दूरदर्शन ने उद्घाटन समारोह को सजीव रूप से रिले करने हेतु उपग्रह वस्तुत: दो घंटों के लिए बुक किया था। पिछले अनुभव को देखते हुए यह समय पर्याप्त समझा गया। हरारे में समारोह निर्धारित समय से 1 घंटा 10 मिनट बाद शुरू हुआ और दूरदर्शन को इसकी पहले जानकारी नहीं थी। तथापि, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया कि उपलब्ध समय के भीतर सम्पूर्ण समारोह को रिले करना संभव नहीं हो पाएगा, अत: उपग्रह का समय बढ़ाने के लिए तत्काल प्रयास किए गए, परन्तु उपग्रह को किसी अन्य देश द्वारा बुक कर लिए जाने के कारण अतिरिक्त समय उपलब्ध नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप समग्रह का समय पूरा होते ही सजीव टेलीकास्ट समाप्त हो गया। तथापि, उद्घाटन समारोह के शेष भाग की वीडियो रिकार्डिंग को उसी शाम "न्यूज फ्राम हरारे" नामक विशेष कार्यक्रम में रात 9.50 बजे टेलीकास्ट किया गया था।

सरकारी जांच करने का तत्काल आदेश दिया गया और जांच का परिणाम यह था कि दूरदर्शन इस प्रकार की स्थिति में लाचार था।

कर्नाटक में दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार

3162. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) कर्नाटक में दूरदर्शन रिले केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के बेलगांव और बीजापुर जैसे दूरस्थ जिलों में दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हाँ।

(ख) कर्नाटक में इस समय दो उच्च शक्ति वाले और 12 अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। सातवीं योजना की स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर, राज्य में चार उच्च शक्ति वाले और 16 अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर हो जाएंगे।

(ग) बेलगांव और बीजापुर में दूरदर्शन रिले केन्द्र पहले ही कार्य कर रहे हैं। सातवीं योजना अवधि के दौरान धारवाड़ में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर इन जिलों में दूरदर्शन सेवा में सुधार होने की उम्मीद है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली के विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति

3163. **श्री पियूष तिरकी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई 1982 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग ने सिफारिश की थी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली के प्रधानाचार्य के श्रेणी-1 के वरिष्ठ पद के लिए

विभागीय प्रत्याशियों को उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और संशोधन लागू होने की तारीख को नियमित आधार पर निचले पद पर काम करने वाले विभागीय प्रत्याशियों के मामले में अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताओं पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए :

(ख) क्या वर्तमान भर्ती नियमों में संशोधन के लिए आवश्यक प्रस्ताव नवम्बर, 1982 में संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या संघ लोक सेवा आयोग ने इन्हें स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इनके कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिशों को स्वीकार करने के बारे में सूचना आज तक प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को मद्दे नजर रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

अशोक विहार में एम० आई० जी० फ्लैटों का कब्जा

3164. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री अशोक विहार में एम० आई० जी० फ्लैटों के कब्जे के बारे में 17 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3136 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट अभी तक तैयार नहीं हुए हैं और आवंटितियों को अभी कब्जे के लिए इन्तजार करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आवंटितियों को कब तक ये फ्लैट दे दिए जायेंगे; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार आवंटितियों द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज देने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अशोक विहार में मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों का निर्माण 30-9-86 को पूरा कर दिया गया है। तदनुसार, उन आबंटियों को कब्जे के पत्र जारी किये जा रहे हैं जिन्होंने औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं।

(ग) जी, हां। फ्लैटों के तैयार हो जाने की तारीख अर्थात् 30-9-86 तक आबंटियों को उनकी धरोहर राशि पर और मासिक किश्तों पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में फसल-बीमा योजना

3165. **श्रीमती ऊषा चौधरी :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 और 1986 में महाराष्ट्र में कितने किसानों को फसल बीमा के अंतर्गत लाया गया और फसलों को हुए नुकसान के लिए राज्य द्वारा कितने दावे प्रस्तुत किए गए;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में फसल बीमा के दावे बड़ी संख्या में लम्बित पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उन दावों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) फसल बीमा कार्यक्रम को अधिक सार्थक बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1985 और 1986 के दौरान फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किसानों की कुछ संख्या तथा महाराष्ट्र में फसल की हानियों के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों से संबंधित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

मौसम	सम्मिलित किसानों की कुल संख्या	(करोड़ रुपए में) प्रस्तुत किए गए दावों की धनराशि
खरीफ 85	4.87 लाख	19.78
रबी 85-86	0.24 लाख	0.89
खरीफ 86	6.81 लाख	शून्य

(15.10-85 को)

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) वर्तमान कार्यक्रम किसानों के लिए लाभकारी है और आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन किए जाएंगे।

मेयरों को "प्रथम नागरिकों" के रूप में मान्यता प्रदान करना

3166. **डा० चिन्ता मोहन :**

डा० जी० विजय रामाराव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेयरों की अखिल भारतीय परिषद् की हाल ही में नई दिल्ली में हुई बैठक में मेयरों को "प्रथम नागरिकों" के रूप में मान्यता प्रदान करने की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त बैठक में पारित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अखिल भारतीय महापौर परिषद् की कार्यकारिणी समिति ने दिनांक 15 और 16 अक्तूबर, 1986 को नई दिल्ली में हुई बैठक में इस आशय का कोई संकल्प पारित नहीं किया था।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बैठक में पारित किये गए अन्य संकल्पों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी 3381/86**]।

हल्दिया उर्वरक संयंत्र में कमियां

3167. **श्री नारायण चौबे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हल्दिया उर्वरक संयंत्र की कुछ कमियों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो किस किस्म की कमियां पायी गयी है,

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के पश्चात् इस संयंत्र के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस संयंत्र पर कुल कितनी राशि (कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतनों सहित) खर्च की गई है; और

(ङ) संयंत्र में सभी प्रकार का कितना उत्पादन होता है और उस उत्पादन का रुपयों में कितना मूल्य है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी, हां।

(ख) डिजाइन की कमियां तथा उपकरण समस्याएं विशेषत: आक्सीजन कम्प्रेसरों में, ध्यान में आई है।

(ग) हाल ही में कोई विस्तृत तकनीकी अध्ययन नहीं किया गया।

(घ) सितम्बर, 1986 तक परियोजना पर व्यय की गई कुल राशि 469.77 करोड़ रुपये हैं ?

(ङ) परीक्षण संचालन (नवम्बर, 1985 से अक्तूबर, 1986 तक) के दौरान उत्पादन एवं उसका मूल्य निम्न प्रकार था :

उत्पाद	मी० टन में उत्पादन	रु० मूल्य लाखों में
यूरिया	23900	985,64
मेथानोल	3292	201,30
नाइट्रो-फास्फेट	16805	623,62

हल्दिया उर्वरक निगम का उत्पादन बंद करना

3168. **डा० श्रीमती फूलरेणु गुहा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के हल्दिया डिवीजन ने अक्तूबर, 1986 से उर्वरकों को उत्पादन करना बंद कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी, हां।

(ख) हल्दिया उर्वरक परियोजना नवम्बर, 1971 में स्वीकृत की गई और इसे अक्तूबर, 1976 में चालू होना था। तथापि, संयंत्र यांत्रिक रूप से नवम्बर, 1979 में पूर्ण हुआ। हालांकि, इस संयंत्र में संचालन प्रक्रिया जनवरी, 1982 से आरम्भ हुई, लेकिन डिजाइन की खामियों तथा बारम्बार उपकरणों में खराबी के कारण इसमें रुकावट आई जिससे लागत में भारी वृद्धि आई। वाणिज्यिक उत्पादन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(ग) अभी कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पश्चिम विहार की नागरिक सेवाएं दिल्ली नगर निगम को सौंपना

3169. **श्रीमती प्रभावती गुप्ता :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पश्चिम विहार के ए-4 ब्लाक में नागरिक सेवाओं संबंधी कार्य दिल्ली नगर निगम को किस वर्ष सौंपा था तथा रह रही कमियों को पूरा करने के लिए दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से कितनी धनराशि ली और उसका मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी सड़कों, नालियों, पुलियों और गलियों (सीमेंट कंक्रीट से बने और ईंटों से बने रास्ते) के बनाने संबंधी कार्य भी निगम को सौंपे गए थे; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इन निर्माण कार्यों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर ने कितनी धनराशि खर्च की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पश्चिम विहार में कोई ए-4 ब्लाक नहीं है। तथापि, पाकेट ए-4, ब्लाक "ए" पश्चिम विहार का एक उप-पाकेट है। इस पाकेट में "कुछ भू-खण्ड विकास क्षेत्र के अतिरिक्त अधिकांश सहकारी समितियों का क्षेत्र शामिल है। चूंकि ब्लाक "ए" की नागरिक सेवाओं को दिसम्बर, 1980 में दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया था, अत: पाकेट-ए-4 (सहकारी समितियों का क्षेत्र) में सेवाओं को दिल्ली नगर निगम को नहीं सौंपा था क्योंकि इन क्षेत्रों का पूर्णतया विकास नहीं हुआ था। इसी प्रकार, पाकेट ए-4/ब्लाक "ए" (सहकारी समितियों का क्षेत्र छोड़कर) के भू-खण्ड क्षेत्र की सभी सड़कें, नालियां,

पुलियां तथा गलियां, सीमेंट, कंकरीट तथा ईंटों का कार्य दिल्ली नगर निगम को सौंपे गए थे। पाकेट ए-4 के सहकारी समितियों के क्षेत्र में इन सेवाओं के अनुरक्षण पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक 50,000 रुपए व्यय किए हैं।

मध्य प्रदेश में पाए गए तांबा अयस्क भण्डार

3170. **श्री कृष्ण सिंह :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मध्य प्रदेश में तांबा अयस्क के प्रचुर मात्रा में भण्डार होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) जी, हां।

(ख) जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) के मलंजखंड तांबा निक्षेप में अब तक की पुष्टि के अनुसार, कदाचित, सम्भावित तथा भावी भंडारों सहित कुल 292.21 मि० टन तांबा भंडार है, जिसमें औसतन 1.39% तांबा अंश है।

(ग) अब मलंजखंड तांबा निक्षेप का हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा इस समय वाणिज्यिक आधार पर विदोहन किया जा रहा है।

"एग्रोवोक" और बायो टेक संबंधी कार्यशाला

3171. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में "एग्रोवोक" सम्बन्धी एक कार्यशाला का नई दिल्ली में आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला का प्रायोजन किस एजेंसी ने किया था और इसकी सिफारिशों की कार्यान्वित के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या नवम्बर, 1985 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जैव-प्रौद्योगिकीय नीतियों सम्बन्धी कोई अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी;

(घ) यदि हां, तो इस गोष्ठी का प्रायोजन किस एजेंसी ने किया था और उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही;

(ङ) क्या संयुक्त राज्य विकास एजेंसी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने हीलियोथिस के जैविकीय नियंत्रण सम्बन्धी एक कर्मशाला का प्रायोजन किया था; और

(च) यदि हां, तो प्रायोजन एजेंसी का नाम क्या है, उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई और उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) चौथे टेक्नीकल (कंसलटेशन आफ एग्रीस कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अन्तर्राष्ट्रीय सूचना पद्धति) पार्टीसिपेटिंग सेन्टर के अवसर पर जिसका आयोजन मई, 1984 में (इटली) में किया गया था, यह निर्णय लिया गया था कि बिब्लियोग्राफिकल रिकार्डों के सूचीकरण और वर्गीकरण को एक बेहतर रिट्रीवल सिस्टम में बदल देना चाहिए। इसे एक मानक विश्व कोष, जिसे एग्रोवोक कहा जाता है और जिसमें करीब 8,500 शब्दावली हैं, के इस्तेमाल द्वारा बदला जाना चाहिए। इस कार्य के लिए, विषयों के वर्गीकरण और सूचीकरण की नई विकसित पद्धति को उपयोग में लाने के लिए विभिन्न देशों/देश समूहों में सूची बनाने वालों को खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना था। तदनुसार, खाद्य एवं कृषि संगठन ने कुछ विदेशी सहयोगियों (पार्टीसिपेन्टस) के अतिरिक्त भारतीय सहयोगियों को प्रशिक्षण देने के लिए 29-7-85 से 2-8-85 तक नई दिल्ली में इस वर्कशाप का आयोजन किया था। इसका आयोजन मुख्य रूप से प्रशिक्षण के रूप में किया गया ताकि उन्हें इस पद्धति के बारे में जानकारी दी जा सके। इस वर्कशाप को आयोजित करके इस कार्य को पूरा कर लिया गया।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) गोविन्द वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर ने विश्वविद्यालय रजत जयन्ती समारोह कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में इस विचार गोष्ठी को प्रायोजित किया था जिसके साथ जैव औषध विक्रेता (भारत) सोसाइटी की 54वीं वार्षिक बैठक का भी आयोजन किया गया था। इस विचार गोष्ठी के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय सरकार की केवल अनुमति चाहता था और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से उसे यह अनुमति प्रदान कर दी गई।

(ङ) से (च) यह वर्कशाप यू० एस० डी० ए० और आई० सी० ए० आर० दोनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया था। इसके प्रारूप अनुशंसा में 23 मदें हैं जो अभी भी सहयोगी (पार्टीसिपेंट्स) एजेंसियों के विचाराधीन हैं। यू० एस० डी० ए० के समन्वयकों द्वारा कार्यवाई को अंतिम रूप दिये जाने के बाद कार्यान्वयन के लिए उन पर विचार किया जाएगा।

कोंकण क्षेत्र में सूखे की स्थिति

3172. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र में गंभीर सूखे की स्थिति के कारण कई स्थानों में जल के स्रोत सूख गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या बड़े पैमाने पर कुओं की खुदाई करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को नियत वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूखे से उत्पन्न हुई स्थिति पर ज्ञापन भेजा है और उसमें सूचित किया

है कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में कई गांव पीने के पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। यह ज्ञापन 12 नवम्बर, 1986 को प्राप्त हुआ है और केन्द्रीय दल ने स्थिति का जायजा लेने के लिए अभी राज्य का दौरा नहीं किया है।

दिल्ली की परिवहन समस्या के समाधान के लिए नई व्यवस्था

3173. **श्री अख्तर हसन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में परिवहन की समस्या दिन प्रतिदिन गम्भीर बनती जा रही है;

(ख) क्या इस समस्या के समाधान के लिए कोई नई व्यवस्था लागू करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह नई व्यवस्था कब से लागू किये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीरसिंह) : (क) और (ख) दिल्ली में परिवहन की बढ़ती हुई समस्याओं से भारत सरकार अवगत है। कई सम्भव विकल्पों का पता लगाया जा रहा है और परिवहन की किसी विशिष्ट नई पद्धति को आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3174. **श्री मूल चन्द्र डागा :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1986 के अन्त में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था और यह वर्ष 1984 और 1985 की इसी अवधि में कितना था;

(ख) क्या यह बढ़ रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) मूल्य सूचकांक निर्धारित करने के लिए किन वस्तुओं को ध्यान में रखा जाता है और ऐसा कब से किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के निर्धारण के लिए आवास के किराये की नियंत्रित दर, जो कि सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है, सहित और अधिक मदों पर विचार करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1984-86 के सितम्बर माह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	सितम्बर का सूचकांक
1984	580
1985	619
1986	676

(ख) सूचकांक में बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई है। इसका मुख्य कारण विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, मौसमी उतार-चढ़ाव, राशन की चीजों की घटती बढ़ती आपूर्ति है।

(ग) से (ङ) इन्डेक्स बास्केट में शामिल किए गए मदों की सूची सभा पटल पर रख दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3308/86]। यह 50 औद्योगिक केन्द्रों के श्रमिक वर्ग के परिवारों के बीच किए गए 1958-59 सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित है। आधार 1982 की प्रस्तावित नई श्रृंखला में, 1981-82 सर्वेक्षण से उद्घटित उपभोक्ता पैटर्न में परिवर्तन के फलस्वरूप कई नई मदों को शामिल किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम

3175. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बारानी कृषि भूमि के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के कितने जिलों में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ग) इन जिलों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(घ) उपर्युक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां।

(ख) यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 99 जिलों को अस्थायी रूप से कवर करता है।

(ग) विवरण I संलग्न हैं।

(घ) और (ङ) कर्मचारी संबंधी लागत सहित 2,500 रुपये प्रति हैक्टर पर निर्माणों के कार्यक्रम के लिए राज्य-वार वास्तविक लक्ष्य तथा आवश्यक निधियां संलग्न विवरण II में दी गई हैं।

विवरण I

राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम के तथा अस्थायी रूप से चुने गए जिले (1986-87 से 1989-90)

क्रम सं०	राज्य	वर्षा रेंज 500 मि०मी०—750 मि०मी०	750 मि०मी०—1125	1125 मि०मी० से अधिक
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1. अनंतपुर 2. करनूल 3. महबूब नगर 4. नालगोंडा	1. आलिदाबाद 2. हैदराबाद 3. करीम नगर 4. खमाम 5. मेडक 6. प्रकाशम 7. वारांगल	—

1	2	3	4	5
2.	असम	—		नौगांव
3.	बिहार	—	1. नवादा	रांची
		—	2. गोपालगंज	
4.	गुजरात	1. अमरेली	1. अहमदाबाद	—
		2. बनासकांठा	2. भड़ौच	
		3. भावनगर	3. जूनागढ़	
		4. मेहसाना	4. कैरा	
		5. राजकोट	5. पंचमहल	
		6. सुरेन्द्र नगर	6. सबरकांथा	
			7. बदोदरा	
5.	हरियाणा	1. मोहिन्द्रगढ़	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	1. बिलासपुर	1. कुलू	—
			2. मंडी	—
			3. उना	—
7.	कर्नाटक	1. बेलारी	1. बंगलौर	—
		2. बिजपुर	2. बिदर	
		3. चित्रदुर्ग	3. धारवाड़	
		4. गुलवर्गा	4. हसन	
		5. कोलार	5. मैसूर	
		6. रायचुर	6, तुमकुर	
			7. बेलगांव	
8.	केरल	—	—	पालघाट

अनुबंध-1 (जारी)

9.	मध्य प्रदेश	1. भिंड	1. बेतुल	—
		2. दतिया	2. छतरपुर	
			3. देवास	
			4. धार	

1	2	3	4	5
			5. खारगोन	
			6. गुना	
			7. ग्वालियर	
			8. इन्दौर	
			9. खंडवा	
			10. झबुआ	
			11. मंदसौर	
			12. राजगढ़	
			13. रतलाम	
			14. शाजापुर	
			15. शिवपुरी	
			16. उज्जैन	
10.	महाराष्ट्र	1. अहमदनगर	1. अकोला	
		2. औरंगाबाद	2. अमरावती	
		3. भीर	3. बुलदाना	
		4. धुले	4. नानडेड	
		5. जलगांव	5. नासिक	
		6. सांगली	6. उस्मानाबाद	
		7. शोलापुर	7. पारभानी	
			8. सतारा	
			9. वर्धा	
			10. योटमल	
11.	उड़ीसा	—	—	1. कोरापुट
12.	पंजाब	—	1. होशियारपुर	—
13.	राजस्थान	1. अजमेर	1. बंसवाड़ा	—
		2. अलवर	2. डूंगरपुर	
		3. भरतपुर	3. झालवाड़	
		4. सवाई माधोपुर	4. कोटा	
		5. सिरोही		
		6. टोंक		
14.	तमिलनाडु	—	1. धरमपुरी	—
15.	उत्तर प्रदेश	—	1. बांदा	
			2. हमीरपुर	
			3. झांसी	
16.	पश्चिम बंगाल	—	—	बांकुरा

विवरण II

निर्माणों के कार्यक्रमों के लिए राज्यवार वास्तविक लक्ष्य के तहत निधियों की वार्षिक आवश्यकता।

क्रम संख्या	राज्य	वार्षिक वास्तविक लक्ष्य (हजार है०)	2500 रु० हैक्टार की दर पर निर्माण घटकों पर वार्षिक परिव्यय	केन्द्रीय शेयर (करोड़ रु० में)	राज्य का शेयर (करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	32.0	8.00	4.00	4.00
2.	गुजरात	32.0	8.00	4.00	4.00
3.	हरियाणा	2.0	0.50	0.25	0.25
4.	कर्नाटक	36.0	9.00	4.50	4.50
5.	मध्य प्रदेश	28.0	7.00	3.50	3.50
6.	महाराष्ट्र	40.0	10.00	5.00	5.00
7.	हिमाचल प्रदेश	4.0	0.50	0.25	0.25
8.	राजस्थान	24.0	6.00	3.00	3.00
9.	उत्तर प्रदेश	16.0	4.00	2.00	2.00
10.	तमिलनाडु	8.0	2.00	1.00	1.00
11.	बिहार	4.0	1.00	0.50	0.50
12.	उड़ीसा	4.0	1.00	0.50	0.50
13.	पश्चिम बंगाल	1.6	0.40	0.20	0.20
14.	केरल	0.8	0.20	0.10	0.10
15.	पंजाब	0.8	0.20	0.10	0.10
16.	असम	0.8	0.20	0.10	0.10
	योग	232.0	58.00	29.00	29.00

दिनांक 10 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 877 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य।

[यह शुद्धि हिन्दी संस्करण पर लागू नहीं होती]।

12·00 मध्यान्ह

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, श्री साठे के विरुद्ध मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव लम्बित पड़ा हुआ है ·····(व्यवधान)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते आपने मुझे बताया था······(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इनको एलाऊ किया है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० मधु दंडवते : मेरा जो प्रश्न है उसे आप रिकार्ड में देख सकते हैं······(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं आपको बताऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : जब मैंने यह पूछा था कि श्री साठे के विरुद्ध मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ, तो आपने मुझे बताया था "मैंने उनका उत्तर आपके पास भेज दिया है······। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा, बताऊंगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : आपने मुझे उत्तर दे दिया था। मैंने यह सिद्ध करने के लिए और दस्तावेज दिए थे कि जो उन्होंने कहा है वह सरकार की नीति नहीं है····· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : अतः, यह विशेषाधिकार हनन का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे फिर देख लूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं जब तक बुलाऊं नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं ?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मेरा अनुरोध है कि सत्र समाप्त होने से पूर्व आप इसे निपटा दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा। कितनी दफा कहूं, मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं······(व्यवधान) मैं केवल यह कहता हूं कि सत्र समाप्त होने से पूर्व ही आप कृपया इसे निपटा दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं कर लूंगा साहब। मैं जल्दी से जल्दी करूंगा। अब आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) । महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान को अड्डा बनाकर पी-3 ओरियन जासूसी विमानों का उपयोग किया जा रहा है······(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक : हमारी पूरी सीमा खतरे में है······(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा······

(व्यवधान) **

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : हमने एक ध्यानाकर्षण नोटिस दिया है···(व्यवधान)

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : आप देखिए, एक बात आपने बता दी, अब मेरी बात सुन लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ठीक से सुन सकते हैं तो सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुन ली

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। इन बातों का पता लगाना है कि क्या ऐसी बात है या नहीं। आप हर उस बात को सच नहीं मान सकते हैं जो समाचार-पत्र में छपती है। मैं इसे देखूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का पता होना चाहिए कि इस पर सभा में विचार किया जाएगा। सरकार इसके लिए तैयार क्यों नहीं हैं ? यह एक बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन जी, मुझे तथ्यों का पता लगाना है······

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमें यह बताया गया है कि······**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने अनावश्यक ही यह कहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या अनावश्यक है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं कि मैं तथ्यों का पता लगा रहा हूं। मैंने सुन लिया है और मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा······

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बहुत गम्भीर मामला है···**(व्यवधान)**।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : महोदय, पाकिस्तान के अड्डे (बेस) का उपयोग किया जा रहा है। महोदय, यह तथ्य तो पता है। अवाक्स विमान आ रहे हैं···**(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : भागवत झा जी, मुझे सरकार से तथ्यों का पता लगाना है कि ये सही हैं या गलत और यदि ऐसी बात है तो इसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : हम इस पर बोलने का अवसर पाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा अवसर देने से कभी मना नहीं किया है।

श्री भागवत झा आजाद : जी हां, महोदय यह ठीक है।

श्री बसुदेव आचार्य बांकुरा : महोदय, हजारों की संख्या में राज्य सरकारों के कर्मचारी बोट क्लब पर एकत्र हो रहे हैं······**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह भी व्यवस्था का कोई प्रश्न है। इस पर गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा अन्य मामलों में चर्चा हो चुकी है। इसमें कोई बात नहीं है और यदि आप चाहें तो इस पर दोबारा चर्चा कर सकते हैं। परन्तु इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : हम चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमने इस पर गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों में सभा में पहले ही चर्चा की थी।

एक माननीय सदस्य : वह केवल गैर सरकारी सदस्य का विधेयक था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, चर्चा, चर्चा है।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, केरल में एक संवैधानिक संकट उठ खड़ा हुआ है ··· (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : श्री थम्पन थामस जी, क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? यह एक न्याय-निर्णयाधीन मामला है और इस पर चर्चा नहीं हो सकती है······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : और यह राज्य सूची का विषय है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने इन सज्जनों को अनुमति नहीं दी है···

(व्यवधान) **

———

12·03 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

धातु स्क्रैप व्यापार निगम लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1985-86 और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

(क) (एक) धातु स्क्रैप व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) धातु स्क्रैप व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 का वार्षिक

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3258/86]

(ख) (एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3259/86]

नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखती हूं :

(एक) नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या—एल० टी० 3260/86]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना और कर्नाटक कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1983-84 और आंध्र प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड आदि के 30-9-86 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (नियन्त्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 1986, जो 21 अक्तूबर, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1160 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या-एल० टी० 3261/86]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) कर्नाटक कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कृषि-उद्योग लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या-एल० टी० 3262/86]

(ख) (एक) आंध्र प्रदेश कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के 30 सितम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड हैदराबाद के 30 सितम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या-एल० टी० 3263/86]

12.04 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त हुए निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

"मुझे लोकसभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने बुधवार, 19 नवम्बर 1986 को हुई अपनी बैठक में रेल विधेयक, 1986 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में राज्य सभा के सम्मिलित होने के बारे में लोकसभा की सिफारिश से सहमत होते हुए संलग्न प्रस्ताव पारित किया है। उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने हेतु राज्य सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम प्रस्ताव में दिए गए हैं।"

प्रस्ताव

"कि यह सभा रेल संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने हेतु गठित दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की लोक

सभा की सिफारिश से सहमत होती है और संकल्प करती है'' कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित पन्द्रह सदस्य नाम निर्दिष्ट किए जाएं :

1. श्री पवन कुमार बंसल
2. श्री कमलेन्दु भट्टाचारजी
3. श्री वी० रामानाथन
4. श्री मिर्जा इरशाद बेग
5. श्री मुरलीधर चन्द्रकांत भंडारे
6. श्री सुरेश पचौरी
7. श्रीमती प्रतिभा सिंह
8. श्री एस० वी० रमेश बाबू
9. श्री देव प्रसाद राय
10. श्री पी० एन० सुकुल
11. श्री सुकोमल सेन
12. डा० बापू कालदाते
13. श्री पी० उपेन्द्र
14. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
15. श्री सत्य प्रकाश मालवीय।''

12.05 म० प०

बंगलौर में हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के दूसरे सम्मेलन के दौरान राज्याध्यक्षों राष्ट्राध्यक्षों के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि प्रधानमन्त्री ने बंगलौर में हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एशोसियेशन के दूसरे शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों के बारे में 19 नवम्बर, को एक वक्तव्य दिया था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एशोसियेशन के संदर्भ में जो बैठकें हुई उनके अलावा प्रधानमंत्री ने बंगलौर में और नन्दी हिल्स में अवकाश के दौरान अन्य राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के साथ भी विचार विमर्श किया। मैंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एशोसियेशन के अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श किया था।

—पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत के दौरान उनके नाभिकीय शस्त्र कार्यक्रम, आतंकवादियों को दी जा रही सहायता तथा हथियार एकत्र किए जाने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की

गई थी। प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच हुई बैठक के फलस्वरूप इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि दोनों देश गैर-कानूनी रूप से सीमा पार करने सीमा पर अवैध औषध द्रव्य व्यापार, तस्करी तथा आतंकवाद को रोकने के लिए सहयोग करने संबंधी व्यापक उपाय तैयार करेंगे। इस प्रयोजनार्थ सचिव स्तर पर दोनों सरकारों के संबंधित अधिकारियों की दिसम्बर, 1936 के प्रथम सप्ताह में लाहौर में एक बैठक होगी। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि विदेश सचिव संबंध सामान्य बनाने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर पाकिस्तान के विदेश सचिव के साथ विचार विमर्श जारी रखने के लिए इस वर्ष के अन्त से पहले इस्लामाबाद की यात्रा करेंगे। पाकिस्तान द्वारा उठाए गए बहुत से नकारात्मक कदमों के बावजूद इस सहमति से यह बात जाहिर होती है कि दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए भारत उत्सुक है। प्रधानमन्त्री श्री जुनेजो ने हमारे प्रधानमंत्री को यह आश्वासन दिया कि विमान अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मुकद्दमे में शीघ्रता बरती जाएगी। हम इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि हमारी इस गहरी चिन्ता को समझने का पाकिस्तान ठोस प्रमाण दे। इससे सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया सुविधाजनक बन जाएगी।

प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने के साथ भी विस्तार से विचार विमर्श किया। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री बंगलौर में उपस्थित थे और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के साथ परामर्श किया। विचार विमर्श के दौरान इस बात की पुनः पुष्टि की गई कि श्रीलंका की जातीय समस्या का हल श्रीलंका की एकता और प्रादेशिक अखण्डता के साथ कोई समझौता किए बिना राजनैतिक बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई थी कि तमिल आकांक्षाओं की यथासंभव पूर्ति के उद्देश्य से श्रीलंका के संविधान की परिसीमाओं के भीतर रहते हुए नए प्रस्तावों में सुधार/फेरबदल करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। विशेष रूप से इनका संबंध साहनुबंध के मसले, गवर्नरों की शक्तियों, कानून और व्यवस्था के मसले, आदि से है। श्रीलंका के विदेश मंत्री श्री ए० सी० एस० हमीद और भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विदेश राज्य मंत्री श्री के० नटवर सिंह तथा आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री श्री पी० चिदम्बरम शामिल थे, के बीच विचार विमर्श बंगलौर में 18 नवम्बर को जारी रहा। 19 नवम्बर को जब श्री हमीद एक दिन के लिए दिल्ली आए थे तब भी इन प्रस्तावों पर विचार विमर्श जारी रहा। उम्मीद है इस संबंध में श्रीलंका सरकार की प्रतिक्रिया शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी।

बंगलादेश के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत के दौरान, जुलाई, 1986 में बंगलादेश के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की सामान्य समीक्षा की गई। यह निर्णय किया गया कि नदी जल पर भारत बंगलादेश संयुक्त आयोग के प्रादेश की वैधता अवधि को और 6 महीने अर्थात् 21 मई, 1987 तक बढ़ा दिया जाए। यह स्वीकार किया गया कि विशेषज्ञों की संयुक्त समिति के कार्य की गति काफी धीमी रही तथा इसे समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री की भूटान नरेश के साथ हार्दिक और मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई जिसमें आपसी हित के द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विनिमय किया गया। प्रधानमंत्री की नेपाल नरेश के साथ सद्भावनापूर्ण वातावरण में बातचीत हुई जिससे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ समझबूझ और मैत्री संबंधों को बल मिला। मालद्वीप के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत से फरवरी में आते प्रधानमन्त्री की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच सहयोग में हुई वृद्धि और "सार्क" से संबंधित मामले का जायजा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। भूटान, नेपाल तथा मालद्वीप के राज्याध्यक्षों के साथ विचार विमर्श से पारस्परिक समझबूझ के क्षेत्रों का विस्तार करने तथा भारत और इन देशों के बीच विद्यमान पारस्परिक मैत्री संबंधों को और मजबूत बनाने में मदद मिली है।

12.10 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

देश के विभिन्न भागों में विद्युत की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं ऊर्जा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर आकर्षित करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इसके बारे में वक्तव्य दें : "देश के विभिन्न भागों में विद्युत की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति के समाचार और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

12.11 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

ऊर्जा मंत्री श्री वसंत साठे : महोदय, देश में विद्युत की कमी के बारे में जितनी चिन्ता माननीय सदस्यों को है उतनी ही चिन्ता मुझे भी है। विद्युत की वर्तमान कमी मुख्य रूप से विद्युत का उत्पादन विद्युत की मांग से पिछड़ने तथा जल-विद्युत जलाशयों का जल स्तर नीचा रहने की वजह से जल-विद्युत का उत्पादन कम होने के कारण है।

दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में कमी का मुख्य कारण जल विद्युत उत्पादन कम होना था। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में विद्युत की कमी मोटे तौर पर उनके ताप विद्युत केन्द्रों के असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के कारण थी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से लेकर विद्युत की कमी की हमारे आर्थिक विकास के संदर्भ में समीक्षा की जानी है। 1950 में देश में स्थापित क्षमता केवल लगभग 1700 मेगावाट थी। यूटिलिटीज में अब कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 47,000 मेगावाट से अधिक है। प्रत्येक क्रमिक पंचवर्षीय

योजना में प्रतिष्ठापित क्षमता में हमने लगभग 50% की वृद्धि की है और इस शताब्दी के अन्त तक हमारा लक्ष्य 1.25 लाख मेगावाट से अधिक अर्थात् वर्तमान क्षमता से लगभग तीन गुणा प्रतिष्ठापित क्षमता प्राप्त करने का है। हमारे देश में इस समय बिजली की प्रति व्यक्ति खपत केवल लगभग 170 यूनिट है तथा कुछ विकसित देशों में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत, जो कि 10,000 यूनिट से अधिक है, के स्तर तक पहुंचने के लिए व्यापक निवेश के लिए प्रयत्न किए जाने अपेक्षित होंगे।

विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए विद्युत संबंधी कार्यकारी दल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षमता में लगभग 30,000 मेगावाट की वृद्धि करने की सिफारिश की थी। तथापि सातवीं योजना के लिए क्षमता में अनुमोदित वृद्धि 22, 245 मेगावाट थी, जिसका मुख्य कारण संसाधनों संबंधी कठिनाई थी। सातवीं योजना के अन्त तक विद्युत की मांग और सप्लाई के बीच लगभग 10,000 मेगावाट का अन्तर होने का अनुमान लगाया गया है। इस अन्तर को पूरा करने के लिए कुल 2000 मेगावाट से अधिक क्षमता के लघु निर्माण अवधि वाले गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ताप विद्युत् और जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए द्विपक्षीय सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है। विद्युत के उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी का भी स्वागत है बशर्ते इस प्रकार के प्रस्तावों से निधियों की उपलब्धता में वृद्धि होती हो। विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को भी अनुमति दी जा रही है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि इस समय देश में कुल विद्युत का लगभग 84% उत्पादन राज्य क्षेत्र में किया जा रहा है तथा लगभग 16% विद्युत उत्पादन केन्द्रीय क्षेत्र में किया जा रहा है। केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्र कार्यकुशलता के उच्च स्तर पर कार्यनिष्पादन कर रहे हैं। अप्रैल-अक्तूबर, 1986 के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सुपर ताप पर विद्युत केन्द्रों और नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात क्रमशः लगभग 75% और 73 प्रतिशत था। अप्रैल-अक्तूबर, 1986 की अवधि के दौरान राज्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली जैसे कुछ राज्यों का संयंत्र भार अनुपात 60 प्रतिशत से अधिक था। तथापि, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और असम जैसे राज्यों का संयंत्र भार अनुपात 40 प्रतिशत से कम बना रहा।

देश में उत्पादित कुल विद्युत में से लगभग 18 प्रतिशत विद्युत कृषि क्षेत्र को सप्लाई की जाती है। इसके व्यापक महत्व को ध्यान में रखते हुई राज्य विद्युत को सप्लाई में कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि किसानों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने कृषि क्षेत्र द्वारा विद्युत की खपत पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं किए हैं। अन्य राज्यों में कृषि क्षेत्र को विद्युत की सप्लाई प्रतिदिन 5½ घंटे से 22 घंटे तक की जाती है। देश में उत्पादित की गई विद्युत का लगभग 57 प्रतिशत भाग उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है तथा विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए जहां तक संभव होता है राज्य औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। एल्यूमिनियम, कोयला, इस्पात और उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

वर्ष 1980-81 में विद्युत का उत्पादन 110 बिलियन यूनिट था जो 1985-86 में बढ़कर 170 बिलियन यूनिट हो गया तथा यह वृद्धि लगभग 53 प्रतिशत है। 1985-86 में पिछले वर्ष की तुलना में 8.6 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई थी। वर्ष 1986-87 में हम लगभग 12 प्रतिशत वृद्धि करना चाहते हैं।

विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय कि जा रहे हैं। सातवीं योजनावधि में अब तक हमने 5000 मेगावाट से अधिक नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी है। विद्यमान ताप विद्युत क्षमता का कमता इष्टता समुपयोजन करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें केन्द्र का भाग 500 करोड़ रुपए हैं। राज्य सरकारों से भी अपनी पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेय अपराध बनाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम में संशोधन किया गया है। तकनीकी हानियों को कम करने के लिए केपेसिटर स्थापित किए जा रहे हैं तथा अति उच्च वोल्टता लाइन का निर्माण किया जा रहा है जिससे अन्तः राष्ट्रीय ग्रिड बन जाएगा। विद्युत संरक्षण विद्युत उत्पादन है तथा ऊर्जा संरक्षण और मांग की प्रबन्ध व्यवस्था संबंधी उपायों को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ-साथ माइक्रो, मिनी और लघु जल विद्युत केन्द्रों के विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा राज्य अब 5 करोड़ रुपए तक की लागत वाली स्कीमों को स्वयं क्रियान्वित कर सकते हैं।

हमारे अधिसंख्य लोगों के लिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों में रहते हैं, ऊर्जा की सर्वाधिक तात्कालिक आवश्यकता घरेलू प्रयोजनों और मुख्य रूप से खाना पकाने के प्रयोजन के लिए है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता ऊष्मा के रूप में होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों के लिए खाना पकाने के प्रयोजनों हेतु बिजली की सप्लाई करना निषेधात्मक होगा। स्थानीय तौर पर उपलब्ध अपारम्परिक ऊर्जा के स्रोत इसका श्रेष्ठ हल हो सकते हैं। इसलिए गोबर-गैस, धुआं रहित सुधरे किस्म के चूल्हों और ऊर्जा के लिए वन-रोपण के संबंध में वृहत कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इनसे स्वच्छ ईंधन प्राप्त होना, लकड़ी की बचत होना और हमारे वनों के विनाश में कमी होना तथा पर्यावरण में सुधार पड़ना आरम्भ हो गया है। $2\frac{1}{2}$ से 3 वर्ष की अल्पावधि में ही गोबर गैस संयंत्र और सुधरे किस्म के चूल्हे देश के समस्त भागों में फैल गए हैं तथा प्रतिवर्ष 4 मिलियन टन लकड़ी की बचत कर रहे हैं, जिसका मूल्य प्रतिवर्ष 140 करोड़ रुपये से अधिक है तथा प्रतिवर्ष 85 करोड़ रुपये के मूल्य के उर्वरक पैदा हो रहे हैं। इससे इन संयंत्रों की सफलता की वास्तविक प्रतिशतता का पता चलता है, जो कि अब राष्ट्र के लिए अत्यधिक मूल्यवान हो गए हैं, यद्यपि कार्य निष्पादन अलग-अलग क्षेत्र में संवेग अलग है। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से गांवों की विद्युत की छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए विद्युत की सप्लाई तथा सौर, गोबर गैस और वायु के स्रोतों के जरिए ऊष्मा संबंधी ऊर्जा की आवश्यकताएं भी पूरी करनी शुरू कर दी है। ऊर्जा ग्राम अर्थात ऊर्जा की दृष्टि से आत्मनिर्भर गांव की विचारधारा शुरू की गई है जहां गांव की ऊर्जा संबंधी समस्त आवश्यकताएं स्थानीय तौर पर उपलब्धता नवीकरणीय स्रोतों से पूरी की जा सकती हैं। सौर ऊर्जा प्रणालियां प्रति वर्ष लगभग 200 मिलियन यूनिट ऊष्मा ऊर्जा पैदा कर रही है। यह विद्युत की बचत में एक शुरूआत है। ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोतों द्वारा

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकता है और इनसे पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकती है तथा जीवन-स्तर में सुधार लाया जा सकता है। इस प्रकार की प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप बायोगैस, वायु, सौर-ऊर्जा और लघु जल-विद्युत स्रोतों के माध्यम से अधिक मात्रा में विद्युत की सप्लाई किए जाने के संबंध में विचार करना संभव हो पाया है। इस संबंध में तैयार की गई एक संदर्शी योजना के अनुसार यदि इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में निवेश किया जाए तो शताब्दी के अन्त में इन स्रोतों के माध्यम से 15000 मेगावाट विद्युत की सप्लाई की जा सकेगी। इस प्रकार के स्रोतों से विकेन्द्रीकृत लघु विद्युत उत्पादन से पारेषण हानियों को कम करने तथा क्षमता शीघ्र स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी क्योंकि अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के उत्पादन की निर्माण अवधि अपेक्षाकृत बहुत कम होती है।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि कुल मिलाकर साधनों की कठिनाई के बावजूद विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। तथापि, कुछ राज्य अभी भी विद्युत की कमियों का सामना कर रहे हैं तथा इन कमियों को कम करने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक सम्भव होगा, विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी सम्भव उपायों के द्वारा राज्यों की सहायता करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : सभापति महोदय, प्रत्येक सत्र के दौरान हम अपने देश में विशेषकर कुछ राज्यों में उत्पन्न विद्युत संकट के बारे में चर्चा करते हैं। जब हम माननीय मंत्री का वक्तव्य पढ़ते हैं इसी समय ही नहीं वरन पहले भी जब हम पढ़ते थे तो भी और ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान मांग के उत्तर में भी वे हमें काफी आशान्वित करते हैं। किन्तु मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्यवश कुछ राज्यों में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। माननीय मंत्री जी के पिछले सत्र में यह आश्वासन दिया था कि वह ऊर्जा मन्त्रियों की एक बैठक बुलायेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेंगे कि संयंत्र की अधिकतम उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। इसके साथ ही उन्होंने तब यह भी कहा था कि—जहां तक मुझे ठीक-ठीक याद है—यदि संयंत्र की अधिकतम उत्पादन क्षमता में एक प्रतिशत की भी वृद्धि कर ली जाए तो देश 500 करोड़ रुपए की बचत कर सकेगा, मेरे ख्याल से इसके आंकड़े भी होंगे। किंतु अब मैं यही देखता हूं कि केंद्रीय क्षेत्र के मामले में ताप संयंत्र ही या कोई और संयंत्र हो उसकी अधिकतम उत्पादन क्षमता का केवल 73 से 75 प्रतिशत का ही उपयोग होता है। किन्तु राज्य क्षेत्र के मामले में स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है। यह उपयोग प्रतिशत 40 प्रतिशत से कम है उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। माननीय मंत्री जी ने राज्य क्षेत्र में भी अधिकतम उत्पाद क्षमता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं। नए संयन्त्रों की स्थापना करने की बजाए यहां निवेश करना बेहतर है। मैं माननीय मंत्री से इसके बारे में जानना चाहता हूं क्योंकि वक्तव्य से मुझे यही पता चलता है कि अधिकतम उत्पादन क्षमता की दृष्टि से बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने उस समय यह भी वायदा किया था कि वह विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन या उसका नया ढांचा तैयार करने संबंधी उपाय

करेंगे। हमारे विद्युत बोर्डों की हालत बहुत खराब है। वे अक्षम हैं और भ्रष्ट हैं। मैं यह सही कह रहा हूं कि स्वयं माननीय मंत्री ने बताया था कि विभिन्न विद्युत बोर्डों को छठी योजनावधि में कुल 4000 करोड रुपए का नुकसान हुआ था। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हू कि राज्य विद्युत बोर्ड प्रभावी ढंग से काम कर सकें इसके लिए उन्होंने क्या उपाए किए हैं।

माननीय मंत्री जी ने अभी यह बताया है कि अभी तक सातवीं योजनावधि में और 5000 मेगावाट बिजली की वृद्धि हुई है। किन्तु माननीय मन्त्री जी से मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या उन्होंने सिर्फ आंकड़ों की करामात ही तो नहीं दिखाई है? मैं शायद ठीक कह रहा हूं कि ऊर्जा मंत्रालय के लिए 67000 करोड़ रुपए की मांग की गयी थी किंतु उन्हें केवल 3,000 करोड़ रु० ही दिए गए हैं। इस अन्तर को वे कैसे पूरा करेंगे? उन्होंने कहा है कि गैर-पारम्परिक ऊर्जा से वे 15000 मेगावाट तथा विद्युत उत्पादन में समर्थ होंगे। मैं उसका स्वागत करता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में ग्रामीण जनता जो गांवों में रह रही हैं उन्हें भी उतनी ही सुविधाएं मिलनी चाहिए जितनी कि शहर निवासियों को मिलती है। किन्तु उसके लिए आपने कितनी राशि की व्यवस्था की है? आपने अपने उत्तर में इसके बारे में नहीं बताया है। आपने तो यही बताया है कि 15000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। जहां तक मुझे याद है केवल 1 0-200 करोड़ रुपए की राशि ही गैर पारम्परिक ऊर्जा के लिए प्रदान की गयी है। क्या यही धन राशि गैर पारम्परिक ऊर्जा के लिए नियत की गई है। क्या यही धनराशि गैर पारम्परिक ऊर्जा के लिए नियत की गई है? आप कितनी धनराशि इस पर खर्च करेंगे?

मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि वह किस प्रकार से सरकारी क्षेत्र को सुधारने जा रहे हैं। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि देश में कुल ऊर्जा उत्पादन में केन्द्र का योगदान केवल 16 प्रतिशत है और शेष भाग राज्यों द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। हर साल यही हो रहा है; परन्तु स्थिति में अभी तक भी कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से साफ तौर से यह जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन क्षमता में सुधार हो और यह भी सुनिश्चित किया जाये कि देश में राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन भी हो।

अब मैं अपने राज्य कर्नाटक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप जानते ही हैं कि हमें पनबिजली पर निर्भर रहना पड़ता है अर्थात हमें मानसून की अनिश्चितता पर भी निर्भर रहना पड़ता है। कर्नाटक में, जैसा कि मंत्री महोदय बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस वर्ष वहां बिजली की कटौती 80 से 85 प्रतिशत तक रही है। पिछले चार वर्षों से वहां वर्षा नहीं हुई है। इस वर्ष सौभाग्य से वर्षा हुई थी; परन्तु पनबिजली परियोजनाओं को जलग्रहण क्षेत्रों (कैन्चमैंट एरिया) में वर्षा नहीं हुई और स्थिति वहीं की वहीं रही जैसी कि पिछले वर्ष थी। हम केवल पनबिजली परियोजनाओं पर ही निर्भर रहे। इसलिए कर्नाटक सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्र से यह मांग की जाये कि वह कुछ ऐसी परियोजनाएं वहां बनायें जो कम से कम अवधि में तैयार हो सकें।

मैं उन परियोजनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं जो पिछले दो-तीन वर्षों से भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों में निर्णय के लिए पड़ी हैं। सबसे पहले मैं बंगलौर में

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

स्थापित होने वाले 120 मैगावाट के गैस टर्बाइन संयंत्र का उल्लेख करता हूं। बंगलौर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण शहर है जो अब अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति भी पा चुका है। केन्द्रीय सरकार की भी बंगलौर में बेहद दिलचस्पी है। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है बंगलौर की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है क्योंकि अधिकांश अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग और सुरक्षा रेलवे हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लि०, बैल, एच० एम० टी०, आई० टी० आई० जैसे सुरक्षा से सम्बन्धित उद्योग तथा अन्य बड़े उद्योग बंगलौर में स्थित हैं।

पिछले दो वर्षों से हमारे मुख्य मंत्री ने ऊर्जा मंत्रालय को 50-60 पत्र लिखे हैं और इतने ही पत्र प्रधानमंत्री को भी भेजे हैं। सामान्यत: जब वह कोई पत्र लिखते है तो उसकी एक-एक प्रति कर्नाटक के सभी सांसदों को भी भेजते हैं। दुर्भाग्यवश, भारत सरकार ने किसी भी परियोजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की है। मंत्री महोदय कहते हैं कि वह गैर सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि वह 25 मैगावाट तक स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जब वह राज्य सरकार जो बिजली संकट से जूझ रही है केन्द्र सरकार से अनुरोध करती है तो उसके साथ क्या बर्ताव किया जाता है ? मैं जानता हूं कि आपने किस परियोजना के लिए स्वीकृति दी है। ऊर्जा मंत्रालय ने उसे स्वीकृति दे दी है, परन्तु पेट्रोलियम मंत्रालय का यह कहना है कि वह इसे स्वीकृति प्रदान करने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि वित्त मंत्रालय इसके लिए विदेशी मुद्रा दे दे। मंत्रालय इस तरह से अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे मंत्रालय पर टाल रहा है। सरकार का एक संयुक्त दायित्व है, उसे कार्यवाही करनी चाहिए। दो वर्षों से इसे टाला जा रहा है और इसे अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है। इस समय तक यह संयंत्र स्थापित हो जाना चाहिए था। इस संयंत्र के लिए धन राशि कौन दे रहा है उद्योग इसके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड एच० एम० टी० जैसे सरकारी क्षेत्र के उद्योग इसके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए योजनागत धनराशि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद इसे अभी तक भी स्वीकृति नहीं मिली है। अत: मैं मंत्री महोदय से इसके बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिये कि बंगलौर में स्थापित होने वाले 120 मैगावाट गैस टर्बाइन संयंत्र को स्वीकृति प्रदान हो जाये। साथ ही साथ, मैं माननीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि यदि वह इस संयंत्र के लिए अनुमति प्रदान करते हैं तो विदेशी मुद्रा आय उस विदेशी मुद्रा के व्यय से कहीं अधिक होगी जो वह तेल की सप्लाई के लिए खर्च करने जा रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन 500 करोड़ रुपये तक बढ़ जायेगा। आपके केवल 80 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। यह सभी निर्यातोन्मुख उद्योग हैं। अधिकांश सुरक्षा संबंधी उद्योग वहां हैं। इसलिये, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह आज यहां यह वक्तव्य दें कि 120 मैगावाट वाले गैस टर्बाइन संयंत्र के लिए अनुमति निश्चय ही दे दी जाएगी।

कर्नाटक सरकार ने चार ग्रामीण क्षेत्रों में 33 मैगावाट के डीजल जैनेरेटिंग स्टेशन की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव भेजे हैं। हमने ग्रामीण क्षेत्रों के विषय में भी बहुत कुछ कहा है। आपने भी अपने भाषण में अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों को ही स्थान दिया है। हम इसका स्वागत

करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि ग्रामीण कृषि को बिजली की सप्लाई अवश्य की जाए। कर्नाटक सरकार ने तथा अन्य अनेकों राज्य सरकारों ने कृषि सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिए बिजली का पूरा-पूरा कोटा दिया हुआ है। हम वहां बिजली की सप्लाई में सुधार करना चाहते हैं और वोल्टेज की कमी पर नियन्त्रण भी चाहते हैं। हमने चार ग्रामीण क्षेत्रों अर्थात कोलार, बीडर, इन्डी और जामखण्डी में चार डीजल जैनेरेटिंग स्टेशनों की मांग की है। परन्तु विगत दो वर्षों से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महोदय, कर्नाटक सरकार ने जापान से चार जैनेरेटरों के आयात का सुझाव दिया है क्योंकि ये 50 प्रतिशत सस्ते पड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं परन्तु जापान इसे तत्काल और कम कीमत पर सप्लाई करने के लिए तैयार है। अत: मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह जापान से 4 जैनेरेटरों के आयात की अनुमति दे और इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित तेल की सप्लाई भी सुनिश्चित करे।

महोदय, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री द्वारा इस सदन में यह घोषणा की गई थी कि छठी योजना अवधि के दौरान एक 250 मैगावाट का बहु ईंधन वाला विद्युत संयंत्र बंगलौर में लगाया जायेगा मुझे बताया गया है कि योजना आयोग ने अभी तक भी इसके लिए स्वीकृति नहीं दी है। अत: इसके लिए अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिये क्योंकि कर्नाटक में बिजली की कमी 25-30 प्रतिशत तक है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसे शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान करायें।

कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गये दो या तीन प्रस्ताव और हैं जो अभी तक भी अनिर्णीत पड़े हैं। ये हैं—रायचूर ताप संयंत्र की तीसरी और चौथी इकाइयां। इनको भी शीघ्र स्वीकृति दी जानी चाहिये। इसके बाद घाट प्रभा पनबिजली परियोजना के लिए 2 × 16 मैगावाट की जैनेरेटिंग इकाइयां; श्रावती रेस पन बिजली परियोजना और अन्त में कालिंदी बेसिन तक काटला और पालना विपथन योजना। ये ऐसी परियोजनायें हैं जो आपके मंत्रालय में पिछले दो वर्षों से अनिर्णीत पड़ी हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन परियोजनाओं को स्वीकृत प्रदान करें। महोदय इसके साथ ही साथ कर्नाटक विद्युत आयोग बांड जारी करने की अनुमति मांगने के लिए भी केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर रहा है, परन्तु दुर्भाग्यवश आपने अनुमति नहीं प्रदान की है। जब आपने राष्ट्रीय कपड़ा निगम और भारतीय टेलीफोन उद्योग को बांड जारी करने की अनुमति दे दी है तो कर्नाटक विद्युत निगम को भी इसकी अनुमति दी जानी चाहिए थी। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें।

महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि सातवीं योजना के अन्त तक वे प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग में वृद्धि कर देंगे। मुझे यह कहते हुये खेद हो रहा है कि कर्नाटक जैसे बेहद प्रगतिशील राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग सबसे कम है। यह लगभग 150 यूनिट है। एक समय कर्नाटक इस क्षेत्र में सबसे आगे था। सबसे पहली पनबिजली परियोजना भी यहीं स्थापित की गई थी। अत: माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। वे शीघ्र परिणाम देने वाले प्रस्ताव हैं और इसलिए उन्हें तत्काल स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

हमें प्रसन्नता है कि हमें एक परमाणु संयंत्र मिल रहा है कर्नाटक में यह पहला केन्द्रीय निवेश होगा। लेकिन इसके परिणाम देने की अवधि क्या है? इसमें पांच या छ: वर्ष लगेंगे और इस बीच हमें करोड़ों रुपये की हानि हो जायेगी। हम मंत्री महोदय से इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अनुरोध करते हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस विषय में कुछ करेंगे ताकि आगामी सत्रों में इस प्रकार की चर्चा की आवश्यकता न पड़े।

हिन्दी

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को उनके लम्बे और उपदेशात्मक भाषण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उपदेशात्मक मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनके उत्तर को पढ़ने से उनके मंत्रालय की असहायता स्पष्ट झलकती है। उससे कहीं पर ऐसा प्रतीत नहीं होता पावर जेनरेशन के मामले में अभी तक जो गैप चला आ रहा है, उसको पाटने के लिए कौन से कंक्रीट स्टैप्स उठाये जा रहे हैं। आपने देश में कुछ कैप्टिव पावर प्लांटस स्थापित करने की बात कही है परन्तु उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि सातवीं पंच वर्षीय योजना में पावर जेनरेशन के शोर्ट-फाल को पूरा करने के लिए आप का क्या विचार है, आप प्राइवेट सैक्टर से किस तरह सहयोग करना चाहते हैं। उससे यह भी जाहिर नहीं होता कि हमारे देश में जिस तरह किसानों को और प्रियोरिटी क्षेत्र में स्थित इंडस्ट्रीज को समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है, उस कमी को दूर करने के लिए क्या ठोस-कदम उठाये जा रहे हैं। सबसे पहले मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान उनके बयान कों ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आपने इसी विषय पर पिछले सत्र में जो बयान दिया था, आज के बयान में भी आपने वही बातें दोहरायी है। ऐसा लगता है कि हम सदस्यों का काम हर बार बिजली की कमी की और आपका ध्यान करना ओर आपका काम उसी बयान को पुन: दोहरा देना रह गया है, जो पिछले सत्र में दिया गया था। जबकि होना यह चाहिए था कि आप हमें और सदन के पटल पर विभिन्न प्रोजैक्टस में हुई प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करते ताकि हम देश को कुछ बता सकने की स्थिति में होते। आप यह बताते कि पावर जेनरेशन के मामले में जो शौर्टफाल है, उसको दूर करने के लिए आपका मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है। आज देश के एक भाग में बिजली की कमी है तो दूसरे भाग में बहुत ज्यादा कमी है, आन्ध्र में अगर बिजली की कमी है तो कर्नाटक में अत्यधिक कमी है। हम आपसे हमेशा यही प्रश्न करते हैं कि रीजनल ग्रिड और नेशनल ग्रिड बनाने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है और माननीय मंत्री जी हमेशा वही बात कहते हैं कि हम राज्यों के विद्युत मंत्रियों की बैठक बुला रहे हैं और उसमें उनसे बात की जाएगी ताकि देश के कमी वाले क्षेत्रों में इस समस्या के सम्बन्ध में प्रभावशाली कदम उठाये जा सकें। आज भी मंत्री जी ने वही बात दोहरायी है। मेरा आग्रह है कि आप सुस्पष्ट तौर पर एक बार यह बता दें कि रीजनल ग्रिड और नेशनल ग्रिड के गठन के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय कब तक ले लिया जाएगा, उसे कितने समय में क्रियान्वित कर दिया जाएगा। हमारे सैन्ट्रल सैक्टर में जितने थर्मल पावर प्लान्ट हैं, उनका प्लांट लोड फैक्टर संतोषजनक है और पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है परन्तु राज्यों के थर्मल पावर प्लांटस की स्थिति बहुत शोचनीय है। कई राज्यों ने अपने थर्मल पावर प्लांटस में सुधार के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर में

इम्प्रूवमेंट हेतु आपसे मदद मांगी है, जैसे उत्तर प्रदेश ने मांगी है, उसी तरह कई अन्य राज्यों ने भी मांगी होगी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप राज्यों के थर्मल पावर प्लांटस के इन्फ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए उचित सहायता प्रदान करें। राज्यों के बिजली बोर्ड लम्बे समय से घाटे में चल रहे हैं और उनमें करप्शन तथा मिस—मैनेजमेंट एक नोन.फिनोमिना बन गया है। आप के द्वारा आई० सी० के अन्तर्गत राज्यों को जो ऋण दिया जाता है, राज्यों के बिजली बोर्ड उसका उपयोग अपनी स्कीमों के स्टाफ की तनख्वाहें देने के लिए कर रहे हैं या अपने घाटे को पूरा करने के लिए करते हैं। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का काम बहुत पिछड़ रहा है, धीमी गति से चल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के उदाहरण मैं जानता हूं और वहां दूसरे राज्यों की तुलना में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य बहुत कम हुआ है, नेशनल एवरेज को देखते हुए, ये राज्य दूसरों के मुकाबले बहुत पीछे हैं। इसका सारा दोष राज्य विद्युत परिषदों पर जाता है। आपको राज्यों के विद्युत मंत्रियों से बात करके विद्युत बोर्डों की फंक्शनिंग में सुधार लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कोई ऐसी दीर्घकालीन योजना बननी चाहिए ताकि इनमें सुधार आने के साथ-साथ, इनकी तमाम व्यवस्था में जिस तरह से लगातार गिरावट आती जा रही है, उसमें सुधार लाया जा सके। इस समय हमारे देश में जितने ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं, मैं समझता हूं कि बिजली की चोरी का शिष्ट नाम "ट्रांसमिशन लासेज" रख दिया गया है। आपकी नाक के नीचे, डेसू में इस समय लगभग 21 या 22 प्रतिशत तक ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं। यदि इसमें एक परसेंट की भी कमी लाई जा सके तो उससे देश को करोड़ों रुपये का फायदा हो सकता है। इसी प्रकार की स्थिति अन्य राज्यों में भी है। किसी-किसी राज्य में तो यह ट्रांसमिशन लॉस का प्रतिशत 25 या 30 तक है। इस कारण उनमें करोड़ों अरबों रुपये का प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के लिए आप एक सुस्पष्ट योजना बनायें। यदि आपके दिमाग में उसकी कोई रूपरेखा है तो उसको बताने का कष्ट करें।

आप इसको बताने का कष्ट करें। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन इस दिशा में जितना काम होना चाहिए था एक प्लाण्ट मेकर्स में वह नहीं हो रहा है। राज्य सरकारों का सहयोग आपको नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी आपको स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कम से कम अब ऐसी स्थिति आए कि आपके जो पिछले बयान हैं और अब का बयान है और भविष्य के बयान जो इस सदन में आयें उनमें अन्तर रहे कि आज हम बिजली के मामले में इतना सुधार कर पाये हैं, उन उद्योगों और किसानों को बिजली मिलने में दिक्कत न हो। किसानों को आजकल रात में बिजली दी जाती है। इससे उनका बहुत नुकसान होता है और समय भी बर्बाद होता है। किसानों को 24 घंटे बिजली मिल सके विशेषकर बुवाई के सीजन में उसके लिए आप क्या कर रहे हैं यह हमें बतायें।

श्री राजकुमार राय (घोसी) : सभापति जी, अभी बिजली के मामले में चर्चा चल रही है। किसी देश की समृद्धि बिजली की व्यवस्था से आंकी जा सकती कि कितना प्रोडक्शन हुआ और कितना इन्वेस्ट हुआ। सारे कारखाने, उद्योग धंधे बिजली से चलते हैं और कृषि के लिए भी बिजली जरूरी है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज उत्तरी

[श्री राज कुमार राय]

राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बिजली की हालत बहुत खराब है। इतनी बदतर है कि इसका बयान हाउस में क्या किया जाए। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के उन जिलों की ओर ले जाना चाहता हूं जो राज्य सरकार ने सूखा पीड़ित क्षेत्र घोषित किए हैं। बलिया, जौनपुर, बनारस आजमगढ़, गाजीपुर आदि कई जिले हैं जहां बिजली की कमी है। आजकल बुवाई का सीजन है, किसान खेतों की ओर देख रहा है कि कैसे नलकूप चलें, नहरों में पानी आये ताकि वह अपने खेतों को एक बार कम से कम पानी से सराबोर कर सके और आपकी हरित क्रांति को सफल बना सके। एक तरफ राज्य में हड़ताल है और दूसरी तरफ बिजली में कटौती तो कैसे काम चलेगा। किसान रात को 11-12 बजे अपने खेत में जाता है तो उसको इसकी कोई गारण्टी नहीं होती कि उसे बिजली मिलेगी। इस पर बात आप विशेष ध्यान दें। बिहार में मुझे रांची में जाने का सौभाग्य मिला। वहां सरकार ने लाखों-करोड़ों रुपये की लागत से सेल में आर एण्ड डी सेन्टर खोला है जिसमें कम्प्यूटर लगे हुए हैं जिससे कम से कम इस बात को जाना जा सके कि बिजली कब मिलेगी और कितनी मिलेगी, लेकिन वहां पर यह पता ही नहीं चलता इसलिए वहां सारे उपकरण बेकार पड़े हैं। मैं बिहार के दूसरे जिले बक्सर भी गया था वहां भी बिजली नहीं है।

उत्तर प्रदेश का राज्य बिजली बोर्ड इतना नाकारा है कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक तरफ वह किसानों को बिजली देने के लिए उनसे पैसा लेता है कि हम आपको सब्सिडाई पर बिजली देंगे। मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते ऊर्जा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा लोन है जिसमें हम बिजली कांट्रेक्ट पर देते हों कि हम इतने रुपये लेंगे तो आपको इतनी बिजली देंगे। फिर भी वहां बिजली नहीं मिलती है। यह सब वहां के विद्युत बोर्ड की कमी की वजह से होता है। कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है किसानों को पैसा भरना पड़ता है। गलती आपकी और भुगतना पड़ता है किसानों को। दुनिया में क्या आपने ऐसा कांट्रेक्ट देखा या सुना है। क्या ऐसा कांट्रेक्ट कोई करता है, जो एक तरफा हो, मंत्री जी इसका सही ढंग से जवाब दें कि क्या यह लीगली उचित है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 1978 में मैंने एक पत्र लिखा था उसका जवाब आया था—

[अनुवाद]

"जिला आजमगढ़ में 2×210 मैगावाट के दोहिरघाट तापीय विद्युत स्टेशन की स्थापना का जहां तक सम्बन्ध है, उसके बारे में स्थिति इस प्रकार है :

जिला आजमगढ़ में 2×210 मैगावाट के दोहिरघाट ताप विद्युत स्टेशन की परियोजना रिपोर्ट तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए, मई 1978 में केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, नई दिल्ली को भेजी गई थी। परन्तु केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा यह परियोजना रिपोर्ट वापस कर दी गई थी, क्योंकि 1989-90 से पहले इस परियोजना के लिए कोयला उपलब्ध नहीं हो सकता।"

[हिन्दी]

स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जिन थर्मल पावर स्टेशनों को लिया है, मैं ऊंचाहार को कोट कर रहा हूं, जिसमें जयपुर आगरा को जोड़ रहे हैं, इसमें 1989 तक कोल उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अगर आप उसको मान लेते, यू०पी० के और भी प्रोजेक्ट हैं, मैं दोहरीघाट का स्पैसेफिकली कहना चाहता हूं कि अगर आप समझते हैं कि 90 तक हो जायेगा तो उसको मान लेंगे कि क्या बात है, अगली पंचवर्षीय योजना में कर लेंगे। इस सदन में माननीय श्री बसन्त साठे जी ने उत्तर दिया था कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को लिखेंगे कि यह बहुत महत्त्वपूर्ण योजना है, पिछड़े क्षेत्र को उठाने के लिए दोहरीघाट थर्मल पावर स्टेशन को जरूर ले लिया जाये। श्री आरिफ मोहम्मद खां जब मंत्री थे, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैंने तो पत्र लिख दिया, अब कोई कुछ नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं। इस तरह से अगर केन्द्रीय सरकार असहाय है और उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जो चाहे सो करे तो मैं समझता हूं यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। माननीय मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक विद्युत उत्पादन का सवाल है, उसका बहुत ज्यादा हिस्सा राज्यों को करना पड़ता है। केन्द्र ने भी एक भागीदारी उसमें रखी है।

जो बिजली उत्पादन पब्लिक सैक्टर में हो रहे हैं, उनमें बड़ी गिरावट है। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं, मिर्जापुर में बिल्ला का अपना हाइड्रो इलैक्ट्रिक स्टेशन है, वह अपने लक्ष्य से भी ज्यादा बिजली पैदा कर लेते हैं और आपके पब्लिक सैक्टर में परसेन्टेज इतनी कम है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार का ध्यान दशाब्दियों से दिलाया जा रहा है फिर पब्लिक सैक्टर में इतनी गिरावट क्यों है? आपने उसके लिए क्या किया 10, 20 साल में? मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

कैप्टिव पावर सेंटर्स के बारे में मंत्री जी ने बयान दिया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या स्पेशल योजना है? नेशनल ग्रिड बनाने की बात कई बार सदन में उठ चुकी है। जब माननीय मंत्री जैसे विद्वान आदमी इस महकमे के हैड हैं तो क्या दिक्कत है? जिन राज्यों में बिजली कम है, उन्हें जल्दी से जल्दी बिजली देने की बात होनी चाहिए।

इस समय उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत बहुत खराब हो रही है। सूखे से उसका पूर्वी हिस्सा और उत्तरी हिस्सा बहुत खराब है और उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। कहीं थोड़ी सी भी बिजली लोगों को नहीं मिल रही है। इसलिए माननीय मंत्री जी इसके लिए कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें इस समय किसान अपनी बुवाई का काम कर सकें? मैं समझता हूं कि सरकार को सबसे ज्यादा इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

जहां तक बिजली देने का सवाल है, जैसे नगरों में जरूरी है, वैसे गांव में बिजली देने की बहुत आवश्यकता है। गांव में बिजली देने का सिलसिला सिद्धांततः तो आपने स्वीकार कर लिया है लेकिन गांव में खम्बे तो लगे हैं, लेकिन कहीं तार की कमी है, कहीं ट्रांसफार्मर की कमी है, स्टाफ की कमी है। यह सारी कमी बताकर गांव का इलैक्ट्रीफिकेशन हुआ ही नहीं है। अगर हुआ

[श्री बसन्त साठे]

भी है तो बहुत कम हुआ है। वहां भी आपके विद्युत के खम्भे सफेद हाथी की तरह खड़े हैं, कोई लाभ गांव वालों को नहीं मिल पा रहा है।

डोमैस्टिक कनेक्शन भी लगभग नहीं हैं। कभी दीवाली, होली या दशहरे के दिनों में भी बिजली लोगों को नहीं मिल पाती है। इस किस्म की लापरवाही हमारे उत्तर प्रदेश में होती है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस बारे में वह अपना स्पष्ट उत्तर दें और सदन को आश्वस्त करें कि इन कमियों को दूर करने के लिए वह सक्षम और कारगर कदम तुरन्त उठाने वाले हैं।

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मैं कर्नाटक के माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि कर्नाटक के मुख्य मन्त्री तथा ऊर्जा मंत्री के साथ मेरी कई बैठकें हो चुकी हैं। मुझे कर्नाटक में बिजली की कमी की समस्या के बारे में जानकारी है। जो कुछ प्राकृतिक है अर्थात् मानसून की कमी और पनबिजली भंडारण संयंत्र का भरा जाना, इस बारे में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, परन्तु हम कुछ ताप परियोजनाओं के स्थापित करने में सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कर्नाटक की सहायता की जा सके।

परियोजनाएं जो 1985-86 में स्थापित की जा चुकी हैं वे हैं: काली नदी 50 मैगावाट, कालीनदी-दो 50 मैगावाट और रायचूर इकाई दो 210 मैगावाट। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 210 मैगावाट की रायचूर इकाई तीन को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। परन्तु, कर्नाटक विद्युत आयोग अभी तक भी मुख्य संयंत्र और उपकरणों के लिए आर्डर नहीं दे पाई है। संभवत: धन राशि की कमी के कारण। अत: धनराशि एक रुकावट है चाहे वह राज्य में हो या केन्द्र में। यह सर्व विदित तथ्य है; परन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है, कम से कम हम परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब नहीं करते; ताकि जैसे ही संसाधन किसी भी जगह से उपलब्ध हो आप परियोजनाओं पर कार्य कर सकते हैं।

जहां तक कर्नाटक में चालू परियोजनाओं के कार्यक्रम का सम्बन्ध है, परियोजनाओं की एक सूची है—मैं इसे अपने माननीय मित्र को दे दूंगा परन्तु घाट प्रभा, गंगावली, रायचूर तीन, काली नदी विस्तार, शिवपुर, मालापुर, सीरवार—ये सभी परियोजनाएं इसमें शामिल हैं, और हमने शरवती 4 × 60 भड्डर गैस टर्बाइन 4 × 30 अर्थात् गैस टर्बाइन जिसके बारे में आप कह रहे हैं, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण से स्वीकृत करा लिए हैं।

(व्यवधान)

परन्तु यह केवल वित्त का प्रश्न नहीं है। आपको यह सहायता चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय को डीजल जनरेटर सैटों के लिए डीजल की व्यवस्था करनी होगी और यह स्वाभाविक है क्योंकि डीजल का जितना भी उत्पादन है उसका उपभोग पहले से ही निर्धारित है। यदि अतिरिक्त मांग होगी तो वे आयात करने के लिए इच्छुक हैं, परन्तु वे कहते हैं: 'कृपया विदेशी मुद्रा उपलब्ध करायें।'

कर्नाटक के प्रस्ताव के बारे में मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि हमने न केवल इन चार परियोजनाओं पर बल्कि 120 मैगावाट के गैस टर्बाइन के बारे में एक टिप्पण तैयार किया है और यह निर्णय किया है कि इस मामले को मंत्री मंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है हम इसके बहुत इच्छुक हैं कि कर्नाटक में परियोजनाएं स्थापित की जाएं और इस कार्य में हम पूरी सहायता करेंगे।

जहां तक मंगलौर तापीय बिजली घर का सम्बन्ध है मुख्य समस्या कोयले के पहुंचने की है क्योंकि पास में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां से कोयला मिल सके; इसे काफी दूर से समुद्री मार्ग से लाना होगा या आयात करना होगा। इन मामलों को आर्थिक दृष्टि से देखना ठीक होता है। फिर साधन जुटाने का भी प्रश्न होगा। परन्तु सिद्धांत रूप में हमने यह बात स्वीकार कर ली है और हमें देखना है कि सभी अपेक्षित चीजें उपलब्ध हो जाएं।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है, बिजली की कमी के बावजूद, मुझे खुशी है कि कर्नाटक उन राज्यों में से है जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों को चौबीस घंटे पूरी बिजली दी जा रही है।

इससे औद्योगिक क्षेत्र को भी हानि होती है; परन्तु औद्योगिक क्षेत्र के लिए, जैसा कि मैंने कहा है हमें केपिटल बिजलीघर तथा स्थापना में कम समय लगने वाले अन्य बिजली घर स्थापित करने की योजना बनानी होगी। अतः यह कर्नाटक के बारे में उठाए गए विशिष्ट प्रश्न के बारे में है। सामान्य प्रश्नों पर मैं बाद में आऊंगा। पहले में सदस्यों द्वारा सभा में उठाये गए विशिष्ट प्रश्नों को लेना चाहता हूं।

श्री हरीश रावत, उनकी उन टिप्पणियों के बारे में कुछ कहने के अलावा जो वे सामान्यतः यह कहते हुए करते हैं कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है और अपने उत्तरों को दोहराते हैं, आदि, इस सम्बन्ध में भी मैं बाद कुछ कहूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ऐसा नहीं करते। मैंने अपने विवरण में, न केवल गत वर्ष बल्कि पिछले चार वर्षों में किए गए सुधारों का उल्लेख किया है। मैंने ब्यौरा दिया है जिसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश के बारे में माननीय सदस्य श्री राय तथा श्री हरीश रावत कुछ पूछने को उत्सुक थे। उत्तर प्रदेश में भी, केंद्रीय क्षेत्र से जो कुछ उन्होंने कहा है उसके अतिरिक्त, बिजली का उत्पादन काफी प्रयासों के साथ तथा समय-समय पर होने वाले प्रदर्शनों के बावजूद, जिससे बिजली का उत्पादन रुक जाता है, यद्यपि कुछ वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में—यदि तीन अवधि को लें—1984-85 में पी० एल० एफ० घटकर 31·6 प्रतिशत हो गया है। अब 1985-86 में यह बढ़कर 37·3 प्रतिशत हुआ है, और इस वर्ष अक्तूबर तक यह 37·3 प्रतिशत रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरे साथी इसके विकास के लिए बहुत उत्सुक हैं; उन्होंने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मन्त्री, विद्युत मन्त्री, हमारे सभी अधिकारी तथा मुख्य मन्त्री के साथ एक विशेष बैठक यह देखने के लिए की कि उत्तर प्रदेश के संयंत्रों में संयंत्र 'लोड फेक्टर' में कैसे वृद्धि की जा सकती है। हम यथासम्भव सहायता देने के लिए इच्छुक हैं; और उक्त बैठक में उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि इस वर्ष वे संयंत्र 'लोड फैक्टर' को बढ़ाकर कम से कम उत्तर क्षेत्र के औसत 45 पी० एल० एफ० तक बढ़ा देंगे।

श्री हरीश रावत : जो कुछ हमने मांग की है आप वह तो दीजिए।

श्री बसंत साठे : हम सहायता दे रहे हैं।

श्री राजकुमार राय : हम चाहते हैं कि आप और सुस्पष्ट रूप से बतायें।

श्री बसंत साठे : यह आरोप लगाया गया था कि हम उत्तर प्रदेश के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं लेकिन यह कहना न्याय संगत नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य देखें कि सिंगरौली का हिस्सा—यह मुख्य बिजलीघर है और यह कहना गलत है जैसा मेरे माननीय मित्र तथा साथी की राय ने कहा है, कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बिजलीघर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं; प्राइवेट स्टेशन ठीक से काम कर रहे हैं; यह सही नहीं है; राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के स्टेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं; और रिकार्ड औसत लगभग 75 प्रतिशत आता है; इसमें 'आउटेज' और अनुरक्षण तथा अन्य चीजें शामिल हैं; इसका अर्थ है कि हर तरह से कार्य निष्पादन बहुत अच्छा है उत्तर प्रदेश का 35 प्रतिशत हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं राज्यों का हिस्ता है; जिस क्षेत्र में परियोजना हैं तथा अन्य क्षेत्रीय राज्यों का भी हिस्सा होता है।

लेकिन इसका अर्थ है कि यह 1,004·3 एम० यू० होगा लेकिन वे 1,791·3 एम० यू० तक, लगभग 53 प्रतिशत अधिक ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने 1983-84 में ही इतनी खपत नहीं की है बल्कि 1984-85 में उनका हिस्सा 1,643 एम० यू० था जबकि उन्होंने 3·365 एम० यू० का उपभोग किया था।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : दुगुना।

श्री बसंत साठे : फिर 1985-86 में उनका हिस्सा 2,044 था और उन्होंने 3,545 एम०यू० बिजली ली।

एक माननीय सदस्य : उन्हें दण्ड दिया जाए।

श्री बसंत साठे : और हम जानते हैं कि सिंगरौली उत्तर प्रदेश में स्थापित है और उत्तर प्रदेश में कमी है, हम चुप रहते हैं। हमें ईमानदार तथा स्पष्ट होना चाहिए। अन्ततः इससे उत्तरी क्षेत्र के दूसरे राज्यों को कम बिजली मिलती है। हमें यह आरोप नहीं लगाना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश को उसका उचित हिस्सा नहीं दे रही है : यह सही नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : ऐसे दे रहे हैं कि हम लोगों को फील नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

न्याय किया जाना काफी नहीं है ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय किया गया है।

श्री बसन्त साठे : ऐसा कैसे लगेगा ? बहरहाल यह तो उत्तर प्रदेश विधायी बोर्ड पर निर्भर है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसानों को उचित समय पर उचित मात्रा में बिजली मिले। यदि कर्नाटक बिजली की कमी होते हुए किसानों को पर्याप्त बिजली दे सकता है तो उत्तर-प्रदेश क्यों नहीं दे सकता। लेकिन इसके लिए आपको योजना बनानी होगी तथा चोरी को रोकना होगा। अब हमने एक सख्त कानून बनाया है। उत्तर प्रदेश में भी कानून है। लेकिन यदि आप उसे लागू नहीं करेंगे तो उनका कोई लाभ नहीं होगा। ये केवल कागज पर रह जायेंगे।

अत: अब हम उत्तर प्रदेश सरकार को तथा अन्य राज्य सरकारों को, मुख्य मंत्रियों को कह रहे हैं कि वे चोरी को रोकने या कम से कम चोरी के लिए होने वाली सांठ-गांठ को रोकने के लिए कदम उठाए क्योंकि बिना सांठ-गांठ के चोरी नहीं हो सकती।

अब मैं माननीय सदस्य श्री रावत के प्रश्न विशेष पर आता हूं जो उन्होंने एक विशेष परियोजना के बारे में किया है जिसकी क्षमता 2×210 मे० वाट है।

[हिन्दी]

श्री बापूलाल मालवीय (शाजापुर) : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बारे में बता रहे हैं, कृपा करके मध्य प्रदेश के बारे में भी थोड़ा सा बता दें।

श्री बसन्त साठे : अगले कालिंग एटेंशन में।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जो भी प्रश्न उठाए जायेंगे वे उनका उत्तर देंगे।

श्री बसन्त साठे : यह 2×210 मेगावाट का संयंत्र उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में दोरघाट में है।

[हिन्दी]

वास्तव में कोयले की लिंकेज का सवाल है। यह प्रोजेक्ट प्रिंसिपली हमने मान लिया है, लेकिन 1990 तक कोयला मिलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन उसके बाद आठवें फाइव ईअर प्लान में कल्पना हमें मान्य है। हाउस में मैंने कहा है कि हम तो तैयार हैं। दस हजार मेगावाट का गैप है, जितने प्रोजेक्ट लग सकें, जहां-जहां लग सकें, प्लिंथ में लग जायें, जिस राज्य में लग जायें, सब देश में हैं, भारत में ही हैं। हमें प्रसन्नता होगी, और हमारा प्रयास है कि जैसे ही साधन उपलब्ध हों सब योजनाएं पूरी हों। घोरीघाट की बात मैंने कह दी। अब मैं आम सवालों की तरफ आना चाहता हूं।

श्री हरीश रावत : उत्तर प्रदेश के कई प्रोजैक्ट्स हैं, जो आपके यहां पड़े हुए हैं। जैसे शारदा वैली में धोली गंगा, टिहरी गंगा और विष्णु प्रयाग आदि।

श्री राजकुमार राय : टिगरी गंगा तो आप गोर्बाचोव जी के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि छोटा सा प्रोजैक्ट है दोहरी घाट का, जिसका पांच-सात जिलों से संबंध है, बिहार और उत्तर प्रदेश का, इसको आप उनसे बातचीत करने के लिए क्यों नहीं लेते हैं ?

श्री बसंत साठे : गोर्बाचोव कोयला कहां से देंगे। कोयले का झगड़ा है।

श्री राजकुमार राय : कोयला आप दे दें। 1990, 1991 तक इसको पूरा करा दीजिए, क्या बड़ी बात है। ·· (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : मैं झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : अनुपूरक मांगों पर बोलने वाले सदस्यों को अवसर देने के लिए मैं प्रस्ताव करती हूं कि आज दोपहर का भोजनकाल समाप्त किया जाए"।

सभापति महोदय : क्या सदस्य चाहते हैं कि आज दोपहर का भोजन काल समाप्त किया जाए ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री वसन्त साठे : जहां तक इन परियोजनाओं का सम्बन्ध है जिन्हें हम सोवियत संघ या किसी अन्य देश के साथ सहायता के लिए रख रहे हैं। कई परियोजनाएं तैयार हैं जहां कोयला उपलब्ध है जैसे तलपट में—एक बात है कि कोयले का उत्पादन बढ़ाना होगा। योजना है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोयले का उत्पादन बढ़कर 2600 लाख टन हो जाएगा। और शताब्दी के अन्त तक 4000 लाख टन हो जाएगा। अतः जब कोयले का उत्पादन बढ़ जाएगा और यह उपलब्ध हो जाएगा तब घोरघाट जैसी परियोजनाएं, जिन पर सिद्धांत रूप में सहमति हो चुकी है, निश्चित रूप से हाथ में ली जाएंगी।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि जैसे ही वह सम्पर्क मिलेगा इस परियोजना को आरम्भ किया जाएगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : राजस्थान के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री वसंत साठे : हम पलाना में लिग्नाइट प्लांट लगा रहे हैं।

मैंने पहले बताया है कि 10,000 मैगावाट की कमी है। जहां तक विद्युत का सम्बन्ध है, जितनी ज्यादा आप देते हैं उतनी ज्यादा आप चाहते हैं। यहां तक कि विकसित देशों में जिनके यहां प्रति व्यक्ति 10,000 किलोवाट घंटे बिजली है, वहां पर भी वे लोग महसूस करते हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिली है। हमारे यहां प्रतिव्यक्ति खपत क्या है ? यह 1700 मेगावाट की आश्चर्यजनक वृद्धि के पीछे 170 किलोवाट घंटे है जो 30 वर्षों की योजना के दौरान 47,000 मेगावाट तक पहुंची है किसी भी राष्ट्र को इस उपलब्धि पर गर्व हो सकता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद और जनसंख्या के दुगुना हो जाने के कारण हमारी प्रति व्यक्ति खपत 170 किलोवाट घंटे रही और ग्रामीण क्षेत्रों में यह खपत लगभग 30 किलोवाट घंटे है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमारी क्या जरूरत है ? अगर हमें इस जरूरत को पूरा करना है तो इसको पूरा करने के लिए कौन सा अच्छा रास्ता है। हमें संसाधनों का पता लगाना होगा। जब हमने योजना शुरू की थी तो उस समय एक मेगावाट (एम० डब्लू) को स्थापित करने में लगभग 10 लाख रुपये की लागत आती थी। आज यह लागत 1 करोड़ रुपये है। पारेषण (ट्रांसमिशन) पर अलग से 50 लाख रुपये लगते हैं। यदि हमें 1 मेगावाट बिजली के लिए 1 करोड़ रु० खर्च करने होते हैं तो हमें निश्चित रूप से संसाधनों का पता लगाना होगा। विद्युत संयंत्र की स्थापना की बात किसी से छिपी नहीं रह सकती। आप इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं ? अतः हमारा कहना है कि हमारी औद्योगिक नीति को ढांचे के अंतर्गत, राष्ट्रहित में यदि कोई, चाहे वह कोई भी हो, किसी विद्युत संयंत्र की स्थापना करना चाहता है और ऐसा करने से लाभ होता है तो हम कहेंगे कि आपका 'स्वागत' है। चाहे यह तापीय (थर्मल) पनबिजली (हाईडल) अथवा किसी प्रोजेक्ट की स्थापना की बात हो। अन्यथा यद्यपि हम गैस प्लांट से पहले ही अतिरिक्त 200 मैगावाट बिजली

ले रहे हैं लेकिन अभी 800 मेगावाट की जरूरत है। हम द्विपक्षीय प्रस्ताव रख रहे हैं। मान लो कुछ हजार मेगावाट बिजली वहां से मिलती है तो तब भी कमी तो रहेगी। वस्तुत: मैं देश में उन सब लोगों से निवेदन करूंगा जिनके पास धन है, उन्हें अपना यह धन देश में विद्युत उत्पादन एकक में लगाना चाहिए। यदि वे सामूहिक रूप से 'कैपटिव पावर यूनिट' के रूप में अपने उद्योगों के लिए ऐसा करते हैं तो इसका भी हार्दिक स्वागत है। जहां तक विद्युत का संबंध है यह कोई जादू की छड़ी नहीं है।

श्री नारायण चौबे : आप इसे गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : मैंने इस टिप्पणी के संबंध में सुना है। यह एक पापुलिस्ट दृष्टिकोण है। (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : उन्होंने भी यही कहा है।

श्री बसन्त साठे : अभी तक किसी ने भी यह नहीं कहा है कि सरकारी क्षेत्र को गैर सरकारी क्षेत्र के हवाले किया जाए। किसी ने भी नहीं। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं अगर किसी ने इस प्रकार का आरोप लगाया तो यह एक शरारत होगी। यह केवल झूठा आरोप नहीं होगा अपितु एक शरारतपूर्ण आरोप होगा। अत: हम सब सरकारी क्षेत्र के हक में हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र का नियन्त्रण रहे। यह केवल तभी सम्भव हो सकता है जब यह क्षेत्र कार्यकुशल बन जाए। लेकिन जैसाकि मैंने कहा है यह मिथ्या है। कृपया आप पहले उन लोगों का भ्रम दूर कीजिए जो पापुलिस्ट नारों की बात करते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि जिन्हें आप सरकारी गैर-सरकारी क्षेत्र कहते हैं वे भी धनराशि का 80 प्रतिशत से अधिक धन इस्तेमाल करते हैं।

श्री नारायण चौबे : यही आकर्षण है। यह सरकारी धन है। अत: वे इससे अपनी जेबें भरते हैं। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : इसका क्या हल है ?

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : आपको मालूम है कि महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को परमीशन दिया है।

[अनुवाद]

आपने बम्बई में निजी क्षेत्र को इजाजत दी है।

श्री बसंत साठे : यदि राष्ट्रहित में है तो गैर-सरकारी क्षेत्र को भी नियन्त्रित कीजिए। आप ऐसा ही करने को कहते हैं और जहां तक हमारी आम नीति का संबंध है इसी प्रकार का दर्शन अपनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जहां तक ऊर्जा के गैर परम्परागत साधन का सम्बन्ध है, मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

हां बम्बई उपनगरीय विद्युत आपूर्ति कम्पनी (बी० एस० ई० एस०) को हमने पहले ही इजाजत दे दी है।

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा : आपको मालूम है कि बोम्बे सबरबन इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को आपने परमीशन दी है। बम्बई में महाराष्ट्र सरकार ने दो साल दिया है।

[अनुवाद]

आप चाहते हैं कि दो वर्ष की अवधि बढ़ाकर किसी कंपनी को 500 मेगावाट प्लांट की इजाजत दी जाए।

श्री बसंत साठे : उनके लिए दो वर्ष की अवधि बढ़ाने का प्रावधान है।

सभापति महोदय : आप यहां पर विस्तृत रूप में चर्चा न कीजिए। यहां सम्पूर्ण विभाग के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। यह केवल ध्यानाकर्षण सूचना है।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : गरीबों और किसानों से पैसा लेकर क्या आप उनको बिजली की सप्लाई की गारन्टी करेंगे ? क्या आप ऐसी डायरेक्शन इशू करेंगे ?

श्री बसंत साठे : यह जो उत्तर प्रदेश के बारे में बात की है, मैं इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मुख्य मंत्री से चर्चा कर सकता हूं और चर्चा करूंगा।

[अनुवाद]

गैर-परम्परागत ऊर्जा पर कुछ टिप्पणी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे जल्दी और बढ़िया तरीका गैर-परम्परागत ऊर्जा का साधन है। इसीलिए हमने समेकित ऊर्जा ग्राम योजना—ऊर्जा ग्राम आरम्भ की है। तीन वर्ष से भी थोड़ी अवधि में यह बायो गैस. आंदोलन बन जाएगा। थोड़ी सी अवधि में उन्नत चूल्हों की संख्या 25 लाख से अधिक और बायो गैस प्लांट की संख्या 6 लाख से अधिक हो जाएगी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसा कि मैंने कहा है एक वर्ष में हमने जो 240 करोड़ रुपये खर्च किये हैं उससे उर्वरक और ईंधन के विकल्प के रूप में काफी प्रगति हुई है।

भारत की बहुत बड़ी तट-रेखा है।

हम पवन चक्की फार्म रख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में भी हम सौर काम्प्लेक्स बना सकते हैं। हमने यह बात देखी है कि उनमें ऊर्जा का अच्छा विकल्प होता है। यहां तक हमने देखा है कि होटलों और होस्टलों में वे लाभदायक हैं और महोदय मैं महसूस करता हूं कि हम लोग इस योजना को शुरू करना पसन्द करेंगे और सभा को एक बात में मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि प्लान्ट लोड फैक्टर में हमें उतना सुधार करने की कोशिश करेंगे जितना कि हम कर सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि सुरक्षित शक्ति बिना अतिरिक्त लागत के उत्पादित शक्ति है। इसलिए महोदय, हम उसे करने का प्रयास करेंगे और पहले ही पिछले चार वर्षों के दौरान देश में प्लान्ट लोड फैक्टर में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसलिए हम नहीं कह सकते है कि कोई सुधार नहीं हुआ है और अधिक किये जाने की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि किये गये प्रयासों की सदन प्रशंसा करेगा और देश में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रयास किये गये हैं उनका समर्थन करने का प्रयास करेगा। धन्यवाद

———

1.16 म०प०

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

एक सदस्य को नाम निर्देशित करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा स्वर्गीय श्री शान्तिमय घोष के स्थान पर इस सभा को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयुक्त करने हेतु उक्त समिति की शेष अवधि के लिए राज्य सभा का एक सदस्य नामनिर्देशित करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा स्वर्गीय श्री शान्तिमय घोष के स्थान पर इस सभा को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने हेतु उपयुक्त समिति की शेष अवधि के लिए राज्य सभा का एक सदस्य नामनिर्देशित करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

———

1.17 म० प०

सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित+ करता हूं।

———

1.18 म० प०

भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माल के मानकीकरण, चिन्हांकन और क्वालिटी प्रमाणन के

* दिनांक 24-11-1986 को भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

+ राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

क्रियाकलापों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिये और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये ब्यूरो की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि माल के मानकीकरण, चिन्हांकन और क्वालिटी प्रमाणन के क्रियाकलापों के सामंजस्य-पूर्ण विकास के लिए और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए ब्यूरो की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं विधेयक पुरःस्थापित+ करता हूं।

———

1.19 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

एक गोवा सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के पास भेजे गए भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विधेयक के प्रारूप को स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री शान्ता राम नायक पणजी : गोवा, दमन और दीव कृषि काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 1976 के अधीन, गोवा में कृषि काश्तकारों को, काश्तकारों के रूप में अपनी अधीन खेती का मालिक बना दिया गया था। बाद में उस अधिनियम को गोवा के तत्कालीन न्यायिक कमिश्नर के न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। तब गोवा सरकार ने न्यायिक कमिश्नर के न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। अब पिछले छः वर्षों से अधिक से मामला सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप कृषि भूमि के काश्तकार अभी भी काश्तकार ही हैं जबकि पूरे देश में कृषि काश्तकार अपनी भूमि के मालिक बन गये हैं। गोवा सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के पास भेजे गए भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विधेयक का प्रारूप स्वीकृति के लिए अभी भी लम्बित है जिसके परिणामस्वरूप गोवा सरकार गोवा विधान सभा में भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में विधायन को पुरस्थापित नहीं कर सकी है।

इन परिस्थितियों में, मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार याचिका की जल्दी सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करना चाहिए और इसे भी गोवा सरकार के भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विधेयक के प्रारूप को स्वीकृति दे देनी चाहिए।

+ राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[हिन्दी]

(दो) सभी युवा छात्रों के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य करने की आवश्यकता

श्री मूलचन्द्र डागा (पाली) : सभापति जी, आज देश में अगर कोई कमी है तो वह है, राष्ट्रीय चरित्र की तथा गहरे अनुशासन की। इसके कारण साम्प्रदायवाद, जातिवाद और धर्म की आड़ में पृथकतावादी ताकतें दूसरे देशों के इशारों पर और उनकी सह पर खुलकर देश को विघटित करने पर तुली हुई हैं और इस कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में और विशेषकर, सीमावर्ती इलाकों में कानून व व्यवस्था को कड़ाई से बनाए रखने के लिए व अपने देश की सुरक्षा के लिए भारी व्यय करना पड़ता है। एक समय राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए 24 अरब रुपये खर्च करता था, आज उसका खर्चा बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं अन्य अर्द्धसैनिक बल पर भी खर्चा निरन्तर बढ़ता जाता है। इस सारी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए और देश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से विनम्र शब्दों में यह प्रस्ताव करता हूं कि देश के प्रति युवा विद्यार्थी को अनिवार्य सैनिक शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया जाए, इससे आने वाली पीढ़ी में अनुशासन और संयम ही नहीं आयेगा, अपितु उनमें देश के प्रति राष्ट्र भावना जगेगी जातिवाद, साम्प्रदायवाद और पृथकतावादी ताकतें कमजोर हो जायेगी और देश में आत्मनिर्भरता भी आ जायेगी। यही एक कारगर तरीका है जिसके कारण नशीले पदार्थों का सेवन स्वत: मिट जाएगा और अपने आपको मजबूत बनाने के लिए सभी बुराइयों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसलिए मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि सैनिक शिक्षा पूरे भारत में युवा विद्यार्थियों में अविलम्ब लागू की जाए।

(तीन) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों के कुछ विकास खंडों को जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति जी, उत्तर प्रदेश के तीन सीमान्त जिलों पिथौरागढ़, चमोली एवं उत्तरकाशी के कुछ विकास खण्डों जैसे मुनस्यारी, धारचूला, जोशीमठ, कालसी, यमुनापार में जनजाति, हरिजन एवं गैर-जनजातियां एक ही प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक परिवेश व परिस्थितियों में रहते आए हैं। जनजाति व गैर जनजातियों की पारस्परिक निर्भरता, रीति रिवाज आदि लगभग समान हैं। इन क्षेत्रों में जनजातियों को आरक्षण की सुविधा प्रदत्त है लेकिन गैर जनजातियों के लोग इस लाभ से वंचित हैं। इन सीमान्त क्षेत्रों में इस बात को लेकर व्यापक असन्तोष है जो कभी भी घातक रूप ले सकता है।

मैंने इस मामले में कई बार गृह मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया है परन्तु इन विकास खण्डों में जनजातियों का घनत्व 51 प्रतिशत से कम है कारण स्वरूप इन्हें जनजाति क्षेत्र घोषित नहीं नहीं किया जा रहा है जबकि समान स्थिति वाले लद्दाख क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

अत: लद्दाख के समान ही इन क्षेत्रों को भी जनजाति क्षेत्र घोषित करने हेतु प्रेजिडेन्सियल आर्डर में संशोधन हेतु गृह मंत्रालय को कदम उठाना चाहिए।

[अनुवाद]

(चार) बरहामपुर में मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्यालय खोलने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, गन्जाम, कोरापुट, कालाहान्डी और फूलबनी जिलों के लोगों की यह बहुत समय से यह इच्छा है कि औद्योगिक कृषि और व्यापार वित्त के मामलों में त्वरित ऋण निर्णयों को प्राप्त करने के लिए बरहामपुर (गन्जाम) में एक मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्यालय हो। यद्यपि वे पर्याप्त मात्रा में धन जमा करते हैं, फिर भी वे ऋण सुविधाओं से वंचित रहते है। इसलिए उनकी वित्तीय स्थिति में कोई खास सुधार नहीं है। बरहामपुर (जिला गन्जाम) में मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्यालय, भूतल जल क्षमता का उपयोग करने, बेरोजगारी की समस्या हल करने और त्वरित ऋण सुविधाएं प्रदान करके गरीबों के उत्थान के लिए और उपयुक्त पक्षों से धन जमा करने के लिए, अति आवश्यक है उड़ीसा के गंजम जिले में भंजन नगर और आस्का दो महत्वपूर्ण कस्बे हैं। अपनी गतिविधियों को जारी रखने में व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आस्का जवशन और भंजननगर बाजार में सायंकालीन शाखायें खोलने की अत्यधिक आवश्यकता है। उपर्युक्त मामलों में कृपया तुरन्त आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

[हिन्दी]

(पांच) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जिन किसानों की भूमि अर्जित कर ली गई है उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे की दर में वृद्धि करने की आवश्यकता

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : आज दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही हैं और दिल्ली प्रशासन, डी० डी० ए० दिल्ली के किसानों की उपजाऊ भूमि एक्वायर कर रही है, परन्तु किसान को मुआवजा बहुत कम मिलता है। यू० पी० और हरियाणा की जमीन से दिल्ली की जमीन कीमती है, परन्तु मुआवजा हरियाणा, यू० पी० से कम दे रहे हैं। जिसकी जमीन एक्वायर करें कम से कम 50 रुपये गज का मुआवजा दें और कर्मशियल प्लाट दें। अब प्लाट भी पहले से कम कर दिये है। पांच बीघे तक 80 गज 5-10 बीघे तक 150 गज, 10 बीघे से ज्यादा के लिए 250 गज के प्लाट दे रहे है।

मेरा सुझाव है कि 10 बीघे से 20 बीघे तक 250 गज, 20 बीघे से ज्यादा के लिए 400 गज कर दें। 1975 में जब जमीन एक्वायर हुई थी तो परिवार के सदस्य को उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार नौकरी मिलती थी। अब भी रोजगार दे। एक्वायर करते समय गांव की बढ़ती हुई आबादी के लिए मकानों से मिलती हुई जमीन एक्वायर न करें। गांव की सहूलियत के लिए शिक्षा के लिए स्कूल, पार्क, पंचायत घर, डिस्पेंसरी, खेलने का मैदान जरूरी हैं। डी० डी० ए० कालोनियों में सीवर, पानी, बिजली आदि की जो सुविधाएं हैं, उन गांव वालों को भी, जिनके गांव इन कालोनियों के बीच में हैं, यह सब सुविधाएं दें। बाद में डी० डी० ए० कालोनी बनानी शुरू करें। जिससे गांव वालों को साफ हवा साफ पानी तथा बिजली मिले। डी० डी० ए० के प्लाट की कीमत 1987 में 41 रुपये गज से बढ़ाकर 794 की थी। अब 1986 में ही 794 रुपये गज से भी अधिक बढ़ा रहे हैं जो कि पालिसी के खिलाफ है। प्लाटों की कीमत न बढ़ाई जाये।

[अनुवाद]

(छह) ढेंकानल जिले में पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को अधिक धनराशि आवंटित करने की मांग

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानल) : कामाख्यानगर सब डिवीजन जहां पर किसाल धन और खनिज सम्पदा जैसे, क्रोमाइट, अभ्रक, चांदी और अन्य महत्वपूर्ण अयस्क बहुतायत में हैं, उड़ीसा में ढेंकानल जिले का सबसे बड़ा सब-डिवीजन है। सब डिवीजन के मुख्य भाग प्रति वर्ष जून से दिसम्बर तक बारहमासी सड़क और पुलों की कमी एवं संचार की मूल अपर्याप्त सुविधाओं के कारण जिला मुख्यालय और सब-डिवीजन मुख्यालय से कटा रहता है जिससे कि लोगों को, अधिकतर आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, समाज के अन्य पिछड़े व कमजोर वर्गों के लोगों, जोकि जनसंख्या का 75% है को बड़ी कठिनाई एवं दिक्कत होती है।

इस बात ने भी सब डिवीजन के विकास को बुरी तरह से प्रभावित किया है जो कि इस तथ्य से सिद्ध होता है कि यातायात एवं संचार सुविधाओं के न होने के कारण एक उद्योग तक नहीं स्थापित किया जा सकता है।

यहां तक कि आज तक कामाख्यानगर सब-डिवीजन का मुख्यालय, जो कि ढेंकानल कस्बों के जिला मुख्यालय से राष्ट्रीय राजमार्ग-42 पर केवल 22 मील दूर है, सीधी बारहमासी सड़क से नहीं जुड़ा है।

मेहरामण्डाली के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-42 में लिगराजोर के ऊपर 100 वर्ष पुराने पुल के अत्यधिक यानी यातायात के कारण रहने से स्थिति और भी अधिक खराब हो गयी है। परिणामस्वरूप इन गाड़ियों को एक मात्र उपलब्ध सड़क, पानीकोइली-सन्थपारा। पितरी रोड का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि सड़क, एवं साथ-साथ भूबन, कामाख्यानगर, तालचेर एवं अंगुल 'नोटीफाइड एरिया काउन्सिल रोडस' जोकि घटिया विशिष्टियों के हैं, अधिक क्षति ग्रस्त हो जाती है और यातायात लायक नहीं रहती है।

इसलिए मैं सरकार से पर्याप्त वित्तीय अंशदान का अनुरोध इस बात के लिए करता हूं:

(एक) कि राष्ट्रीय राजमार्ग-42 को लिगाराजोर के ऊपर पुराने पुल को हटाकर बारहमासी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की विषिष्टि का बनाया जाए।

(दो) 1987 के निर्धारित समय तक ढेंकानल और कामाख्यानगर के बीच नवीनतम पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार ब्राह्मणी पुल एवं रमैल पुल को पूरा किया जाए; और

(तीन) पितरी। सन्थपारा-पानकोइली सड़क को अधिकतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं केन्द्रीय सड़क रोड योजनों के रूप में लेकर के बारहमासी और राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टि बनाया जाए।

(सात) नेल्लोर (आन्ध्र प्रदेश) में विजय महल सिनेमाघर के निकट एक लघु ओवर-पुल का निर्माण करने की आवश्यकता।

श्री पी० पेंचालैया (नेल्लोर) : महोदय, नेल्लोर नगर आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण जिला मुख्यालयों में से एक है। यह राज्य के धान उत्पादक जिले के रूप में प्रसिद्ध है। यह एक घनी आबादी वाला नगर है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 3½ लाख से अधिक है। यह एक लोकप्रिय व्यापार केन्द्र है। मद्रास वालटेअर रेलवे लाइन इस नगर को दो हिस्सों में बांटती है। विजय महल सिनेमाघर के समीप नेल्लोर उत्तरी रेलवे स्टेशन से 20 गज दक्षिण की ओर एक 'इन्टर लोक्ड मैण्ड लेवल क्रोसिंग गेट' है। सुपर फास्ट रेल गाड़ियों के पहुंचने से 20 मिनट पहले ही फाटकों को बन्द कर दिया जाता है जिससे उस जगह यातायात ठप्प हो जाता है और बहुत असुविधा होती है। नेल्लोर नगर के लोग जब एक लाइन से दूसरी लाइन की ओर पार करते हैं तो अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। नेल्लोर नगर निगम एक छोटा 'अण्डर ब्रिज' बनाने के लिए खर्च में हिस्सा बटाने के लिए तैयार हो गई है। राज्य सरकार भी इस बारे में सहायता करने के लिए तैयार है।

इसीलिए माननीय रेल मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि नेल्लोर नगर में विजय महल सिनेमा घर के समीप एक छोटे 'अण्डर ब्रिज' का निर्माण किया जाए ताकि यातायात के चलने में असुविधा न हो।

(आठ) संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 (2) (क), (ख) और (ग) का लोप करने की और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 (2) (क), (ख) और (ग) जो सरकार को किसी सरकारी कर्मचारी को, उसे अपने बचाव में कहने के लिए बिना कोई अवसर दिए पदच्युत करने की शक्ति प्रदान करते हैं लोप के मांग के लिए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा किए गए आह्वान पर समस्त भारत से राज्य सरकारों के हजारों कर्मचारी 24 नवम्बर 1986 को भारी मात्रा में संसद भवन के लिए 'मार्च' करने के लिए एकत्र हुए।

राज्य सरकारों के कर्मचारी काफी समय से इन अनुच्छेदों का संविधान से लोप करने की मांग कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायलय का निर्णय, देश के सरकारी कर्मचारियों को, सरकार के हाथ में एक खतरनाक हथियार जैसा लगा और इसके विरोध में व्यापक कार्यवाही हुई। लगभग सभी श्रमिक संघों और बहुत से विधिवेत्ताओं ने अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की और इन अनुच्छेदों का लोप करने की मांग की है।

राज्य सरकार कर्मचारी, आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन का निर्णय होने तक सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन के साथ समानता की मांग कर रहे हैं। इसी बीच चतुर्थ

केन्द्रीय वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों की सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन के साथ समानता की मांग को अस्वीकार कर दिया है। कर्मचारियों ने मांग की कि चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग को राज्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे को मद्देनजर रखना चाहिए तथा इन सिफारिशों को राज्य कर्मचारियों पर भी लागू किया जाना चाहिए और इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इसके कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भारी अन्तर हो गया है।

राज्य कर्मचारी, इसीलिए, यह मांग कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वेतन के साथ समानता और आवश्यकता के आधार पर वेतन का निर्णय होने तक राज्य कर्मचारियों को शीघ्र ही एक अंतिम उपाय के रूप में केन्द्रीय कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए और उस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार पूरा राज्य सरकार को तत्काल धनराशि दी जानी चाहिए ताकि ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों में वृद्धि कर सकें।

1·34 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1986-87

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी) : सभापति महोदय, इस सदन में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मेरा विचार है कि वित्त मन्त्री जी को ये मांगें तभी इस सदन में लानी चाहिए जब उनकी अत्यधिक जरूरत महसूस हो, कोई आकस्मिक घटना घट जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए और सरकार को उसके लिए पैसों की जरूरत हो। मैंने इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों का अध्ययन किया है और सभी मदों को ध्यान से देखा है। मुख्यत: इनके तहत कुल 3038·57 करोड़ रुपये मांगे गये हैं जिसमें से 1228 करोड़ रुपये सरकारी उपक्रमों के लिए रखे गए हैं। आज हमारे देश में सरकारी उपक्रमों की हालत किसी से छिपी नहीं है, इनमें बैठे ब्यूरोक्रेट्स दोनों हाथों से सरकारी धन को लूट रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस मांग का क्या औचित्य है, आप स्पष्ट करें। दूसरे, उन्होंने विभिन्न राज्य सरकारों को गरीबी हटाओ योजना के अन्तर्गत 128 करोड़ रुपये दिए हैं, परन्तु मैं उनसे जानना चाहती हूं कि क्या आपने इन दो सालों में या गए सालों में इस योजना की मौनीटरिंग करायी है कि वहां किस तरह से गरीबी हटाओ कार्यक्रम का माखौल उड़ाया जा रहा है।

आपकी ग्रामीण योजनाओं का जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्योग परमानेंट असेट्स बनाना और लोगों को रोजगार देना है, लेकिन मैं विशेषतौर पर बिहार के बारे में कहना चाहती हूं बिहार में हरिजनों के लिए आवास बने हैं, हरिजनों के लिए कालोनियां बनी हैं और अभी तक पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए भुगतान तक नहीं हुआ है, लेकिन उसकी पूरी छत ही नीचे चली गई है। यह गरीबी

[श्रीमती प्रभावती गुप्त]

हटाओ का कार्यक्रम बन रहा है। वैसे मैं कर्नाटक और अन्य जगहों में भी गई हूं, वहां कुछ काम हुए हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से बिहार के बारे में कह रही हूं।

हमारी सम्मानीया स्व० प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1969 में देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि देश के ग्रामीण और बेरोजगारों को बैंकों से लोन आसानी से मिल सकें, लेकिन हमें मालूम है कि आई० आर० डी० पी० कार्यक्रम के तहत बैंकों द्वारा जो लोन लोगों को दिये जाते हैं, उनमें कितना परेशान लोगों को होना पड़ता है। आज जो 928 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं, इससे ये अधिकारी मालामाल हो जाएंगे। धनी और धनी हो जाएंगे तथा गरीब, गरीब ही रह जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इसकी आप मानिटरिंग कराइए।

हमारे वित्त मंत्री महोदय ने, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो रुपया दिया है और करों में जो छूट दी है, इसका मैं स्वागत करती हूं। इसके कारण ऐसे लोग जो आमदनी तो करते थे, लेकिन टैक्स नहीं देते थे, अब वे इन छूटों के कारण खुलकर सामने आए हैं और टैक्स दे रहे हैं। मुझे कल ही दिल्ली के एक व्यापारी मिले वे कह रहे थे कि पहले हमें 100 में से एक पैसा फायदा होता था और हम कर बचाने का विचार करते थे, लेकिन अब सरकार द्वारा टैक्सों में रियायत देने से हमें पचास पैसे फायदे होते हैं और पचास पैसे उसमें से टैक्स दे देते हैं।

सभापति महोदय, आज मेंहगाई चरम सीमा पर है। आज स्थिति यह है कि दो हजार रुपए कमाने वाला आदमी भी आज ठीक से दाल रोटी नहीं खा सकता है। काले धन के कारण आज स्थिति यह हो रही है कि इतना रुपया कमाने वाला वर्ग भी परेशानी अनुभव कर रहा है। इसलिए मेरा विशेष तौर से दिल्ली महानगरी के बारे में कहना है आप पता लगाएं कि कितना काला धन आपरेट कर रहा है अगर आप कर प्रक्रिया का सरलीकरण नहीं करेंगे; तो स्थिति खराब होती चली जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आप उत्पादन के ऊपर एक बिन्दु पर ही कर लगाएं यदि ऐसा नहीं हुआ, तो ये इन्स्पेक्टर आपकी सारी आमदनी को खा जाएंगे। आज तो हर चीज के लिए इंस्पेक्टर बना दिए हैं। मार्केटिंग इंस्पेक्टर और न जाने क्या क्या इंस्पेक्टर बना दिए गए हैं। यह जो कृषि मार्केटिंग बोर्ड बना दिया गया है, यह क्या है? यह सब चोरी और भ्रष्टाचार का अड्डा है। इसको बंद करिए। कर की प्रक्रिया को सरल करने के ऊपर ज्यादा विचार मैं तब प्रकट करूंगी जब मन्त्री महोदय इसके लिए एक विधेयक लाने वाले हैं, उस विधेयक को वे लेकर इस हाउस में आएंगे।

सभापति महोदय, कोई व्यक्ति स्विस बैंक में यहां से ले जाकर पांच अरब रुपया जमा कर देता है और वहां का नागरिक बन जाता है, मैं पूछना चाहती हूं कि यह कैसे और किस ढंग से हो जाता है? यहां का रुपया वहां किस रास्ते जाता है। यह बात मैं इस देश के लाखों-लाख लोगों की तरफ से पूछना चाहती हूं, यह कैसे हो जाता है और क्या आप इस देश का जो रुपया स्विस बैंक में जमा है, उसे वापस लाएंगे और हिन्दुस्तान के ऊपर जो कर्जा है, करोड़ों रुपयों का जो कर्ज चला आ रहा है, उसको इस स्विस बैंक में भारत के जमा रुपए से वापस कर के भारत को ऋण मुक्त करेंगे?

तीसरी बात, सभापति महोदय, मैं वही कहना चाहती हूं, जो मैंने शुरू में कही है कि यदि आप इस सप्लीमेंट्री बजट में कोई आकस्मिक बात लेकर आते, तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आप 1228 करोड़ रुपया सरकारी उद्यमों को देने जा रहे हैं। मैं राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तो हूं, लेकिन आप देखिए, बिहार में 60-65 सरकारी उपक्रम उद्यम हैं, वे सब घाटे में चल रहे हैं। आज हमारे बिहार का बिजली विभाग एवं विद्युत बोर्ड एक व्हाइट एलीफैन्ट बन गया है। ऊर्जा के बारे में सुबह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हो रही थी। बिहार में बिजली का उत्पादन करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार अरबों रुपया दे रही है, लेकिन फिर भी वहां घाटा है। ऐसे उपक्रमों को चलाने का क्या फायदा है? आज बिहार में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में है, उसको मदद दे रहे हैं। कैसी दर्दनाक स्थिति है। उत्पादन कम खर्च ज्यादा क्या यही राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था?

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र मोतिहारी, रक्सौल, नरकटियागंज और बेतिया आदि जगहों में प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आई, लेकिन आपने वहां के लिए किसी रुपए का इस पूरक मांग में प्रावधान नहीं किया। वहां पर बहुत बड़ी बाढ़ आई इस वर्ष अगस्त में आई। दो दो बार बाढ़ आई। पूरा रक्सौल मोतिहारी शहर कई-कई दिनों पानी में तैरता रहा।

जो पैसा गया उससे सिंचाई विभाग के लोग मालामाल हो गए। क्यों बाढ़ आई। सिकरहा नदी तटबन्द जो वर्षों से बन रहा है, उसमें बीच में गैप छोड़ दिया गया और लोगों को बेबस छोड़ दिया गया डूबने के लिए। दो-दो बार मोतिहारी में बाढ़ आई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

चम्पारण का बांध 1900 का बना हुआ है जिसमें हर वर्ष किसी न किसी पाइन्ट पर कीच होता है। एक माह पहले आपके इंजीनियर जाते हैं और आकस्मिक निरीक्षण करते हैं और कहते हैं कि हां कमजोर है बांध को बचाने के उपाय नहीं करते हैं। बांध और नदी का धरातल बिल्कुल बराबर है। बिहार सरकार सोई हुई है, सिंचाई विभाग का बांध नियन्त्रण विभाग सोया हुआ है। कब इसकी नींद खुलती है? जब लाखों एकड़ जमीन की फसल डूब जाती है, वहां की हरितिमा खत्म हो जाती है, लोग डूबने लगते हैं, लोगों के महल और झोंपड़ी बराबर हो जाते हैं, तब उनकी आंख खुलती है। बांध मरम्मत के नाम पर जनता के पैसों की लूट होती है।

वह सड़क जो हमारी कांस्टीटुएंसी में चकिया से केसरियासतर घाट जाती है 30 साल से कभी नहीं टूटी, वह सड़क टूट गई और सड़क पर गंडक नदी का भंवर बन गया। सभापति महोदय मैं उत्तर बिहार से आती हूं। वैसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत देश में सबसे ज्यादा दर्दनाक है, और पूर्वांचल क्षेत्र की हालत भी दर्दनाक है। गरीब लोग अपनी चरम सीमा पर कराह रहे हैं, अभाव से ग्रस्त हैं। उत्तर बिहार की हालत बहुत खराब है। वहां की शस्य श्यामला धरती, खनिज सम्पदा से भरपूर धरती, पहाड़ों और नदियों का धनी बिहार आज देश में सबसे गरीब है। पर-कैपिटा इनकम वहां सबसे ज्यादा कम है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है।

मैं वित्त मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि वह अपने उत्तर में बतायें कि गुजरे 2 साल में हरेक पार्लियामेंटरी कांस्टीटुएन्सी में उन्होंने कौन सा रिमार्केबल, उल्लेखनीय कार्य किया है ताकि

[श्रीमती प्रभावती गुप्त]

हम अपनी जनता को बतायें कि हमारी सरकार ने यह काम किया है ? यह गरीबी हटाओ का जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सारा पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं वह सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के पाकेट में है, बिहार में पैसे की लूट हो रही है। नाम-मात्र को पेड़ लगे हैं और फारेस्ट डिपार्टमेंट का पैसा वहां के अफसरों की जेब में गया है।

उत्तर बिहार में बी० जी० लाइन हो, माइक्रोवेव हो, टी० वी० स्टेशन हो सब की हालत दर्दनाक है। हमारे उत्तरी बिहार की मेरी कांस्टीटुएंसी मोतिहारी है जहां से महात्मा गांधी ने आजादी का बिगुल फूंका था, आजादी की रणभेरी बजाई थी, लेकिन वहां कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ है। मैं कहना चाहती हूं कि वहां गांधी विश्व विद्यालय बने। इनका शिक्षा विभाग कहां सोया हुआ है ? सरकार को क्या पता नहीं है कि वहां महात्मा गांधी ने नमक का सत्याग्रह किया था वहां आजादी की लड़ाई का नारा बुलन्द किया, उन्होंने देश को आह्वान किया लेकिन वहां आज एक माडेल गांव और सेंट्रल स्कूल भी नहीं खुला है।

मेरी मांग है कि सरकार अपनी सभी कटौती कर के मोतिहारी में एक माडर्न स्कूल खोले और सेंट्रल विश्वविद्यालय खोले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं और इनकी अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करती हूं और यह भी कहना चाहती हूं कि आगे से मांगें लाएं तो जरा आंख खोलकर लायें और जरूरी चीजों के लिए ही अपनी मांगें लायें।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा इस गरिमापूर्ण सभा को प्रस्तुत की गई अतिरिक्त मांगों का समर्थन करता हूं।

वित्त मन्त्री, श्री वी० पी० सिंह ने व्यय के प्रभारी मंत्री को सही ही भेजा है क्योंकि मैं समझता हूं कि अब भारत सरकार के लिए यह महसूस करने का समय आ गया है कि गैर-विकास प्रयोजनों के लिए गैर-योजना व्यय दिन-प्रतिदिन किस प्रकार बढ़ रहा है। मैं कुछ आंकड़े पढ़ना चाहूंगा।

वर्ष 1977-78 में गैर-विकास व्यय लगभग 5954 करोड़ रुपए था और आज 1986-87 के पुनरीक्षित बजट अनुमान में अधिक होगा—यह 25,996 करोड़ रुपए है। नौ वर्षों में सरकार का व्यय पांच गुणा अधिक हो गया है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसीलिए माननीय व्यय मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि अब यह देखने का समय आ गया है कि उनका विभाग अधिक कुशलता से कार्य करे, जहां राशि में कटौती करने की आवश्यकता है वहां कटौती की जाए; परन्तु जितनी भी राशि खर्च करने की आवश्यकता है वहां इसे कुशल तरीके से खर्च किया जाए।

मूल बजट अनुमान में 3650 करोड़ रुपए का घाटा था। प्रथम अनुपूरक मांगें जो जुलाई में इस सदन में प्रस्तुत की गई थीं, लगभग 1318 करोड़ रुपए की थीं। राजस्व विभाग द्वारा अच्छा

कार्य करने के लिए उन्हें धन्यवाद, उन्होंने 354 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि जुटाई। इसीलिए राज-कोष पर केवल 663 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा जिससे घाटा 4313 करोड़ रुपए का रह गया। 3038 करोड़ रुपए की इस नई मांग से कुल घाटा 7000 करोड़ का हो जाएगा। हमारे देश के इतिहास में यह अधिकतम होगा। यह इस तथ्य के बावजूद है कि राजस्व विभाग 2000 से 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त योगदान करेगा। वित्त मंत्री ने यह कहा है कि अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए सातवीं योजना की अवधि के दौरान 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व एकत्र करना होगा। मुझे केवल यही देखना है कि सरकार किस प्रकार से यह अतिरिक्त राजस्व जुटाएगी।

महोदय, व्यय में अथवा घाटे में हुई इस वृद्धि के लिए सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त हुए कम योगदान को एक बहुत बड़ा कारण बताया है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर 40,000 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च हो चुका है। 1984-85 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर कुल 37,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा 956.12 करोड़ रुपए का कुल लाभ कमाया। यह लाभ तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया जैसे केवल दो-तीन एककों से ही प्राप्त हुआ है अन्यथा लगभग सभी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने घाटा दिखाया है। यदि वे केवल 10 प्रतिशत ही शुद्ध लाभ दिखाते तो भी हमारे बजट में कुछ घाटा न रहता। 40,000 करोड़ का 10 प्रतिशत 4000 करोड़ होता है। यदि हमें] 4000 करोड़ मिल जाता तो आर्थिक दशा बहुत-बहुत ही अच्छी होती।

वित्त मंत्री महोदय ने अनेक बार यह कहा है कि सरकारी क्षेत्र के एककों के कार्यकरण में सुधार करना पड़ेगा। हम इससे सहमत हैं। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार सम्बन्धित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में बढ़ोतरी करती जाए। मैं एक उदाहरण दूंगा। भारत में 10-12 वर्ष पहले इस्पात के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में कम थे। आज भारत में इस्पात के दाम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में 150-200% अधिक हैं। इस्पात के मूल्यों में वृद्धि का एक प्रभाव यह होगा कि इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य जो 2000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था घटकर 950 करोड़ रुपये रह जाएगा। यह इस कारण से है कि इस्पात के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है।

महोदय, कल परसों में इस्पात मंत्री से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि इस्पात निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर इस्पात मिल सकता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर किसे इस्पात मिल सकता है? यह केवल दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में बड़े उद्योग पतियों को ही मिल सकता है। यह केवल उन्हीं को मिल सकता है। अब छोटी एककों के बारे में क्या विचार है जो सारे देश में फैली हुई हैं और जो असली निर्यातक हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर इस्पात प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

सेवाओं के बारे में स्थिति ऐसी ही है। एक सार्वजनिक दूरभाष कार्यालय खोलने के लिए दूरभाष विभाग जमा की राशि को 200 रु० से बढ़ाकर 400 रु० कर रहा है। उनके साथ मुकाबला

[श्री मुरली देवरा]

कोई नहीं कर सकता। हम उनके मूल्यों और सेवा भाड़े में वृद्धि कर रहे हैं। इसीलिए विभाग के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता है।

अब कुल मिलाकर समस्त अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जिस प्रकार से मैंने इस्पात मूल्यों और सेवाओं में और वृद्धि के बारे में स्पष्ट किया है, कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अब, महोदय एक चीज जिससे मैं बहुत अधिक चिन्तित हूं वह है व्यापार भुगतान सन्तुलन। आज के समाचार पत्र में मैं पढ़ रहा था कि वाणिज्य मंत्री ने शुक्रवार को सभा में यह कहा था कि 3500 करोड़ रुपये का निर्यात घाटा कुल राष्ट्रीय उत्पाद का केवल 3 6% है।

इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम वाणिज्य मंत्री निर्यात घाटे के बारे में कितना समझते हैं। इन शब्दों का उपयोग करने पर मुझे खेद है। जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य तीस डालर से बारह डालर तक कम हो गए और आज भी, कच्चा तेल सस्ते मूल्य पर उपलब्ध है, तो हमें ऐसा बताया गया कि व्यापार सन्तुलन में घाटा काफी कम हो जाएगा। जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त हुआ था, तो तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री वेंकटरमण ने सभा में एक वक्तव्य दिया था कि हमारा ऋण सेवा अनुपात केवल 11% है। यह अच्छी बात थी। आज, विदेशी ऋणों पर ऋण सेवा अनुपात 19% है, जो बहुत अधिक है। हम ब्राजील और अन्य देशों की सीमा के आस-पास पहुंच गए हैं, जहां ऋण सेवा अनुपात 21-22% है। इससे पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है। इसलिए, आयात कम करने और हमारा निर्यात बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास किये जाने चाहिएं। मैं उपकरणों के आयात की अनुमति देने का, अपने वामपंथी मित्रों की तरह विरोधी नहीं हूं। उसकी तो आवश्यकता है। परन्तु हम उन वस्तुओं के आयात की अनुमति क्यों दें जिनकी आवश्यकता नहीं है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देश में इस समय उर्वरकों की इतनी अधिकता है, उर्वरक आयात करने वाले अभिकरणों के बीच बहुत असमन्वय है। मुझे बताया गया था कि एक नहीं, चार विभिन्न अभिकरण, एम० एस० टी० सी० पोटाश इंडिया, आर० सी० एफ० और कृषि विभाग विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का आयात कर रहे हैं; उनके स्वयं के बीच में पर्याप्त समन्वय नहीं है; और होता यह है कि हमने उर्वरकों के आयात पर 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की है, वहां हमारी स्थानीय इकाइयों द्वारा तैयार किया गया हमारा अपना उर्वरक बिना बिका हुआ पड़ा हुआ है मेरा सुझाव है जिस वस्तु का आयात करने की जरूरत है, हमें उसका आयात करना चाहिए, परन्तु जिस वस्तु का आयात करने की जरूरत नहीं है, हमें उसका आयात नहीं करना चाहिए। जो चीज हम अपने उद्योगों में बना सकते हैं, हमें ऐसे उद्योगों का संरक्षण करना चाहिए, ताकि यह समस्या पैदा ही न हो।

जब वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया था, तो उन्होंने गरीबी हटाओ कार्यक्रमों, यथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम आदि जैसी योजनाओं पर आबंटन 1200 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1850 करोड़ रुपये कर दिया था। इन कार्यक्रमों के

क्रियान्वयन के बारे में आने वाले प्रत्येक प्रतिवेदन से पता चलता है कि खर्च की गई धनराशि उचित ढंग से खर्च नहीं की गई। ग्रामीण गरीबों के लिए खर्च की गई धनराशि ग्रामीणों गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है। यह गिने-चुने धनी किसानों तक पहुंचती है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में गिने-चुने बिचौलियों तक पहुंचती है, और दूसरा पहलू यह है कि हम अपने शहरी गरीब लोगों की बिल्कुल उपेक्षा कर रहे हैं।

आज, हमारी कुल जनसंख्या का एक-चौथाई भाग शहरी क्षेत्रों में बसता है इस शताब्दि के अन्त तक, कुल जनसंख्या का एक-तिहाई भाग शहरी क्षेत्रों में बसने लगेगा और भारत की शहरी जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक हो जाएगी। अब समय आ गया है जब हमें शहरी गरीबों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए, न कि ग्रामीण धनवानों पर। श्रीमती किदवई शहरी विकास विभाग की प्रभारी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस विभाग के आबंटन पर अधिक ध्यान व बल दें और एक व्यापक शहरी विकास योजना भी बनाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जब तक वे इस प्रश्न पर विचार करेंगी, तब तक वे पेट्रोलियम मंत्री बन जाएंगी।

श्री मुरली देवरा : वहां भी बड़ी संभावना है। भारत सरकार ने शहरी गरीबों के लिए केवल एक कार्यक्रम बनाया है और जिसकी घोषणा बजट में की गई थी, वह है कि शहरी क्षेत्रों में उन्हें ऋण देने के लिए पांच लाख लाभार्थियों के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि नियत की थी। वहां पर फिर एक शर्त रखी कि यह केवल उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 7200 रुपये से अधिक नहीं है। बैंक आदि में यह सिद्ध करना किसी शहरी गरीब व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। एक दिन जब श्री पुजारी सभा में एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि बम्बई और अन्य बड़े नगरों में लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। वे इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं ? वे जाली प्रमाण-पत्र नहीं दे सकते हैं। हम उन्हें जाली प्रमाण पत्र देने के लिए कह रहे हैं। ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें।

इन सब बातों में सुधार करने के लिए मेरे तीन छोटे से सुझाव हैं, पहला, गैर-योजना व्यय में पांच प्रतिशत की कटौती की जाए। मैंने यह दिखाने के लिए आंकड़े दिए हैं कि हम पिछले नौ वर्षों में गैर योजना मदों पर पांच गुनी धनराशि खर्च कर रहे हैं। गैर-योजना व्यय में भारी कटौती की जानी चाहिए। दूसरा सरकारी क्षेत्र को वास्तव में कुशलतापूर्वक कार्य करना चाहिए और डाक सेवाओं, टेलीफोन सेवाओं, इस्पात आदि के मूल्य नहीं बढ़ाए जाने चाहिए। तीसरे, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की सूची में और अतिरिक्त या नई मदें सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए। जो कुछ वे आज बना रहे हैं उनके लिए वही काफी है। यदि गैर सरकारी क्षेत्र उन मदों को बना सकता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।

मेरे मित्र विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछ रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बम्बई में तथाकथित गैर-सरकारी क्षेत्र के बी० एस०ई० सी० नामक यूनिट को अनुमति दी गई है। मैं अपने मित्र को बता दूं कि उस कम्पनी के 80% शेयर वित्तीय संस्थानों के पास हैं। अतः वे भी सरकारी क्षेत्र

[श्री मुरली देवरा]

के यूनिट हैं, कुछ और नहीं। वे गैर-सरकारी क्षेत्र में नहीं रह गए हैं। किसी संयुक्त सचिव, जिसे भारती इस्पात प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्देशित किया जाता है, को बी०एस० ई०.सी० के अध्यक्ष के रूप में भी नाम निर्देशित किया जा सकता है।

मेरे दो सुझाव और हैं, पहला, गरीबी हटाओ कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। आज सरकार उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। जहां तक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि जैसे कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, समितियों के प्रतिवेदनों के अनुसार धनराशि को उचित रूप से खर्च नहीं किया गया है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आगे कोई धनराशि खर्च न करें जब तक उन्हें विश्वास हो कि जो धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय क्षेत्रों, खंड (ब्लाक) विकास अधिकारियों को दी गई है, वह उचित ढंग से खर्च की जाती है।

एक और महत्वपूर्ण मुद्रा यह है कि शहरी गरीबी संबंधी कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं। चालू वर्ष के दौरान अनुदानों की अनुपूरक मांगें दोबारा लाई गई हैं, जिनमें 3,038 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि सम्मिलित है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वे इस धनराशि को कैसे जुटाएंगे। पहले ही उनका लगभग 6000.करोड़ रुपये का घाटा है—लगभग 3000 करोड़ रुपये सामान्य बजट का और अनुदानों की अनुपूरक मांगों का 3000 करोड़ रुपये अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वे यहां धनराशि कहां से लाएंगे। क्या वे घाटा बढ़ा देंगे ? उन्हें यह कम-से-कम यह बताना चाहिए कि वे इसे बजट आवंटन में किस-किस मद में समायोजित करेंगे। या वे घाटे का बजट बनाएंगे ? इस बात को स्पष्ट करना होगा।

हमारे यहां पहले से ही मुद्रा-स्फीति है और इससे मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति में और वृद्धि होगी मुझे वास्तव में आश्चर्य होगा यदि भारत सरकार गरीब लोगों की व्यावहारिक कठिनाइयों या उनकी परेशानियों को समझे यदि आप उनकी समस्याओं और कठिनाइयों को दूर नहीं करेंगे। तो उन गरीब लोगों के पास और क्या उपाय हैं। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि केवल 15 दिनों में ही दिल्ली में बजट सत्र के खर्च की अपेक्षा 50% खर्च अधिक हुआ है। आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए कि प्रति व्यक्ति व्यय कितना है और आपको यह उत्तर मिलेगा कि यह पहले से 50% अधिक है 5 रुपये प्रति किलो बिकने वाली सब्जी अब 10 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकती है। आपको सब्जी लाने के लिए थैला ले जाने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें पाकिटों में ला सकते हैं। अत: महोदय, स्थिति यह है।

रेल मंत्री ने इस वर्ष से माल भाड़ा व्यय के व्यक्तिकरण के नाम पर एक हजार करोड़ रुपये का भार और बढ़ा दिया है।

आप इसे कैसे पूरा करेंगे ? क्या आप अतिरिक्त कर लगाएंगे ? आप कहते हैं लोग खुश हैं क्योंकि आपके पास अत्यधिक मात्रा में अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार है। परन्तु कितने लोगों को रोज दो जून का भोजन मिल पाता है ? आपका प्रतिवेदन यह कहता है कि हमारे 40% लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, अर्थात् हमारे 40% लोगों को रोज दो जून का भोजन भी नहीं मिल पाता है। स्थिति यह है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन मामलों पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करे। वित्त मंत्रालय गैर-योजना व्यय को कम करने के लिए एक काम कर रहा है। समाचार पत्रों में समाचार दिया गया है कि प्रत्येक मंत्रालय अपने बजट में कम-से-कम 5 प्रतिशत बचत करे। अब, एक ओर आप मंत्रालयों को अपने व्यय में कटौती करने को कहते हैं और दूसरी ओर आप यहां पर गैर-योजना व्यय में 200 करोड़ रुपये की मांग लाए हैं। यह आपकी मांग है।

2.00 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

दूसरी ओर आप कहेंगे कि आपके पास पर्याप्त बजट निश्चत है और आप फिर 3250 करोड़ रुपये की राशि की मांग लेकर आ गए हैं। यह तो अंतर्विरोध की स्थिति है। सरकार के लिए कोई नीति निश्चित नहीं है और यही मैं कहना चाहता हूं। अतः इस घाटे से आम आदमी को सचमुच नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे निश्चित रूप से मुद्रा स्फीति को बढ़ावा मिलेगा।

राज सहायता के बारे में मैं एक और बात माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं मेरा ख्याल है कि भारत सरकार राज सहायता के 2000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा धनराशि का भुगतान कर रही है। इस संबंध में मैं भारत सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं। वे कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी स्थिति की पुनरीक्षा कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल निश्चित है, और वह यह है कि जब तक आप कमजोर वर्गों का बचाव नहीं करते हैं, तब तक उनके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप खाद्यान्नों के लिए जनता को राज सहायता दे रहे हैं तथा कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यो में राज्य सरकारें सस्ती दरों पर खाद्यान्न की पूर्ति कर रही हैं। अत: यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि सस्ती दरों पर समाज के कमजोर वर्गों के खाद्यान्न की पूर्ति करें अन्यथा वे कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे और उनका जीवन अत्यन्त कष्ट कर हो जाएगा।

मुझे विश्वास है कि भारत सरकार को इस बारे में बहुत गम्भीरता से विचार करना होगा। कुल 3000 करोड़ रुपए की राशि में से 600 करोड़ रुपये चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए है। वस्तुत: हम चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों का स्वागत करते हैं। हमें उसके बारे में कोई शिकायत नहीं है। किन्तु साथ ही मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इसका राज्य सरकार के कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। हम सभा में आग्रह पूर्वक यही कहते रहे हैं कि जब कभी महंगाई भत्ते या आवास किराया भत्ते में वृद्धि के रूप में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि होती है, तो राज्य सरकारों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। मैं यह सुझाव इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि इसका अनेक राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अनिश्चित कालीन हड़ताल चल रही है। कर्नाटक सरकार

के कर्मचारियों ने भी मांग प्रस्तुत की है। वे चाहते हैं कि उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन मिले और इसके लिए कर्नाटक सरकार ने वायदा भी किया है।

जहां तक राज्य वित्त का संबंध है वे बहुत सीमित हैं जबकि केन्द्रीय सरकार के वित्त भंडार में भारी गुंजाइश रहती है। अतः इस मामले में भी जब कभी वृद्धि हो, तो यह आवश्यक है कि हम राज्य सरकार से बातचीत करें और फिर निर्णय लें, अन्यथा इसका राज्य सरकार के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जहां तक अनुपूरक मांगों का सम्बन्ध है, सरकारी क्षेत्र के लिए नियत 1268 करोड़ रुपये में से 467 करोड़ रुपए भारतीय गैस प्राधिकरण की पाइप लाइनों पर निवेश के लिए दिए जाने हैं। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि हालांकि भारतीय गैस प्राधिकरण के लिए की गई व्यवस्था के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है फिर भी सभा में यह आश्वासन दिया गया था भारत सरकार इस वर्ष में मंगलोर तेल शोधक कारखाना स्थापित करेगी। उसके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। हां, यह संयुक्त क्षेत्र की परियोजना तो है ही। तो फिर इसका क्या अर्थ है। सभा में यह आश्वासन तब दिया गया था जब इस मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा की गयी थी। किन्तु अभी तक किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है।

सभा में एक और आश्वासन यह दिया गया है कि दूसरे डिजिटल इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केंद्र की स्थापना बंगलौर में की जाएगी किन्तु उसके लिए भी आपने धनराशि की व्यवस्था नहीं की है। हालांकि आपने सरकारी क्षेत्र के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि नियत की है और इस पर मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्पष्ट रूप से बताए कि वह इसके बारे में कोई व्यवस्था करेंगी या नहीं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो लगभग 4000 से 5000 तक कामगार बेरोजगार हो जाएंगे।

मैं एक बात कहना चाहता हूं जिसका उल्लेख मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पहले ही कर चुका हूं कि मैसूर विद्युत निगम ने 100 करोड़ रुपए के ऋण के लिए अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया किन्तु आपने उसके लिए मंजूरी नहीं दी है, हालांकि आपने सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के लिए अवश्य मंजूरी दी है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कर्नाटक विद्युत निगम को विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए ऋण लेने हेतु अनुमति प्रदान करें।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री अतिरिक्त कर की वसूली न होने देने की सुनिश्चित करेंगे। यदि डाक और टेलीफोन के प्रभार में वृद्धि की गई तो इसका प्रतिरोध और विरोध करेंगे। और इसका तो सत्ताधारी दल के सदस्य भी विरोध कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जनता पर कोई अतिरिक्त कर भार नहीं लगाया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रतिआभार व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनादिचरण दास (जाजपुर) : सभापति महोदय, में 1986-87 की अनुदान की पूरक मांगों का समर्थन करते हुए अपनी चंद बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। देश की अर्थ

नीति इस देश के आर्थिक उत्थान के साथ जुड़ी हुई है। इस सिलसिले में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारे संविधान में डेमोक्रेसी और सोशलिज्म की बात कही गयी है। हमारे यहां डेमोक्रेसी है लेकिन सोशलिज्म कामयाब नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें सोचना चाहिए।

हमारे देश में जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं वे वैसे ही पड़े हुए हैं। वे कैसे आगे बढ़ें, उनका कैसे विकास हो, यह हमें सोचना चाहिए। इस पर हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं।

हमने हरेक स्टेट में लोटरी चलाने की बात की हुई है। हरेक स्टेट को लोटरी चलाने की अनुमति दी हुई है। हरेक स्टेट अपनी लोटरी खोलता है। लोटरी से क्या होता है? आदमी भाग्यवादी हो जाता है। लोटरी का चलाना भाग्यवाद से जुड़ा हुआ है। हमारे देश की आर्थिक समस्याओं का लोटरी से समाधान नहीं होने वाला है। इससे भाग्यवाद बढ़ेगा। आदमी ज्यादा से ज्यादा वस्तुवादी होगा। अब वस्तुवादिता बढ़ती जाएगी तो शोषण का रास्ता और बढ़ता जाएगा। लोगों का ज्यादा से ज्यादा शोषण होगा। शोषण के बढ़ने से पिछड़े लोगों को सहुलियतें पहुंचना और भी कम होगा। इसलिए मेरा कहना है कि इस लोटरी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो भी लोटरी चल रही हैं उनको भी बन्द कर देना चाहिए।

दूसरे, हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आर० एल० ई० जी०, एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० प्रोग्राम देश को दिये थे। यह कहा गया था कि गांवों के हरेक गरीब परिवार से कम से कम एक आदमी को साल में सौ दिन काम मिलेगा। लेकिन मुझे यह पता है कि कहीं भी यह नहीं होता है। दो परसेन्ट परिवारों को यह सहुलियत नहीं पहुंची है। इसके लिए सदन में चर्चा होनी चाहिए। वह आप नहीं कराते हैं। कम से कम अपनी तरफ से ही आप इस कार्यक्रम को पूरा कराएं जिससे गरीब लोगों को सौ दिन काम मिल जाए और इससे गांव के लोगों की परकैपिटा इनकम में कुछ सुधार हो। इससे गांव के लोगों की हालत में कुछ सुधार होगा।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लेन में हरेक स्टेट से कहा गया है कि हरिजन और आदिवासियों की आबादी के हिसाब से उतना परसेन्टज वे खर्च करें। लेकिन कम्पोनेंट प्लेन और ट्राइबल सब प्लेन में यह रुपया खर्च नहीं होता है। हरेक जगह बहाना बना कर खर्च दिखा दिया जाता है लेकिन सचमुच में हरिजन और आदिवासियों पर खर्च नहीं होता है। जिसका नतीजा यह है कि उनको कोई लाभ नहीं पहुंच पाता है। इसको भी देखना चाहिए।

हमारे देश में एजूकेशन के बारे में स्थिति यह है। हमारे यहां 5 लाख प्राइमरी स्कूल हैं। जिनमें से 2 लाख स्कूलों के मकान नहीं है। 1.5 लाख स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं हैं। दो लाख स्कूलों में एक-एक टीचर हैं। इस माफिक से हमारे देश में कैसे प्राइमरी शिक्षा चलेगी। आप एडल्ट एजूकेशन पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन प्राइमरी एजूकेशन की हमारे देश में यह हालत है। आप देहात में जाकर देखिये कि किसान की क्या हालत है?

जो दिन में नान फार्मल एजूकेशन चल रही है, इससे लाभ होता है। इसको हम लोग देखते

[श्री अनादिचरण दास]

हैं और इसकी जानकारी हमको है, क्योंकि हम गांव में रहने वाले हैं, इसलिए हमको असलियत मालूम है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आपने गवर्नमेंट एम्प्लाइज और कारपोरेशन के एम्प्लाइज की पे में फर्क रखा है, यह ठीक नहीं है। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज की पे में भी फर्क किया हुआ है, यह भी ठीक नहीं है। वही गेहूं है, वही चावल है, सभी चीजों की कीमतें सब के लिए बराबर हैं, फिर इस तरह का फर्क क्यों किया जाता है। यह नहीं होना चाहिए, इसको आप देखने का कष्ट करें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जो काश्तकार हैं, उनको कुछ न कुछ पेंशन देने का रास्ता अवश्य निकाला जाना चाहिए। इसके पास सहूलियतें नहीं पहुंच रही हैं और ये लोग गरीब होते जा रहे हैं। अभी एक माननीय सदस्य बतला रहे थे कि अरबन पापूलेशन 25 प्रतिशत हो गई है और धीरे-धीरे यह प्रतिशत बढ़ता जाएगा क्योंकि गांव की इकानमी गिरती जा रही है। जो लोग सचमुच काम करते हैं, उत्पादन में लगे हुए हैं, जिन्दगी भर काम करते हैं, उनके लिए और उनके बाल-बच्चों को पालने के लिए आपने क्या सहूलियत रखी है, उनको न खाने को मिलता है और न रहने को मिलता है, इसलिए उनको पेंशन जरूर दीजिए। इसी तरह से क्राप-इंश्योरेंस स्कीम भी अभी हर स्टेट में लागू नहीं हो सकी है, इसको भी हर स्टेट में लागू किया जाना चाहिए और अधिक विस्तृत करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) : मैं वर्ष 1986-87 के लिए अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं जिन्हें कि हमारे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अनेक विपक्षी दलों के सदस्यों ने अनुदानों की मांगों पर आपत्ति प्रकट की है। किन्तु मैं उनकी टिप्पणियों का पूरी तरह से विरोध करता हूं क्योंकि अधिकांश अनुदान मांगें चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए सरकारी कर्मचारियों को वेतन आदि की अदायगी के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। जब कभी वेतन आयोग पर विचार किया जाता है तो विपक्षी पक्ष के सदस्य उन सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर दिलाने की मांग करते हैं जिन्हें कि वह प्राप्त नहीं हैं। किन्तु जब वित्त मंत्री अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करते हैं, तो वे उस पर आपत्ति करते हैं। मेरा खयाल है कि वे अपने तर्कों का ही विरोध करते हैं। अतः मैं इन मांगों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

कुल 63 मांगों में से आप देखेंगे कि अधिकांश मांगें वेतन आदि से सम्बन्धित अतिरिक्त लागत, अतिरिक्त खर्च इत्यादि को पूरा करने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों की मांगों के 3038·54 करोड़ रुपए में से लगभग 817.73 करोड़ रुपए की धन राशि की राज्यों को ऋण और

अग्रिम राशि देने के लिए आवश्यकता होती है अर्थात् अनुदान मांगों में से कुल का 24 प्रतिशत राज्यों की अग्रिम राशि तथा ऋण के रूप में प्राप्त होगा।

विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने मूल्य वृद्धि और मुद्रा-स्फीति का उल्लेख किया है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं किन्तु उन्हें अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए; हमारी अर्थ व्यवस्था अधिकांशतः कृषि पर निर्भर है, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थ-व्यवस्था है। किन्तु सिंचाई सुविधाओं आदि में कमी के कारण हम समय पर वर्षा और पर्याप्त वर्षा के लिए वर्षा के देवता इन्द्र के आसरे रहते हैं। अतः हमारे देश में हमें किसी न किसी भाग में हर वर्ष प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण हमारी फसल का काफी हद तक नुकसान होगा। जिसके परिणामस्वरूप हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और मूल्य वृद्धि भी होगी। यदि कृषि उत्पादन नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि उससे मूल्य में वृद्धि होगी।

मैं वित्त मंत्रालय को संसाधन जुटाने के लिए गम्भीर प्रयास करने हेतु बधाई देता हूं। उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया था और उसमें से 1,000 करोड़ रु० एकत्र करने में सफल हो गए हैं, जिसके लिए वित्त मंत्रालय को अवश्यमेव बधाई दी जानी चाहिए।

काला धन के बारे में यह माना जाता है कि हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में काले धन की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है और मैं वर्तमान वित्त मंत्री और अपने प्रधान मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने काले धन के प्रयास में कमी लाने के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्पी ली है और प्रयास किए हैं, कर रहे हैं तथा सभा के अन्दर और बाहर भी घोषणाएं की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त मैं वित्त मन्त्रालय के ध्यान में ला रहा हूं कि कृषक को राजसहायता प्रदान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है और मैं यह अनुरोध करता हूं कि वह यह देखें कि उर्वरक और अन्य चीजों के लिए जो सहायता कृषकों को दी जाती है वह उन्हें सही तरीके से दी जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बिचौलिए उसका लाभ न उठाने पाएं। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में एक दो सुझाव माननीय मन्त्री के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं। ब्रिटिश शासकों ने जो एक अर्सा पहले जो अकाल संहिता लागू की थी वह अभी तक बरकरार है और इसमें अब वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन किया जाना चाहिए। यह अस्पष्ट है इसीलिए इसे बदला जाना चाहिए इस समय यह हम पर लागू नहीं है। यह किस हद तक अनुचित है यह दर्शाने के लिए मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। इसके अनुसार यदि किसी जिले के एक भाग में अपेक्षित निर्माण कार्य में उसी जिले से एक निश्चित संख्या में जनता रोजगार के लिए पहुंचे तो उस जिले को राशि विशेष अदा करेगी। यदि संख्या विशेष में लोग रोजगार पाने के लिए जाएं तभी उन्हें सहायता मिलेगी। अतः प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब कभी किसी राज्य को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है तो वे केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय दल भेजने का अनुरोध करते हैं। जब तक केन्द्रीय दल जाता है उस क्षेत्र का दौरा करता है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, फिर कृषि मन्त्रालय उस प्रतिवेदन पर विचार करता है और जब तक राशि का आवंटन होता है

[श्री चिन्तामणि जैन]

तब तक प्राकृतिक आपदा समाप्त हो जाती है और जन सामान्य का संकट भी समाप्त हो चुकता है अत: प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए । इस पर विचार किया जाना चाहिए ताकि समुचित व्यवस्था समय पर दी जा सके और आवश्यक समय प्रदान करने के लिए प्रक्रिया सरल बनाएं और उसके चरणों में कमी लाई जाए।

कुछ माननीय सदस्यों ने रक्षा सम्बन्धी खर्च के बारे में आपत्ति की है । रक्षा विभाग हमारे देश की स्वतन्त्रता और अपने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोपरि महत्व क्या है । मैं उनसे सहमत नहीं हूं ।

कुछ अन्य ने सुझाव दिया है कि हमें अपने पड़ोसी और अन्य देशों से अच्छे सम्बन्ध बनाने चाहिए । वे माननीय मित्र जानते होंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए हमारे प्रधान मन्त्री और हमारा देश कितना ज्यादा प्रयास कर रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं । कि अन्य देशों का भी समर्थन मिले किन्तु अन्य देश हमारी सलाह पर कान नहीं दे रहे हैं । इसीलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाता और हमें अपनी रक्षा के लिए सोचना पड़ता है और देश की एकता, स्वतंत्रता को दी जाने वाली चुनौती के लिए तैयार होना पड़ता है और हमें चाहिए कि रक्षा खर्च के लिए व्यवस्था करें चाहे इसके लिए उपवास ही क्यों न करना पड़े तो भी हमें रक्षा-व्यय के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री बी० बी० रमैया (ऐलुरु) : वित्त मन्त्री की यह एक परम्परा बन गई है कि वह हरेक सत्र में संसद के समक्ष भारी राशि स्वीकृत कराने का प्रस्ताव रखते हैं । इस दृष्टि से हर एक सत्र बजट सत्र बन चुका है; हालांकि इस प्रकार की कार्यप्रणाली से अनुदानों की मांगों की जांच करने में पर्याप्त समय नहीं लग पाता । उदाहरण के लिए यह पूरक बजट अनेक हजार करोड़ रुपये की धन राशि का है और यह सदन इस विशाल धनराशि को स्वीकृत करने में केवल कुछ ही घंटे लगायेगा । इसलिए हर सत्र में अनुपूरक अनुदानों की मांगें लेकर संसद के समक्ष प्रस्तुत होना कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है । इस बात से यह पता चलता है कि बजट अनुभाग सक्षमता से कार्य नहीं करता है । इससे वित्त मन्त्री के तदर्थवादी दृष्टिकोण का भी पता चलता है ।

इस पूरक बजट में रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक धनराशि अर्थात् लगभग 800 करोड़ रुपये राजस्व व्यय और 121 करोड़ रुपये पूंजीगत परिव्यय के रूप दिये गये हैं । निस्संदेह यह बात सच है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्थिति अच्छी नहीं चल रही है । अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं की निरन्तर उपस्थिति के कारण पाकिस्तान को खतरा महसूस होता है और अमरीका का पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने में निहित स्वार्थ है । इस सबसे हमारी सुरक्षा सम्बन्धी समस्यायें बढ़ जाती हैं और हमें अपना सुरक्षा व्यय बढ़ाना पड़ता है । इस प्रकार से यह कुचक्र चलता रहेगा और सुरक्षा व्यय का यह बोझ एक दिन हमारे लिए असहनीय हो जाएगा । ग्रामीण जल आपूर्ति योजना शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी अन्य प्राथमिकताएं इस सुरक्षा बोझ के कारण उपेक्षित हो रही हैं । इस सब के बावजूद सुरक्षा केवल सैनिक तैयारी भर ही नहीं है । हम अपनी

सुरक्षा सेनाओं को पूर्णत: सुसज्जित और लड़ाई के लिए तैयार रख रहे हैं लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि लोगों को समुचित रूप से भोजन मिल सके, उनके पास पर्याप्त कपड़े हों, आवास हों और जरूरत की अन्य चीजें भी हों। अन्यथा असन्तुष्ट जनता हमारी सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकती है।

दूसरे पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई का मुख्य कारण है अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का जमे रहना। हमें अफगानिस्तान की इस समस्या को सुलझाने में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए ताकि इससे हमारे सुरक्षा व्यय में कमी करने में सहायता मिल सके।

सुरक्षा के मामले में हम काफी अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं। परन्तु आंध्र प्रदेश में आई बाढ़ के लिए हम पर्याप्त संख्या में नावें तक सप्लाई नहीं कर सकें और वहां भोजन के पैकेट गिराने के लिए पर्याप्त मात्रा में हैलीकेप्टर नहीं उपलब्ध करा सके। उपलब्ध कराई गई नौकाओं ने ठीक से कार्य नहीं किया। मुझे आशा है कि रक्षा सेनायें आपात स्थिति में लोगों की और अधिक कारगर ढंग से सहायता करेंगी।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को 900 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इस मद में यह काफी बड़ी राशि है।। हमने आंध्र प्रदेश में बाढ़ के दौरान जिसमें भारी नुकसान हुआ है बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए 1600 करोड रुपये से अधिक राशि की मांग भी की हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने केवल 132 करोड़ रुपये ही स्वीकृत किए हैं। इससे यह पता चलता है कि वे सार्वजनिक प्रयोजनों की किस हद तक उपेक्षा कर रहे हैं और अन्य खर्चों पर रुपया बहा रहे हैं।

बाढ़ के दौरान संचार प्रणाली भी एक भीषण समस्या बन जाती है। बेतार प्रणाली में भी सुधार किया जाना चाहिये। आपात स्थिति में बेतार प्रणाली की भी अधिक सुविधाएं होनी चाहिए।

जिस महत्वपूर्ण पहलू पर मैं जोर देना चाहता हूं वह है मुख्य बजट में (मोडवेट) योजना का लागू किया जाना। अब यह एक नियमित योजना बन चुकी है। आज उत्पादन शुल्क विभाग के कुछ कर्मचारी न तो इसे समुचित रूप से समझते ही हैं और न इसकी समुचित रूप से व्याख्या कर पाते हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि उन्हें इस योजना को किसी एक वर्ष में सभी मदों पर लागू करने के बजाय कुछ ही मदों पर लागू करना चाहिए था।

1983-84 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 1460 लाख टन था 1985-86 के दौरान यह 1500 लाख टन था और 1986-87 के दौरान यह एकाएक बढ़कर 1600 लाख टन हो गया। मुझे पता नहीं कि हम इस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करेंगे? तिलहन के मामले में हम 1984-85 में 131 लाख टन का उत्पादन कर सके और 1985-86 में कम होकर यह 1.2 लाख टन हो गया।

कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों और कृषकों को सहायता देने के लिए मछली पालन के विकास की भी बहुत आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश का कोल्लेरू क्षेत्र ऐसा सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां हमें मछली पालन के विकास उसके भंडारण और रेलों द्वारा उनके परिवहन की बेहद जरूरत है।

[श्री बी० बी० रमैया]

किसानों के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण, एक और ऐसी मद है जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि नहीं है। इसलिए कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए विद्युतीकरण में और सुधार किया जाना चाहिए ताकि खाद्य उत्पादन में और भी सुधार हो सके।

पर्यटन विभाग जो इस देश में बहुत कुछ कर सकता है अपेक्षित कार्य नहीं कर पा रहा है। इसमें भी सुधार किया जाना चाहिए ताकि हम देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा एवं राजस्व अर्जित कर सकें।

विद्युत उत्पादन एक और क्षेत्र है जिसमें हम विद्यमान स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाये हैं। यदि आप इसके उपयोग में वृद्धि करते हैं तो सरकार की आय और देश में उत्पादन में भी सुधार होगा।

एक और दूसरा क्षेत्र है सरकारी क्षेत्र के उद्योग जिसमें काफी सुधार की आवश्यकता है ताकि अधिक राजस्व कमाया जा सके जिससे घाटे की व्यवस्था को कम किया जा सके।

रेलवे के समुचित उपयोग द्वारा रेलवे की अक्षमता में भी कमी लाई जानी चाहिए।

टेलीफोन प्रणाली के भी अधिक उपयोग किये जाने की जरूरत है।

यहां बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री बापूलाल मालवीय (शाजापुर) : माननीय सभापति जी, इस सदन में जो वर्ष 1986-87 के बजट के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। यहां एक विचित्र बात देखने में यह आती है कि चाहे बजट हो, डिमाण्ड हो, हमारे विरोधी दल के भाई हर चीज का विरोध करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में किसी तरह का विकास कार्य नहीं चाहते, अपने इलाके को आगे नहीं ले जाना चाहते और इसी कारण वे यहां हर मामले में विरोध करते हैं। यदि आप यहां से पैसा ही मंजूर नहीं करेंगे तो सारे देश में कैसे काम हो पायेगा। जहां तक मैं समझ पाया हूं, हमारे विरोधी भाइयों की पौलिसी ही यह बन गयी है : "नो बट यस"। यदि आप अपनी पौलिसी के तहत सीधे तौर पर ही हां, कह दें तो अच्छी बात है, सही बातों का विरोध नहीं होना चाहिए।

इन मांगों में बहुत सी मदों में पैसा मांगा गया है और उस सम्बन्ध में, मैं आपसे दो तीन निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां दो योजनाएं गत दस सालों से लागू हैं एक बायो-गैस या गोबर गैस से सम्बन्धित है और दूसरी ए० एफ० डब्ल्यू० नल योजना है। इन दोनों योजनाओं के लगभग सभी काम अधूरे पड़े हुये हैं। ए० एफ० डब्ल्यू० नल योजना बड़े गांवों के लिए हैं, जिनकी आबादी 5,000 या 10,000 या उससे ज्यादा है। परन्तु मैं देख रहा हूं कि पिछले दस सालों से उस पर बहुत धीमी गति से काम हो रहा है और सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है, कहीं-कहीं तो

उसका पता ही नहीं लगता है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस ए० एफ० डब्ल्यू० नल योजना को शीघ्र कार्यान्वित कराने की दिशा में तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंच सके। गांव वालों को शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराया जा सके। इसके अलावा जहां तक मैं समझता हूं, बायो गैस योजना की स्थिति भी लगभग वैसी ही है। यह भी पिछले दस सालों से चली आ रही है। वैसे जब माननीय मन्त्री जी एक प्रश्न का यहां उत्तर दे रहे थे तो मैंने उनको बीच में इंटरफियर करना ठीक नहीं समझा। मेरा निवेदन है कि हम जो भी योजना बनायें, निर्धारित टारगैट के भीतर उसे क्रियान्वित कराने के सभी प्रयत्न करने चाहिए। यदि कोई भी योजना अपने टारगैट तक पूरी नहीं हो पाती तो उसमें कई तरह की बाधाएं और कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं और उस योजना की लागत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे क्षेत्र में दो योजनाएं पिछले दस सालों से चल रही हैं, मेरा निवेदन है कि उनको शीघ्र पूरा करवाने की ओर ध्यान दिया जाए। उसकी जांच होनी चाहिए। हम जो भी कदम उठायें, उनको सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रयत्न होने चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे कृषि का एक सैक्शन रिवैन्यू से भी जुड़ा हुआ है और देखने में यह आता है तथा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो जमीनें गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, उन को नहीं मिलती हैं, उन पर बड़े काश्तकारों ने कब्जा जमाया हुआ है। वैसे शासन ने यह नीति बनाई हुई है कि आठ प्रकार की जमीनों को रिजर्व रखा जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा, अर्थात् गोया, काकड़, मवेशियों के चरने का स्थान, बैठने का स्थान, उनके पानी पीने की जगह, श्मशान, कब्रिस्तान और बन विभाग की जमीन को रिजर्व रखा जाएगा। यदि देखा जाए तो शासन की भावना बहुत अच्छी है, इसको मैं मानता हूं लेकिन यह भावना बनी रहे, उस भावना की पूर्ति भी, होनी चाहिए आज हम देखते हैं कि उन जमीनों पर बड़ी खेती वाले लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है जिनके पास पहले से 100 एकड़ या 200 एकड़ जमीन है और वे गरीबों को उनका हक नहीं दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जिन जमीनों पर बड़े काश्तकारों ने अवैध कब्जा जमाया हुआ है यदि उनको गरीब लोगों में वितरित कर दिया जाए तो कम से कम उनको एक तरह का धंधा मिल सकता है।

सभापति महोदय, जहां तक ट्राइसम योजना का प्रश्न है, मेरे पास कई लोग आते हैं, वे कर्ज लेना चाहते हैं, कोई आय का प्रमाण-पत्र चाहता है और कोई जाति का प्रमाण-पत्र चाहता है। जब मैं उनसे पूछता हूं कि वे क्या धंधा करना चाहते हैं, तो उनको यह भी पता नहीं है कि वे क्या धंधा करें, लेकिन वे कर्ज लेना चाहते हैं। हर जगह कारखाने होते हैं और वहां इंजीनियरिंग सेक्शन भी होता है। इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि गांवों में कारखानों के लिए सलाहकार बोर्ड बने और जो गांवों के लोग धन्धा करना चाहते हैं उनको पांच हजार रुपया तो लोन शासन दे ही रहे हैं, उसके स्थान पर उनको दस या पन्द्रह हजार रुपया लोन दिया जाए और वे लोग उनके कारखाने लगाएं जिससे गांवों के लोगों को नए धन्धे मिल सकें। ट्रडीशनल धन्धा, जैसे लोहारी, सुनारी, जूते बनाने इत्यादि का धंधा तो वे कर ही रहे हैं, इनके अतिरिक्त वे और धंधे कर सकें, इसलिए ऐसे कारखाने और उद्योग वहां लगाए जाएं। जैसे जापान में होता है, आज जापान इतना आगे बढ़ गया है और जापान ने इतनी तरक्की की है कि जापान का माल विश्व में प्रथम स्थान पर आता है और अमेरिका

[बापूलाल मालवीय]

जैसा विकसित देश भी आज जापान में बनी हुई चीजों की मांग करता है। इसलिए इण्डियन इंडस्ट्रीज का काम है, हर जगह, हर गांव में जो लोग पैसा ऋण के रूप में ले रहे हैं, उनको कम से कम सलाह देनी चाहिए और हमारे ग्रामीण लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। यदि ऐसा न हो सके, तो जैसे मदर यूनिट होती है ऐसी यूनिट बनाएं और इन कारखानों के माध्यम से धंधे बढ़ें ताकि गांव के लोग बेरोजगार न रहें और गांव के लोगों का धंधा बढ़े।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत की गई अनुदानों की पूरक मांगों का स्वागत करता हूं। बजट के बाद मन्त्री महोदय प्रस्तुत की गई यह दूसरी अनुपूरक मांगें हैं जिनमें 3030 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय निहित है।

प्रस्तुत की गई इन मांगों के विभिन्न पक्षों पर बोलने से पहले मैं सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उठाये गये कुछ कदमों पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं सबसे पहले इन कदमों के परिणाम स्वरूप मैं यह बताना चाहता हूं कि राजस्व प्राप्तियों में काफी वृद्धि हुई है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि काले धन और अघोषित संपत्ति के विरुद्ध, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है कठोर कदम उठाये गए हैं। कर छापों और कर प्रशासन में चुस्ती के ठोस परिणाम निकले हैं। साथ ही साथ मैं यह जानकर प्रसन्न हूं कि कम आय वर्ग के लोगों को अब अनावश्यक परेशानी नहीं होती। कम आय वर्ग के क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा एक और सामयिक कदम उठाया गया है। माननीय मंत्री जी ने लघु उद्योग इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क से दी गई छूट जो वित्त मंत्री जी पिछले बजट में समाप्त कर दी थी, पुन: प्रदान कर दी है। इससे निश्चय ही छोटे पैमाने के क्षेत्र को सहायता मिलेगी। यह तस्वीर का केवल एक ही पहलू है।

परन्तु तस्वीर का दूसरा पहलू क्या है जो हमें दिखाई पड़ रहा है? महोदय मैंने कहा है कि राजस्व प्राप्तियों में इन दिनों काफी इजाफा हुआ है। साथ ही साथ हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि खर्च भी बढ़ता जा रहा है। चालू वर्ष में गैर-योजना व्यय 31867 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। पूरक मांगों में भी गैर-योजना व्यय के लिए 2750 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसलिए इस समय गैर-योजना व्यय 34,500 करोड़ रु० के आसपास होगा। इसमें निश्चय ही और भी वृद्धि होगी। अत: यह सरकार के लिए गंभीर चिन्ता की बात है। मुझे मालूम है कि सरकार इस दिशा में कुछ कार्यवाही कर रही है और मेरा यह कहना है कि सरकार को इस दिशा में कुछ सोचना ही चाहिए और सरकारी खर्च के नियन्त्रित करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। इसी प्रकार से बजट में 3000 करोड़ रुपये का घाटा था। अब, इन अतिरिक्त मांगों से यह निश्चय ही और बढ़ेगी। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन परिस्थितियों में हमारे सामने दो समस्याएं पैदा हो जाएंगी। एक तो योजनागत योजनाएं परेशानी में पड़ेंगी और

दूसरे इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी और उसके परिणाम स्वरूप, मूल्य वृद्धि होती जायेगी। इससे कौन प्रभावित होगा ? इससे सामान्य व्यक्ति की परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए सरकार को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

महोदय अब मैं पूरक मांगों की चर्चा करता हूं। 3000 करोड़ रुपयों में से 600 करोड़ रुपये चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए हैं। हमें प्रसन्नता है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है और अन्य संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को भी इसका फायदा हो रहा है।

परन्तु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र, खासतौर से हमारे किसानों के बारे में क्या हो रहा है। हमारे कृषि मंत्री यहां हैं मेरा ख्याल है कि शायद वह बाहर जा रहे हैं। आज भी प्रश्न-काल में हम सब ने इस समस्या पर चर्चा की थी। गरीब किसान बहुत दुखी हैं। उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है, खासतौर से उर्वरकों का मूल्य बढ़ता जा रहा है। (व्यवधान) अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किसानों की समस्या के बारे में क्या उपाय कर रही है ? पिछले सत्र में कृषि राज्य मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि सरकार एक व्यापक दीर्घकालीन मूल्य नीति तैयार करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण जल्दी समाप्त करें।

श्री टी० बशीर : महोदय, बस मैं समाप्त कर रहा हूं, केवल एक बात मुझे कहनी है।

एक और मांग पर्यटन के लिए है। यह बताया गया है कि हाल ही में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए विदेशी पर्यटक बाजार में जोरदार अभियान चलाने हेतु नए पर्यटन मन्त्रालय का खर्च पूरा करने के लिए मांग की गई है। यह अच्छा है। मैं इस रवैये की तारीफ करता हूं कि पर्यटन विकास पर बल दिया जा रहा है। विदेशों में व्यापक प्रचार आवश्यक है। परन्तु इस संदर्भ में मैं अपने राज्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि केरल एक सुन्दर राज्य है। केरल में पर्यटन विकास के लिए असीम संभावनायें हैं। बड़ी नम्रता से मैं यह निवेदन करता हूं कि केरल में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई खास रुचि नहीं ली है। आप जानते हैं कि कथाकली, राजकीय नौका दौड़ यह सभी कितने आकर्षक हैं। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए भारत सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल में पर्यटन विकास के लिए वह पर्याप्त धनराशि प्रदान करें।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) ; सभापति महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी किस्त से यही पता लगता है कि इस देश में बजट सम्बन्धी समुचित प्रक्रिया गलत हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 115 में इस प्रकार के अनुदान के लिए व्यवस्था है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

"निरर्थक" खर्च के लिए माननीय मंत्री इसके बारे में जानते होंगे। उसके अनुसार यदि विनियोग अधिनियम या अधिनियम में मूलतः राशि की व्यवस्था हो या बजट में किसी खास परियोजना के होने वाले खर्च के लिए धनराशि कम हो तो आप अनुपूरक मांग या नई परियोजनाओं के लिए अनुपूरक मांगें प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सार पर एक मिनट नजर डालें तो पता चलता है किसी नई परियोजना का जिक्र नहीं है। कौन सी नई परियोजनायें हैं उनका भी उल्लेख नहीं है। जहां तक मूल आवंटन का सम्बन्ध है मात्रा में वित्तीय दृष्टि से कमी यदि थी तो क्यों थी ? ठीक से गणना क्यों नहीं की गई है ? क्या ऐसा मुद्रा स्फीती की वजह से हुआ है ?

महोदय हमें ऐसा लगता है कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों में शामिल मांगों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने की पिछली प्रक्रिया जहां तक नयी परियोजना का सम्बन्ध है—उस प्रक्रिया को छोड़ दिया गया है; उस नीति को बिल्कुल छोड़ दिया गया है।

कृपया भारतीय गैस—प्राधिकरण लि० को खासतौर से एच० बी० जे० पाइप लाइन के लिए ऋण हेतु 467 करोड़ रुपए का जो निवेश किया गया है उसी मद को देखें। जैसा कि आप जानते हैं एच० बी० जे० पाइप लाइन पर व्यय फिजूल खर्च का श्रेष्ठ उदाहरण हैं। जब शेष भारत में उर्वरक कारखाने बन्द हो रहे हैं या बन्द किए जा रहे हैं तो किन्हीं खास स्थानों पर उर्वरक कारखानों में उपयोग के लिए पाइपों के माध्यम से गैस भेजने के लिए करोड़ों रुपये क्यों खर्च किये जा रहे हैं जिसका कि केवल राजनीतिक दृष्टि से ही महत्त्व है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप प्रधान मंत्री के चुनाव क्षेत्र में उर्वरक कारखाना चलाना चाहते हैं और उस भद्र पुरुष का भी ध्यान रखना चाहते हैं जोकि भद्रता का त्याग कर चुके हैं—आप रायबरेली परियोजना को चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा था वे सरकारी पक्ष से इस ओर आ गए हैं।

एक और बड़ी रोचक बात है। खासतौर से 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह धनराशि मकान की खरीद के लिए है। श्रीमती दीक्षित के लिए योजनेत्तर व्यय हेतु 80·85 करोड़ रुपये की धनराशि भी तय की गई है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई है, डी० डी० ए० से एशियाड की सम्पत्ति भी अर्जित की गई। इससे पहले इस देश की जनता को यह बताया गया कि "नहीं नहीं हम एशियाड पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं।" हम तो खेलों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हम सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। लेकिन केवल यह दर्शाने के लिए कि सरकार ज्यादा धन खर्च नहीं कर रही आपने इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण की मद में दिखाया जैसे कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण बजट निधि में जायेगा। अब आप उसे अर्जित करने के लिए 80·85 करोड़ रुपये से उन्हें अनुगृहीत कर रहे हैं।

यहां आम जनता के लिए केवल ही मद है और वह भी शोषित सरकारी कर्मचारियों के लिए है। जिनके लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और वह भी चौथे वेतन आयोग की

सिफारिशें लागू करने के लिए है। वेतन आयोग गठित करना क्यों जरूरी था? वेतन में वृद्धि करना क्या जरूरी था? शायद मुद्रा स्फीति के कारण ही यह जरूरी था। इस देश में जिस आर्थिक नीति का अनुपालन किया जा रहा है उसके परिणाम स्वरूप इस देश की आम जनता की वास्तविक आय धीरे-धीरे कम हो रही है। खासतौर से निश्चित मजदूरी से आय पाने वाली जनता को ज्यादा नुकसान हो रहा है। वे सभी मंत्री नहीं हैं जिनकी बहुत तरीकों से देखभाल हो जाती है और न ही प्रसिद्ध वकील हैं जिन्हें अपने गुणों से अर्जन करना होता है। आज यह देश गहरे आर्थिक दलदल में फंसा हुआ है। अमीर वर्ग को रियायत दर रियायत दी जा रही है। आम जनता पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। आजकल इस देश के दरवाजे प्रौद्योगिकी, गुण प्रकार और उत्पादकता के नाम पर पूरे खोल दिये गये हैं। बस आप को उनके अनुसार काम करना है चाहे आपको विश्वास हो या न हो। सरकारी पक्ष, कांग्रेस पक्ष के सभी माननीय सदस्य इस आर्थिक नीति की आलोचना कर रहे हैं और श्री बशीर जो आम जनता के दुख के लिए बिल्कुल ठीक ही आवाज उठा रहे हैं वर्तमान कठिन आर्थिक स्थिति तथा अपने राज्य के विकास पर बल दे रहे हैं। किन्तु उन्होंने स्वाभाविक रूप में इसी का समर्थन करना है और प्रधान मंत्री की नीतियों में लचीलापन ढूंढना है चाहे वह देश को खत्म ही क्यों न कर दे। आयात की नीति उदार की जा रही है, सरकारी क्षेत्र की निंदा की जा रही है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को गैर-सरकारी रूप दिया जा रहा है। आज कल आप गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रशंसा कर रहे हैं। एक मंत्रिपरिषद का मन्त्री यह कह रहा है कि समाजवाद बुरा है इस देश को समाजवाद ने खत्म कर दिया इस देश को सरकारी क्षेत्र ने खत्म कर दिया। यह इस देश के मंत्रि-परिषद के मन्त्री द्वारा कहा जा रहा है। (व्यवधान) श्री वसन्त साठे समाजवाद की सिर्फ आलोचना ही कर रहे हैं। आम जनता पर ज्यादा से ज्यादा बोझ डाला जा रहा है। एक दो दिन पहले लगभग 3,000 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई थी। इस तरह से 3,000 करोड़ रुपये की राशि और शामिल हो गई और इस प्रकार बजट में 9,000 करोड़ रुपये की घाटे की आशंका है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री देश को अपने विश्वास में लें और बतायें कि बजट में कितना घाटा इस समय है।

लगभग 9,000 करोड़ रुपए के घाटे का भुगतान अभी शेष है, आपकी आय का स्रोत कहां है?

कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्यों की खर्च में कटौती के लिए दलील देनी पड़ेगी चाहे वे इस देश की आम जनता के लिए ही क्यों न हों। रेल भाड़े में 250 करोड़ रुपए की वृद्धि कर दी गई है, अब डाक प्रभार में भी वृद्धि की जा रही। वे स्पष्टतः 3-4 करोड़ रुपए की राशि दे रहे हैं। आपको अपने चुनाव क्षेत्र में पत्र भेजना हो तो अब उस पर 75 पैसे अदा करने होंगे। यदि टेलीफोन कर लिया तब तो समझो कि गए काम से। तार पहुंचते ही नहीं है। आपको बहुत ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा।

इस देश को किसके लिए चलाया जा रहा है? इस देश की आर्थिक नीतियों का लाभ किसे हो रहा है? इस 3,038 करोड़ रुपए की धनराशि से किन्हें लाभ होगा, जिसे खर्च करने के लिए आप संसद से मंजूरी मांग रहे हैं?

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

निर्यात क्षेत्र में आपका क्या कार्य-निष्पादन रहा है ? माननीय वाणिज्य मंत्री, जिनके पास अब विदेश मंत्रालय नहीं हैं, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि कम से कम 7,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा और यह सोच-सोच कर वह बहुत खुश हो रहे हैं, क्यों ? क्योंकि पिछले साल यह घाटा 8,500 करोड़ रु० का था । आयात ज्यादा और निर्यात कम होने के परिणामस्वरूप भुगतान संतुलन की दृष्टि से व्यापार घाटा 7000 करोड़ रु० का हो सकता है । वह यह देखकर भी खुश हो रहे हैं । परन्तु आपको प्रौद्योगिकी का आयात करना है । कम्प्यूटर लगाने हैं । चाहे इसके कारण जनता को बेरोजगार होना पड़े तो भी कोई बात नहीं । गैर सरकारी क्षेत्र अधिकाधिक शक्तिशाली बनता जा रहा है, तो भी कोई बात नहीं । यदि आर्थिक शक्ति कम से कम हाथो में केन्द्रित हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है । प्रो० रंगा जी, पता नहीं आप वहां क्यों हैं ? (व्यवधान)

ऐसे देश में गैर सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है । इस देश में 92,000 से भी अधिक उद्योग रुग्ण हैं । वे सभी गैर-सरकारी क्षेत्र के हैं । यहां तक कि एकाधिकार वाले घराने, जो व्यापार कर रहे थे, उसे वे बन्द कर रहे हैं । इन रुग्ण उद्योगों को चालू करने के लिए जरा भी प्रयास नहीं किया गया है और यह रुग्णता कर्मचारियों के कारण नहीं है । प्रो० रंगा जी यह रुग्णता दुर्व्यवस्था निधियों के दुर्विनियोग तथा धनराशि के नियत मद के बजाय किसी अन्य मद के लिए खर्च करने के कारण हुआ है । श्री मुरली देवरा ने ठीक ही कहा है कि इस देश में सरकारी क्षेत्र के स्थान पर गैर-सरकारी क्षेत्र को हावी होने दिया जा रहा है जबकि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सरकारी-क्षेत्र की कल्पना की थी और जिसे दूसरी योजना के दस्तावेजों में इस देश की औद्योगिक नीति के रूप में भी स्वीकार किया गया था प्रो० रंगा जी आप तो यह जानते हैं—उसके नाम पर आज क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

उसी आधार पर आज निजी क्षेत्र में अधिक उत्पादन हो रहा है । कर्मचारियों की छटनी आज आम बात हो गई है । क्या आपको इस प्रस्ताव में कुछ मिलेगा ? क्या आम आदमी के लिए इस देश के छंटनी किए गए कर्मचारियों के लिए और जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनके लिए एक भी प्रस्ताव इसमें शामिल किया गया है ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या आप रक्षा के बारे में नहीं बोल रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रो० रंगा जी को इन सब बातों का अध्ययन करने का समय नहीं मिला है । मैं कह रहा हूं कि यह एक बेशर्मी से हथियार डालने वाली बात है। जहां तक इस सरकार का संबंध है क्या कुछ हो रहा है । वास्तव में कुछ मुट्ठी भर लोग सम्पूर्ण दृष्टिकोण और नीति में परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन कम से कम पेपर पर तो सरकार इसका अनुसरण कर हो रही है ।

यह एक आम माफी योजना है क्योंकि यह खर्चे से संबंधित है । क्या आप वास्तव में किसी ऐसे अपराध के बारे में सोच सकते हैं जो दंडनीय नहीं है ? पर यह शर्तों की दृष्टि से अन्तर्विरोध है । यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे दंड सहन ही करना होता है जबकि काला बाजारियों

विदेशी मुद्रा-विनियम अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड नहीं दिया जाता है। जो लोग कानून को तोड़कर टैक्स अदा नहीं करते हैं, सरकार उनके सामने घुटने टेक रही है। आप नाक रगड़ने वाले दब्बू लोग हैं। आप उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। आप किसी उपयुक्त वसूली मशीनरी, उपयुक्त निर्धारण मशीनरी की स्थापना नहीं कर सकते हैं। आज इन लोगों से लाड-प्यार किया जा रहा है आप उनसे कह रहे हैं कि 'आपने अपराध किया है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन आपका अपराध दंडनीय है क्योंकि 21वीं शताब्दी के नाम पर……

प्रो० एन० जी० रंगा : वह अपनी भाषण कला के चरमोत्कर्ष पर है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 21वीं शताब्दी के नाम पर आप के सारे पाप और अपराध धुल जाते हैं। इस देश की यह हालत है। इस शर्मनाक रवैये के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता है और केवल यह सरकार जिसका कोई आत्म-सम्मान नहीं है, इस नीति को अपना सकती है।

महोदय, यह वह सरकार है जो लोगों के खिलाफ है विशेषकर गरीब लोगों के। आपने आम आदमी के लिए लड़ाई की घोषणा कर दी है। आपने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लड़ाई की घोषणा कर दी है। आपने उन लोगों के लिए लड़ाई की घोषणा कर दी है जो इस देश में निष्पक्षता के साथ न्याय दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं, निष्पक्षता के साथ प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं। आप उनके विरुद्ध लड़ाई छेड़ रहे हैं। इस देश के लोग कभी भी हार नहीं मानेंगे। वे लड़ाई जारी रखेंगे। चितानि के नाम पर···आपका अस्थाई तौर पर बहुमत हो सकता है ··(व्यवधान)

अपने अस्थाई बहुमत के आधार पर अथवा इस चितानि का फायदा उठाते हुए आप इस देश में तबाही नहीं ढहा सकते हैं। लोग आपको उचित समय पर उचित उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

डा० प्रभात कुमार मिश्र (जंजगीर) : सभापति महोदय, बजट की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। मैं न तो आंकड़ों में जाना चाहता हूं और न राजनैतिक भाषण देना चाहता हूं। लेकिन निश्चित ही सरकार का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। ये जो अनुपूरक मांगें हमारे पास बार-बार आती हैं, उसका कारण है कि जो भी पैसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट अलाट करती थी जिस कार्यक्रम के लिए, उस पर हमारी उपलब्धि बराबर हो जाए तो शायद हमको इतनी अनुपूरक मांगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे, ग्रामीण स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनके लिए सड़क, चिकित्सा और जितने भी गरीबी से ऊपर उठाने के कार्यक्रम बने हुए हैं, उनके लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसका प्रापर यूज हो तो शायद हमें इन अनुपूरक मांगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं। किसानों को बैंकों से जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसके प्रोसीजर में बहुत खराबियां हैं। कोई आदमी ट्यूबवैल के लिए पैसा लेता है तो उसके लिए कम्पलसन होता है कि वह गवर्नमेंट एजेंसी से ही काम कराये।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, व्यवस्था के नाम पर सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है : अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सदस्य अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० प्रभात कुमार मिश्र : मैं आपको किसानों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में बता रहा था। ट्यूबवैल के लिए दस हजार की सबसिडी दी जाती है। गवर्नमेंट एजेंसी से कराते हैं तो दस हजार रुपया ज्यादा महंगा पड़ता है। उसको प्राईवेट एजेंसी से कराएं तो वही लागत दस हजार कम पड़ती है। इस तरह किसानों को सबसिडी का कोई फायदा नहीं मिलता है। सिंचाई के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बड़े बांधों को बनाने में हमें बड़ी कठिनाई पड़ती है। पूंजी भी कम पड़ती है और समयबद्ध कार्यक्रम नहीं हो पाता। इसलिए हमें चाहिए कि छोटे बांधों को ज्यादा प्रोत्साहन दें जिससे पर्यावरण, वृक्षारोपण और वाटर टेबल कायम रखने की समस्या हल हो सके। जो सबसिडी किसानों को दी जाती है, वह समय पर उनके खाते में जमा नहीं होती जिससे ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और लाभकारी कार्यक्रम जो किसानों के लिए बनाए जाते हैं, उनकी जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच पाती। सरकार के पास ऐसी कोई एजेंसी हो जो किसानों को बताए कि सरकार ने इस तरह के नियम बनाए हैं और ये सुविधाएं दी हैं जिसका वे लाभ उठा सकें। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। उद्योगों की गलत स्थापना से निश्चित ही कृषि को नुकसान पहुंचता है। उसकी ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। उद्योग को, कृषि के लिए उच्चतम जमीन को अलाट कर देते हैं इसलिए उसकी स्थापना के पहले उस पर प्रापर सर्वे हो, मानिटरींग हो, तब उसको लाइसेंस दिया जाए। ग्रामीण अंचलों में उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि लोगों को जाब मिले और जो गांव के लोगों की आर्थिक आय का साधन बने। खेती पर जीने वाले के लिए जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड जितने उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। कुटीर उद्योग में खासकर कांसे और पीतल के बर्तन बनाने वालों से जो सेल्स टैक्स लिया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और रोजी-रोटी पर असर पड़ता है, उससे छूट दी जानी चाहिए।

अंत में आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बड़े संयंत्र उर्वरक, दूर संचार और गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों के लिये हमारे यहां बजट में ज्यादा आवंटन किया गया है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र कोरबा में करोड़ों रुपया लगाकर एक उर्वरक का प्लांट लगाया गया है। आज वह ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है कि न तो उसका कोई उपयोग होता है और न कोई उपलब्धि हो सकती है। उसके लिए अलग से पैसा उपलब्ध करा के शुरू किया जाये।

3.00 म० प०

ग्रामीण स्तर पर जो भी सुविधा की चीजें हैं जैसे पशु चिकित्सालय हैं, उनको ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। ड्राट और फ्लड एरिया में जो राहत के कार्य हैं वे बड़े रूप में करने चाहिए

ताकि लम्बे समय तक चलने वाली प्रक्रिया हो और उसका ठोस स्वरूप हमारे सामने मिले। छोटी-छोटी चीजों में पैसे लगाकर बजट को कम करते हैं। रेलवे या बांध जैसे क्षेत्रों में कार्य शुरू किया जाना चाहिए। जितने भी प्लान सरकार बनाती है, वह जाब ओरियेन्टेड होने चाहिए ताकि लोगों की अनएम्पलायमेंट की समस्या हल हो सके। जितने भी सरकारी उपक्रम हैं चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हों, हम एक कांट्रेक्ट से काम लेते हैं चाहे वह सड़क, पुल या बांध का हो। अनुमानतः राशि उस पर तय करते हैं। जब कांट्रेक्टर को कांन्ट्रेक्ट देते हैं तो सौ परसेंट से ऊपर कांट्रेक्ट लिया जाता है जिसका मिसयूज होता है। हम कोई भी चीज प्लान करते हैं तो उसको तरीके से करें। कांट्रेक्ट देने में जो कांट्रेक्टर को 150 और 180 परसेंट से ऊपर ठेका दिया जाता है, उस पर रोक लगावें। सरकारी उपक्रमों और सार्वजनिक उपक्रमों में जो पैसे का दुरुपयोग होता है, चाहे तो उस पर कटौती कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोल इंडिया या एन० टी० पी० सी० के एक-एक अधिकारी के पास दो-दो, तीन-तीन गाड़ियां रहती हैं जबकि वह सारा खर्चा सरकार और जनता को वहन करना पड़ता है। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और चाहूंगा कि सरकार उपरोक्त बातों पर ठोस कदम उठाए।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करती हूं। यह एक प्रथा है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी अनुपूरक मांगों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सामने रखती है और उन्हें पारित करा लेती हैं। इसीलिये मैं इसका समर्थन करती हूं।

मैंने विपक्षी दल के सदस्यों की बात को सुना है। लेकिन मैंने उनकी तरफ से किसी रचनात्मक सुझावों अथवा किसी रचनात्मक बात के बारे में नहीं सुना है। एक माननीय सदस्य ने अभी-अभी कहा है कि कांग्रेस सरकार केवल धनी लोगों के लिये कार्य कर रही है। वे गरीब लोगों के लिये कार्य नहीं कर रहे हैं, वे गरीबी को हटाने के लिये कार्य नहीं कर रहे हैं, वे केवल देश के धनी और पूंजीवादी लोगों की सहायता कर रहे हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से और जोरदार ढंग से यह कहना चाहूंगी कि यह पूर्णतया सत्य आरोप नहीं है। इस सदस्य ने अभी-अभी यह कहा है कि यह सरकार गरीब लोगों के हक में कार्य नहीं कर रही है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि वह कृपया उस सदस्य से पूछें कि क्या वह 10 लाख रुपये प्रति माह नहीं कमा रहे हैं? वह दस लाख रुपये कैसे कमा रहे हैं?···**

हम बहुत सी बातें जानते हैं। यह सच है कि यह बहुत आसान बात है कि किसी भी ढंग से केन्द्र सरकार की आलोचना की जाये। (व्यवधान)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय, इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हम गरीबों के उत्थान के लिये अपनी आवाज उठाना चाहेंगे। यह केवल कांग्रेस दल ही है जो लोगों के हितों की रक्षा कर सकता है। आजादी से लेकर और आजादी से पहले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत दिन पर दिन प्रगति कर रहा है। मुझे यह कहते हुये दु:ख हो रहा है कि विरोधी सदस्य देश की प्रगति के हक में नहीं हैं। वे केवल सरकार की आलोचना करने में रुचि रखते हैं। हम अपने देश के विकास के लिये उनकी तरफ से रचनात्मक सुझाव चाहते हैं।

महोदय, वे कल अथवा परसों उलझन में पड़ जाएंगे। श्री गोर्बाचौव आ रहे हैं। श्री गोर्बाचौव उनके नेता है। वे हमारे प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी और उनकी सरकार की उनके द्वारा किये गये विकास कार्यों के लिये प्रशंसा करेंगे, और तब हम देखेंगे कि इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आप यह जानकर हैरान होंगे कि 19 नवम्बर को श्रीमती गांधी की वर्ष गांठ पर पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने कहा था कि इन्दिरा गांधी एक महान् नेता थी।

हम लोग यह सुनने के लिये वास्तव में काफी भाग्यशाली हैं लेकिन जब श्रीमती गांधी जीवित थीं, तब उनको तानाशाह कहा जाता था। वे दीवारों पर लिखते थे कि वह प्रेतात्मा हैं और वे उनकी आलोचना करते थे लेकिन आज जब वह जीवित नहीं हैं तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह एक महान नेता थीं।

महोदय, यह सत्य है कि हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं। हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है। अपनी आवाज हम उठा सकते हैं। हम अपनी रचनात्मक आवाज द्वारा अपनी सरकार की आलोचना कर सकते हैं और हमारे मंत्री हमारी आवाज को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। 'राज से स्वराज, के मामले में हमनें देखा है कि जब मैंने संसद में अपनी आवाज उठायी थी सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कोई जनवाणी को प्राथमिकता दी और उन्होंने कहा था कि यदि इसमें आपत्ति-जनक चीज है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अत: यह कांग्रेस पार्टी ही है जो कि गरीब लोगों को सम्मान देती है।

महोदय, सरकार ने कृषि के लाभ के लिए बहुत काफी धन खर्च किया है। सरकार ने सिंचाई, उर्वरकों, स्वयं रोजगार कार्यक्रम आदि के लिए बहुत अधिक धन उपलब्ध कराया है। दिन प्रतिदिन सुधार करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वित्त मंत्री अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। जब संसार में मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है, तब भारत में यह कम हो रही है। दिन प्रतिदिन हमारे राजस्व में वृद्धि हो रही है। इसकी हमें प्रशंसा करनी पड़ेगी। इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। कुछ नौकरशाह ऐसे हैं जो कि, भ्रष्ट, बेईमान और अपने कार्य को करने में तत्पर नहीं हैं।

महोदय, मैं सरकार से उन बच्चों की देखभाल का अनुरोध करूंगी। जो काम करने लायक नहीं है, ठीक तरह से चल नहीं सकते है और सही से भोजन पचा नहीं सकते हैं। वे शारीरिक रूप से अपंग हैं। उनकी उचित देखभाल होनी चाहिए। छठी पंचवर्षीय योजना में 1200 करोड़ रुपयों

का उपयोग पश्चिम बंगाल सरकार नहीं कर सकी है इसी तरह से छठी पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा सरकार 14 करोड़ रुपयों का उपयोग नहीं कर सकी है। आलोचना करना आसान लेकिन कार्य करना कठिन होता है। मैं सरकार से उद्योग के लिये न केवल नये उद्योग बल्कि बीमार उद्योग को पुर्नजीवित करने के लिए भी धन आवंटित करने का अनुरोध करूंगी। विशेष रूप से हमारे राज्य में, ऐसे अनेकों उद्योग हैं जो कि बन्द होने जा रहे हैं या पहले ही बन्द हो चुके हैं। बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार बना दिए जाते हैं। वे भोजन के लिए भूखों मर रहे हैं उनको अपना वेतन नहीं मिल रहा है। यहां तक कि राज्य सरकार भी उनकी समस्या को सुलझाने की इच्छुक नहीं है। महोदय, जब केन्द्र सरकार पैसा नहीं देती है तब वे केन्द्र सरकार की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है लेकिन जब प्रधानमन्त्री जी ने राज्य का दौरा किया और पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए, तब वे कहते हैं कि यह उनके लिए बहुत परेशानी की बात है।

यहाँ तक कि मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में पिछले पांच-सात वर्षों में अनेक उद्योगों को बन्द कर दिया गया है। मजदूर बेकार हो गये हैं। उनको कौन रक्षा करेगा ? हम जानते हैं कि राज्य सरकार के हाथ से उनको न्याय नहीं मिलेगा।

एक दिन पहले, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गयी और मैंने पाया कि एक पंचायत सदस्य श्री बरभन लस्कर जो कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि थे, की हत्या कर दी गई है। उनका क्या दोष था ? लेकिन वहाँ पर कोई न्याय नहीं है।

मैं केन्द्र सरकार से त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए कुछ करने का अनुरोध करती हूं। मैंने त्रिपुरा राज्य का भी दौरा किया है। वहाँ पर कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। वहां पर रैल और संचार सुविधायें नहीं हैं यह अत्यधिक गरीब एवं उपेक्षित क्षेत्र है। कृपया त्रिपुरा के विकास के लिए कुछ कीजिए।

असम में बराक घाटी में, सरकार को एक विश्व-विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए क्योंकि कि स्थानीय लोगों की यह काफी लम्बीं अवधि से मांग है। उस उद्देश्य के लिए आपको कुछ धन आवंटित करना चाहिए।

सामान्य बजट में आप पहले ही गरीब लोगों के लिये 900 रु० आवंटित कर चुके हैं। आई० आर० डी० पी० आर० एल० ई० जी० पी० आदि जैसी अनेकों योजनाऐं हैं। लेकिन सरकार को इन योजनाओं के क्रियान्वयन को देखना चाहिए। उन पर उचित निगरानी रखी जानी चाहिए।

हम अपने वित्त मंत्री के आभारी हैं, जो कि प्रधानमन्त्री के निर्णयानुसार पहले ही गरीब लोगों के लिए दो-तीन ऋण शिविर लगा चुके हैं। वे लोग जिनको कि राज्य सरकार के हाथों न्याय नहीं मिल पा रहा था, इनके न्द्रीय योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं।

असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों में बाढ़ की स्थिति के कारण लोगों की दशा भयंकर है। हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। उनका सब कुछ समाप्त हो गया है। राहत के

[कुमारी ममता बनर्जी]

समय उनको किस स्तर का खाना मिलता है ? यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे सभापटल पर रख सकती हूं। आप देखेंगे कि इसे कोई नहीं खा सकता है। मानव प्राणियों की क्या बात करें, यहां तक कि कोई जानवर भी इसे नहीं खायेगा।

मैं आपसे बेरोजगार युवकों के लिए कुछ करने के लिए भी अनुरोध करूंगी। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। केन्द्रीय भरती पर प्रतिबन्ध लगा है, राज्य सरकार अपनी रिक्तियां केवल अपनी पार्टी के माध्यम से भर रही है। स्थिति इतनी खराब है कि बेरोजगार युवकों के पास पोस्टल आर्डर, जिसको कि कुछ पदों के लिए अपने आवेदन पत्रों के साथ भेजना होता है, खरीदने के लिये पैसा नहीं है। यदि आप उनके लिए कुछ करते हैं तो ये लोग आपके आभारी होंगे।

इसके अतिरिक्त राजस्थान में पानी की कमी की समस्या है। आपको इस समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए और वहां पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना चाहिए।

अन्त में सरकार को इन योजनाओं के उचित कार्यान्वियन एवं निगरानी रखने पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। केवल तभी गरीब लोगों को वास्तविक लाभ मिलेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कांग्रेस में क्यों हूं उनके पक्ष में क्यों नहीं। मैं उन्हें उत्तर जरूर दूंगा। मैं कांग्रेसके साथ उसी कारण हूं जिस कारण श्री गोर्वाचोव, जो कि उन नेताओं में से एक हैं जिनकी वे कसमेंखाते हैं, अपने देश और रूस में अपने दल के साथ हैं। उन्होंने कहा था और आज 'टाइम्स आफ इंडिया' में यह उद्धृत है :

> "हमारी नीति का लोगों द्वारा भारी समर्थन किया गया है। यह लोगों की भावनाओं को परिलक्षित करेगा। कोई नीति, जिसमें लोगों की भावनाओं और रुचि पर विचार नहीं किया जाता है, व्यर्थ है।"

यही स्थिति मेरे और मेरे पक्ष के अन्य माननीय सदस्यों के साथ है जो कांग्रेस और हमारे प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी द्वारा पालन की जा रही वर्तमान नीति का समर्थन कर रहे हैं।

उन्होंने सरकारी प्रबन्धाधीन या सरकार के स्वामित्व वाले उद्यमों को पहले से अधिक प्रभावी, अधिक मितव्ययी, अधिक उत्पादनशील बनाने के लिए किए गए हमारे प्रयासों पर भी हैं। गम्भीर रूप से आपत्ति की है। उनके स्तर और सिद्धांतों के अनुसार इन सभी उद्योगों का नियन्त्रण स्वामित्व और प्रबन्ध केवल सरकार के पास होना चाहिए। हम उसमें भी काफी लम्बे समय तक विश्वास रखते थे। हमने अपने प्रयोग किए और इन उद्योगों पर हजारों और करोड़ों रुपये खर्च किए। और अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं, जैसी मेरे मित्र श्री साठे जो कोयला और खान के प्रभारी हैं और विभिन्न उद्योगों के प्रभारी अन्य मन्त्रियों ने बताया है कि सरकारी प्रबन्धाधीन और सरकार के स्वामित्व वाले ये उद्योग आज हमें भारी घाटे में ले जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपना मार्ग स्वयं बनाएं, हमें मार्गोपाय खोजने की दृष्टि से कठिन स्थिति में है।

खोजे गए और श्री साठे और अन्य द्वारा प्रचारित उपायों में से एक उपाय है, उन भारतीयों, देश भक्त भारतीयों को आमंत्रित करना है। जिन्होंने स्थिति सुधारने के लिए अपनी विशेषज्ञता के साथ उद्योग के सफल प्रबंध में स्वयं की योग्यता सिद्ध कर दी है हमने उन्हें वे उद्योग सौंपे बिना, उनके सामने झुके बिना.उन्हें मुनाफा कमाने का अवसर दिए बिना, जैसा वे अपने उद्योगों में करत रहे हैं, परन्तु उन्हें अपने अनुभव का लाभ देने के लिए उनका सहयोग मांगा है। क्या इसमें कोई गलत बात है इसे हम प्रगतिशील तरीका मानते हैं। यह तरीका हमारे प्रधानमंत्री द्वारा धड़ल्ले से अपनाया जा रहा है और हम इसका समर्थन करते हैं।

मेरी सरकार से यह शिकायत नहीं है कि वे करोड़ों रुपयों की मांग कर रहे हैं। मैंने एक माननीय सदस्य के भाषण के बीच में उस समय हस्तक्षेप किया था जब वे यह कह रहे थे कि करोड़ों रुपये का खर्च किनके लाभार्थ किया गया है। जब हमारे देश की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, तो क्या कामगारों को लाभ नहीं होगा; किसानों को संरक्षण नहीं मिलेगा; हमारे देश में जनसामान्य की जान-माल को संरक्षण नहीं मिलेगा ? इसीलिए हम अपने प्रतिरक्षा बलों को सुदृढ़ करना चाहते हैं और इसीलिए हम उन्हें करोड़ों रुपये दे रहे हैं ताकि देश की सुरक्षा सुदृढ़ हो सके और हम अपने देश में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।

मेरी शिकायत यह है कि सरकार पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में संचार सड़कों, पुलों और रेलों के विकास पर पर्याप्त राशि खर्च नहीं कर रही है। मैंने दो बार प्रधान मंत्री से बात की थी, मैंने उन्हें लिखा भी है और मैंने अपने रक्षा मंत्री से भी बात की है। वे सभी सहमत हैं कि अधिक धनराशि दी जानी चाहिए। परन्तु यह धनराशि कहां से लाएं।

इसलिए, मैं अपने संसद सदस्यों और अपने देशवासियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी सेनाओं को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त राशि जुटाने हेतु प्रत्येक क्षेत्र में अधिक कर का भार वहन करने, यदि आवश्यक हों, के लिए तैयार रहें। इसी बीच मैं सेनाओं से बेहतर प्रबंध की भी विशेष अपील करता हूं। मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमन्त्री ने सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों को बुलाने, उनसे परामर्श करने और फिर सामन्जस्यपूर्ण कार्यवाही करने की परम्परा आरम्भ की है। मेरा सुझाव है कि वे उन्हें एक बार फिर बुलाएं और उनसे आयुध कारखानों में यथासंभव बेहतर प्रबंध करके बचत करने का अनुरोध करें। सेना के व्यय के सम्बन्ध में ऐसा बेहतर प्रबन्ध होना चाहिए कि उनके लिए बचत करना और करोड़ों रुपये आसानी से बचाना संभव हो सके। और वे करोड़ों रुपये पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में हमारी रक्षा तैयारियों के लिए पुन: उन्हें दिए जा सकते हैं। वहां पर रेलवे को अधिक धन की आवश्यकता है। वास्तव में, उस क्षेत्र में उल्लेखनीय कोई रेलवे नहीं है। उनमें से अनेक राज्यों की राजधानियां रेलों से जुड़ी हुई नहीं हैं। अनेक स्थानों पर विश्वसनीय सुदृढ़ पुल नहीं हैं जिन पर से हमारे रक्षा-उपकरण ले जाए जा सकें। पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में सड़कें भी ढंग से विकसित नहीं हैं या उनका रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं होता है। पहले ही हिमालय की सीमा के साथ-साथ उत्तर में हमें चेतावनियां मिल चुकी हैं। इसलिए मैं एक बार फिर वित्त मंत्री, रेल मंत्री और प्रधान मंत्री के माध्यम से अपने रक्षा कार्य का नेतृत्व करने वाले लोगों और जनता से अपील करता हूं कि रक्षा सेनाओं और उनका संचार माध्यमों को सुदृढ़ करने के लिए यथासंभव और यथाशीघ्र धन जुटाएं।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चूरू) : सभापति महोदय, मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं राजनीतिक बातें न कह कर, अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

मैं राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र से चुनकर यहां आया हूं। राजस्थान की हालत अकाल से बहुत गम्भीर हो रही है। यह रेगिस्तानी क्षेत्र जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, वहां लगातार चार वर्षों से अकाल पड़ रहा है और इस वजह से वहां के लोगों की हालत बहुत ही खराब है। वहां अनाज की कमी के कारण लोग गांवों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर शहरों व दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। वहां चार साल से लगातार अकाल पड़ने की वजह से पानी की बहुत कमी हो गई है, इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने वहां कोई भी राहत कार्य नहीं खोजे हैं। वहां राहत कार्य न खोलने की वजह से लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं वे राजस्थान सरकार को ज्यादा से ज्यादा धन दें, ताकि वहां राहत कार्य खोलकर वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जा सकें। अकाल के साथ साथ वहां पानी की बहुत बड़ी कमी है। अकाल पड़ने की वजह से वहां पानी गहरा हो गया है। इस प्राकृतिक विपदा से निपटने के लिए सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वे सब ठप्प पड़ी हुई हैं। लोगों को दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह मिलीमीटर से पानी लाना पड़ रहा है। जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं, वहां की मातायें, बहनें इस परेशानी की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि वे पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें।

जहां तक पानी की कमी के समाधान का सवाल है, यदि इंदिरा गांधी नहर से मेरे रेगिस्तानी क्षेत्र, जहां से कि मैं चुनकर आया हू, पानी दे दिया जाए तो समाधान हो सकता है। हमारे क्षेत्र के लोग चूंकि इन्दिरा गांधी नहर नजदीक से जा रही है, आंखें लगाए हुए हैं, इसका पानी इनको भी मिलेगा। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हमारे क्षेत्र के लोगों को इन्दिरा गांधी नहर से पानी मिल जाए, तो वे पंजाब और गंगानगर से भी ज्यादा अनाज पैदा करके देंगे।

सभापति महोदय, समय कम है लेकिन एक बात मैं अपने क्षेत्र के बारे में और कहना चाहता हूं। मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे गांवों के लिए योजनाए बनायें ताकि गांव के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें। गांवों के आदमी जो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं वे वहां से पलायन न कर सकें। यदि वहां आप छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खोल दें, तो वहां के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और गांव का विकास होगा। आज गांवों में सड़क नहीं है, स्कूल नहीं हैं तथा और तरह की सुविधाएं नहीं हैं, इस लिए आपको उन लोगों के लिए राहत देनी चाहिए।

अंत में एक और निवेदन करना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसलिए वहां पर कृषि महाविद्यालय खोला जाना चाहिए। यदि वहां पर महाविद्यालय खोला जाएगा, तो

वहां से अच्छे किसान निकल कर आयेंगे और अच्छी फसल पैदा होगी। इन शब्दों के साथ मैं पुन: निवेदन करता हूं कि आप पिछड़े हुए जिलों की ओर विशेष ध्यान दें और मेरे क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी कैनाल योजना बनी हुई है, उसके लिए धन स्वीकृत करें, और हमारे क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करायें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, सदन में जो अनुपूरक बजट पेश किया है, यह सदन में दूसरी बार पेश किया जा रहा है। इससे लगता है कि यह विकास की असफलता का द्योतक है। मैं अपने माध्यम से मंत्री से कहना चाहता हूं कि संविधान में देश को समाजवादी रास्ते से ले चलने के लिए लिखा हुआ है।

लेकिन आज देश पूंजीवादी रास्ते पर चल रहा है और पूंजीवादी रास्ते की यह देन है कि बार-बार आप अनुपूरक बजट लाते हैं। कुछ समाजवादी देशों को मैंने देखा है, जहां पर बजट एक बार पेश होता है और योजना जो बनती है, वह योजना निश्चित समय उस साल के अन्दर समाप्त हो जाती है। उसके बाद ही नई योजना के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है लेकिन यहां पर एक ही योजना पर बार-बार पैसे की जरूरत पड़ती है 37 वर्ष से पूंजीवादी रास्ते पर जो देश चला है, उसका नतीजा यह है कि हर राज्य में आग लगी हुई है जैसे गोरखालैंड मिजोरम आसाम है और बिहार में सिंहभूम और मानभूम आदिवासी इलाका हैं, सब जगह आग लगी हुई है। समान विकास न होने के कारण आज देश में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। मेरा कहना यह है कि संविधान के साथ मखौल न किया जाए। आप समाजवादी देश का समाजवादी रास्ते से विकास करें जिससे देश की एकता और अखंडता बरकरार रहे। देश के सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और संविधान के रास्ते पर ही देश को चलाना चाहिए।

बीस सूत्री कार्यक्रम के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया है कि बीस सूत्री कार्यक्रम में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है लेकिन गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। यह बात सही है। मैं एक पत्र दे रहा हूं, इसकी जांच आप कराएं। एक लाख रुपए का सामान खरीदा गया और दो लाख रुपये का वाउचर बना। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मजदूरों को प्रति हजार ईंटें बनाने के लिये 50 रुपये मिलने चाहिए लेकिन उनको 35 रुपये दिए जाते हैं और 15 रुपया सरकारी अधिकारी खा जाते हैं। एन० आर० ई० पी० का जो कार्य चल रहा है वह गरीबी रेखा से ऊपर गरीबों को उठाने के लिये हैं लेकिन हो यह रहा है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गंगाराम (फिरोजाबाद) : आदरणीय सभापति महोदय, चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी अनुदान अनुपूरक मांगों का मैं समर्थन करता हूं। इन मांगों में 66 अनुदान और एक विनियोग है। कुल मिलाकर 3038·54 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण अतिरिक्त व्यय प्रस्तावित है और अतिरिक्त व्यय में आयोजना की धनराशि 787·58 रुपये है और आयोजना भिन्न की धन राशि 2250·96 करोड़ रुपये सम्मिलित है। इसमें से 600·07 करोड़ रुपये मुख्यतया चौथे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन और बोनस की अदायगी के लिए है। वर्ष 1986-87 का आम बजट 28 फरवरी, 1986

[श्री गंगाराम]

को पेश किया गया था और उसमें सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे माननीय वित्त मंत्री ने बजट को प्रारम्भ करते हुए कहा था कि हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने कुछ दिन पहले याद दिलाया था कि विकास का कार्य समता और सामाजिक न्याय के साथ होना चाहिए और उन सामाजिक रुकावटों को दूर करके किया जाना चाहिए जिनसे कमजोर वर्गों का उत्पीड़न होता है। समाजवाद की हमारी धारणा का सार यही है। वह जो बजट बना था, वह समाजवादी बजट था, जिसके बाद अनुपूरक मांगें आई हैं। इसमें विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ अनावश्यक तौर पर बातें कही हैं। मैं अनुपूरक मांगों के विवरण को देख रहा था। इसमें मिनिस्ट्री आफ कामर्स, मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट आफ रूरल डवलपमेंट में एन० आर० ई० पी० और आई० आर० डी० प्रोग्रामों के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है, उस के लिए मांग रखी गई है। तो इसमें कोई ज्यादती नहीं की गई है। इसी तरह से मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिये जो धनराशि आबंटित की गई है, वह भी अनिवार्य है। इसमें रुपये की जो मांग की गई है, वह देश की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है इसी प्रकार से पर्यावरण के लिए जो पैसे की मांग की गई है, वह भी अतिआवश्यक है और इनके लिए कोई बहुत ज्यादा पैसे की मांग भी नहीं की गई है लेकिन इस सम्बन्ध में एक बात मैं यह जरूर कह देना चाहता हूं कि यह सदन और यह पार्लियामेंट इस देश की सर्वोच्चविधायिका और कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। इसके द्वारा जब-जब धन राशि स्वीकृति की जाती है, तो उस धन राशि का सही इस्तेमाल होना चाहिए लेकिन फील्ड में उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसको देखने की आवश्यकता है। हमारे शासन की नीयत बड़ी अच्छी है और वह गरीबों को राहत पहुंचाने की भरसक कोशिश करती है।

लेकिन उसका क्रियान्वयन सही नहीं होता है। अनुसूचित जातियों और निर्बल वर्ग के लिए एक आवास योजना चलाई जा रही है। यह इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत चलाई जा रही है। इसके अन्तर्गत जो मकान बनाये गये हैं वे इतने कमजोर हैं कि अगर उन पर आप हाथ लगा दें तो वे गिर जायेंगे। यह बेईमानी और भ्रष्टाचार की हद है। इसमें यहां से शासन क्या करे, क्रियान्वयन तो फील्ड में हो रहा है। वहां क्रियान्वयन सही ढंग से होना चाहिए। इस पर सरकार विशेष ध्यान दे।

मैं अपने क्षेत्र की विशेष समस्या के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे यहां चम्बल घाटी का डकैती प्रोन एरिया है। वहां पर दस साल से एक लिफ्ट इर्रीगेशन योजना चल रही है। इन दस सालों में केवल एक किलोमीटर नहर बन पायी है। वह करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट है। उसके लिए धन की कमी नहीं है। अगर इसका सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाता तो अब तक 75 किलोमीटर नहर बन जाती और उससे वहां के किसानों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो जातीं।

मैं आगरा क्षेत्र से आता हूं। आगरा का औद्योगीकरण रुका हुआ है सिर्फ ताजमहल की हिफाजत के लिए। हमारे लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि या तो आगरा को हटा

दिया जाए या ताजमहल को हटा दिया जाए। यह स्थिति वहां हो गयी है। केन्द्रीय शासन और प्रदेशीय शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वहां के औद्योगिक विकास के लिए वे अधिक से अधिक प्रयत्न करें।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र से अभी लौटकर आया हूं। वहां पर पेय जल का बड़ा कष्ट हो रहा है। होली आते-आते तो हालत इतनी खराब हो जाएगी कि कुंओं में पानी का स्तर तो नीचे चला जाएगा। गर्मियों में तो उससे भी ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। जब इस पेयजल का बड़ा भारी संकट है तो इस पूरक बजट में इसके लिए पैसा रखा जाना चाहिए था। इसकी बहुत बड़ी जरूरत है।

जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, हमारे क्षेत्र में धुएं रहित इण्डस्ट्री की बात कही जाती है विशेषज्ञों ने ताजमहल के मानचित्र के चारों ओर एक ट्रेपिजियम दिखाया है। एनवायरनमेंट अधिकारी के अनुसार उसके अन्दर उद्योग नहीं लगाये जा सकते। उस ट्रेपिजियम के बाहर लगाये जा सकते हैं। ऐसी हालत में वहां पर धुएं रहित उद्योग समुचित संख्या में लगाए जायें और आगरा जिले का पर्यटन के लिए विशेष रूप से विकास किया जाए। इन पूरक मांगों में पर्यटन की मद के अन्तर्गत आपने 2 करोड़ 68 लाख रुपये मांगे हैं। इस धन में से अधिक से अधिक राशि आगरा के पर्यटन के विकास के लिए खर्च की जानी चाहिए।

मान्यवर, निर्बल वर्ग के लिए इन पूरक मांगों में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। माननीय मंत्री जी, उत्तर देते हुये बताएंगे कि वह रुपया जो विशेष समन्वित योजना के लिए स्वीकृत किया जाता है, अगर वह उसी वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं होगा तो क्या उसको सामान्य बजट में कन्वर्ट कर दिया जायेगा? यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि गरीब आदमियों के लिए जो रुपया पार्लियामेंट आवंटित करती है, अगर वह रुपया खर्च नहीं होता है तो उसको सामान्य बजट में डालना कहां तक उचित है। माननीय महोदय, प्रदेशीय सरकार को यह आदेश जारी करें कि यहां से जो राशि गरीब लोगों के लिए स्वीकृत की जाती है, उस राशि को गरीब लोगों पर अवश्य खर्च किया जाए।

[अनुवाद]

***श्री आर० जीवरत्नम** (आर्कोनम) : सभापति महोदय, मैं इस महान् सभा में माननीय वित्त मंत्री द्वारा लाई गई वर्ष 1986-87 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। मैं सरकार के विचारार्थ अपने विचार इस सभा में रखना चाहता हूं।

महोदय, दिन-ब-दिन रुपये का मूल्य कम होता जा रहा है। इस समय, रूपये का मूल्य केवल 14 नए पैसे है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे और प्रभावित न होने देने के लिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस दिशा में आवश्यक उपाय करे। सरकार को कुछ हाथों में धन एकत्र होने को रोकने और काला धन पकड़ने के लिये बहुत कड़े उपाय करने चाहिए। उन्हें विशेषज्ञों की

* तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री आर० जीवरत्नम]

एक समिति गठित करनी चाहिये ताकि वे देश की अर्थव्यवस्था से इन बुराइयों को दूर करने के मार्गोपायों की सिफारिश कर सकें। ऐसा देश में काले धन और पूंजीवाद के कारण हो रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता में बाधा पड़ती है। विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं और औद्योगिक वस्तुओं की लागत भी दिन-व-दिन बढ़ रही है। इसलिए, योजना-परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो रही है। मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना आरम्भ करते समय एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाये और पंचवर्षीय योजना के पूरा होने तक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि न हो।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा यह है कि इस समय हैदराबाद, कलकत्ता, बम्बई और उत्तर प्रदेश में टकसालें हैं। सरकार ने विदेशों से लगभग 300 करोड़ मूल्य के छोटे सिक्कों का आयात किया है। इसलिए, सिक्कों के आयात से बचने और देश में सिक्कों की आवश्यकता पूरी करने के लिये, मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, आर्कोनम में पालीपेट में एक टकसाल स्थापित की जाये। महोदय, पालीपेट में इस कारखाने की स्थापना के लिए सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। वहां पर बड़ी रेल लाइन है और यह देश में बहुत सुरक्षित स्थान है। इसलिये मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे इस बात पर विचार करें।

महोदय, उत्तरी आरकोट जिले में बड़ी संख्या में चमड़ा टैनरी हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि चमड़े के उत्पादों का अधिक वैज्ञानिक ढंग से विकास करने के लिग रानीपेट में एक अनुसंधान और विकास प्रभाग स्थापित किया जाये ताकि चमड़े के उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार हो सके। इसके अलावा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न-विभिन्न उद्योग चलाने के लिए सदैव बिजली की कमी रहती है। सरकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रानीपेट में एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना पर विचार करे।

मैं इस महान् सभा के समक्ष एक और बात रखना चाहता हूं। इस समय प्रत्येक राज्य में विभिन्न दरों पर बिक्री कर वसूल किया जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का एक कारण यह भी है। इसलिए मैं सरकार से सभी राज्यों में बिक्री कर की समान दर लागू करने का आग्रह करता हूं।

अब महोदय, चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के वेतन और मजूरी में वृद्धि होने पर आय कर प्रयोजनों के लिए 18,000 रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ाया जाना चाहिये। सभापति महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामनगीना मिश्र (सलेमपुर) : सभापति महोदय, समयाभाव के कारण शिष्टाचार का निर्वाह करना भी मुश्किल हो रहा है। मान्यवर, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुदान की पूरक मांगें पेश की हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं और समर्थन के साथ-साथ मैं माननी मंत्री जी से कुछ जानना चाहता हूं और कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

मान्यवर, सर्वप्रथम बात यह है कि देश की आबादी 70 करोड़ है और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी हर साल रुपया देते हैं, मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की आबादी 11 करोड़ है, इस हिसाब से 1/7 हिस्सा उत्तर प्रदेश का हुआ, तो कितना रुपया उत्तर प्रदेश को दिया जाता है। जहां तक हमको जानकारी है कि आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक को जो धनराशि दी जाती है, शायद उतनी ही धनराशि या थोड़ी बहुत अधिक हमारे प्रदेश को दी जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह घोर अन्याय है हमारे उत्तर प्रदेश के साथ, यह कोई साधारण अन्याय नहीं है। अगर आप 10 अरब, 17 अरब या 50 अरब रुपया बांट रहे हैं तो उसमें से हमारा हिस्सा भी दीजिए। हम कोई दान या भीख नहीं मांग रहे हैं, 11 करोड़ हमारी आबादी है, उसी के मुताबिक हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिये, लेकिन महाराष्ट्र की आबादी 4 करोड़ है, उसके बराबर आप हमको दे रहे हैं। आप देखिए कि हालत क्या है। इस देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार है और आबादी भी सबसे अधिक है, लेकिन जब धनराशि का बंटवारा होता है तो उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की जाती है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदक करूंगा कि भविष्य में इन त्रुटियों को न दोहराया जाये और जो उचित हिस्सा है वह मिलना चाहिये।

समय का अभाव है, लेकिन एक चीज कहे बिना मैं नहीं रहूंगा। आज देश की हालत खराब है। अखबारों में रोज आ रहा है कि नये-नये अस्त्र-शस्त्र अमरीका पाकिस्तान को दे रहा है, जिससे हमारी रक्षा व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही है। पाकिस्तान एटम बम बना रहा है और पता नहीं कौन-कौन से अस्त्र-शस्त्र बना रहा है और हम संत होकर कहते हैं कि नहीं हम बम नहीं बनायेंगे। अगर बम नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, अगर एक एटम बम छूट गया तो हम तो बरबाद हो जाएंगे। आज अमरीका पाकिस्तान को नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्र दे रहा है। हमारी आबादी 70 करोड़ है और उनकी 7-8 करोड़ है, फिर भी हम असहाय हो रहे हैं। मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि चाहे और काम देश के हों या न हों, देश की हिफाजत जरूरी है और जितनी धनराशि की आवश्यकता देश की रक्षा के लिए है, वह जरूर दी जानी चाहिए और साथ ही भारत सरकार को भी वे अस्त्र-शस्त्र बनाने चाहिए जो पाकिस्तान बना रहा है, इसमें हिचकना नहीं चाहिये। अगर झगड़े से बचना है तो अपने को मजबूत कीजिए, अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो हमारे ऊपर हमले होंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से अब गन्ना और चीनी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। दो सेक्टर हैं उत्तर और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में गन्ना किसानों की हालत बहुत खराब है। वह जो गन्ना बोते हैं उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन अधिक लगती है और उपज महाराष्ट्र से अधिक होती है, रिकवरी उत्तर भारत में 10 है तो वहां पर 12-13 है और भारत सरकार दाम तय करती है तो एक करती इससे उत्तर भारत में गन्ना बर्बाद हो जायेगा और चीनी मिल मालकों की हालत दयनीय हो जायेगी क्योंकि चीनी मिलें बैठ जायेंगी। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस विषमता को दूर करने के लिये उत्तर भारत के गन्ना किसान को सब्सिडी दी जाये।

मैं देवरिया जनपद से आता हूं वहां बूढ़ी गण्डक उत्तर में बहती है जिसको अभिशाप कहा जा रहा है, दक्षिण में घाघरा और ताप्ती हैं। कोई साल ऐसा नहीं जब वहां बाढ़ नहीं आती हो। उत्तर

[श्री रामनगीना मिश्र]

प्रदेश की तरफ जो बिहार का बोर्डर है वहां पीपरासी पर उत्तर प्रदेश ने तो अपना बंधा बना लिया मगर बिहार सरकार ने नहीं बनाया। इसका परिणाम यह होता है कि जब वह बंधा कटता है तो सारा देवरिया जिला जल मग्न हो जाता है। इसलिए मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि दोनों सरकारों से बात करके वह धन आवंटित करायें और इस बंधे को पूरा करवायें।

आज कई प्रदेशों में राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। हमारे यहां स्थिति काफी भयंकर हो गई है और सारा काम ठप्प पड़ा है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश के अलावा कई और भागों में भी यह आग लग रही है···2 राज्यों और केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन में इतनी विषमता है कि हमारे मंत्री जी ने अगर मध्यस्थता नहीं की तो प्रदेशों का चलना मुश्किल हो जायेगा। राष्ट्रीय हित का यह मामला है। इसलिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाई जाये जिसमें वेतनमानों में विषमता न रहे, अगर यह नहीं होगा तो भविष्य में बहुत खतरा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश को उचित धन दिया जाये।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : इन मांगों की आवश्यकताओं के विश्लेषण पर विस्तार से बोलने से पहले मैं कुछ साधारण बातों का उत्तर देना चाहूंगा जो सदस्यों द्वारा उठाई गई हैं।

इस सभा में, विपक्ष के सदस्यों द्वारा विशेषरूप से वामपन्थी विचारधारा के सदस्यों द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है।

3.44 म० प०

श्री एन० वेंकट (रत्नम पीठासीन हुए) :

परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि जब हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन से उत्पादन को जोड़ने का प्रयास करते हैं वे स्वयं ही इसके बारे में विरोध करते हैं। यह एक तरीका है जो निश्चित रूप से इन लोगों के बारे में यह जाहिर करता है कि क्या वे वास्तव में सरकारी क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं जिनमें भारी पूंजी लगी हुई है और जिनमें लोगों को रोजगार देने के अवसर प्रदान करने की काफी गुंजाइश है।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह पूछा था कि हम किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं — यद्यपि वे सभा में उपस्थित नहीं है— कि हम गरीबी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, हम विकास न होने के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस देश को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई काला बाजारी करने वालों, असामाजिक लोगों तथा उन लोगों के विरुद्ध है जो करों का अपवंचन कर रहे हैं और जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : क्या वास्तव में यही बात है ?

श्री बी० के० गढवी : हां, वास्तव में यही बात है।

श्री नारायण चौबे : और स्विस बैंक लेखों ··(व्यवधान)

श्री बी० के० गढवी : वास्तव में यही बात है, और यही कारण है कि इस देश में हमारी नीतियां, मूल रूप से, बुनियादी तौर पर, प्राथमिकता के आधार पर, गरीबी के संकट को दूर करने और गरीबों तथा जनता की दशाओं में सुधार करने के लिए हैं। और यही कारण है कि विपक्ष के इन भारी वाक्पटु भाषणों के बावजूद भी वे इस देश के आम व्यक्ति के दिल तक नहीं पहुंच सकते और दिल को नहीं छू सकते सिवाय कांग्रेस के और इसके लोगों··· (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : तभी आप आज अधिकांश सीटें हार रहे हैं।

श्री बी० के० गढवी : आप यहां की ही सीटें गिन सकती हैं।

श्री नारायण चौबे : यह सब श्रीमती इन्दिरा गांधी की मृत्यु के कारण है।

श्री बी० के० गढवी : अभी तक यहां केवल एक ही डर व्यक्त किया गया है कि इन मांगों से घाटा बढ़ जाएगा। मैं सदस्यों को तथा इस सभा को और इस देश को यह आश्वासन देता हूं कि घाटे को एक नियन्त्रणीय सीमा में रखा जायेगा और यह इतना चिन्ताजनक नहीं होगा जितना कि विपक्षी सदस्यों ने बताने का प्रयास किया है। यह भी कहा गया है कि हमारी उदारपूर्ण नीतियों के कारण व्यापार सन्तुलन बिगड़ गया है। उन्हें यह मानना चाहिए कि आयात के लिये काफी नए क्षेत्र खोले जाने के बावजूद भी निर्यात में वृद्धि हो रही है और आयात तथा निर्यात के बीच का अन्तर काफी बड़ी सीमा तक कम होता जा रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने···(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : परसों ही श्री शिवशंकर ने यह कहा था कि यह अन्तर केवल बहुत कम सीमा तक ही कम हुआ है और आज ये कह रहे हैं कि यह काफी सीमा तक कम होता जा रहा है। क्या आप कृपया हमें यह बताने का कष्ट करेंगे कि सच क्या है?

श्री बी० के० गढवी : हम इसको लगभग 1000 करोड़ रुपये से 1500 करोड़ रुपये तक कम कर देंगे। यदि यह सीमा कम है तो खुद आप इसका निर्णय कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : स्थिति लगभग ऐसी ही है।

श्री बी० के० गढवी : परन्तु कुछ सदस्यों ने, पाकिस्तान के आधुनिकतम हथियारों से तथा अस्त्र-शस्त्र और उपस्करों से लैस होने से तथा उसके द्वारा परमाणु हथियार बनाने से, डर व्यक्त किया है। इस विषय में भी मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि भारत हर तरह के आशंकित हमले का मुंह-तोड़ जवाब देने में समर्थ है परन्तु आप सहमत होंगे कि सुरक्षा के मसले और आशंकित हमले को मद्देनज़र रखते हुए, हमें सुरक्षा पर खर्च करना ही पड़ेगा और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बजट के लिये इन अनुदानों में किसी भी सदस्य ने अपनी आवाज नहीं उठाई।

विभिन्न सदस्यों ने अपने राज्यों और अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में विभिन्न मांगें उठाई

[श्री बी० के० गढवी]

हैं। कुछ विद्यमान परियोजनाओं के अपने क्रियाकलापों में की गई प्रगति के बारे में भी कुछ आलोचना की है। मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं और सरकार इस बारे में बहुत चिन्तित है कि परियोजनाओं में अधिक समय नहीं लगना चाहिए और अधिक पैसा नहीं लगना चाहिए और उन्हें निर्धारित समय के भीतर ही पूरा किया जाना चाहिए और शायद, यहां तक कि प्राथमिकताओं का भी पता लगाने के लिए भी हम सभी परियोजनाओं को शून्य बजट की ओर लक्षित कर रहे हैं। संक्षेप में यह एक बहुत ही सही तरीका है जिसके सही परिणाम निकल सकते हैं।

यहां तक कि विद्यमान परियोजनाओं और उनके विस्तार के बारे में भी मैं यह कहूंगा कि सुधार तो हुआ है यद्यपि और सुधार की गुंजाइश है और सरकार इस पर नजर रख रही है, लगातार निगरानी कर रही है और यह प्रयास कर रही है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने उत्तर दायित्व को निभाने में और सरकार की आशा पर खरी उतरें।

बहुत से सदस्य, खासतौर से, विपक्षी सदस्य, मुझे समझ नहीं आती कि वे सही क्यों नहीं पढ़ते। मुझे समझ नहीं आई उन्होंने किस पृष्ठ पर यह पक्ष है कि इन अनुदानों में गरीब लोगों और गरीबी दूर करने के कार्य-क्रमों के बारे में कुछ भी नहीं हैं। कुछ सदस्यों ने यह बात उठाई थी। इन अनुदानों के बारे में प्रारम्भिक भाषण को पढ़ने पर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा गरीब लोगों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए हम लगभग 128 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। यदि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम गरीबों के लिए नहीं है तो गरीब लोगों के लिए कौन-सा कार्यक्रम है? आयोजना शीर्ष में यह पहला मद है जिसे वे देखने में असफल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि अगली बार, यहां तक कि आलोचना करने के प्रयोजन से भी, वे कृपया पूरी सूची को देखेंगे। न कि आंशिक रूप से अथवा केवल वही नहीं जो उन्हें अच्छा लगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : 600 जारी करने के बारे में क्या विचार है। इसे काफी अधिक बढ़ाया जा सकता था।

श्री बी० के० गढवी : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में, जैसा कि आप कह रहे हैं, खाद्यान्नों में इसे 1·54 मिलियन मीटरी टन से बढ़ाकर 2 मिलियन मीटरी टन किया जा रहा है। हम 50 रुपए नगद और 50 रु० का सामान देने जा रहे हैं। इसीलिए हम राज सहायता की मात्रा बढ़ा रहे हैं। खाद्यान्नों के मामले में, यह चावल पर 46 पैसे प्रति किलोग्राम है और गेहूं के मामले में यह 40 पैसे प्रति कि० ग्रा० है। ये कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अधीन अधिक उत्पादन कार्य करने के लिए हैं। आप यह जानते होंगे कि एक वेतन का घटक होता है और एक भौतिक (ठोस) घटक होता है इसीलिए विकास के लिए गांवों में संसाधन तैयार करने के लिये, गरीबों को रोजगार प्रदान करने के अलावा, इन कार्यक्रमों का प्रयास एक साथ दो कार्य करने का है एक तो रोजगार प्रदान करना, तथा इसके साथ-साथ गांवों में सड़कें, टैंक, छोटे-छोटे नाले, स्कूल तथा अन्य बहुत सी चीजें बनाकर संसाधन तैयार करना। यह तो रही एक बात।

दूसरी बात जो मैं बता रहा था, वह है गैर-आयोजना शीर्ष के बारे में हम महाराष्ट्र सरकार को 5 करोड़ रुपए का अनुदान दे रहे हैं। श्री दत्ता समान्त ने यह बात कही है कि प्रधान मंत्री ने 100 करोड़ रुपए का वायदा किया था और हम केवल 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि यह पैसा दिया तो जाना चाहिए परन्तु इसके लिए योजनाएं बनानी पड़ेंगी।

राज्य सरकार ने एक योजना बनाई है जो हमारे पास हाल ही में आई है, इसकी जांच की जा रही है और जब भी वे ऐसी योजनाएं देते हैं कि क्या बम्बई को सुन्दर बनाया जा सकता है या झुग्गी-झोपड़ियों को हटाया जा सकता है। या लोगों को बेहतर सुविधाएं, आवास तथा परिवहन आदि की सुविधाएं दी जा सकती हैं, ये योजनाएं आती रहेंगी और हम इन्हें अनुमोदित भी करते रहेंगे इसलिए उन्हें इस सम्बन्ध में निराश नहीं होना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : महाराष्ट्र सरकार पहले ही योजनाए भेज चुकी हैं।

श्री बी० के० गढ़वी : परन्तु श्रीमान बहुत देर से मिली हैं।

प्रो० मधु दंडवते : हर बार वे काफी देर से मुख्यमन्त्री बनते हैं। क्या किया जाए ?

श्री बी० के० गढ़वी : आप रेल मंत्री थे। आप जानते हैं कि कभी-कभी हमारी गलती न होने के बावजूद रेलें देर से चल रही हैं। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।

गैर-योजना मद के तहत दो करोड़ रुपये बंगलौर को दिऐ गए, दक्षेस का सम्मेलन था था इसलिए बंगलौर को और साफ-सुथरा बनाना था। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बारे में कोई प्रश्न नहीं उठा सकता और सभी बहुत खुश हैं तथा कर्नाटक के मुख्य मंत्री भी बहुत खुश हैं। उन्होंने न केवल बंगलौर से कर्नाटक के लोगों को भेजा बल्कि वे इस बात पर भी बहुत खुश हैं वे बंगलौर को, जो कि देश के सुन्दर शहरों में से है और सुन्दर बनाने का कार्य किया जा रहा है।

श्री नारायण चौबे : कलकत्ता को कब साफ सुथरा बनाया जाएगा ?

श्री बी के गढ़वी : जब मार्क्सवादी सरकार हट जाएगी। (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : महोदय, मंत्री चाहते हैं कि हम छोड़कर चले जाएं (व्यवधान)

श्री बी० के० गढ़वी : एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मुझे उनकी गलत नीतियों के लिए वास्तव में दुःख है। आप गलत नीतियां अपना रहे हैं। यही कारण है कि······

श्री नारायण चौबे : सही नीतियां भारत सरकार द्वारा अपनायी जाती हैं। वे काले धन को कभी भी समाप्त नहीं करते। पता नहीं कितना है। क्या यह एक लाख करोड़ रुपये है ?

श्री बी० के० गढ़वी : अब जहां तक भारत गैस प्राधिकरण के ऋणों में पूंजी-निवेश का संबंध है, श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह कहकर आलोचना की है कि यह राशि 467 करोड़ रुपये है। मुझे दुख है कि यही कारण है जिससे उनके जैसे प्रतिभावान लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनके सामने भारत की सम्पूर्ण तस्वीर नहीं होती। भारत किसानों का देश है और कृषि के विकास के

[श्री बी० के० गढ़वी]

लिए उर्वरक आवश्यक है । अभी भी मांग और पूर्ति में काफी अन्तर है, हमारे देश में होने वाला उत्पादन मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है और इसलिए जब हम देश के विभिन्न भागों में उर्वरक कारखाने स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं तब इसके विपरीत गैस को देश के एक कोने से दूसरे कोने में ले जाने के प्रौद्योगिकीय विकास की प्रशंसा की जानी चाहिए और इसकी आवश्यकता इस देश में कृषि विकास में तेजी लाने के लिए भी समझी जानी चाहिए थी । परन्तु यदि वे इस मूलभूत पहलू का अनुमान नहीं लगा सकते तो स्थिति को तथा प्रगति को समझाने में कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता । मुझे अफसोस है कि वे चले गए हैं ।

फिर, 79·10 करोड़ रुपये मैं केवल मुख्य मदों को ले रहा हूं—विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम को ऋण देने और पूंजी निवेश करने के लिए हैं। इस बात से हरेक सहमत होगा कि देश के इस भाग में इस्पात संयंत्र लगाने से विकास संबंधी क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त होंगे तथा आधारमूत ढांचा तैयार होगा और देश में अधिक इस्पात उपलब्ध होगा, जिसके लिए कई सदस्यों ने प्रश्न उठाया था कि इस्पात की कीमतें अभी भी अधिक हैं। अधिक उत्पादन तथा अधिक कार्यकुशलता से ही हम कीमतों को अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के समान स्तर पर रख सकेंगे । वे यहां ऐसा ही कर रहे हैं । हमने 600 करोड़ रुपये भारतीय खाद्य निगम को बफर स्टाक रखने के लिए ऋण देने के लिए निर्धारित किए हैं । माननीय सदय मानेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था आज तक वर्षा पर निर्भर है । वे यह भी मानेंगे कि कुल मिलाकर वर्षा ठीक से नहीं होती है । हमें अकाल तथा बाढ़ का सामना करना पड़ता है और इसलिए देश की विशाल जनसंख्या की किसी भी संकट के समय देखभाल करने हेतु कम से कम 100 लाख टन का बफर स्टाक रखना जरूरी है और इस स्टाक को बनाए रखने के लिए हमें भंडारण, रख-रखाव तथा अन्य कार्यों के लिए राजसहायता देनी होती है क्योंकि इसी बफर स्टाक में से हम गरीब लोगों को रितायती दर पर खाद्यान्न चाहे वह चावल हो या गेहूं उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए यदि हम भारतीय खाद्य निगम से बैंक से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने के लिए कहें तब शायद हम ये खाद्यान्न गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को को नहीं दे सकते। इसलिये यह बफर स्टाक रखने के लिए हैं ।

4·00 म० प०

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्षमा करें इस समय 280 लाख टन खाद्यान्न का स्टाक है। 100 लाख टन राष्ट्रीय बफर स्टाक के रूप में चाहिए ।

श्री बी० के० गढ़वी : यह तो न्यूनतम है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : 100 और 280 के बीच बहुत अन्तर है। आप इसका अधिकतर भाग रिलीज क्यों नहीं कर देते जो एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० आदि को जाएगा ।

श्री बी० के० गढ़वी : यही बात है अन्यथा भी इसका उत्तर मुझे देना है, आपने अपने भाषण में यह प्रश्न उठाया है । आप मानेंगी कि हमने देश के किसानों को वचन दिया है कि यदि कीमतें

लाभप्रद कीमतों से नीचे गिर जाती हैं तो उनका अनाज हम खरीद लेंगे। इसलिए जो भी किसान आकर हमें बेचते हैं हम खरीदते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हां, आप खरीदते हैं। इसमें गलत क्या है ? किन्तु आप स्टाक को रिलीज क्यों नहीं करते ?

श्री बी० के० गढ़वी : कम से कम, मैं समझता हूं कि बात क्या है। इसलिए यह देखने के लिए कि किसानों को अपने खाद्यान्न को विवश होकर सस्ते दामों पर न बेचना पड़े अधिक खरीद की गई है और स्टाक इकट्ठा हो गया है।

हमें 100 लाख टन का बफर स्टाक रखना होता है, अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए, कुछ अधिक स्टाक तथा कुछ और स्टाक रखना होता है। यही कारण है जो हमने प्रारंभ में कहा था कि हम 15·4 लाख टन से 20 लाख टन क्यों कर रहे है। और यदि राज्यों को और स्टाक चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। यही कारण है कि कुछ स्टाक दूसरे लोगों को 205 रुपये के निर्गम मूल्य पर दे दिया गया। यहां हम 190 रुपये पर गेहूं दे रहे हैं। दूसरों के लिए भी हम बाजार में गेहूं 205 रु० के निर्गम मूल्य पर दे रहे हैं ताकि खाद्यान्न की इन्वेंटरी कम हो सके।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : यह जो 600 करोड़ रुपये की सब्सीडी दे रहे हैं, इसको बचाया जा सकता है अगर ट्रांसपोर्ट कम्पनीज और ठेकेदार जिनके जरिए काम कराया जाता है, जो इसमें बंगलिंग करते हैं उसको ठीक कर दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री बी० के० गढ़वी : मैं आपकी बात अच्छी तरह समझता हूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिवहन तथा अन्य खर्च सहित यदि आप आंकड़ों की तुलना करें तब आप देखेंगे कि सरकार पूर्णत: तथा निरन्तर निगरानी रख रही है। मैं अभी आपको आंकड़े दूंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : केवल निगरानी रखते हैं करते कुछ नहीं

श्री बी० के० गढ़वी : नहीं, नहीं। ऐसी बात नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या सरकार ने गणना की है। क्या वह हमें बता सकती है कि वह कितनी बैठती है ?

श्री बी० के० गढ़वी : भारतीय खाद्य निगम का कुल प्रतिशत मैं आंकड़े दे रहा हूं जिनसे यह पता लगेगा कि सरकार कुछ कर रही है या नहीं। भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में तथा परिवहन के दौरान होने वाली हानि का कुल प्रतिशत इस प्रकार था :

1982-83	2·73 प्रतिश
1983-84	2·11 प्रतिशत
1984-85	1·94 प्रतिशत
1985-86	1·62 प्रतिशत

परिवहन की हानि सहित यह हानियों में गिरता हुआ क्रम है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अगर प्राइवेट बिजनैस वालों को देंगे, तो 2 पॉइन्ट लॉस नहीं आएगा और एक पॉइन्ट से भी कम वह होगा। प्राइवेट डीलर्स इतना लोस हो तो काम नहीं कर सकते ठेकेदारों द्वारा जो मैनेजमेंट काम कराता है, उसकी वजह से इतना ज्यादा लोस है।

[अनुवाद]

श्री बी० के० गढ़वी : मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इन आंकड़ों से आप कुछ हद तक सहमत होंगे, पूरी तरह नहीं—क्योंकि आपके जैसे व्यक्ति को पूर्णतः सहमत नहीं किया जा सकता परन्तु कुछ हद तक आप सहमत होंगे कि सरकार हानि को कम करने के लिए निश्चित रूप से निगरानी करती हैं। चार वर्ष में यह 2·73 प्रतिशत से घटकर 1·6 प्रतिशत हो गई है। प्रयास जारी हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसमें और कोई कमी नहीं की जा सकती। परन्तु जहां तक भारतीय खाद्य निगम के कार्य करण का प्रश्न है, परिवहन के दौरान तथा अन्य मदों में होने वाली हानियों को ध्यान में रखा जाता है और हम निरन्तर निगरानी रखे हुए हैं तथा सुधार का प्रयास कर रहे हैं।

फिर दूसरे क्षेत्र के लिए 43·5 करोड़ रुपये थे जो अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए थे और आप सब जानते हैं कि हमारा अन्तरिक्ष कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह चल रहा है और यदि हमें विकसित देशों के साथ मुकाबला करना है तो अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए और धन देना होगा।

बम्बई अवतटीय परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। हम सब बम्बई हाई से तेल निकाने में व्यस्त हैं इसलिए किसी ने भी इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया है।

425 करोड़ रुपये हमने भूमि-अधिग्रहण सामान की खरीद आदि के लिए रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त मांगा है। हम कुछ कार्यकलापों का विस्तार कर रहे हैं। इसलिए हमें कई स्थानों पर कुछ जमीन चाहिए। हमें और भूमि की आवश्यकता होगी ताकि हम अपने सैनिक स्टेशन स्थापित करने तथा अन्य साधनों आदि के लिए भूमि चाहिए।

हम 250 करोड़ रुपये भारतीय खाद्य निगम को दे रहे हैं—हानियां तथा अन्य चीजों को छोड़कर। यह काफी भारी राशि है फिर भी और आवश्यकता होगी। किन्तु हम उन्हें आंशिक भुगतान कर रहे हैं।

ये मोटे-मोटे आंकड़े हैं। एशियाड के बारे में और डी० डी० ए० से सम्पत्ति की खरीद के बारे में एक बात उठाई गई थी। (व्यवधान) डी० डी० ए० द्वारा एशियाड के लिए इमारतें बनाई गई थीं और अब सरकार उन इमारतों को लाभप्रद और उत्पादक प्रयोजनों के लिए खरीदना चाहती है। इससे रुपया वास्तविक रूप से नहीं खर्च किया जाएगा बल्कि यह एक किस्म से खातों में ही रुपये का इधर से उधर अन्तरण मात्र ही होगा। हालांकि तकनीकी रूप से कुछ ऐसी मदें जरूर होंगी जिसके लिए हमें संसद की स्वीकृति प्राप्त करनी ही होगी। लेकिन सरकारी खजाने से

वास्तविक रूप से कोई धनराशि नहीं खर्च की जाएगी। केवल खाते में ही इधर से उधर समायोजित की जायेगी।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : उन अनेकों मदों के लिए सरकार ने क्या किया है जिनका पहले से पता लगाया जा सकता था। कई सदस्यों ने यह बात उठाई हैं। लेकिन अपने तो उसकी बिल्कुल ही चर्चा नहीं की है।

श्री बी० के० गढ़वी : जी नहीं। उदाहरण के लिए हमने वेतन आयोग के बारे में कुछ नहीं पूछा है। इसके लिए भी 600 करोड़ रुपये की पूरक मांग है

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : रक्षा विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण, इसे पहले प्रस्तुत तो किया जा सकता था।

श्री बी० के० गढ़वी : हमने इसे रक्षा और भंडार दोनों में ही रखा है। और मैं आपको यह नहीं बता पाऊंगा कि क्या भंडार है और कौन-कौन सी जमीनें हैं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : अन्य मदों के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री बी० के० गढ़वी : अन्य मदें बहुत तुच्छ हैं केवल राज्य सहायता और अन्य चीजों की बात हैं। पूरक मांग भी एक हिस्सा ही है परन्तु सदस्यों ने यह चेतावनी दी है कि इससे घाटा अधिक बढ़ जायेगा। मैं यह बता चुका हूं कि "हम घाटे को नियन्त्रण में रखने की कोशिश करेंगे और यह हमारे लिये संभव भी है।" अभी तक वर्ष समाप्त नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्रों में, बचत हो सकती है, पुनर्विनियोजन आदि अभी किया जाना शेष है। इसलिए, इस समय जो कुछ विपक्षी सदस्य कह रहे हैं वह तथ्यों पर आधारित नहीं है और उन्हें इसके बारे में बहुत ज्यादा आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है।

अनेकों सदस्यों ने वेतन आयोग और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतनों की समानता के बारे में कहा है। मैं पहले दिन इसका उत्तर दे चुका हूं कि केन्द्र द्वारा इकट्ठा किये गए प्रत्येक 100 रु० में से हम राज्य को 51 रुपये दे रहे हैं। केन्द्र सरकार का वेतन आयोग 1983 में गठित किया गया था—13 वर्षों बाद इसने अपनी रिपोर्ट दी है। इससे पहले यह 1973 में गठित किया गया था। इस बीच राज्यों में 2-3 आयोगों ने वेतनमानों में संशोधन कर दिया है। भारत जैसे देश में जहां हमारा संवैधानिक ढांचा संघात्मक है और राज्यों को अपने-अपने आयोग अपने-अपने संसाधनों को देखते हुए नियुक्त करने का अधिकार है, वहां यह सम्भव नहीं है कि भारत सरकार हमेशा ही इस बात पर गौर करे कि विभिन्न वेतनमानों वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच वेतनमानों में समानता कैसे लाई जाए।

प्रो० एन० जी० रंगा : इन बातों को स्वयं ही नहीं उठाना चाहिए और उनके लिए कठिनाई नहीं पैदा करनी चाहिए.......

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या आप यह प्रयास करेंगे कि समूचे देश में ऐसी नीति बनाई जाए जिनके कर्मचारियों के वेतन में विशेष विषमता न हो।

[अनुवाद]

श्री बी० के० गढ़वी : हम यह प्रयास कर रहे हैं कि एक सरकारी कर्मचारी और दूसरे सरकारी कर्मचारी के चाहे वह राज्य सरकार का हो या केन्द्र सरकार आदि का—के वेतनमानों में बहुत अधिक असमानता न हो। परन्तु मैं आपको यह बता रहा हूं कि धन सम्बन्धी बाधाओं पादित विभिन्न प्रकार की बाधाओं के होते हुए भी इस समय समानता लाना सम्भव नहीं है। इसलिए राज्यों को आठवें वित्त आयोग के माध्यम से जो कुछ भी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, हम उन्हें दे रहे हैं योजनाओं में भी हम उन्हें दे रहे हैं। परन्तु उन्हें इन संसाधनों का उपयोग करना है और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अपने संसाधनों को भी जुटाना है और यह उनका कर्तव्य बन जाता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस कारण, इस समय वित्तीय बाधाओं और अन्य बातों के कारण संभवतः भारत सरकार आठवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से ऊपर नहीं जा पायेगी।

एक और मुद्दा उठाया गया था गरीबी हटाओ कार्यक्रम और सबसे निचले स्तर पर खामियों के बारे में। मैं यह मानता हूं। इसके बारे में और भी शिकायतें हो सकती हैं। मैं माननीय सदस्यों की इस चिन्ता से सहमत भी हूं और इसमें उनके साथ हूं हमारे पास एक स्वतन्त्र मूल्यांकन मशीनरी भी है। प्रधान मन्त्री कार्यालय तक से भी ऐसी रिपोर्टें आई हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एल० आर० ई० जी० पी० और गरीबी हटाओ कार्यक्रमों जैसे स्वतन्त्र अभिकरणों के माध्यम से उनका स्वतन्त्रता पूर्वक मूल्यांकन किया जा रहा है और सम्पूर्ण स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है जितनी कि बतायी गई है। परन्तु अभी भी कुछ गुंजाइश है परन्तु इसके लिए मैं कामना करता हूं और सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनायें और खामियों के प्रति और अधिक सतर्कता बरतें। क्योंकि कार्यक्रमों को लागू करने वाले अभिकरण वे ही हैं। संसद सदस्यों विधायकों और पंचायत आदि से सम्बन्धित लोगों सहित प्रत्येक व्यक्ति का भी यह कर्तव्य का अंग हो जाता है अन्यथा इन शिकायतों को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें सतत एवं सुदृढ़ सतर्कता की आवश्यकता है। इसमें राजनीतिक दलों के व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं, लेकिन यह बात निश्चित है कि जब भी शिकायतें आती हैं, चाहे वे बैंक से सम्बन्धित हों, उन पर कार्यवाही की जाती है। और सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को यदि वह वास्तव में अपराधी हैं, नहीं छोड़ेगी। यदि किसी क्षेत्र विशेष में सदस्य यह महसूस करते हैं अथवा यदि कहीं कोई ऐसी शिकायत है तो वे निश्चय ही हमें भेज सकते हैं। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उपचारात्मक कार्यवाही की जाए।

विभिन्न मंत्रालयों से सम्बंधित विभिन्न मांगें उठाई गई हैं। मैं उन सभी मांगों की यहां व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि अन्य मंत्रालयों से संबंधित अलग-अलग विशिष्ट मांगों के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय स्वयं ही उन मंत्रालयों से बातचीत करेगा और हम यह देखेंगे कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। और उसकी जानकारी हमें भी हो ताकि हम भी यह जान सकें कि माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समुचित रूप से उत्तर दिया गया है अथवा नहीं। इन शब्दों के साथ······

श्री नारायण चौबे : महोदया, 684 करोड़ रुपये के बारे में की गई हाल ही की घोषणा के सम्बन्ध में मेरा ख्याल है यह प्रश्न श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाया गया था—आपने कुछ नहीं बताया है।

श्री बी० के० गढ़वी : किस बारे में ? क्या यह बी० जे० पी० पाइप लाइन के बारे में था ?

श्री नारायण चौबे : पश्चिम बंगाल के लिए 684 करोड़ रुपये जिसके बारे में प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में घोषणा की गई थी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, वह श्री राजीव गांधी द्वारा 684 करोड़ रुपये के लिए की गई घोषणा के बारे में कह रहे हैं······

श्री बी० के० गढ़वी : उन्होंने यह नहीं पूछा है। उन्होंने पहले यह पूछा था। मेरा ख्याल है आज वह यह बात भूल गये हैं आशा है······उन्होंने आज यह प्रश्न उठाया ही नहीं है क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब तक वह संतुष्ट हो गये होंगे कि यह प्रश्न पूछने योग्य है ही नहीं।

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : यह आपकी व्याख्या है······

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या आप स्वयं भी 648 करोड़ रुपये के बारे में स्पष्ट हैं ? यह 1007 करोड़ रुपये के बारे में यदि वह यहां नहीं हैं तो कृपया आप हमें बताइये।

श्री बी० के० गढ़वी : मुझे खेद है कि इस चर्चा में अनेकों सदस्यों ने भाग ले लिया है। मेरा ख्याल है यह संख्या शायद 45 से भी अधिक हो गई है। परन्तु एच० एम० पटेल, श्री पाणिग्रही ग्रही, श्री गजपति राजू जैसे कुछ सदस्यों तथा अन्य सदस्यों ने भुगतान असन्तुलन, मुद्रास्फीति का दबाव तथा गैर-योजना खर्च में कटौती के बारे में प्रश्न पूछे हैं।

सरकार यह तो चाहती है कि खर्च में कमी हो, तथा खर्च को कम से कम किया जाए लेकिन विकास की कीमत पर नहीं।

कुछ सदस्यों ने यह बात उठायी है कि गैर-योजना खर्च में वृद्धि हुई है। कभी-कभी योजना के लिए रखा गया प्रारम्भिक खर्च जब योजना पूर्ण हो जाती है एवं जब यह सामान्य रूप से सामने आता है, तब यह एक गैर योजना व्यय हो जाता है। इसलिए गैर-योजना व्यय को सदैव अत्यधिक चिन्ताजनक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए।

मैं श्रीमती गीता मुखर्जी को यह बताना चाहूंगा कि चाहूंगा कि उनकी यह सूचना सही नहीं है। कि खाद्यानों को सिलीगुड़ी से आंध्र प्रदेश ले जाया जा रहा है। जांच करने पर मैंने पाया है कि यह एक सही वक्तव्य नहीं है।······

श्रीमती गीता मुखर्जी : आपने जांच कैसे की ?

श्री बी० के० गढ़वी : आप यह क्यों भूल रही हैं कि हमारे पास इसके लिए प्रशानिक व्यवस्था है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या व्यापारियों के आवागमन के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड रखे जाते हैं ? (व्यवधान)

श्री बी० के० गढ़वी : आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों को बाढ़ और सूखे के लिए सहायता की स्वीकृति के सम्बन्ध में, जैसे ही हमें केन्द्रीय सहायता के लिए ज्ञापन प्राप्त होते हैं तुरन्त ही दलों को भेजा जाता है एक उच्च स्तरीय समिति भी इसको देखती है और जितनी जल्दी सम्भव हो सकता है, हम राज्यों को सूखे या बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए दी जाने वाली सहायता के बारे में अन्तिम रूप से फैसला करने का प्रयास करता है। मैं नहीं सोचता हूं कि उस मामले में कोई अधिक विलम्ब सम्भव हो सकता है। पिछली बार आंध्रप्रदेश को जो राशि दी गई थी उसे वह मार्च तक की समयावधि में खर्च नहीं कर सके थे और मैं सोचता हूं कि उन्होंने समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसकी भी जांच की जायेगी और इस पर समुचित आदेश जारी किये जाएंगे।

राजस्थान के सम्मानित सदस्यों ने यह बात उठायी थी कि बाढ़ के लिए उन्होंने 40·11 करोड़ रुपये की मांग की थी। केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित अधिकतम सीमा 8·76 करोड़ रुपए है जो शीघ्र ही दे दी जाएगी। हम जानते हैं, सूखे के लिए भी राज्य सहायता की मांग कर रहे हैं। समुचित संमीक्षा और जांच पड़ताल के पश्चात तथा खुद क्षेत्र का दौरा करने के बाद अधिकतम सीमा अनुमोदित की गई है ।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय; मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटित धन राशि आन्ध्र प्रदेश सरकार व्यय कर रही है और राहत कार्यों को अच्छी तरह से किया जा रहा है। पहले का हमारा अनुभव यह रहा कि विपत्ति के तत्काल बाद के कुछ महीनों में पैसा खर्च कर दिया गया था और कार्य का स्तर काफी निम्न था एवं काम थोड़े ही समय चला। कुछ साल भी नहीं चला। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार की मन्शा यही है और प्रत्येक रुपये को सोद्देश्यपूर्ण एवं स्थायी कार्यों पर खर्च करने के लिए सरकार को सभी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं।

श्री बी० के० गढ़वी : मैंने यह नहीं पूछा है कि वे समय बढ़ाये जाने की मांग क्यों कर रहे हैं। मैं इसे समझता हूं। उन्होंने 13 मार्च 1986 से 30 सितम्बर तक के लिए समय बढ़ाने की मांग की है और हमने इसकी अनुमति दी है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इन कार्यों को केवल मई और जून के महीनों में ही कर सकते हैं। बाढ़ के कारण गोदावरी जिले में लाखों एकड़ धान की फसल को नुकसान पहुंचा है तथा पूर्वी गोदावरी एवं पश्चिम गोदावरी में ये कार्य केवल मई और जून में न कि किसी अन्य समय में किए जा सकते हैं। इसी वजह से हम समयावधि बढ़ाने की मांग करते हैं।

श्री बी० के० गढ़वी : समयावधि बढ़ाने के औचित्य पर हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हम इसे स्वीकृत कर रहे हैं। आप इस विषय में क्यों चिन्ता कर रहे हैं ?

श्री गीता मुखर्जी : श्रीमान जी, आपके जरिये क्या मैं यह जान सकती हूं कि नवम्बर तक तदर्थ सहायता के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मांगे गये 35 करोड़ रुपये के विषय में क्या स्थिति है और बाढ़ राहत के लिए तदर्थ अनुदान के रूप में मांगे गए 275 करोड़ रुपयों के विषय में क्या स्थिति है ? क्या उसके लिए प्रावधान किया गया है ? उस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ? कृषि मन्त्री ने हमको यह आश्वासन दिया था……

श्री बी० के० गढ़वी : मैं आपको यह बताऊंगा कि अब जिस बात को आप उठा रही हैं वह आपके भाषण में नहीं उठाई गयी थी । मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा और आपको इस विशिष्ट मुद्दे का जवाब दूंगा ।

कु० ममता बनर्जी : मैं जानना चाहूंगी कि सरकार को पिछला कोई हिसाब किताब प्राप्त हुआ है ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप राजस्थान के बारे में बता रहे थे, कितना रुपया दे रहे हैं ?

श्री बी० के० गढ़वी : राजस्थान के फेमिन के लिए जो रिप्रजेंटेशन आयेगा उसका हम एक्जामिन करेंगे और जितना आपको मिल सकता है उतना देंगे ।

श्री नारायण चौबे : हमारी जो सेंट्रल टीम घूम कर आई वह रुपया कब देंगे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या हम यह समझें कि सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल को पैसा नहीं देना चाहते हैं ? **(व्यवधान)**

श्री नारायण चौबे : सारा लेखा प्रस्तुत किया जा चुका है । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मेरी अनुमति के बगैर कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : शान्ति, शांति । माननीय सदस्यों को जानना चाहिए कि कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं हो रहा है। कृपया बैठ जाइए । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)**

श्री बी० के० गढ़वी : भारत सरकार राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करती है । राज्यों के बीच भेदभाव करने का भारत सरकार का कोई इरादा नहीं है । विभिन्न राज्यों की सभी जायज मांगें जिनको कि स्वीकृत किया जा सकता है, स्वीकार किया जा रहा है ।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : महोदय इसको कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया है ।

श्री बी० के० गढ़वी : श्री अमर राय प्रधान द्वारा एक बात भारतीय पटसन निगम के विषय में कही गयी थी । मैं आपको बताता हूं कि जूट खरीदने के लिए हमने भारतीय पटसन निगम को 165 करोड़ रुपये की सुविधाएं दी हैं एवं एक आधुनिकीकरण योजना को भी अनुमोदित कर दिया गया है। आधुनिकीकरण के लिए बंगाल सरकार यह कह रही थी कि इन मिलों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए । उसके लिए एक विशेष योजना पहले ही बनायी जा चुकी है।

सभापति महोदय : मैं माननीय मन्त्री जी से भी व्यवधानों से न झुकने का अनुरोध करता हूं ।

श्री बी० के० गढ़वी : व्यवधानों के सामने झुकने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं केवल प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं । व्यवधानों से कभी नहीं जुका जा सकता है।

सभापति महोदय : कृपया उसके सामने मत झुकिये ।

श्री बी० के० गढ़वी श्री सैफुद्दीन सोज ने उस झील के प्रदूषण के सम्बन्ध में कुछ कहा है। भारत सरकार पर्यटन विभाग तथा जम्मू और कश्मीर सरकार दोनों ही इसके बारे में चिंतित हैं और एक योजना बनायी जा रही है । प्रधान मंत्री जी सहित हम सभी लोग चाहते हैं कि डल झील में प्रदूषण नहीं होना चाहिए । यह पर्यटकों को आकर्षित करती है क्योंकि यह देश की सुन्दर झीलों में से एक है। उस सम्बन्ध में भी हम लोग बहुत चिंतित हैं ।

मैंने डा० दत्ता सामंत द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया है । श्री चटर्जी ने एक संवैधानिक मुद्दा उठाया था । महोदय, ये पूरक बजट निधियों के कुशल उपयोग से सम्बन्धित हैं, जो कि बजट में स्वीकृत हैं तथा हमें और धनराशि की नई परियोजनाएं पूरी करने तथा पहले से चल रही योजनाएं पूरी करने के लिए जरूरत है और इसीलिए वे उचित हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ (2) में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अत्यधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत सरकार की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :

भाग संख्या : 2, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 45 48, 56 क, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 104 और 107."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1986-87 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	कृषि मंत्रालय		
2.	कृषि	1,000	...
8.	ग्रामीण विकास विभाग	128,00,01,000	...
9.	उर्वरक विभाग	36,00,00,000	1,01,00,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
10.	वाणिज्य मंत्रालय	4,00,000	...
11.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	125,00,00,000	...
12.	पूर्ति और निपटान	86,00,000	...
	संचार मंत्रालय		
16.	दूर संचार सेवाएं	...	3,000
	रक्षा मन्त्रालय		
17.	रक्षा मंत्रालय	7,40,00,000	...
19.	रक्षा सेवाएं—थल सेना	642,98,00,000	...
20.	रक्षा सेवाएं—नौ सेना	25,00,00,000	...
21.	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	136,00,00,000	...
22.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		121,00,00,000
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
26.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	13,50,000	...
27.	पर्यावरण	79,62,000	...
28.	वन और वन्य जीवन	40,80,000	...
	विदेश मन्त्रालय		
29.	विदेश मंत्रालय	16,00,00,000	...
	वित्त मन्त्रालय		
30.	वित्त मंत्रालय	1,15,00,000	...
31.	सीमा-शुल्क	3,30,00,000	...

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
32.	संघ उत्पाद-शुल्क	11,0000000	...
33.	आय पर कर, सम्पदा शुल्क, धन कर और दान कर	13,5600000	...
34.	स्टाम्प	3,72,15000	...
36.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	11,65,86,000	1,06,000
40.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	4,000	18,30,00000
	खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय		
42.	खाद्य विभाग	258,80,00,000	600,00,00,000
43.	नागरिक पूर्ति विभाग	86,00,000	...
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
44.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	17,00,000	—
45.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	10,00,20,000	—
	गृह मंत्रालय		
48.	मंत्रि मंडल	1,00,00,000	—
56-क.	चंडीगढ़	54,18,01,000	19,20,34000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
57.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	49,76,000	—
59.	युवा कार्य और खेल		62,05,00,000
61.	कला और संस्कृति	6,80,00,000	—
62.	पुरातत्व	1,22,56,000	—
	उद्योग मंत्रालय		
63.	उद्योग मंत्रालय	72,00,000	—

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
64.	उद्योग	1,12,000	—
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
66.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	23,66	—
67.	सूचना और प्रचार		8,60,00,000
	श्रम मंत्रालय		
69.	श्रम मन्त्रालय	,18,00,000	—
	संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्रालय		
73.	संसदीय कार्य विभाग	3,800,000	—
74.	पर्यटन विभाग	2,68,00,000	—
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय		
76.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय	20,75,00,000	467,00,00,000
	योजना मन्त्रालय		
78.	सांख्यिकी	1,56,00,000	—
	कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय		
79.	कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय	15,00,000	—
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
80.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	46,28,000	—
81.	भारतीय सर्वेक्षण	7,98,45,000	—
82,	मौसम विज्ञान	46,00,000	—
83.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	2,00,000	—
	इस्पात और खान मंत्रालय		
84.	इस्पात विभाग		79,10,00,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
85.	खान विभाग	5,47,50,000	2,00,000
	वस्त्रोद्योग मन्त्रालय		
86.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	12,32,00,000	—
	परिवहन मंत्रालय		
87.	परिवहन मंत्रालय (रेलवे को छोड़कर)	1,66,00,000	
88.	सड़कें	—	8,05,33,000
89.	पत्तन, द्वीपस्तंभ और नौवहन	70,00,000	22,00,000
90.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	2,00,000	23,45,00,000
	शहरी विकास मन्त्रालय		
92.	शहरी विकास मंत्रालय	37,00,000	—
93.	लोक निर्माण	6,88,43,000	1,00,000
95.	आवास और शहरी विकास	5,51,90,000	10,20,03000
96.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	5,08,96,000	
	जल संसाधन मन्त्रालय		
97.	जल संसाधन मंत्रालय	2,79,00,000	
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
100.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान विकास और औद्योगिक परियोजनाएं		1,00,000
	अंतरिक्ष विभाग		
104.	अंतरिक्ष विभाग	15,77,66,000	27,72,19,000
	संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
107.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	1,00,000	—

4·26 म० प०

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1986*

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय के व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1986-87 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और और अधिक राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1986-87 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और अधिक राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने के अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० के० गढ़वी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।+

सभापति महोदय : मंत्री महोदय विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करने का प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री बी० के० गढ़वी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1986-87 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि और में से कतिपय और अधिक राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1986-87 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि और में से कतिपय और अधिक राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

"खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गए।"

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 2, दिनांक 24-11-1986 में प्रकाशित।

+राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय विधेयक पारित करने के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री बी० के० गढ़वी : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.30 म० प०

कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधि (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब मद 14 और 15 पर एक साथ विचार करेगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 अक्तूबर, 1986 को प्रख्यापित कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय, हमने राष्ट्रीयकरण का विरोध करने के लिए यह सांविधिक संकल्प प्रस्तुत नहीं किया है—वस्तुतः यह तो कहने की बात ही नहीं है—वरन् हमने तो अध्यादेश के प्रख्यापन की अक्सर पुनरावृत्ति या अनावश्यक प्रख्यापन का विरोध किया है।

कोयला क्षेत्र का काफी समय पहले लगभग तेरह वर्ष पूर्व राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह कैसे सम्भव है कि इतनी लम्बी अवधि में इस विसंगति का पता नहीं लग पाया और इसमें सामान्य विधेयक के माध्यम से सुधार क्यों नहीं किया गया और इसके लिए किसी अध्यादेश का प्रख्यापन क्यों अपेक्षित है ? यही कारण है कि हम सभी इस अध्यादेश का विरोध करते हैं। यही आधार है।

जहां तक विधेयक के शेष भागों का सम्बन्ध है हम इसका विरोध नहीं करते हैं, हालांकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी हम आलोचना करते हैं, कुछ हैं जो कि पहले से वर्तमान हैं। मेरे मित्र

श्री नारायण चौबे उसके बारे में बोलेंगे। किन्तु श्री साठे जो भी स्पष्टीकरण दें मेरी राय है कि उससे उन तेरह वर्षों की उपेक्षा का औचित्य सिद्ध नहीं हो सकेगा जिसके बाद यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था।

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि कोकधारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक का प्रस्ताव करते हुए मैं सबसे पहले उस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिसे माननीय सदस्य श्रीमती गीता मुखर्जी ने प्रस्तुत किया है। वस्तुतः यह अध्यादेश उच्चतम न्यायालय के निर्णय के 17-10-1986 से प्रभावी होने के कारण उत्पन्न आकास्मिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया था। चूंकि उस समय संसद का सत्र नहीं था इसलिए हमने इस विधेयक से पहले अध्यादेश जारी किया था।

यह राष्ट्रीयकरण के बाद से तेरह या बारह वर्षों के बीत जाने का प्रश्न नहीं है। राष्ट्रीयकरण के बाद भी कई मुद्दों पर मुकदमे चलते रहे हैं। उच्च न्यायालय में मुकद्दमे दायर किए गए थे। और तब वे उच्चतम न्यायालय गए। जब उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, तो हमें पता चला कि वह केवल तकनीकी आधार पर ही या हम जो करना चाहते थे उसके बारे में शुरू से हमारा आशय बिल्कुल स्पष्ट था।

तकनीकी कारण के लिए भुवनेश्वर सिंह के मामले में—मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा क्योंकि मैं सारी स्थिति के बारे में वक्तव्य दूंगा—यह था कि कोककारी कोयला भंडार के लिए अदा की गई धनराशि की गणना करके उसके स्वामी को दी जानी चाहिए।

स्पष्ट ही है कि यदि आप किसी मालिक को अब कोई धनराशि देते हैं, परन्तु दुर्भाग्य वश, उन्होंने शब्दों की इस प्रकार व्याख्या की है कि इसका अर्थ मालिक को दोहरी अदायगी से लगाया जाता है। इसीलिए, हमें सुधार करना पड़ा है। जैसा कि मैंने बताया था, उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि यह 17-10-1986 से लागू होगा, इसीलिये, यह अध्यादेश लाया गया था। इसके पीछे कोई दुर्भावना अथवा कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम निर्धारण के बाद संसद में यह बात उठाते, न कि निर्णय से पहले 12-13 वर्षों से हमें यह नहीं पता था कि उच्चतम न्यायालय क्या निर्णय देगा। कानून वह है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित हो अतः हमें इन्तजार करना पड़ा। हर कानून का अन्ततः वही अर्थ होता है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा बताया जाये।

[श्री बसन्त साठे]

मैं इस विधेयक के प्रयोजनों के बारे में एक संक्षिप्त नोट पढ़ूंगा। वास्तव में मैं यह महसूस करता हूं कि ऐसे विधेयक बहुत ही कम होते हैं जिन पर दोनों पक्षों में कोई मतभेद नहीं होता, यह विधेयक भी एक ऐसा ही विधेयक है। परन्तु मैं यह देखता हूं कि एक ही प्रवृति है। मैंने इसे पहले भी देखा है। होता क्या है, जैसे ही कोयले से संबंधित कोई मामला उठता है—विधेयक का विषय चाहे कुछ भी हो,—संसद के समक्ष प्रस्तुत होता है, हम पूरा कोयला उद्योग पर ही चर्चा कर बैठते हैं और ऐसे-ऐसे विषय उठाते हैं, जिनका विधेयक से कोई सीधा संबंध सहीं होता। हम इसे अनुदानों की मांगों पर एक आम बहस के रूप में लेते हैं। बहरहाल कोयले के बारे में किसी भी चर्चा पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि उनके पास समय है तो वे किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं, मैं उस पर तब तक बोलने के लिए तैयार हूं। जब तक कानूनी सदस्य चाहें।

यह विधेयक केवल सुधारात्मक उपाय करने के लिए ही है।

2. माननीय सदस्यों को याद होगा कि कोयला उद्योग का दो चरणों में राष्ट्रीयकरण किया गया था—पहले कोककारी कोयला खानों का कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अधीन राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसी प्रकार से, अभी अन्य कोयला खानों का कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अधीन राष्ट्रीयकरण किया गया था। इन अधिनियमों के परन्तुकों को लागू करने में होने वाली कुछ कठिनाइयों को दूर करने और गैर-कानूनी रूप से किए जाने वाले कोयले के खनन को रोकने के लिए सितम्बर 1973, 1976 और 1978 में इन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों में कुछ संशोधन किये गए थे।

3. इन अधिनियमों के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में किए गए कुछ न्यायिक निर्णयों के कारण भी इन राष्ट्रीयकर अधिनियमों में और संशोधन आवश्यक हो गए हैं। यह जरूरी हो गया है कि कुछ उपबंधों को बनाने में संसद की दशा को स्पष्ट किया जाये और कुछ अस्पष्टतायें तथा इन दोनों अधिनियमों के उपबंधों के कार्यान्वियन में आने वाली कठिनाइयों को दूर भी किया जाए। वर्तमान विधेयक इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही लाया गया है। प्रमुख संशोधन इस प्रकार है :

(क) कोककारी कोयला (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में दी गई "खान" और "कोक भट्टी संयंत्र" की परिभाषा में खान के मालिक का समस्त कोयला शामिल है चाहे वह भंडार में हो या रास्ते में हो और नियत दिन से तत्काल पहले की तारीख को खान अथवा संयंत्र में उत्पादनाधीन समस्त कोयला भी इसी में शामिल है। तद्नुसार, इन दोनों राष्ट्रीयकरण अधिनियमों की अनुसूचियों में निर्धारित राशियों में राष्ट्रीयकरण के समय खानों संयंत्रों में जो उस सीमा तक जहां तक अन्य मशीनी उपकरण भंडार आदि आते हैं, खान समूह के भाग माने जाते हैं, पड़े समूचे कोयले कोक भंडार का मूल्य शामिल है। कुछ

फर्मों ने न्यायालय में यह दावा किया कि राष्ट्रीयकरण के समय कोयला खानों में पड़े कोयले। कोक भंडार का मूल्य उनके खातों में जमा नहीं कराया गया और यह राशि उसके खातों में जमा कराई जाये और उन्हें उसकी अदायगी की जाए। कतिपय न्यायिक निर्णय किये गए हैं जिनके अनुसार खातों को दुबारा खोला जाएगा और कोयले के भंडार के लिए समुचित राशि जमा करायी जायेगी। इससे दोहरी अदायगी हो जायेगी क्योंकि कोयले। कोक का मूल्य इन अधिनियमों की अनुसूचियों में प्रत्येक कोयला खान। कोक भट्टी संयंत्र के लिये उल्लिखित राशि में शामिल किया जा चुका है। संसद की दशा को व्यापक रूप से स्पष्ट करने के उद्देश्य से कोककारी कोयला अधिनियम की धारा 10 और 11 तथा कोयला खान अधिनियम की धारा 8 को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि संदेहों को दूर किया जा सके और संसद की इस दशा को स्पष्ट किया जा सके कि संबंधित अधिनियमों की अनुसूचियों में निर्धारित राशि संबंधित अधिनियमों में "खान"। "कोक भट्टी संयंत्र" की पारिमासक में उल्लिखित कोयले। कोक के भंडार अथवा अन्य पारिसम्पतियों के बारे में मालिकों अदा की जाने वाली आयोजित राशि में हमेशा ही शामिल और शामिल की हुई मानी जायेगी।

(ख) कोयला खान के रूप में यह भी प्रस्ताव है कि कोककारी कोयला अधिनियम की धारा 22 में और कोयला खान अधिनियम की धारा 19 में उल्लिखित लेखाओं के विवरण के प्रयोजन और विषय सूची को स्पष्ट करते हुए उन धाराओं में संशोधन किया जाए। इन दोनों ही अधिनियमों वैधीकरण उपबंध जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

(ग) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन, अधिनियम 1976 के प्राप्ति हो जाने के बाद, गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा कोयले के खनन अथवा कोयला खानों को पट्टे पर लेने पर पूर्णतया प्रतिबंध लग गया है। इसके पश्चात्, देश में किसी गैर सरकारी पार्टी द्वारा कोयला खनन कार्य में लगे रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार से कोककारी कोयला अधिनियम की धारा 4 (2), और कोयला खान अधिनियम की धारा 3 (2) निरर्थक हो गई हैं और इन्हें हटाने का प्रस्ताव है, साथ ही साथ विद्यमान उपबंधों के अधीन की गई किसी कार्यवाही को संरक्षण देने के लिए भी एक खण्ड जोड़ने का प्रस्ताव है।

(घ) कोककारी कोयला अधिनियम में एक ऐसे ही उपबंध के आधार पर एक राजपारित अधिसूचना द्वारा कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम की अनुसूची में दी गई प्रविष्टयों में किसी त्रुटि छूट अथवा विसंगति को ठीक करने के लिए एक उपबंध जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

(ङ) कोककारी कोयला अधिनियम की धारा 21(5) और कोयला खान अधिनियम की धारा 18 (5) में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन करने, का प्रस्ताव है कि इन दोनों अधिनियमों की अनुसूची में उल्लिखित "राशि" पर मिले ब्याज का उपयोग इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार प्राप्त दावों को निपटाने में किया जाए।

[श्री बसन्त साठे]

(च) इन दोनों अधिनियमों की धारा 25 में संशोधन करके यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि कोयला कम्पनियों द्वारा तैयार किये गये लेखाओं के विवरणों में प्राप्तियों से अधिक अदायगी की राशि को केन्द्रीय सरकार अथवा कस्टोडियन द्वारा जैसा भी मामला हो, दी गई ग्रामीण राशि के रूप में माना जायेगा।

(छ) अब यह प्रस्ताव है कि इन दोनों अधिनियमों की धारा 26 को समुचित रूप से संशोधित किया जाये ताकि अदायगी आयुक्त को, उस राशि को जहां-जहां भी यह राशि इकट्ठी दिखाई गई है। नियत दिन से तत्काल पूर्व विगत तीन वर्षों के दौरान सम्बद्ध कोयला खानों में उच्चतम वार्षिक उत्पादन के आधार पर अलग-अलग मालिकों के बीच अलग-अलग करने का अधिकार प्राप्त हो जाये।

(ज) न्याय और समता के आधार पर अतिरिक्त प्रबंध अवधि पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की अदायगी करने के लिए उपबंध जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

यहां मैं कह सकता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में यह घोषणा की है कि हमें 12% की दर से ब्याज देना चाहिए।

(झ) इसलिए, दोनों ही अधिनियमों की कुछ धाराएं निरर्थक हो गई हैं। इन धाराओं को हटाने का प्रस्ताव है क्योंकि इनके जोड़ने का प्रयोजन पूरा हो गया है और उनका जारी रहना अब जरूरी नहीं रह गया है।

इन संशोधनों को उस तारीख से भूत लक्षी प्रभाव दिया जायेगा जो इन दोनों अधिनियमों के लागू होने की तारीख से पहले की तारीख नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा अक्तूबर, 1986 को प्रख्यापित कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन करती है।"

"कि कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अब श्री शोभनाद्रीश्वर राव बोलेंगे।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाडा) : सभापति महोदय, अभी-अभी मंत्री जी ने वे उद्देश्य बताये हैं जिनके लिए वह यह संशोधन अधिनियम लाये हैं जो पहले जारी किये अध्यादेश का स्थान लेने के लिए हैं। विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न संशोधन करने के वास्ते मंत्री जी द्वारा दिए गए कारणों के विस्तृत स्पष्टीकरण के पश्चात्, मैं इन सभी संशोधनों के बारे में वह सब कुछ नहीं दोहराऊंगा जो उन्होंने कहा है। परन्तु महोदय, मेरा कहना यह है कि मैं उनके द्वारा दिये गये तर्कों से संतुष्ट नहीं हूं, मुख्य रूप से खान की इस परिभाषा के संशोधन से।

महोदय, सबसे पहले मेरा यह कहना है कि कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुसंगी संस्थाओं के कार्यकरण ने भारत सरकार को ये संशोधन करने के लिए मजबूर कर दिया है।

पहले भी उपयुक्त अधिनियमों में 'खान' की परिभाषा में खान के मालिक का सारा कोयला या कोक शामिल था, चाहे वह खानों के राष्ट्रीयकरण की तारीख से तुरन्त पूर्व दिन स्टाक में हो या मार्ग में हो, और सारा कोयला जो खान में उत्पादनाधीन हो। तदनुसार, मुआवजा निर्धारित किया गया था। यह अनुसूची में उल्लिखित था और राशि दी गई थी। यही विधिक स्थिति थी, पहले अध्यादेश लाने के लिए और वर्तमान संशोधन विधेयक को लाने के लिए।

परन्तु समस्या यह है कि संबंधित प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय को इस बात से सहमत करने में असफल रहे हैं कि अनुसूची में उल्लिखित राशि में जो राशि कम्पनी या खान के मालिक को दी गई थी या देय है, खान में पड़ा हुआ कोयला शामिल है। अन्ततः उच्चतम न्यायालय ने खान के उस मालिक के तथा कोयला प्राधिकारियों के तर्कों को सुनने के बाद, जो न्यायालय में गया था। निर्णय दिया कि कोयला खान के मालिक को मुआवजा नहीं दिया गया, जब कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व खानों में पड़ा कोयले का स्टाक शामिल होना चाहिए था। यह मुख्यतः प्राधिकारियों की असफलता है कि वे इस बात का कोई विश्वसनीय प्रमाण और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके कि मुआवजे में वही पहलू भी शामिल था जिस पर उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टतः निर्णय दिया है और इसके कारण ही सरकार कोककारी कोयला अधिनियम की धारा 10 और 22 में तथा कोयला खान अधिनियम की धारा 8 और 10 में ये संशोधन लाई है। इस सबका मुख्य कारण यह है कि कोल इण्डिया लिमिटेड में तथा इसकी नियंत्रित कम्पनियों में वित्तीय प्रबंध तथा बजट प्रणाली कई कारणों से असंतोषजनक थी। कई हजार करोड़ रुपये इस क्षेत्र में लगाये गए। इससे 1200 करोड़ की संचित हानि हुई। मुख्य बात यह है कि लागत लेखे और वित्तीय लेखाओं को ठीक से एकीकृत तथा सम्मिलित नहीं किया गया था। लागत-नियंत्रण की कोई प्रभावी प्रक्रिया नहीं थी।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, 1984 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बारे में निम्नलिखित उदाहरण दिए गए हैं :

(1) 2.50 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि संबंधी कुल आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया जा

सका क्योंकि कंपनी इन आंकड़ों का ब्यौरा नहीं दे सकी और न ही वह कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपस्थित कर सकी ।

(2) राष्ट्रीयकरण के समय अर्जित स्थिर आस्तियों का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था ।

(3) ग्राहकों के 5.54 करोड़ रुपये के ऋण-शेष, जिसे कई वर्ष से अग्रेनीत किया जा रहा था कि वसूली के दस्तावेजी साक्ष्य तथा विवरण उपलब्ध नहीं थे ।

(4) खाता-बहियों का सम्मेलन संतोषजनक नहीं था ।

(5) अंतर-यूनिट लेखे सम्मिलित नहीं किये गए क्योंकि इनमें 45 लाख रुपये का ऋण-शेष बच गया था ।

(6) राष्ट्रीयकरण पर अर्जित आस्तियों का अ-स्ति-रिकार्ड नहीं रखा गया था, हालांकि राष्ट्रीयकरण के बाद खरीदी गई आस्तियों के आस्तियां रजिस्टर रखे गए थे परन्तु उन्हें पूर्ण जानकारी सहित अद्यतन नहीं किया गया था ।

भविष्य निधि की राशि को जमा करने में हुए विलम्ब के लिए कंपनी ने 2.20 करोड़ रुपये की आस्ति का भुगतान किया । कई कोयला संगठनों द्वारा करोड़ों रुपये का 'डेमरेज' दिया । यह तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में व्याप्त कुप्रशासन तथा अपकृत्य का अंशमात्र है । प्रतिवेदन में कोल इण्डिया लिमिटेड के बारे में बहुत रुचिकर बातें कर कही गई हैं । राष्ट्रीयकरण के बाद अर्जित अचल सम्पत्ति के हक विलेख उपलब्ध नहीं थे ।

आस्तियों या वस्तुओं के स्क्रेप के विक्रय तथा निपटान का रिकार्ड नहीं रखा गया । इसलिए, प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय के समक्ष सही स्थिति प्रस्तुत नहीं कर पाये। और अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए अब उन्होंने सरकार को यह संशोधन लाने की सलाह दी है । मैं तो यही समझता हूं कि बहरहाल, सरकार के इन तथ्यों को गंभीरता से देखना चाहिए और संगठन को व्यवस्थित करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। उसे कड़ी मेहनत करने वाले निष्ठावान व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए और भ्रष्ट तथा अकुशल व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिए । मेरे विचार में सरकार को चाहिए कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के अनुसार बेहतर नियंत्रण हेतु तथा बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए समनुषंगी कंपनियों को सुविधाजनक प्रशासनिक प्रभागों में बांटा जाना चाहिए । 1972-73 में कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के समय देश में कोयला उत्पादन 770 लाख टन था । उत्पादन लागत 47 रुपये प्रतिटन थी । माननीय मंत्री ने कहा है कि माननीय सदस्य कोल इण्डिया के कार्यकरण के बारे में अपने विचार व्यक्त न भी करें लेकिन हम इन संगठनों से संबंधित अधिनियम के बारे में एक महत्वपूर्ण संशोधन पर विचार कर रहे हैं । अतः हमें उन संगठनों से संबंधित सभी पहलुओं को देखना है । उस समय प्रति कर्मकार मजदूरी लगभग 16 रुपये प्रतिदिन थी । राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोयला क्षेत्र में

कुल पूंजी निवेश केवल 50 करोड़ रुपये था और कुल 5,50,000 कर्मकार नियोजित थे। राष्ट्रीयकरण के बाद के 13 वर्ष में 6000 करोड़ रुपये की विधि कोयला क्षेत्र में लगी हुई है। 1984-85 में उत्पादन 770 लाख टन से बढ़कर 1170 लाख टन हो गया जो लगभग दोगुना है। मजदूरी की दर बढ़कर प्रति व्यक्ति 98 रुपये प्रतिदिन हो गई या औसतन लगभग 2400 रु० प्रति माह हो गई। प्रति व्यक्ति पारी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। यह देश के लिए चिंता की बात है क्यों कि कोयले के उत्पादन पर हमारा सारा ऊर्जा कार्यक्रम निर्भर है और मंत्री महोदय स्थिति को सुधारने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। चीन में भी, कम आधुनिक उपकरणों के होते हुए भी ओ० एम० एस० दो टन है जबकि हमारे देश में यह नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लगभग .87 है। दूसरे देशों में, 1450 लाख टन कोयला उत्पादन के लिए, आस्ट्रेलिया में 30,000 व्यक्तियों की की आवश्यकता होता है। हमारी सिंगरेनी में वे 140 लाख टन का उत्पादन कर रहे हैं और वहां 1,80,000 व्यकित कार्य कर रहे हैं। अत. सरकार को इस सम्बन्ध में सोचना चाहिए और नियमों में संशोधन करना चाहिए ताकि जो लोग संगठन में स्थिति को सुधारने के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं उन्हें सभी संभव प्रोत्साहन दिये जा सकें, मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारी सिंगरेनी कोयला खान के प्रति कुछ भेदभाव किया गया है। अन्य सभी कोयला खानों के बारे में जब परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक हो तो वह मामला केन्द्रीय सरकार के सामने लाया जाता और केन्द्रीय सरकार निर्णय करती है। परन्तु सिंगरेनी कोयला खान के संबंध में यदि किसी परियोजना की लागत एक करोड़ रुपये से अधिक हो जाती है तो इसे केन्द्र सरकार के पास आना होता है। इसके परिणामस्वरूप बहुत विलम्ब होता है और महत्त्वपूर्ण निर्णय करने में कीमती समय नष्ट होता है। सिंगरेनी कोयला खान ऐसा संगठन है जो न केवल आंध्र प्रदेश को बल्कि पूर्ण दक्षिण भारत को कोयला सप्लाई करता है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार करें और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठायें कि सिंगरेनी कोयला खान के सम्बन्ध में भी तेजी से निर्णय किये जाएं और वहां की स्थिति में सुधार आ जाए।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ा दंड देने का उपबंध करना चाहिए जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और कोयला कम्पनी के कर्मचारियों को भयभीत करके अवैध रूप से खनन करते हैं। आपको ऐसे दादाओं थे की कहानियां ज्ञात हैं जो कुछ क्षेत्रों में राज कर रहे हैं। मैं विस्तार में न जाते हुए कहना चाहता हूं कि वहां कार्यरत कर्मचारियों को फिर से विश्वास दिलाना बहुत अनिवार्य है और उन दादाओं तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों को समाप्त करना है जो परिस्थितियों का फायदा उठा कर पैसा बनाते हैं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस संकल्प का विरोध तथा संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। तेलगु देशम के माननीय सदस्य ने लेखापरीक्षकों की प्रतिकूल टिप्पणियों में वर्णित लेखांकन प्रक्रियाओं में कमियों का उल्लेख किया है। मैं उनके कथन को गलत बताने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि एक बार मैंने देखा था कि आंकड़ों में फेर बदल किया गया

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

है और लेखापरीक्षकों ने भी देखा था कि जबकि कोक खानों तथा कोल इण्डिया को 70 करोड़ रु० की हानि हुई थी जबकि लेखाओं में 14 करोड रुपये का लाभ दिखाया गया था। इस प्रकार की हेराफेरी निश्चित रूप से हुई है और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस स्थिति पर ध्यान देंगे।

जहां तक इस अध्यादेश का संबंध है एक बात कही गई थी कि इतने वर्षों के बाद क्यों लाया गया है। माननीय मंत्री ने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय, जिसके अनुसार स्टाक में उपलब्ध कोयले, मार्गस्थ कोयले तथा उत्पनाधीन कोयले की कीमत को ध्यान में रखना होता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कुछ खानों में विद्यमान कोयला नियत दिन से पूर्व या तुरन्त पूर्व बेचा गया होता तो मालिकों को कीमतें दे दी गई होतीं। इसलिए मालिक स्ट्रेक खानों में कोयले के मूल्य के, प्रबंध का खर्च, जिसे एक अध्यादेश के द्वारा हाथ में लिया गया था, का हकदार था। इस स्थिति में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।

5.00 म० प०

जब सरकार ने कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया था तब हर्जाने के रूप में उन्होंने कुछ मूल्य निश्चित किया था। हर्जाने एवं बिक्री के बीच एक अन्तर होना ही चाहिए। हम कोयला खानों को नहीं खरीद रहे हैं। हम उनका राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं एवं प्रचलित हर्जाने का धन हमको देना है। कोयला भंडार, मार्गस्थ कोयला, उत्पादित होने वाला कोयला एवं सभी की कीमतों का हमने ध्यान रखा है। लेकिन यह बात भुला दी गई है कि अनेक कोयला खान मालिक कदाचार, जानलेवा खनन आदि में लिप्त पाये गये हैं। और इसलिए हर्जाने का पैसा नियत करते समय यह विक्रय मूल्य से निश्चित रूप से कम होना था। इसलिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने सरकार के लिए एक प्रकार की कठिनाई उत्पन्न कर दी है। और जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह संशोधनकारी विधेय केवल सन्देहों, यदि कोई हों, जोकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हो गए हैं को दूर करने के लिए लाया गया है।

माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि कोयले के सम्बन्ध में जब कभी कोई मामला आता है तब हम हम कोयला खनन के सम्पूर्ण पहलुओं पर चर्चा प्रारम्भ कर देते हैं मैं उनसे अपनी यह बात सुनने का अनुरोध करता हूं कि जब कभी इस प्रकार का संशोधन आता है यह हमें सरकार के समक्ष विचार के लिए कुछ सुझाव देने के अवसर प्रदान करता है। मैं पूरी तरह से अवगत हूं कि कोयला उद्योग की कठिनाइयों से सरकार पूरी तरह अवगत है। जैसाकि मन्त्री महोदय ने कहा है कि राष्ट्रीयकरण के समय कोयला उद्योग में 50 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश था और अब यह 5000 करोड़ रुपये हो गया है। फिर भी उत्पादन लागत बढ़ ही रही है और कोयले की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद कोयला उद्योग को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसा क्यों है ? ऐसा कम

उत्पादकता एवं अधिक कामगरों के कारण है। राष्ट्रीयकरण के समय सरकार को कामगरों की संख्या बढ़ा-चढ़ा कर दी गयी थी और उन आकड़ों की जांच करने का कोई समय नहीं था। उस समय सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था और सरकार को सौंपे गये सम्पूर्ण कामगरों के साथ-साथ उन्होंने सम्पूर्ण कोयला उद्योग को यथावत ले लिया था। अब यह पाया गया है कि कामगरों के आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर दिए गए हैं आपने अनुपस्थिति के विषय में, फर्जी कामगरों और माफिया के विषय में सुना होगा जिसके विषय में माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है।

वह इन फर्जी कामगरों का पैसा ले लेते हैं। श्री गुजराल, जो कि कोल इण्डिया के चेयरमैन ने कुछ अनुशासन लाने का प्रयास किया था। जहां कहीं उन्होंने किसी की अनुपस्थिति तथा उसका वेतन काटा गया और यदि वह सात दिनों तक अनुपस्थित रहा तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। राष्ट्रीयकरण के समय कामगरों की संख्या 05 लाख थी और अब यह सात लाख है। लेकिन उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि आस्ट्रेलिया में कामगरों की संख्या 30,000 है, पूंजी निवेश बराबर है और उनकी उत्पादकता अधिक है। कामगरों की कम उत्पादकता और अधिक कामगरों की संख्या तथा उनसे कैसे छुटकारा मिले, इस विषय में मन्त्री महोदय काफी चिन्तित हैं। एक सेमिनार का उद्घाटन करते समय कोल इण्डिया के चेयरमैन ने आत्मतोष व्यक्त करते हुए कहा था कि :·3% की उत्पादन दर से 15 वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादन को दो गुना कर दिया गया है। लेकिन कम उत्पादकता के विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने केवल कहा है कि इस तथ्य के बावजूद कि हमारे पास कामगरों की संख्या अधिक है, हमारे पास प्रशिक्षित कामगर और तकनीशियन जो कि बड़ी-बड़ी मशीनों और आधुनिक उपकरणों को चला सके, नहीं हैं। यह उन्होंने कहा है। माननीय मन्त्री महोदय से मैं इस स्थिति पर ध्यान देने का आग्रह करूंगा और वह सदन को आश्वस्त करें कि उन लोगों को प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है क्योंकि और अधिक तकनीकी व्यक्तियों को हम रोजगार पर नहीं लगा सकते हैं। हमने पहले ही अधिक संख्या में लोगों को वहां लगा रखा है। हमें इन कामगरों की सेवा के दौरान प्रशिक्षण सुविधायें देनी पड़ेंगी जिससे कि वे अत्याधुनिक उपकरणों को चलाने के काबिल हो सकें। एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति नियुक्त की गई है जो कि प्रत्येक पहलू से कोयला उद्योग की समस्त समस्याओं की जांच करेगी वहां अनुपस्थिति की प्रवृत्ति किस सीमा तक व्याप्त है, कदाचार किस सीमा तक व्याप्त है तथा लागत के प्रति सजगता बढ़ानी है और कामगरों के प्रशिक्षण एवं उनकी कार्यकुशलता सुधारने के उपाय सुझाएगी जिससे कि वे इन अत्याधुनिक उपकरणों को चलाने के काबिल हो सकें।

5·05 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

एक माननीय सदस्य पहले ही कम उत्पादकता के विषय में बोल चुके हैं। उन्होंने कहा है

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

कि प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम है। मन्त्री जी ने कहा है कि यदि हम प्रति व्यक्ति उत्पादन को केवल दो गुना कर दें तो उत्पादन लागत 210 रु० प्रति टन से 100 रु० प्रतिटन कम हो जाएगी। ऐसी कौन सी अड़चन है जो कि इसको सुधारने में आड़े आ रही है। मन्त्री महोदय से यह सभा यह जानने को उत्सुक है स्थिति को सुधारने में उनके रास्ते में कौसे सी अड़चनें हैं। हमारी उत्पादकता में सुधार क्यों नहीं हो रहा है ? कुल उत्पादन में खुले मुंह वाली खानों का हिस्सा 55 प्रतिशत है और शताब्दी के अन्त तक 65 प्रतिशत तक होने की सम्भावना है। इसी वजह से हमें गुणवत्ता के बारे में सभी तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जब तक हम केवल खुले मुंह वाली खानों पर निर्भर हैं तब तक गुणवत्ता नहीं होगी और इसी कारण भारतीय इस्पात प्राधिकरण बाहर से—आस्ट्रेलिया और कनाडा,—कोकिंग कोयले के आयात पर निर्भर है। सरकार ने उनको पांच लाख टन के सीमित निवेश की अनुमति दी है लेकिन अब उन्होंने उसे 350 करोड़ रुपये की कीमत का 35 लाख टन तक बढ़ा दिया है। वह विदेशी मुद्रा का निर्गमन होगा। आज इस्पात खानों में उत्पादन का लक्ष्य 90 लाख टन है, कल यह 250 लाख टन होगा। क्या हम केवल आयात पर ही निर्भर रहेंगे या अपनी गुणवत्ता भी सुधारने जा रहे हैं ? इसलिए मेरा सुझाव होगा कि हमें भूमिगत खानों पर भी निर्भर रहना चाहिए। हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण हैं और इसलिए हमें भूमिगत खानों को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा केवल खुले मुंह वाली खानों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए क्योंकि अन्यथा हमें आवश्यक गुणवत्ता प्राप्त नहीं होगी। यहां तक कि आस्ट्रेलिया और अन्य स्थानों पर वे भूमिगत खानों पर निर्भर है और इसी कारण उनकी गुणवत्ता अधिक है। अत: मुहानों पर हमें धोवन शालाएं स्थापित करनी है जिससे कि 45 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की राख वाले कोयले को धोया जा सके और गुणवत्ता में सुधार हो सके। वहां कोयले को मिलाया भी जा सकता है। आयात को कम करने के लिए हमें कुछ करना ही चाहिए। लम्बी अवधि तक कोकिंग कोयले के आयात पर निर्भर नहीं रह सकते हैं।

उद्योग के इस पहलू पर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उनके लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मैं जानता हूं कि वह कोयला उद्योग की बीमारी के विषय में तथा उद्योग ने जो घाटा उठाया है, उसके विषय में चिन्तित हैं और वह यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी उत्पादकता बहुत कम है। अध्यक्ष ने कहा है कि 5 3% की विकास दर से हम लोग पोलैंड से आगे निकल जायेंगे और चौथे स्थान के लिए आस्ट्रेलिया के साथ प्रतिस्पर्द्धा करेंगे। लेकिन श्रोताओं को वह गुणवत्ता के विषय में बताना भूल गये। हमारी गुणवत्ता क्या है ? ज्यादा उत्पादन से कुछ नहीं होगा। हमें इसके गुणवत्ता के पहलू पर भी विचार करना होगा।

हमें आयात पर निर्भर नहीं रहना है। हम आयात को कैसे कम करें ? इस पहलू की ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उत्पादन के आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है मैं समझता हूं कि उनमें से एक जिम्मेदार आदमी को दंडित किया गया है। बनावटी आंकड़े या उत्पादन के अधिक आंकड़ों को रोकने के लिए कुछ प्रभावशाली कदम उठाने पड़ेंगे। इसको हतोत्साहित किया जाना चाहिए और उन लोगों के विरुद्ध, जो कि इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त रहते हैं, दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधि (संशोधन) विधेयक, जो कि सदन में प्रस्तुत किया गया है का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने जो कोल माइन्स नेशनलाइजेशन लाज (ओंडमेण्ट) बिल, 1986 इस सदन में रखा है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह बात पूरा बिल पढ़ने के बाद में भी मेरी समझ में नहीं आई। एट दि टाइम आफ नेशनलाइजेशन सही प्रावधान कर दिया गया था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को सरकार के खिलाफ जाने का क्या कारण हो सकता है? मैं तो समझता हूं सिर्फ यह कारण हो सकता है कि आपके जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से तरीके से प्लीड नहीं किया, उन्होंने प्लान ठीक से तैयार नहीं किया। माननीय मंत्री जी, खुद बहुत बड़े वकील हैं, यह चीज उनकी नजर में कैसे नहीं आई, परन्तु यह जजमेंट जब सरकार के खिलाफ गया, तो उसके खिलाफ सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए मान्यवर, इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से इतना ही कहूंगा कि इसमें काफी कुछ सुधारने की जरूरत है।

सभापति महोदय, हमने चेयरमैन की स्पीच भी देखी, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं और आगे 1989-90 तक का टारगेट 240-41 मिलियन टन का रखा है और इस शताब्दी के अन्त तक 375-400 मिलियन टन उत्पादन का टारगेट है, यह हमारे लिए खुशी की बात है, परन्तु जरूरत इस बात की है कि आपकी जो कार्यपद्धति चल रही है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। जो कार्य-पद्धति अभी है उसको देखते हुए यह जरूर लगता है कि आपको घाटा होगा और आप जनता पर 50 या 100 रु० इसमें जरूर बढ़ायेंगे। इसलिए आप भारतीय जनता को आश्वासन दें कि अब हम अपना कारोबार सुधारेंगे और रेट नहीं बढ़ाएंगे।

सभापति महोदय, हमारा आफिसर्स के प्रति जो अनुभव है, वह ठीक नहीं है क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन पालिसी आपकी चलती है, वह क्या है, यह आज तक भी हमारी समझ में नहीं आई। सभापति महोदय, हमारे गांव के एक सरपंच मेरे पास आए—उन्होंने कहा कि हमारे यहां जंगल में लकड़ी बहुत कटती है, इल्लीगल फेलिंग बहुत होती है, अगर आप हमें सुविधा दिलवा दें, तो हम

[श्री बनवारी लाल पुरोहित]

दस गांव के लोग इल्लीगल फेलिंग रोक कर आपस में उस लकड़ी को बेचने के लिए एक कोआपरेटिव फार्म कर लेंगे।

सभापति महोदय, मैंने पांच लेटर लिखे दस पंच मेरे एरिया के एक कोयले का डिपो मांगते थे पचास गांवों के लिए। मैंने मन्त्री जी तक को लिखा। पहले चेयरमैन को लिखा, फिर दूसरे को लिखा और जब उनकी रिकमेंडेशन आई तब तीसरे को लिखा लेकिन उन लोगों को 20-25 टन कोयला नहीं मिल पाया और आज भी वे जंगल की लकड़ी उसी तरह से काट रहे हैं। परन्तु दूसरों को सैकड़ों टन कोयला दे दिया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि किसको डिस्क्रीशनरी पावर्स हैं और कैसे वे अपने डिस्क्रीशन को यूज करते हैं? हमारे मन को तो डाउट होता है कि इसमें भ्रष्टाचार होता है, नीचे के अधिकारियों को जो लोग पैसा दे देते हैं उनका काम हो जाता है लेकिन दूसरी तरफ जो जेन्यूइन कस्टमर्स हैं उनका काम कभी नहीं होता है। इसलिए मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि इस बारे में वे कोई फूल-प्रूफ सिस्टम निकालें जिससे कि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही न रह जाये।

कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाने के सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव यह है कि हमारे विदर्भ के इलाके में कोयले के छोटे-छोटे डिपाजिट्स हैं उनको निकालने के लिए कदम उठाए जाएं। मैंने इस सम्बन्ध में कई अधिकारियों से भी बातचीत की है परन्तु अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यदि वहां पर कोयला निकालने का काम शुरू कर दिया जाए तो आसपास के गांवों के लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

आज लेबर फोर्स में इनडिसिप्लिन बहुत बढ़ रहा है। आपके आफिसेज में मैं देखता हूं आपके अधिकारी डरे-डरे तथा सहमे-सहमे से लगते हैं और फील्ड में काम करने वाले अधिकारी की तो यह हिम्मत ही नहीं है कि वहां पर मजदूर वर्ग गुण्डागर्दी; बदमाशी कुछ भी करे उसको वह कोई चार्जशीट दे सके या उसको नौकरी से निकाल सकें। इस प्रकार की वस्तुस्थिति हो गई है कि अधिकारियों पर कातिलाना हमला किए गए हैं, उनको बे-आबरू किया गया है, उनकी इज्जत लूटी गई है लेकिन फिर भी सरकार अपने अधिकारियों को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाई। यह तो कमजोरी है। सरकार को इसकी तरफ तुरन्त ध्यान देना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनायें दोबारा न होने पायें। मेरे इलाके में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जो कि अखबारों में भी निकली हैं। इसकी ओर तुरन्त सरकार का ध्यान जाना चाहिए ताकि आफिसर्स का मॉरल बढ़ सके।

मैंने पहली मीटिंग में भी एक सुझाव दिया था कि जो इल्लीगल माइनिनिंग हो रही है उसको रोकने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरह से एक फोर्स का गठन किया जाए। आज रेलवे में कोई नट-बोल्ट भी चोरी होता है तो यह फोर्स घरों से ढूंढ़कर निकाल लाती है और उसको सजा

दिलाती है। उसी आधार पर यदि आप यहां पर भी प्रोटेक्शन फोर्स का गठन करेंगे तभी इन माफिया एक्टविटीज को रोकने में समर्थ हो सकेंगे, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। अधिकारियों को तभी प्रोटेक्शन मिल पाएगी। मेरा आपको विशेष सुझाव है कि इस बारे में आप अवश्य कोई न कोई एक्शन लें।

अब मैं आपका थोड़ा-सा ध्यान परचेज डिपार्टमेंट की ओर दिलाना चाहूंगा। वहां का काम ठीक नहीं चल रहा है। मेरे पास प्रूफ तो नहीं है लेकिन जानकारी है जिसका लाभ आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। परचेज कमेटी में बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहां पर अपनी मर्जी से जो कम्पोमेन्ट्स खरीदे जाते हैं उनमें बिना परसेन्टेज लिए खरीदा ही नहीं जाता है। इसके लिए भी आप कोई फूलप्रूफ कमेटी बनाकर काम करें।

मैनेजमेंट में लेबर पार्टिसिपेशन के सम्बन्ध में, जो कि मंत्री जी का स्वयं का सुझाव है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि जो रीयल लेबर है, खून-पसीना एक करने वाला है उसी का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए वरना अगर कहीं माफिया गैंग के लोग उसमें बैठ गए जो मजे कर रहे हैं, तेल मालिश करवा कर मोटे हो रहे हैं, तो काम और भी ठप हो जाएगा, सारा काम गड़बड़ हो जाएगा।

आप कोई ऐसा मैथड निकालिए कि उसमें रीयल वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसमें यदि माइन में काम करने वाले, खून-पसीना एक करने वाले, काले कपड़े करने वाले को रिप्रजेंटेशन मिले तो प्रोडक्शन बढ़ेगा।

आखिर में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मिनिमम वेजेज तो आप देते हैं, लेकिन यदि प्रोडक्शन वर्कर्स बढ़ाते हैं तो जितना अधिक प्रोडक्शन बढ़े उस पर इन्सेंटिव दीजिए, जिससे आपका प्रोडक्शन डबल हो जाए। यदि यह प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो मजदूर के मन में प्रोडक्शन को बढ़ाने की इच्छा बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। इतना ही निवेदन मुझे आपसे करना है।

[अनुवाद]

* श्री आर० अन्बारसु (पोल्लाची) : सभापति महोदय आल इण्डिया, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से मैं कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 में और संशोधन करने का समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

महोदय, कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सरकार के कार्य का भी मैं स्वागत करता हूं। साथ ही श्री टंडन को इस कम्पनी का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने की मैं प्रशंसा करता हूं। वह

* तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री आर० अण्णानम्बी]

एक अच्छे और सक्षम प्रशासक है। तमिलनाडु में जब वह नेवेली लिग्नाइट निगम के प्रमुख थे तब उन्होंने अनेक कार्य किये थे और निगम अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, निगम के हजारों कर्मचारियों की कठिनाइयों को भी वह समझते थे और उन्होंने उनको आवास, अस्पताल सुविधायें, विद्यालय, खेल के मैदान और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने में मदद की थी और कर्मचारी अत्यधिक प्रसन्न हैं।

नेवेली में निगम और कर्मचारियों के बीच बहुत अच्छी समझदारी एवं मधुर सम्बध थे और इस स्थिति से दोनों पक्ष प्रसन्न थे और मैं चाहता हूँ कि यह स्थिति सदैव बनी रहे। महोदय, सरकार नेवेली में श्री टंडन जैसे व्यक्ति को निगम का प्रमुख बनाया था और श्री टण्डन को पूरी कम्पनी का प्रमुख नियुक्त करने के सरकार के कार्य की प्रशंसा करता हूं। इसी तरह से सरकार को श्री टण्डन, जी कि बहुत बुद्धिमान और कुशल प्रशासक है, जैसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जिसके कि उनको अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो कि घाटे में चल रहे है, का कार्य-भार दिया जा सके। ऐसा करने से उत्पादन एवं उत्पादकता में अत्यधिक सुधार होगा और प्रत्येक क्षेत्र में देश आगे बढ़ेगा।

इसके अलावा श्रमिकों में उद्योगों के बीच हमेशा सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए।

तत्पश्चात्, महोदय, विभिन्न कारणों से अनावश्यक व्यय और कई स्तरों पर हो रहे भ्रष्टाचार को भी पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिए। श्री टण्डन लगभग 78 करोड़ रुपये बचाने में समर्थ हुए हैं। एक जो कदम को उठाया गया है वह वित्त सलाहकार के पद को अस्थायी रूप से वापिस लेना है। मैं सरकार की इस कारंवाही का स्वागत करता हूं। इस समय कोयला उद्योग का घाटा 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मैं समझता हूं कि सभा में सभी सदस्य श्री टण्डन की इस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्ति की प्रशंसा करेंगे। इस उद्योग में लगभग 6 लाख 30 हजार लोग कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि श्री टण्डन इन श्रमिकों का ख्याल रखेंगे। मैं श्री टण्डन के लगभग 24 अधिकारियों को सेवाओं में बनाये रखने के निर्णय की भी प्रशंसा करता हूं जो निजी के अंतर्गत विभिन्न कोयला कम्पनियों में सलाहकार थे।

मूल्य ढांचे के बारे में बोलते हुए मैं बताना चाहूँगा कि कोयले की कीमत में इस समय 14.75% तक की वृद्धि हुई है। कोयले की दर में इतनी अधिक वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में रह-रहे किसानों और अन्य गरीब लोगों को प्रभावित करेगी। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह यह देखें कि कोयले की कीमतों में कमी की जाये ताकि गरीब लोग और छोटे किसान इससे प्रभावित न हों। सिरेनी कोयला खान में कोयले की लागत में वृद्धि की दर 14.06% है और इस्पात-उद्योग में

इस्पात के मूल्य में वृद्धि की दर 17.5% हैं और वृद्धि की इन दरों से विद्युत की लागत की दर में भी वृद्धि हुई है। इस संबंध में तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर थर्मल पावर केन्द्रों की स्थापना के लिए 3 प्रस्ताव पेश किये हैं। इस सन्दर्भ में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री एम० जी० राम चन्द्रन ने माननीय प्रधानमंत्री से पहले ही बातचीत कर ली है। मैं माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वे सोवियत संघ के नेता महामहिम श्री मिखाईल गोर्बाचोव जो कल हमारे देश का दौरा कर रहे हैं, के स्वागत भाषण में तमिलनाडु के इन तापीय विद्युत केन्द्रों का भी उल्लेख करें। यदि इन तीन तापीय विद्युत केन्द्रों की, जिनकी प्रत्येक की क्षमता 210 मेगावाट हैं, सोवियत संघ की मदद से तमिलनाडु में स्थापना की जाती है तो तमिलनाडु की जनता केन्द्र के प्रति अत्यन्त आभारी रहेगी।

महोदय, तूतिकोरिन तापीय विद्युत केन्द्र में इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले में 40% राख की मात्रा है, अतः प्लांट में खराबी हुए बिना बिजली उत्पादन में कठिनाई आ रही है और पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री श्री वसंत साठे जी को स्मरण कराना चाहता हूं कि आस्ट्रेलिया के कोयले में बहुत कम राख की मात्रा है, अतः केन्द्र को इस उद्देश्य के लिए आस्ट्रेलिया के कोयले का और अधिक आयात करने की अनुमति देनी चाहिए। इसके अलावा सरकार को विभिन्न स्थानों पर हो रही कोयले की हानि को भी बन्द कर देना चाहिए।

महोदय, सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कोयला खानों में श्रमिकों को खतरनाक स्थिति में रखा जा रहा है क्योंकि वहां पर सुरक्षा के नाम पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में अक्सर वहां पर घटनायें घटती रहती हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि विभिन्न कोयला खानों में कार्य कर रहे इन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाये। मैं आशा करता हूं कि माननीय श्री वसंत साठे, जो उनके वश में हैं, उन सभी आवश्यक कदमों को उठायेंगे ताकि श्रमिक समुदाय को लाभ मिल सके और इस तरह देश के आर्थिक विकास में तीव्रता लाई जा सके।

[हिन्दी[

श्री गिरिधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं कोल माइन्स नेशनेलाइजेशन लाज (एमेंडमेंट) बिल, 1986 का समर्थन करता हूं।

मन्त्री महोदय ने "एम्स एण्ड ओबजेक्शन्स के सम्बन्ध में जो विवरण दिया है, उसमें इन्होंने दो प्वाइन्ट्स को बताया है और इन दो प्वाइन्ट्स पर यह बिल लाया गया है :

[अनुवाद]

"तदनुसार, दो अधिनियमों की अनुसूचियों में बताई गई धनराशि में राष्ट्रीयकरण के समय खानों के भण्डार में पड़े कोक और कोयले का मूल्य भी शामिल है। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने,

[श्री गिरिधारी लाल व्यास]

हाल में एक मामले में इस तर्क पर सहमति व्यक्त करते हुए, कि राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप खान में पड़ा कोक और कोयले का भंडार सरकार की सम्पत्ति बन जाता है, अपना विचार व्यक्त किया कि राष्ट्रीयकरण की तिथि से एक दम पहले की तिथि को खातों की स्थिति में संतुलन बनाये रखने के लिए कोक और कोयले के भंडार के मूल्य को भी हिसाब-किताब में लिया जाना चाहिए था।"

[हिन्दी]

यह एक प्वाइन्ट दिया है, जिसके संबंध में यह बिल लाया गया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो बिल लाए, चाहे 1972 में लाए 1973 में लाए हों या 1976 में लाए हों, क्या आपको इस व्यवस्था के बारे में उस वक्त कोई जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से आपने उस वक्त इसको इन्क्लूड नहीं किया था और जिसकी वजह से कोलमाइन्स ओनर्स को सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके व्यू को, जो माइन्स-ओनर्स ने वहां पर रखा था, उसको लागू करने की व्यवस्था दी। इस बात पर पहले से ही आपको और आपके अधिकारियों को विचार करना चाहिये था कि यह प्रश्न निश्चित तरीके से हमारे सामने आयेगा और इस पर कुछ-न-कुछ निर्णय लिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर जो भी कानून बनता है, वह इसी प्रकार से बनता है। हर कानून में कोई न कोई लेकूना रहता है, जिसका फायदा बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिलता है और यह जानबूझ कर रखा जाता है हमारी ब्योरीक्रेसी की तरफ से। हमारा ब्योरोक्रेटिक सेट-अप इस प्रकार का है कि वह इन बड़े-बड़े पूंजीपतियों से मिला हुआ है। रिटायरमेंट के बाद आप देखेंगे कि जितने बड़े-बड़े ब्योरोक्रेट्स हैं, वे प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अन्दर नौकरी पाते हैं। पहले उनको ओबलाइज करते हैं और उसके बाद अच्छी-अच्छी नौकरियां उनसे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के बिल में जो खामियां रखी जाती हैं, वे जानबूझ कर रखी जाती हैं और उसका फायदा इन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को मिलता है और मिल रहा है। करोड़ों, अरबों रुपया सरकार का इस प्रकार के कानूनी लेकूनाज की वजह से इन प्राइवेट इंडस्ट्री वालों को देना पड़ता है। मंत्री महोदय, अब आप यह कानून ले आये हैं और इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट देने की बात आपने की है। हमारी व्यवस्था है, उसमें जो लम्बे अर्से तक कानूनी मुद्दों पर लड़ना होगा और उसमें कितना पैसा खर्च होगा और कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, इसके संबंध में कभी आप ने सोचा है। ये प्रश्न ऐसे हैं, जिन पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल भी जारी रख सकते हैं।

———

5.30 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

"नैल्को" द्वारा परीक्षण उत्पादन

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ होती है। श्री के० पी० सिंह देव बोलेंगे।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेकानाल) : सभापति महोदय, यह आधे घंटे की चर्चा अतारांकित प्रश्न संख्या 832 और माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए इसके उत्तर से उत्पन्न हुई है कि "नैल्को" वर्ष 1987 के आरम्भ में परीक्षण उत्पादन करेगा और एल्यूमीना और एल्यूमीनियम के लिए क्रमश: 70000 और 8000 टन लक्ष्य निर्धारित किया गया है महोदय, यह ऐसी परियोजना है जिसे "नैल्को" ने 'फ्लैग' (एफ० एल० ए० जी०) परियोजना कहा है यहां मैं स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता के कारण आठवें दशक के प्रारम्भ में यह निर्णय लिया कि एक बिलियन प्रमाणित बाक्साईट भंडार को जो कि बेकार पड़ा हुआ है, निर्यात करने के लिए और एल्यूमिनियम की खपत बढ़ाने की दृष्टि से आर्थिक विकास और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास, के लिए काम में लाया जाये। वर्ष 1980 में जिस समय यह विचार आया तो उस समय हमारे देश में एल्यूमीनियम की खपत प्रति व्यक्ति 3 किलोग्राम थी जबकि विकसित देशों में यह खपत प्रति व्यक्ति 12 से 18 कि० ग्रा० थी। एल्यूमीनियम सामरिक महत्व की सामग्री होने के कारण आज की आधुनिक प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग और आधुनिक 'सोफ्टवेअर' और 'हार्डवेअर' के रूप में जहां यह अपने विभिन्न रासायनिक और भौतिक तत्वों के कारण लोह, इस्पात, लकड़ी और अन्य मिश्रों (एलॉयज) का विकल्प हैं, महत्वपूर्ण हैं। पूर्णतया विचार करने के पश्चात् एल्यूमीनियम का उत्पादन और एल्यूमीना के निर्यात का निर्णय सरकार द्वारा किया गया था।

यह पथ प्रदर्शन का काम करने वाला एक इंडो-फ्रेंच प्रोजेक्ट है और यह एशिया में अपनी किस्म का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। यह केवल बहुआयामी ही नहीं है अपितु यह एक समेकित और बहुस्थानीय प्रोजेक्ट भी है। एल्यूमीना का एक छोटा संयंत्र है। एक एल्यूमीनियम का संयंत्र और एक पॉट है। एल्यूमीनियम संयंत्र के पास एक रक्षित विद्युत केन्द्र है। जहां तक एल्यूमीनियम का संबंध है कच्ची धातु, अर्थात्, बाक्साइट के अलावा, विद्युत भी एक कच्चा माल है।

एक टन एल्यूमीनियम उत्पादन के लिए लगभग 15000 से 18000 किलोवाट विद्युत की जरूरत होती है। अत: एल्यूमीना को 'पॉट' प्रौद्योगिकी से निकलना होगा और अगुल में जो प्रगालक (स्मेल्टर) है उसमें 480 'पॉट' होंगी। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है कि क्या सभी 480 'पॉट्स' का मार्च में अथवा 1987 के आरम्भ में परीक्षण उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जायेगा अथवा उनमें से थोड़े 'पॉट्स' का इस्तेमाल किया

[श्री के० पी० सिंह देव]

जायेगा। क्योंकि माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार सम्पूर्ण उत्पादन केवल 1988 में होगा। मैं यह भी विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता हूं कि क्या 72000 टन एल्यूमीनिय दामन जोरी में होगा अथवा एल्यूमीनियम उच्चतापसह से अथवा खुले बाजार से। जहां तक मैं समझता हूं 'बाल्को' बी० ए० एल० सी० ओ० को, जो सरकार का दूसरा प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के द्वारा की गई 50 प्रतिशत की कटौती के कारण काफी हानि उठानी पड़ी है।

महोदय, गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रोजेक्ट 'इन्डालको' (आई० एन०डी०ए० एल० सी० ओ०), ('हिन्डालको' (एच० आई० एन० डी० ए० एल० सी० ओ०) और 'माल्को' (एम० ए० एल० सी० ओ०) ने मूल्य में संशोधन होने के कारण भारी मात्रा में लाभ दिखाया है जबकि हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम 331 करोड़ रुपये से भी अधिक की संचित हानि दिखा रहे हैं। गत वर्ष 'बाल्को' (बी० ए० एल० सी० ओ०) की हानि 77 करोड़ रुपये थी। मैं 'बाल्को' के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैंने इसका उल्लेख क्यों किया इसका कारण यह है कि मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता है ताकि हम विगत से सबक ले सकें और न केवल इस सामरिक महत्व की सामग्री की आवश्यकता के कारण अपितु हमारी नियोजन प्रक्रिया में "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका के कारण, विशेषकर जहां सातवीं योजना के दौरान इसके लिए अधिक धनराशि आवंटित की गई है, सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

अत: राजस्व की उत्पत्ति के लिए जवाबदेही, लाभप्रदता और उत्तरदायित्वता तथा राष्ट्रीय आर्थिक विकास योजना में सहयोग देने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजकोष को भी नजर अन्दाज नहीं किया जाना चाहिए।

देश में एल्यूमीनियम उत्पादन की 3.4 लाख टन की अधिष्ठापित क्षमता में हम 2.2 लाख टन की ओर बढ़ोत्तरी करना चाहते हैं, अर्थात् यदि जब 'नैल्को' पूर्णरूप से कार्य करना आरम्भ कर दे। अत: 425,000 टन एल्यूमीना से हम यह उत्पादन कर पायेंगे और बाकी के 375,000 टन, जिसका हम निर्यात करना चाहते हैं, और यदि उसका मूल्य आंका जाए तो 200 डालर प्रति टन के हिसाब से यह लगभग 75 मिलियन डालर बैठेगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बारे में जानना चाहता हूं। 'नैल्को' की मूल समय सूची के अनुसार अर्थात् जब से इसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी, 1981 से इसने अपना कार्य आरंभ कर दिया था—तब से लागत में 1100 करोड़ रुपये की, अर्थात्, 1980 के मूल्य पर 1,242 करोड़ रुपये से लेकर 1985 के मूल्य पर 2,408 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। मैं नहीं समझता कि 1988-89 तक जब यह पूरी तरह चालू हो जाएगी इसकी लागत कितनी होगी। मैं यह भी जानना चाहूंगा जबकि अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन लागत लगभग 14,500 प्रति मीटरी टन एल्यूमीनियम है और हमारे देश में यह 23,000 प्रति मीटरी टन एल्यूमीनियम है तो एल्यूमीनियम की उत्पादन लागत क्या होगी जब इसका उत्पादन 'नैल्को' द्वारा किया जाएगा और घरेलू उत्पादन लागत तथा अन्तर्राष्ट्रीय

उत्पादन लागत के साथ इसकी तुलना कैसे की जाएगी क्योंकि अखबारों में परस्पर विरोधी और विरोधाभासी समाचार लिखें हैं और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री हमें विश्वास दिलाएं कि आठवीं योजना के अन्त में हमारे पास 135,000 मीटरी टन एल्यूमीनियम फालतू होगा और कोई कहता है कि सातवीं योजना के मध्य हमारे पास एल्यूमीनियम की कमी पड़ जाएगी, और इसीलिए गत सात वर्षों से एल्यूमीनियम का आयात बढ़ता जा रहा है। जो 1977-78 में 9000 मीटरी टन जिसका मूल्य 10 करोड़ रुपये था से बढ़कर 1980-81 में 120,000 मीटनी टन हो गया जिसका मूल्य 180 करोड़ था और बढ़कर 1985-86 में 25,000 मीटरी टन, जिसका मूल्य 35 करोड़ रुपये था, हो गया तथा चालू वर्ष में जो 50,000 मीटरी टन हो जाएगा जिसका मूल्य 70 करोड़ रुपये होगा। मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री हमें यह विश्वास दिलाएं और हमें बताएं कि यदि हमारे पास एल्यूमीनियम की अधिकता है और हम इसका निर्यात करना चाहते हैं क्योंकि इसका अर्थ यह भी होगा कि हम ऊर्जा का निर्यात करेंगे और यदि कमी है तो इसका आयात करना पड़ेगा तो देश को इस ओर कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी क्योंकि नैल्को परियोजना के प्रारम्भ होने में आज की स्थिति को देखकर एक वर्ष से अधिक का विलम्ब होने की संभावना है। हम नहीं समझते कि यह 1988-89 तक प्रारम्भ हो जाएगी क्योंकि जिस प्रकार से इसे पूरा करने का कार्य चल रहा है और विभिन्न सन्यन्त्रों में खराबियां चल रही हैं चाहें वह 'स्मेल्टर' में हो अथवा 'कैप्टिव' पावर संयंत्र में हों अथवा 'एल्यूमीना' सन्यन्त्र में हो, उनसे ऐसा ही दिखाई देता है। सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रम, जो इससे सम्बन्ध हैं, जैसे बी० पी० एम० इ० एल०, बी० एच० इ० एल० और अन्य एजेंसियों कारण भी यह खर बियां हो रही हैं और टूट-फूट के कारण भी चिमनियां टूटना और चोरियां भी इसके कारण हैं जिनका माननोय मंत्री महोदय ने मुझे यह जवाब देने की कृपा की है, कि पुलिस और अन्य एजेन्सियों द्वारा इनकी जांच की जा रही है यह बताया गया कि किस प्रकार से एक प्रभावी निगरानी की जा सकती है तथा समय में और लागत में वृद्धि को किस प्रकार से रोका जा सकता है।

महोदय, समय और प्रवाह किसी का इन्तजार नहीं करते और मैं नहीं समझता कि आज के इस वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में और पुरानी चीजों के तेजी से लोप हो रहे इस युग में बहुत अधिक दर पर एल्यूमीनियम के उापादन में हमारा कोई इन्तजार करेगा। विलम्ब हुआ है, मैं चाहूंगा कि वे हमें यह बताएं कि मात्रा और राशि दोनों की ही दृष्टि से इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा।

बी० पी० ई० के मार्ग-दर्शी सिद्धांतों में, जिन्हें नैल्को ने स्वीकार कर लिया है—वास्तव में, माननीय मंत्री महोदय ने 1984 में इसका पांचवां कार्यकारी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, बी०पी०ई० के मार्ग-दर्शी सिद्धांतों ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कुछ तो भूमिका अदा करनी ही थी। इसलिए, नैल्को ने बी० पी० ई० के मार्गदर्शी सिद्धांत अपना लिए और जहां तक आनुषंगिकीकरण का सम्बन्ध है बी०पी०ई० के सभी मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू कर दिया गया है। मैं आनुषंगिकीकरण का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह एक बहुत ही तकनीकी परियोजना है जो पूंजी की दृष्टि

[श्री के० पी० सिंह देव]

से बहुत लागत की है 2468 करोड़ अथवा 2408 करोड़ रुपए की लागत से 6300 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

दोनों दामनजोड़ी, जहां 580 से भी अधिक परिवार विस्थापित अथवा उजड़ चुके हैं, और अंगुल जहां 1300 से भी अधिक परिवार उजड़ चुके हैं, यद्यपि वर्तमान मंत्रालय के पूर्ववर्ती प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने और माननीय राज्य मंत्री, जो जवाब देने के लिए यहां हैं, ने विभिन्न आश्वासन दिए हैं—वे उस क्षेत्र में कम से कम दो बार आ चुकी हैं—स्थिति निराशाजनक है क्योंकि पुनरीक्षित कार्यकरण प्रतिवेदन को आज पढ़कर मुझे यह पता लगा है कि अंगुल क्षेत्र में जो 1300 लोग उजड़े थे उनमें से केवल लगभग 16 लोगों को ही रोजगार अथवा प्रशिक्षण दिया गया है जबकि दामनजोड़ी में, 581 में से केवल 439 लोगों को पुनर्वास दिया जाना चाहिए था, 100 से भी कम लोगों के मकानों को पानी की सप्लाई की गयी है और 94 से भी कम लोगों को या तो प्रशिक्षण दिया गया है या उन्हें नियमित रोजगार दिया गया है। यह स्वर्गीय प्रधान मंत्री तथा वर्तमान प्रधान मंत्री की इन नीतियों जिनके अधीन पिछड़े क्षेत्रों में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास लाने क्षेत्रीय विकास करने, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने तथा जीवन के स्तर में सुधार करने की दृष्टि से मूल उद्योग अथवा केन्द्रक उद्योगों की स्थापना करना है, की अवहेलना करना है।

प्रौद्योगिकी और पूंजी की दृष्टि से अति सघन नैल्को जैसी परियोजना में यह सम्भव नहीं है कि - मैं सरकार तथा नैल्को के साथ सहमत हूं—कारखाने में सभी को रोजगार मिल पाएगा। इसीलिए, छोटे-छोटे उत्पादों के आनुषंगीकरण का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है क्योंकि छोटे-छोटे उत्पादों और आनुषंगीकरण से बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। बी० पी० ई० के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मूल उद्योगों अथवा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों का कर्त्तव्य है—प्रोत्साहन इसके लिए उचित शब्द हैं आनुषंगिक एककों का पता लगाना उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उनकी स्थापना करना।" ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए इसे एक निष्क्रिय उत्प्रेरक होने की बजाय एक गतिशील अभिकर्मक होना चाहिए जैसीकि इच्छा व्यक्त की गई है। छोटे-छोटे उत्पादों के एकक खोलने और एल्यूमीनियम उत्पादों का विस्तार करने और उद्योगों का विस्तार करने से ग्रामीण रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जा सकते हैं। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार और अनुभव के मुताबिक उड़ीसा में कुछ 17 परियोजनाओं का पता लगाने के अतिरिक्त अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। यह बहुत ही चिन्ताजनक बात है क्योंकि यदि 1988 में नैल्को पूरे तौर से कार्य नहीं कर पाता है और छोटी-छोटी परियोजनाएं अथवा आनुषंगिक एकक स्थापित नहीं हो पाते तो कठिनाई हो जाएगी।

नैल्को ने अपने प्रतिवेदन में इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि 2-3 वर्षों में इस प्रकार से उत्पादित एल्यूमीनियम के लिए कहीं और बाजार ढूंढना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि हम एल्यूमीनियम का उपयोग नहीं करते तो राज्य को तथा देश को रोजगारों के अवसरों का काफी घाटा होगा। इसीलिए, मैं यह जानना चाहूंगा कि खान मंत्रालय, नैल्को और राज्य सरकार के बीच ऐसी

कौन सी समन्वय व्यवस्था है जिससे यह पता लग सके कि अब अवसर आ गया है कि इन उद्योगों का विकास किया जाए। एक दूसरे पर बला टालने का कोई फायदा नहीं जैसे कि नेल्को राज्य सरकार को तथा राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार एक दूसरे को कुछ करने के लिए कहती रहे। इसकी समन्वय व्यवस्था में कमी है। इसीलिए उत्पादन में तेजी लाने और ठीक उपयोग करने में सरकार को इस पहलू पर गंभीरता से विचार करना होगा।

महोदय, मैंने प्रयोगात्मक उत्पादन और लागत में वृद्धि, जो हो चुकी है, उसका उल्लेख किया है तथा मुनाफे और घाटे का भी उल्लेख किया है। मैं केवल दो और पहलुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा, जिसे यह सभा भी जानना चाहती है कि उन लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जो उजड़ गये हैं। जहां तक दामनजोड़ी का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सामाजिक आर्थिक पुनर्वास रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। अब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है परन्तु फिर भी जैसा कि मैंने उल्लेख किया था, तस्वीर निरानन्द तथा निराशाजनक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है यद्यपि नेल्को के बोर्ड द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है।

जहां तक कोलार्ड अंगुल स्थित 'स्मेल्टर' और 'कैप्टिव पावर प्लांट' का सम्बन्ध है, यद्यपि 13000 से अधिक परिवार उजड़ चुके हैं और काफी मुआवजा दिया गया है फिर भी कोई पुनर्वास योजना नहीं है। इन उजड़े लोगों को भर्ती करने की कोई भर्ती योजना नही है। तकनीकी आर्हता रखने वाले लोगों की भर्ती की कोई योजना हो सकती है। मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूं इस तथ्य के कारण कि आज का विश्व बहुत ही प्रतियोगी है और हमारे उपक्रमों के पास बहुत ही बेहतरीन प्रौद्योगिकी और सुविज्ञता होनी चाहिए ताकि हम अपने कार्य में सफल हो सकें परन्तु इसके साथ-साथ उजड़े लोगों के मानवता और पुनर्वास के पहलू को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं ठीक कह रहा हूं कि कोई पुनर्वास योजना नहीं है। नवयुवकों की कार्य कुशलता में सुधार करने अथवा उन्हें प्रशिक्षित करने की कोई योजना नहीं है जैसे कि जो परिवार उजड़ गए हैं उनमें से प्रत्येक परिवार से एक प्रतिनिधि को इसका लाभ देना।

आज हम ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहते जैसी कि बलियापाल में हो रही है जहां 'नैशनल टेस्टिंग रेंज' की स्थापना की जा रही है और जहां सरकार को मजबूरन इस पुनर्वास योजना को परियोजना लागत का एक अंग बनाना पड़ा है। सरकार ने इस बारे में सभा में एक सुस्पष्ट आश्वासन दिया है कि यह उन लोगों को मानवीय विपत्ति से सुरक्षा प्रदान करेगा जो अपना घर-बार और रोजी-रोटी खो चुके हैं। इस मामले में भी लोग अपना घर-बार और रोजी-रोटी खो चुके हैं। उन्हें भूमि के लिए तो मुआवजा दिया चुका है परन्तु रोजी-रोटी के लिए नहीं। जहां तक मुझे पता है इस ओर कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस बारे में मेरी, इस बात को गलत बताने या उसमें सुधार करने में मैं बहुत ही प्रसन्न हूंगा कि क्या सरकार अथवा 'नैल्को' इन नवयुवकों जो उजड़ गए हैं, की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए कोई कदम उठा रही है। अब तक या तो ये मूल नेल्को संयंत्र में रोजगार पाने में सफल हो जाएंगे अथवा आनुषंगी अथवा छोटे-

[श्रीमती रामदुलारी सिन्हा]

दर से पहले 'पॉट' की शुरूआत की जाएगी। हमें आशा है कि 1988 तक सभी 480 'पॉट' में उत्पादन शुरू हो जाएगा और तभी नैल्को पूर्ण उत्पादन कर पाएगा।

प्रगति की इस गति से हमें पूरा विश्वास है कि जब तक अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना न करना पड़े नैल्को 1988-89 तक अपनी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग कर पाएगा।

माननीय सदस्य ने अंगुल और दामनजोड़ी स्थित जिन एल्यूमीनियम अनुसंधान केन्द्रों का उल्लेख किया है उसके बारे में, मैं कह सकता हूं कि नैल्को पहले से ही दामनजोड़ी में बाक्साइट और अल्यूमिना में विकासात्मक अनुसंधान के लिए अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला की स्थापना कर रहा है तथा अंगुल में अल्यूमिना प्रक्रिया, उत्पाद और एलॉय में विकासात्मक अनुसंधान के लिए एक और प्रयोगशाला की स्थापना कर रहा है। अनुमोदित लागत अनुमान में अनुसंधान और विकास सुविधाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ताकि नैल्को पेचिने से प्राप्त अद्यतन प्रौद्योगिकी तथा उनसे लगातार प्राप्त प्रौद्योगिकी सहायता से प्रौद्योगिकी अपनाने मे समर्थ हो सके।

जहां तक परवर्ती उत्पादन का सम्बन्ध है नैल्को प्रतिवर्ष 2 लाख 18 हजार टन एल्यूमीनियम का उत्पादन करेगा जिसमें से प्रतिवर्ष 1 लाख टन की तार छड़ें (वायर रॉड) तैयार की जायेंगी। इन सुविधाओं की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त नैल्को सिलिकॉन एलॉय के 30000 टन उत्पादन की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए यूनिडो (यू० एन० आई० डी० ओ०) के माध्यम से सोवियत रूस से भी सहयोग कर रहा है। 'कोल्ड-रोल्ड शीटों' के उत्पादन सम्बन्धी एक और प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

06·00 म० प०

जहां तक दामनजोड़ी में विस्थापित परिवारों का सम्बन्ध है, जन जातीय क्षेत्र में जितने भी विस्थापित हैं उन्हें नैल्को द्वारा पक्के मकान दिए गये हैं। इसके अतिरिक्त नैल्को प्रत्येक विस्थापित्त परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार देने का भरसक प्रयास कर रहा है। उन्होंने दामनजोड़ी में विस्थापित 375 परिवारों में से 189 ऐसे व्यक्तियों को तथा अंगुल में 33 परिवारों में से 18 व्यक्तियों को रोजगार दिया है। यहां तक कि जो भूमि के अर्जन से ज्यादा प्रभावित भी नहीं हैं उन्हें नैल्को में या कहीं और बेहतर रोजगार देने के लिए नैल्को उन्हें रोजगार या वजीफे पर प्रशिक्षण देने का प्रयत्न करता रहा है।

नैल्को में प्रत्यक्ष रोजगार के अतिरिक्त ऐसे बहुशाखा काम्प्लेक्स के अनुषंगी या सहायक उद्योगों तथा अन्य व्यवस्थाओं में रोजगार के लिए काफी सम्भावनाएं हैं। नैल्को ने अनुषंगी तथा परवर्ती उत्पादन विकास कार्यक्रम पर एक पुस्तिका प्रकाशित की थी और उसने उस क्षेत्र में अनुषंगी एकक की स्थापना के लिए उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए संयंत्र स्तर की परामर्शदात्री समिति गठित की है। दामनजोडी एक नया शहर है और यह नैल्को के कारण ही बना है, और इसके परिणामस्वरूप विभिन्न सेवाओं के लिए काफी बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराता है।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : महोदय कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए जो अवसर आपने मुझे दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूं । आपके माध्यम से में अध्यक्ष महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने ही सभा में इस चर्चा के लिए अनुमति दी थी। स्पष्टीकरण के लिए मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं । क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि इस परियोजना को शुरूआत करने से सम्बन्धित समय तालिका क्या है और इसे कब शुरू किया गया था ? माननीय मन्त्री महोदय ने अब कहा है कि 1988-89 तक यह उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगा, पहले लिए गए निर्णय के अनुसार उत्पादन कब शुरू हो जाना चाहिए था ? इस पावन सभा तथा माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि निर्णय तो यह लिया गया था कि यह संयंत्र 1986-87 तक उत्पादन करने में समर्थ हो जाएगा । इसमें एक साल तक का विलम्ब पहले ही हो चुका है ।

माननीय मन्त्री महोदय ने उस क्षेत्र का दौरा करके बड़ी कृपा की है । उन्होंने यह लक्षित किया होगा कि इस परियोजना के अन्तर्गत जो भी निर्माण हो रहा है, चाहे वह दामनजोडी में हो या तालचेर में हो—उनमें से कोई भी निर्धारित समयानुसूची के अनुसार पूरा नहीं हो रहा है, उसके परिणामस्वरूप इस परियोजना के अन्तर्गत उत्पादन नहीं हो पा रहा है ।

दूसरी बात यह है कि मेरे मित्र सिंहदेव ने पुनर्वास योजना के बारे में पूछा था । माननीय मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं । ऐसे कई लोग हैं जो विस्थापित हो गए हैं जिन्हें अभी तक बसाया नहीं गया है ।

मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं और खासतौर से अपने प्रधानमन्त्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने तालचेर या दामनजोडी में अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना के लिए निर्णय लिया है; परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस अनुसंधान प्रयोगशाला को नागपुर में स्थापित होना था क्या उसे ही तालचेर या कहीं और स्थापित किया जाना है । यदि हां तो उसका ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए ।

नैल्को संयंत्र में उत्पादन शुरू होने के बावजूद आठवीं योजनावधि में स्वदेशी खपत के लिए अतिरिक्त मात्रा नहीं रह पाएगी । यदि हम 8 5 प्रतिशत की वर्तमान वार्षिक विकास मांग पर विचार करते हुए वार्षिक विकास मांग को 9 प्रतिशत मान लें तो नैल्को के उत्पादन आरम्भ होने के बावजूद स्वदेशी खपत के लिए 1·35 लाख टन अल्यूमीनियम की कमी बनी रहेगी । अतः सरकार आठवीं योजना के लिए क्या योजना बना रही है ताकि स्वदेश में उत्पादन से ही स्वदेशी मांग को पूरा किया जा सके ?

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : राज्य सभा में 26 जुलाई, 1984 के प्रश्न संख्या 529 के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था :

> "नैलको परियोजना की प्रथम तिमाही की 1980 के मूल्य स्तर के अनुसार, मूल स्वीकृत लागत 1242 करोड़ रुपये थी और उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि निर्माण के दौरान प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत मिश्रित लागत में वृद्धि को देखते हुए इसकी लागत 1712 करोड़ रुपये बैठेगी ।"

[श्री सोमनाथ रथ]

उत्तर में उन्होंने कहा था कि मिश्रित लागत में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय कृपया इस बात को ध्यान में रखिएगा।

8 अगस्त, 1986 को राज्य सभा में प्रश्न संख्या 330 का माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया था :

"यह परियोजना नवम्बर 1980 में 1980 के मूल्य स्तर पर प्रथम तिमाही के लिए 1242·4 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृत की गयी थी। परियोजना की अनुमानित संशोधित लागत, 1985 के मूल्य स्तर पर प्रथम तिमाही में, 2408·14 करोड़ रुपये आई।"

18 जुलाई, 1985 को लोक सभा में प्रश्न संख्या 2 का माननीय मन्त्री ने यह उत्तर दिया था :

"परियोजना पर दिसम्बर, 1984 तक 905·76 करोड़ रुपये कुल संचित व्यय हुआ है।

परियोजना को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता सहित, परियोजना का संशोधित लागत अनुमान विचाराधीन है।"

मुझे "परियोजना के संशोधित लागत अनुमान" शब्दों को दोहराने की अनुमति दी जाए। चूंकि यह उत्तर दिया गया था कि प्रतिवर्ष मूल्य में 5 प्रतिशत वृद्धि होगी, परियोजना के अन्तर्गत पूरी तरह से उत्पादन 1987 में या 1988 के आरम्भ में शुरू हो जायेगा। अब एक साल से अधिक समय हो चुका है। अतः मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार मूल्य वृद्धि होगी।

राज्य सभा में 26·11·1985 के प्रश्न संख्या 135 के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने यह कहा था : अन्त में यह कहा था कि मूल्यों में 1,242·4 करोड़ रुपये से 2,408·14 करोड़ रुपये प्रति टन तक वृद्धि हो गई है। यह महत्त्वपूर्ण बात है। उन्होंने आगे कहा था :

"नैल्को 1988 तक पूर्ण रूप से उत्पादन करना आरम्भ कर देगा। वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार परियोजना के आर्थिक रूप से सक्षम होने की सम्भावना है।"

यहां पर "सम्भावना" शब्द है।

मैं माननीय मंत्री से इन तथ्यों और भिन्न-भिन्न समय दिए गए उत्तरों के बारे में जानना चाहता हूं। वहां पर पूर्णरूपेण उत्पादन कब आरम्भ होगा? माननीय मन्त्री जी द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार उस समय तक उसकी लागत कितनी होगी और मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर दिया था कि इसके आर्थिक रूप से संक्षम होने की संभावना है, क्या यह वास्तव में आर्थिक रूप से सक्षम होगा, यदि हां, उसका अलग-अलग ब्यौरा क्या है? इसकी आर्थिक रूप से सक्षमता जानने के लिए कुछ तो ब्यौरा होगा और मुझे आशा है माननीय मंत्री जी उसका उल्लेख करेंगे।

तैयार उत्पाद के परिवहन के बारे में, अब तक उसके लिए सड़क-सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया है। हमें नहीं पता कि सड़क-सम्पर्क कब तक पूरा होगा और उत्पादन कब आरम्भ होगा, माननीय मन्त्री जी का विचार इसका परिवहन या निर्यात कैसे करने का है ?

श्री के० पी० सिंह देव : रेल सम्पर्क भी तैयार नहीं है।

श्री सोमनाथ रथ : जी हां, रेल-सम्पर्क तैयार नहीं है। इसका निर्माण कार्य तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिए। 1988 या 1989 में पूर्ण रूपेण उत्पादन आरम्भ होने तक यदि रेल सम्पर्क नहीं बना तो एल्युमीना का संयंत्र से निर्यात कैसे हो पाएगा ? संयंत्र और रेल-सम्पर्क पूरा करने की निर्धारित अवधि क्या है और उत्पादन कब तक आरम्भ होगा ? क्या सड़क सम्पर्क भी पूरा हो जाएगा ?

और यद्यपि संयंत्र का निर्माण निश्चित अवधि में पूरा हो जाएगा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादन निर्धारित कार्यक्रमानुसार होगा। मैं चाहता हूं मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें। उत्पादन के लिए निर्धारित अवधि क्या है, क्या उत्पादन भी वैसे ही होगा जैसा मंत्री महोदय ने पहले बताया था ? जैसा कि कहा गया था अनुषंगी उत्पाद भी होंगे, परन्तु अनुषंगी उत्पादों के संयंत्र का निर्माण करने या अन्य सम्बन्धित उद्योगों को अब आरम्भ करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं ताकि जब तक मुख्य संयंत्र उत्पादन आरम्भ करें तब तक ये उद्योग भी कार्य आरम्भ कर सकें।

श्री के० पी० सिंह देव : सरकार अल्यूमीनियम और अल्यूमीना का पहले ही राज्य से निर्यात कर रही है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं अन्तिम मुद्दे से आरम्भ करके उत्तर दे सकती हूं।

नैल्को क्षेत्र से आनुषंगी उद्योगों के विकास के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आनुषंगी उद्योगों के संबंध में मुझे यह कहना है कि आनुषंगी उद्योगों के संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा एक संयन्त्र स्तर की परामर्शदायी समिति का गठन किया गया है। नैल्को सूचना और तकनीकी सहायता के प्रचार में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। नैल्को के आनुषंगी उद्योगों और अनुप्रवाही कार्यक्रमों संबंधी एक पुस्तिका संबंधित व्यक्तियों के प्रयोगार्थ प्रकाशित की गई है। राज्य सरकार उन स्थानों, जहां आनुषंगी उद्योग स्थापित किये जाने हैं, जैसे आंगुल और दामनजोड़ी के विकास के लिए कदम उठाए हैं।

जहां तक लागत का वृद्धि का संबंध है, जैसा कि मैंने पहले कहा था जैसे-जैसे निर्माण में प्रगति होती है, वैसे-वैसे लागत अनुमानों में भी परिवर्तन होता जाता है। अब हमने संशोधित लागत अनुमानों का निर्णय ले लिया है जो 2408 करोड़ रुपये है हमारा अनुमान है कि आगे चलकर यह परियोजना आर्थिक रूप से सक्षम होगी। यह दूरदर्शी निवेश निर्णय है।

माननीय सदस्य श्री के० पी० सिंह देव ने कहा था और मैंने भी कहा था, इस सभा में और दूसरी सभा में एक प्रश्न था और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि नेल्को के विकास से कौन सम्बन्धित

[श्रीमती रामदुलारी सिंह]

है। यह जोर शोर से तैयार हो रहा है। मैं पुन: फिर कह सकती हूं कि विभिन्न बातों जैसे लागत, आदान, सामग्री मुद्रास्फीति वाले कारणों को देखते हुए मूल कार्यक्रमों को 1984 में संशोधित किया गया था। अत: अब मैंने जो जिस कार्यक्रम का उल्लेख किया है वह सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम है।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं जानना चाहता हूं कि नेल्को द्वारा उत्पादित अल्यूमीनियम का मूल्य कितना होगा क्योंकि यह 23,000 रुपये प्रति टन, जो कि स्वदेश में उत्पादित किया जा रहा है से भी अधिक होगा ? श्री चिन्तामणि जेना ने पूछा था कि क्या यह अल्यूमीनियम अनुसंधान केन्द्र, दामनजोड़ी में स्थापित किए जाने वाले केन्द्र से भिन्न होगा ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जैसा मैंने पहले कहा है, नेल्को के अनुमोदित लागत अनुमानों में अनुसंधान और विकास के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बाक्साइट और अल्यूमीना में विकासात्मक अनुसंधान के लिए दामनजोड़ी में और अल्यूमीनियम प्रोसेस प्रोडक्ट और अलॉय में विकासात्मक अनुसंधान के लिए आंगुल में 2-5 करोड़ रुपये की लागत से पहले ही अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। नेल्को ने पेचीनेय से नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त कर ली है जो उनके लिए लगातार तकनीकी रूप से सहायक होगी।

परन्तु दूसरे प्रश्न के लिए मैं यह निश्चित रूप से कह सकती हूं कि अल्यूमीनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केन्द्र एक पृथक केन्द्र है। यह अल्यूमीनियम अनुसंधान और डिजाइन केन्द्र अल्यूमीना शोधनशाला और अल्यूमीनियम विगलन के लिए मूल डिजाइन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए नागपुर में स्थापित किया जा रहा है ताकि भारत अपने स्वयं के प्रयासों से अल्यूमीना/अल्यूमीनियम संयन्त्र स्थापित करने में सक्षम हो सके। नागपुर में स्थल का निर्णय, 'मीकान' द्वारा विस्तृत अध्ययन के बाद किया गया था।

श्री के० पी० सिंह देव और श्री जेना दोनों माननीय सदस्य मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं। वे एक ही क्षेत्र के हैं। उनके लिए उत्तेजित होना स्वाभाविक बात है। खान मन्त्री के रूप में मैं भी यह चाहूंगी कि यह केन्द्र आंगुल या दामनजोड़ी के निकट या कम से कम उड़ीसा में होना चाहिए था। मेरे इस मन्त्रालय में आने से पूर्व ही सब कुछ हो चुका था। अत: अब इसे नागपुर से हटाकर भुवनेश्वर लाकर, दोनों सदस्यों को सन्तुष्ट करना मेरे लिए असम्भव हो गया है। नि:सन्देह, हाल ही में उड़ीसा के मुख्य मन्त्री श्री पटनायक का एक पत्र मेरे पास आया था जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि इसका स्थान नागपुर से भुवनेश्वर करने के लिए मैं अपना सहयोग दूं। अब मैं अपने को विषम स्थिति में पाती हूं।

सभापति महोदय : इसे नागपुर में स्थापित होने दें।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जहां तक नेल्को के अल्यूमीनियम के मूल्य का सम्बन्ध है, यह

बल्कि और माल्को जैसी अन्य अल्यूमीनियम कम्पनियों द्वारा उत्पादित अल्यूमीनियम के मूल्य की तुलना में काफी प्रतियोगी होगा।

मैं श्री के०पी०सिंह देव और दोनों अन्य माननीय सदस्यों की बहुत आभारी हूं। उन्होंने अनेक सुझाव दिए। मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने किया। और सदस्यों को ही नहीं बल्कि उस राज्य और क्षेत्र के लोगों को सन्तुष्ट करने के लिए जो कुछ करना संभव होगा, वह करने के लिए मैं तैयार हूं।

6·19 म० प०

तत्पश्चात्, लोकसभा मंगलवार, 25 नवम्बर, 1986/4 अग्रहायण 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : सनलाईट प्रिंटर्स, दिल्ली-6